लोकतंत्र
के बढ़ते कदम
संबोधन (2019-2020)

लोकतंत्र के बढ़ते कदम

सत्यमेव जयते

ओम बिरला
लोक सभा अध्यक्ष

संबोधन (2019–2020)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
2024

1-लार्डिस (ईएसए)/2019-20

मूल्य : चार सौ रुपए

© लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली, 2024

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सोलहवाँ संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स प्रभात प्रकाशन प्रा.लि., नई दिल्ली 110002 द्वारा मुद्रित।

आमुख

भारत की संसद देशवासियों की संप्रभु इच्छा का मूर्त रूप है। देश की इस सर्वोच्च प्रतिनिधि सभा एवं उसके सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों के संरक्षक के रूप में लोक सभा अध्यक्ष को हमारे संसदीय लोकतंत्र में विशेष स्थान दिया गया है। लोक सभा अध्यक्ष अपनी नेतृत्व क्षमता, राजनैतिक सूझबूझ, निष्पक्ष और गरिमापूर्ण आचरण से सभा के सुचारू एवं व्यवस्थित संचालन में धुरी की भूमिका निभाते हैं।

सत्रहवीं लोक सभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला हमारे प्राचीन समाज में रचे-बसे लोकतांत्रिक मूल्यों के उत्फुल्लन के प्रतीकात्मक उदाहरण हैं। सहभागितापूर्ण राजनीति में अटूट विश्वास रखने वाले श्री ओम बिरला की राजनैतिक यात्रा छात्र और युवा राजनीति से आरंभ होकर सहकारी आंदोलन, राजस्थान विधान सभा और लोक सभा के मार्ग से अग्रसर होते हुए लोक सभा अध्यक्ष के उच्च दायित्व वाले आसन तक आ पहुँची है। जमीनी स्तर से लेकर शीर्षस्थ लोकतांत्रिक संगठनों में लगभग चार दशकों की सक्रिय भागीदारी का इनको बहुमूल्य अनुभव प्राप्त है। यह अनुभव श्री बिरला को संविधान सम्मत तरीके से संसदीय कार्य संचालन में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। उनका यह स्पष्ट मत है कि हमारी संसद राजनैतिक दलों तथा विचारधाराओं के बीच सकारात्मक चर्चा एवं विचार-विमर्श का उत्कृष्ट मंच है, अत: अध्यक्ष का प्रमुख दायित्व इस संवाद के लिए सदन में अनुकूल वातावरण सृजित करना है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि सांसदों को लोक सभा में जनहित से जुड़े सभी मुद्दों पर वाद-विवाद और खुली चर्चा के लिए पर्याप्त समय एवं अवसर मिले, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान लोक सभा में सांसदों ने सभा की कार्यवाही में बढ़-चढ़कर भाग लिया है और सभा के कार्यनिष्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

वर्तमान प्रकाशन माननीय अध्यक्ष श्री बिरला द्वारा अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में महत्त्वपूर्ण विषयों पर अनेक मंचों से दिए गए भाषणों का संकलन है। ये वक्तव्य अत्यधिक प्रासंगिक और समसामयिक मुद्दों पर उनकी सोच एवं विचारों की अभिव्यक्ति हैं। इस

पुस्तक के भाग–एक में श्री ओम बिरला के जीवन–वृत्त की प्रस्तुति है और भाग–दो में उनके भाषणों का संकलन है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह संकलन पाठकों, विशेष रूप से सांसदों, शिक्षाविदों, मीडिया और समसामयिक विषयों में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होगा।

(**उत्पल कुमार सिंह**)
महासचिव, लोक सभा

नई दिल्ली
जनवरी 2024

अनुक्रम

पृष्ठ

आमुख i

खंड-एक

श्री ओम बिरला : जीवन-वृत्त 1

खंड-दो

उनके विचार

भाग-एक : संसदीय लोकतंत्र

1. **लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं संसद : जनता के विश्वास का प्रतीक** 11
   लोक सभा अध्यक्ष पद पर आसीन होने के बाद सदन को प्रथम संबोधन,
   संसद भवन, 19 जून, 2019

2. **संसदीय प्रक्रियाएँ, नियम और पद्धतियाँ एवं उपाय : एक परिचय** 14
   सत्रहवीं लोक सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित
   प्रबोधन कार्यक्रम, संसद भवन परिसर, 3 जुलाई, 2019

3. **संसदीय लोकतंत्र : एक गौरवपूर्ण विरासत** 21
   राजस्थान विधान सभा के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम,
   जयपुर, 7 जुलाई, 2019

4. **लोक लेखा समिति : सरकारी व्यय पर संसद का नियंत्रण** 28
   17वीं लोक सभा की लोक लेखा समिति की पहली बैठक,
   नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2019

5. **जनप्रतिनिधि : सदन में जनता जनार्दन की आवाज** 31
   गोवा विधान सभा में संबोधन, 8 नवंबर, 2019

पृष्ठ

6. **युवा : लोकतंत्र के कर्णधार** 38
10वां राष्ट्रमंडल युवा संसद, 2019 समारोह, नई दिल्ली, 25 नवंबर, 2019

7. **संसदीय लोकतंत्र में विधायकों की भूमिका** 42
राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, भारत क्षेत्र के सातवें सम्मेलन का उद्घाटन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, 16 जनवरी, 2020

8. **लोकतंत्र एवं विधायी प्रक्रियाएं** 50
राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, भारत क्षेत्र के सातवें सम्मेलन में समापन भाषण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, 17 जनवरी, 2020

9. **कोरोना महात्रासदी के पश्चात् विधायी कार्यों का संपादन एवं चुनौतियाँ** 53
पीठासीन अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस, संसदीय सौध विस्तार, नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2020

भाग-दो : विधिक और संवैधानिक मुद्दे

10. **भारतीय संविधान : देश की संस्कृति और सभ्यता के विकास की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति** 59
संविधान दिवस के अवसर पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित समारोह, नई दिल्ली, 26 नवंबर, 2019

11. **विधायी निकायों के अध्यक्ष एवं लोकतंत्र की चुनौतियाँ** 63
भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 79वें सम्मेलन में उद्घाटन भाषण, देहरादून, उत्तराखंड, 18 दिसंबर, 2019

12. **संसदीय लोकतंत्र में विधायी प्रक्रियाओं का महत्त्व** 71
भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों और सचिवों के सम्मेलन के समापन सत्र में विदाई भाषण, देहरादून, उत्तराखंड, 19 दिसंबर, 2019

13. **लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग की तकनीक एवं कला में प्रशिक्षण की आवश्यकता** 75
35वें अंतर्राष्ट्रीय विधायी प्रारूपण प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह, संसद भवन, नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2020

भाग-तीन : राष्ट्रीय विकास एवं पर्यावरण

पृष्ठ

14. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम : देश की अर्थव्यवस्था का आधार 81

छठा इंडिया इंटरनेशनल MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)
स्टार्ट अप एक्सपो एंड समिट, प्रगति मैदान, नई दिल्ली,
23 अगस्त, 2019

15. पर्यावरण संरक्षण में जन साधारण की भागीदारी 85

राजस्थान के कोटा नगर निगम द्वारा आयोजित 'वृक्षारोपण कार्यक्रम',
कोटा, राजस्थान, 21 जुलाई, 2019

16. सही पोषण—देश रोशन 89

सुपोषित माँ अभियान का शुभारंभ, कृषि मंडी उपज समिति,
कोटा, राजस्थान, 29 फरवरी, 2020

17. अपने मकान का सपना 94

वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास संबंधी राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास
परिषद का 15वां राष्ट्रीय कन्वेंशन, नई दिल्ली, 19-20 अगस्त, 2019

18. कृषि विज्ञान में प्रबंधन का महत्त्व 97

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील
कृषक सम्मेलन-सह-प्रदर्शनी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, 17 जनवरी, 2020

माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला की विभिन्न कार्यक्रमों में गरिमामयी उपस्थिति 103

भाग-चार : शिक्षा एवं संस्कृति

19. शिक्षा : चरित्र-निर्माण का पहला कदम 117

भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित एकल भागवत
ज्ञानयज्ञ कार्यक्रम, नई दिल्ली, 21 सितंबर, 2019

20. सकारात्मक आध्यात्मिकता 121

प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा
आयोजित 'रूहानी उड़ान' कार्यक्रम, माउंट आबू, राजस्थान,
22 सितंबर, 2019

21. अज्ञानता के अंधकार पर ज्ञान के प्रकाश की विजय 124

शारदा विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ दीपावली का
त्योहार मनाने के अवसर पर संबोधन, ग्रेटर नोएडा, 22 अक्तूबर, 2019

पृष्ठ

22. **समावेशी शिक्षा नीति** 129
कलिंगा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में जनजातीय समुदाय के छात्रों को संबोधन,
भुवनेश्वर, ओडिशा, 09 नवंबर, 2019

23. **आधुनिक शिक्षा का सामाजिक परिवर्तन एवं राष्ट्र के विकास में योगदान** 133
कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान का 15वां वार्षिक दीक्षांत समारोह,
भुवनेश्वर, ओडिशा, 09 नवंबर, 2019

24. **समर्थ, संस्कारित गीतामय भारत का निर्माण** 139
गीता प्रेरणा महोत्सव, लाल किला मैदान, नई दिल्ली, 01 दिसंबर, 2019

25. **आई.सी.ए.आई.—एक प्रमुख लेखा निकाय** 144
द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आई.सी.ए.आई.) की
फरीदाबाद शाखा का 40वां स्थापना दिवस समारोह, 21 दिसंबर, 2019

26. **आई.सी.ए.आई. की बहुआयामी भूमिका** 147
द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का
वार्षिक समारोह, नई दिल्ली, 07 फरवरी, 2020

27. **जेनरेशन इक्वेलिटी : एक विश्वव्यापी अभियान** 151
16वां रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल उत्सव, तालकटोरा स्टेडियम,
नई दिल्ली, 13 से 17 दिसंबर, 2019

28. **राष्ट्र-निर्माण में भारतीय शिक्षण संस्थानों का योगदान** 155
कॅरियर प्वॉइंट यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह, कोटा,
राजस्थान, 24 दिसंबर, 2019

29. **सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान एवं सम्यक् आचरण** 161
श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन (धर्म संरक्षिणी) महासभा की 125वीं वर्षगाँठ,
जैन जन उपयोगी भवन, कोटा, राजस्थान, 4 जनवरी, 2020

30. **कोटा शहर : उभरता हुआ शिक्षा का केंद्र** 167
कोटा जिला प्रशासन एवं कोटा छात्र कल्याण सोसाइटी द्वारा
आयोजित 'कोटा कार्निवल', कोटा, राजस्थान, 2 फरवरी, 2020

31. **गृहे-गृहे गायत्री यज्ञ : एक अभियान** 173
गायत्री परिवार ट्रस्ट (गायत्री शक्ति पीठ, विज्ञान नगर) द्वारा
आयोजित कार्यक्रम, कोटा, राजस्थान, 17 से 20 फरवरी, 2020

पृष्ठ

32. अटल टिंकरिंग लैब : प्रौद्योगिकी एवं रचनात्मकता का संगम 177

अटल टिंकरिंग लैब के शुभारंभ के अवसर पर भाषण,
आदर्श विद्या मंदिर, नैनवा रोड, बूंदी, राजस्थान, 20 फरवरी, 2020

33. व्यावहारिक एवं मूल्य आधारित शिक्षा 181

स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन में श्रीरामशांताय सभागार का
लोकार्पण, कोटा, राजस्थान, 1 मार्च, 2020

भाग-पाँच : स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे

34. हेपेटाइटिस रोग : निवारण एवं नियंत्रण 187

यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान (आई.एल.बी.एस.) द्वारा आयोजित
'विश्व हेपेटाइटिस दिवस संगोष्ठी', नई दिल्ली,
27 जुलाई, 2019

35. लंबी आयु के लिए आयुर्वेद 191

आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित चौथा आयुर्वेद दिवस समारोह,
जयपुर, राजस्थान, 25 अक्तूबर, 2019

36. जन स्वास्थ्य जागरूकता : एक चुनौतीपूर्ण अभियान 195

स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में कार्यरत उत्कृष्ट पेशेवरों को सम्मानित करने
के लिए आयोजित 'अटल स्वास्थ्य भूषण सम्मान, 2019' समारोह,
नई दिल्ली, 21 दिसंबर, 2019

37. प्राकृतिक चिकित्सा और योग का महत्त्व 199

बालाजी निरोगधाम अस्पताल, नई दिल्ली का स्थापना दिवस और
प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग संबंधी विचार-गोष्ठी,
नई दिल्ली, 22 दिसंबर, 2019

38. विद्यार्थियों का मानसिक तनाव और उसका प्रबंधन 203

'मेंटल हेल्थ प्रमोशन ऐंड स्ट्रैस फ्री लिविंग' विषय पर
आयोजित नेशनल वर्कशॉप, कोटा, राजस्थान, 29 फरवरी, 2020

39. बधिरता का निवारण एवं क्षमताओं का विकास 207

'विश्व श्रवण दिवस' के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम, आनंदम ई.एन.टी. अस्पताल,
कोटा, राजस्थान, 1 मार्च, 2020

भाग-छह : विविध

पृष्ठ

40. जनसेवा-राष्ट्रसेवा 213

नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम, कोटा, राजस्थान, 6 जुलाई, 2019

41. श्री चंद्रशेखर : एक उत्कृष्ट राजनेता 217

राज्य सभा के माननीय उप सभापति श्री हरिवंश और
श्री रविदत्त बाजपेयी द्वारा लिखित पुस्तक 'चंद्रशेखर : द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स' का विमोचन,
संसदीय ज्ञानपीठ, 24 जुलाई, 2019

42. श्री अरुण जेटली : एक बहुमुखी प्रतिभा 221

'The Renaissance Man : The Many Faces of Arun Jaitley'
का विमोचन, श्रद्धेय अरुण जेटली पर लिखी गई पुस्तक, नई दिल्ली, 28 दिसंबर, 2019

43. शहीदों की वीरता को नमन 224

शहीदों के परिवारों से मुलाकात के दौरान उद्‌गार, होशियारपुर,
पंजाब, 7 मार्च, 2020

खंड-एक

श्री ओम बिरला : जीवन-वृत्त

श्री ओम बिरला

माननीय अध्यक्ष, सत्रहवीं लोक सभा

श्री ओम बिरला : एक परिचय

भारत की 17वीं लोक सभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला का जन्म 23 नवंबर, 1962 को कोटा, राजस्थान में हुआ।

संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में श्री ओम बिरला ने वर्ष 2003 में प्रथम बार कोटा दक्षिण विधान सभा क्षेत्र से राजस्थान विधान सभा के लिए निर्वाचित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज की। 2008 व 2013 में भी जनता के सर्वमान्य सेवक के रूप में पुन: विधायक के तौर पर निर्वाचित हुए। श्री बिरला राजस्थान विधान सभा के अपने कार्यकाल के दौरान संसदीय सचिव पद पर भी रहे।

श्री बिरला वर्ष 2014 और 2019 में कोटा–बूँदी लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से क्रमश: 16वीं तथा 17वीं लोक सभा के लिए चुने गए। श्री ओम बिरला 19 जून, 2019 को सर्वसम्मति से 17वीं लोक सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

एक साधारण परिवेश से निकलकर देश की सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था के अध्यक्ष पद पर पहुँचने की श्री बिरला की संघर्षपूर्ण यात्रा एक प्रेरक गाथा है।

जनता से उनका जुड़ाव और उनके प्रति समर्पण उन्हें एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि बनाता है। एक संवेदनशील, जिम्मेदार और निष्ठावान जनप्रतिनिधि के रूप में श्री बिरला अपने संसदीय क्षेत्र के प्रति निरंतर समर्पित रहे हैं।

सहकारिता क्षेत्र में योगदान

श्री ओम बिरला का सहकारिता आंदोलन में दृढ़ विश्वास रहा है। वर्ष 1987 से 2003 तक कोटा जिला सहकारी उपभोक्ता थोक भंडार लिमिटेड के अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने इस संकटग्रस्त सहकारी समिति को पुनर्जीवित कर नई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। वर्ष 1992 से 1995 तक श्री बिरला राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने संपूर्ण राजस्थान राज्य में सहकारिता

आंदोलन को गति दी। उसी अवधि में उन्होंने राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के निदेशक का पदभार ग्रहण किया और देश भर में सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान की। वह वर्ष 2002 से 2004 तक राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के उपाध्यक्ष पद पर भी रहे। उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने पूरे देश में सुपर बाजार योजना को बढ़ावा दिया।

एक समाजसेवी

श्री ओम बिरला अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ से ही एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहकर गरीबों और समाज के दलित-वंचित वर्गों की सेवा करते रहे हैं। अपने राजनीतिक जीवन काल में उन्होंने अनेकानेक जन-केंद्रित प्रकल्प संचालित किए जैसे कि **प्रसादम, परिधान, कंबल प्रकल्प, सुपोषित माँ अभियान, हर गाँव स्वस्थ-हर परिवार स्वस्थ, मोबाइल हेल्थ वैन, वृहत वृक्षारोपण अभियान, क्लीन कोटा-ग्रीन कोटा तथा एक मुट्ठी अन्न राहत अभियान** इत्यादि।

नवोन्मेषी-निष्पक्ष लोक सभा अध्यक्ष

जून, 2019 में 17वीं लोक सभा के अध्यक्ष चुने जाने के पश्चात् से ही श्री ओम बिरला ने लोक सभा की कार्य प्रणाली में गुणवत्तापूर्ण सुधार एवं उत्पादकता बढ़ाने का लक्ष्य लेकर अनेकानेक प्रयास किए। कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ निम्न प्रकार हैं—

- 17वीं लोक सभा की कार्य उत्पादकता में 14वीं, 15वीं, 16वीं लोक सभा की तुलना में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
- नए सदस्यों को बोलने का अवसर देना।
- पहली बार चुनकर आने वाले सदस्यों को पहले सत्र में ही बोलने का अवसर देना।
- उपलब्ध संसाधनों और समय का इष्टतम उपयोग करना।
- सदस्यों की दक्षता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाना।
- कार्य निष्पादन में त्रुटि और विलंब को कम करना।
- पारदर्शिता और जवाबदेही लाना।

- संसद सदस्यों के लिए 'शोध एवं सूचना सहायता' (प्रिज्म) की स्थापना।
- शोध सहायता के माध्यम से सदस्यों की कार्य-क्षमता को बढ़ाना।
- विषय विशेषज्ञों द्वारा माननीय संसद सदस्यों के लिए ब्रीफिंग सत्रों का आयोजन।
- मोबाइल ऐप के माध्यम से माननीय सदस्यों को 40 भाषाओं में 5000 से अधिक पत्रिकाएँ और समाचार-पत्रों को पढ़ने की सुविधा।
- मूल संविधान सभा, संविधान सभा की चर्चाओं और लोक सभा की कार्यवाही का डिजिटलाइजेशन।
- ऑनलाइन संसद ग्रंथालय की शुरुआत।
- महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर सदस्यों को विधायी और नीति संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने की संस्थागत व्यवस्था करना।
- पंचायती राज संस्थाओं के लिए आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों को संसद ग्रंथालय एवं संसद भवन के भ्रमण की व्यवस्था करना।
- छात्रों और युवाओं में संविधान एवं संसदीय लोकतंत्र के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 'अपने संविधान को जानें' (केवाईसी) पहल की शुरुआत।
- संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में हमारे राष्ट्रनायकों को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों के युवाओं को आमंत्रित करना।
- सूचना और संचार केंद्र की स्थापना करना इत्यादि।

लोक सभा के अध्यक्ष के रूप में श्री बिरला ने सदन के माध्यम से कार्यपालिका की पारदर्शिता और विधायिका के प्रति जवाबदेही को और अधिक प्रभावी तरीके से सुनिश्चित किया है। सदन के सभी माननीय सदस्यों को, विशेष रूप से नए सदस्यों, महिला और युवा सदस्यों को उन्होंने सदन के अंदर अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर दिया है।

श्री बिरला के विशेष प्रयासों एवं सभी माननीय सदस्यों के सहयोग से ही कोविड वैश्विक महामारी के दौरान भी लोक सभा में बेहतर कार्य निष्पादन सुनिश्चित किया जा सका।

संसद का नया भवन

श्री ओम बिरला के कार्यकाल के दौरान ही एक ऐतिहासिक पहल के तौर पर संसद के नए भवन का शिलान्यास, निर्माण और लोकार्पण हुआ। नए संसद भवन को अत्याधुनिक तकनीक से युक्त तथा पर्यावरण अनुकूल बनाया गया है, ताकि माननीय सदस्यगण दक्षतापूर्वक कार्य कर सकें।

अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उपस्थिति

श्री ओम बिरला ने लोक सभा अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, जैसे अंतर-संसदीय संघ (आई.पी.यू.) की महासभा, संसद के अध्यक्षों के वैश्विक सम्मेलन, जी-20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के सम्मेलन, राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन (सीएसपीओसी) सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों द्वारा आयोजित सम्मेलनों में शिरकत की। इसके साथ-साथ अनेक देशों में जानेवाले भारत के संसदीय प्रतिनिधिमंडलों का भी नेतृत्व किया। इस हेतु उन्होंने कई देशों की यात्रा की, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, सर्बिया, इटली, तुर्की, फ्रांस, नीदरलैंड, जापान, सूरीनाम, मालदीव, युगांडा, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, यूरोपियन पार्लियामेंट, बेल्जियम, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया, ऑस्ट्रिया, केन्या, तंजानिया और मंगोलिया इत्यादि।

पी-20 सम्मेलन का सफल आयोजन

श्री ओम बिरला के नेतृत्व में अक्टूबर, 2023 में यशोभूमि, नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में जी-20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के नौवें पी-20 सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ। जी-20 देशों तथा 10 आमंत्रित देशों की संसदों के 37 अध्यक्षों/उपाध्यक्षों/प्रतिनिधियों के साथ-साथ आईपीयू के अध्यक्ष और पैन अफ्रीकी संसद के अध्यक्ष ने इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इनके अलावा, 48 माननीय संसद सदस्यों समेत कुल 436 प्रतिनिधियों ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था—**"एक पृथ्वी-एक परिवार-एक भविष्य के लिए संसद"**। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से एसडीजी, हरित ऊर्जा, महिला नेतृत्व वाले विकास तथा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे इत्यादि विषयों पर विस्तृत, सफल एवं सारगर्भित चर्चा हुई।

श्री ओम बिरला ने संसद के बाहर विभिन्न अंतर-संसदीय मंचों, देश-विदेश के सामाजिक व सार्वजनिक समारोहों और अपने निर्वाचन क्षेत्र में अनेक मंचों को अपनी उपस्थिति से सुशोभित किया है। श्री ओम बिरला ने लोक महत्त्व के विषयों को जिस विद्वत्ता, तार्किकता एवं भावात्मकता के साथ प्रस्तुत किया है, उसे पढ़ना पाठकों के लिए एक समृद्धिकारक अनुभव रहेगा।

खंड-दो

उनके विचार

भाग-एक

संसदीय लोकतंत्र

1

लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं संसद : जनता के विश्वास का प्रतीक*

"इस सदन के माध्यम से हम सबकी यह कोशिश होनी चाहिए कि हम संसदीय मर्यादा में रहें, ताकि जिस तरीके से हमारा लोकतंत्र पूरे विश्व में माना जाता है, उसी तरह हमारी संसदीय परंपरा की भी पूरे विश्व में लोग मिसाल दे सकें।"

सत्रहवीं लोक सभा के अध्यक्ष के रूप में मेरे प्रति किए गए आप सभी के समर्थन के लिए मैं हृदय के अंत:करण से आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

इस चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए मेरे ऊपर विश्वास जताने के लिए मैं सभी दलों के प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूँ।

मैं माननीय प्रोटेम स्पीकर डॉ. वीरेंद्र कुमार जी और उनकी प्रो-टीम श्री सुरेश कोडिकुन्निल जी, श्री भर्तृहरि महताब जी, श्री बृजभूषण शरण सिंह जी और उनकी पूरी टीम को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने दो दिन तक इस सदन की कार्यवाही को बेहतरीन ढंग से चलाया।

मैं देश की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ। लोकतंत्र के इस महायज्ञ में देश की जनता ने पूरे उल्लास, उमंग और उत्साह के साथ आहुति दी। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति लोगों के बढ़ते विश्वास का प्रतीक है। हमारे सामने बहुत-सी चुनौतियाँ हैं और जनता की अपेक्षाएँ भी हैं।

मैं भी वर्ष 2014 से वर्ष 2019 तक आपके बीच का एक सदस्य रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि लाखों मतदाताओं के विश्वास, भरोसे के साथ हम इस संसद के मंदिर में आते हैं और संसद के मंदिर में आने के बाद हमारे क्षेत्र की जनता, पूरे देश की जनता का यह विश्वास, भरोसा रहता है कि हम समाज के अंतिम व्यक्ति की बात सदन के माध्यम से करेंगे।

---

* लोक सभा अध्यक्ष पद पर आसीन होने के बाद सदन को प्रथम संबोधन, संसद भवन, 19 जून, 2019

मेरा प्रयास होगा कि मैं हर माननीय सदस्य, चाहे किसी दल का एक सदस्य हो, चाहे वह सदस्य कितनी बड़ी संख्या वाले दल का हो, सबको अपनी बात रखने का अवसर दूँगा। हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी कहा है कि हम संख्या बल के आधार पर नहीं, हम इस देश के अंदर सबके विश्वास को लेकर चलना चाहते हैं। यह देश वह देश है, जिसका लोकतंत्र सबसे बड़ा है।

लोक सभा अध्यक्ष पद पर आसीन होने के बाद बधाई स्वीकार करते हुए

सबसे बड़े लोकतंत्र में होने के बाद जिस तरीके से निष्पक्ष रूप से और पारदर्शी तरीके से हमारे यहाँ इस लोकतंत्र के उत्सव को मनाया जाता है, जिस उमंग और उत्साह के साथ तपती धूप में घंटों इंतजार करने के बाद लोग मत देकर हम सबको चुनकर भेजते हैं, वे इस विश्वास और भरोसे के साथ भेजते हैं कि हम उनके बुनियादी सवालों, उनके अभावों को उठाएँगे।

पिछली बार सरकार ने उनके विश्वास को कायम रखा। इसलिए पुन: सरकार को अधिक संख्या बल के आधार पर देश की जनता फिर विश्वास और भरोसे के साथ लाई है।

इसलिए अब सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि जिस तरीके का विश्वास और भरोसा देश की जनता ने सरकार पर व्यक्त किया है, मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि सरकार की जवाबदेही ज्यादा बनती है। मेरी सरकार से यह अपेक्षा रहेगी कि वह अधिक जवाबदेही से, अधिक पारदर्शिता से इस देश के अंदर काम करे, ताकि हम देश में एक मिसाल कायम कर सकें।

मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप सबका यह मंच लोकतंत्र का एक मंदिर है। आप अपने बुनियादी सवालों को, बुनियादी बातों को, जो जनता आपसे कहती है, सदन के माध्यम से देश को अवगत कराना चाहते हैं, अपनी जनता को भी अवगत कराना चाहते हैं, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि कई बार मैं सदन में देखता हूँ कि ऐसे बुनियादी सवाल, जो केंद्र सरकार या सदन के अनुकूल नहीं हैं, उन सवालों को भी संसद में उठाया जाता है।

मैं सभी माननीय सदस्यों से यह कहना चाहूँगा कि हमें हमेशा वह सवाल उठाना चाहिए, जो देश की जनता सरकार से पूछना चाहती है।

मेरा सरकार से भी आग्रह रहेगा कि सरकार भी हर माननीय सदस्य के सवालों का, चाहे वे शून्यकाल में हों, चाहे प्रश्नकाल में हों, जवाबदेही के साथ जवाब देगी और आपकी भावनाओं का पूरा-पूरा ध्यान रखेगी।

माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जो भरोसा देश की जनता ने हमें दिया है, आप सब लोग और हम सबके नेता के रूप में माननीय प्रधान मंत्री जी यहाँ पर हैं, मेरी भी कोशिश होगी कि मैं आप सबका संरक्षण करूँ।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने खुद कहा है कि वे सभी जिन्होंने मुझे वोट दिया, और वे भी, जिन्होंने नहीं दिया, वे भी हमारे हैं। सबके विचार और सबकी धारा अलग हो सकती है, सबकी नीतियाँ भी अलग हो सकती हैं, लेकिन हम सब यहाँ सदन में इसलिए आए हैं कि हमारा देश समृद्धशाली बने, आगे बढ़े।

आज दुनिया के अंदर भारत आगे बढ़ रहा है। दुनिया में भारत की एक बड़ी मिसाल बनी है। इस सदन के माध्यम से हम सबकी यह कोशिश होनी चाहिए कि हम संसदीय मर्यादा में रहें, ताकि जिस तरीके से हमारा लोकतंत्र पूरे विश्व में माना जाता है, उसी तरह हमारी संसदीय परंपरा की भी पूरे विश्व में लोग मिसाल दे सकें। यही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ।

मुझे आशा है, मैं आप सबके द्वारा दी गई जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन कर सकूँगा। निष्पक्ष रूप से तथा निर्बाध रूप से सदन चलाने में आप मेरा सहयोग करेंगे। निश्चित मानिए कि आप सदन में संख्या में कितना भी कम होंगे, लेकिन आपकी हर बुनियादी बात का संरक्षण करने की मेरी जिम्मेदारी है, जिसे मैं निश्चित रूप से निभाने की कोशिश करूँगा।

वंदे मातरम्।

2

संसदीय प्रक्रियाएँ, नियम और पद्धतियाँ एवं उपाय : एक परिचय*

"प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं तथा उसके सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इन सभी चुनौतियों का आकलन करें और समाज के समक्ष आने वाली समस्याओं का व्यावहारिक समाधान संसदीय संस्थाओं के मानदंडों के भीतर ढूँढ़ने की पहल करें।"

मैं आप सबको सत्रहवीं लोक सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने पर बधाई देता हूँ। आपको मिला यह जनादेश इस बात का प्रमाण है कि जनता ने आप पर विश्वास व्यक्त किया है और आपको यह विशेषाधिकार लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए कार्य करने के महत्त्वपूर्ण दायित्व के साथ मिला है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जनता की आकांक्षाओं पर खरे उतरेंगे।

किसी भी नई लोक सभा में कई सदस्य पहली बार चुनाव जीतकर आते हैं। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि इस लोक सभा में 264 सदस्य पहली बार निर्वाचित होकर आए हैं, जोकि लोक सभा की कुल सदस्य संख्या का लगभग आधा हिस्सा है।

मैं आशा करता हूँ कि हमारे ये नए सांसद संसदीय लोकतंत्र के कार्यकरण में नए विचारों, ऊर्जा और उत्साह का समावेश करेंगे। हो सकता है कि कई नए सांसदों को राज्य विधान मंडलों में सदस्य के रूप में विधायी अनुभव हो, फिर भी कई सदस्य ऐसे भी होंगे, जिनके लिए यह विधायी अनुभव पूर्णत: नया होगा।

इस प्रबोधन कार्यक्रम का उद्देश्य हमारी संसदीय प्रणाली के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं, संसदीय प्रक्रियाओं, कार्य संचालन के नियमों, संसदीय पद्धतियों और उपायों से

---

* सत्रहवीं लोक सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम, संसद भवन परिसर, 3 जुलाई, 2019

परिचित कराना है, ताकि आपको एक प्रभावी सांसद के रूप में अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में सहायता मिल सके। इसके साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान आप सभी को एक सांसद की भूमिका और संसदीय लोकतंत्र के आदर्शों से अवगत कराया जाएगा तथा विभिन्न मुद्दों को सभा में उठाने और विधायी तथा समिति कार्य में भागीदारी करने हेतु समय के सदुपयोग के बारे में भी विस्तार से बताया जाएगा। मैं इस प्रकार के प्रबोधन कार्यक्रम के प्रयोजनार्थ व्यापक परिप्रेक्ष्य में एक जनप्रतिनिधि के रूप में हमसे की जाने वाली अपेक्षाओं के बारे में कुछ मुख्य बातों का उल्लेख करूँगा।

17वीं लोक सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए
आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम के अवसर पर विशिष्टजनों के साथ

सर्वप्रथम यह समझना जरूरी है कि संसद सदस्य होना कितना महत्त्वपूर्ण है और कितनी जिम्मेदारी वाला कार्य है। निर्वाचित प्रतिनिधि बनना एक विशेषाधिकार भी है और लोगों की सेवा करने के लिए मिलने वाला एक सम्मान भी है, परंतु इस विशेषाधिकार और सम्मान के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हमें मिलती है। किसी भी संसदीय लोकतंत्र में, एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि की भूमिका के दो पहलू होते हैं। जहाँ एक ओर वह अपने मतदाताओं और अपने विधान मंडलों के बीच की एक कड़ी का कार्य करता है तो वहीं दूसरी ओर वह लोगों तथा सरकार के बीच सेतु का कार्य करता है। यह तो हमारी भूमिकाओं का संस्थागत पहलू हुआ। इसके अलावा एक नेता के रूप में हमारी दूसरी भूमिका होती है, जिससे लोग अपेक्षाएँ रखते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारी भूमिकाएँ कई

तरह की होती हैं। हम जनप्रतिनिधि भी होते हैं, सभा में विधान का निर्माण करने वाले भी होते हैं, एक दल के सदस्य होते हैं और समाज में एक नेता के रूप में भी जाने जाते हैं।

आज हमारे समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलावों को देखते हुए हमारे तथा सभा के समक्ष अकसर कई चुनौतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं तथा उसके सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इन सभी चुनौतियों का आकलन करें और समाज के समक्ष आने वाली समस्याओं का व्यावहारिक समाधान संसदीय संस्थाओं के मानदंडों के भीतर ढूँढ़ने की पहल करें।

कई बार तो हमें दल के सदस्य और केवल एक विधान मंडल के सदस्य के रूप में कार्य करना पड़ता है और कभी-कभी दोनों भूमिकाएँ अलग-अलग रूप में भी निभानी पड़ती हैं। ऐसी स्थिति में समस्याओं और मुद्दों के बारे में हमारी सोच, समाज के सबसे कमजोर वर्गों के विकास के दृष्टिकोण से प्रेरित होनी चाहिए, क्योंकि इनके विकास में ही समाज का विकास निहित है।

मूल रूप से विधान मंडलों का कार्य शासन करना नहीं होता, बल्कि वे कानून बनाते हैं, बजट की जाँच और अनुमोदन करते हैं और कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्यों की निगरानी करते हैं। हम सबको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि विधायी अधिनियमों का आशय तात्कालिक मुद्दों का समाधान करना नहीं, बल्कि समाज के सर्वांगीण विकास के लिए दीर्घकालीन आधारभूत ढाँचा तैयार करना होता है।

एक जनप्रतिनिधि के रूप में यह सुनिश्चित करना हमारा प्राथमिक दायित्व है कि सरकार की नीतियाँ लोगों की वास्तविक माँगों और आकांक्षाओं के अनुसार बनाई जाएँ। एक प्रभावी सांसद लोगों के समक्ष आ रही समस्याओं को सभा में उठाने और उनकी शिकायतों के सकारात्मक समाधान के लिए हर अवसर का उपयोग करता है।

एक सांसद का अपने मतदाताओं के साथ एक पवित्र रिश्ता होता है, परंतु कई बार हमें एक सांसद के रूप में व्यापक राष्ट्रहित के साथ-साथ क्षेत्रीय हित को प्राथमिकता देनी पड़ती है। हमसे संतुलन बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। एक ऐसा सांसद, जो राष्ट्र और समाज के कार्यों में सक्रिय रूप से लगा रहता है, वह अपने मतदाताओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से निभा पाने की स्थिति में रहता है तथा स्थानीय और दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन प्रभावी तरीके से कर पाता है।

संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका शासी निकाय का अंग होने के साथ-साथ विधायिका का भाग भी होती है। इस संबंध का एक महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। विधायिका का यह कार्य अत्यंत महत्त्वपूर्ण होता है,

क्योंकि कोई भी विधायी कानून तब तक प्रभावी नहीं होता, जब तक इसके कार्यान्वयन की निगरानी करने वाला कोई तंत्र न हो। इस महत्त्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने के लिए, विधायिका सभा के नियमों से चलती है, प्रश्नों और विभिन्न संकल्पों सहित अनेक संसदीय साधनों का उपयोग करती है तथा समितियों की एक व्यापक प्रणाली के माध्यम से जाँच का कार्य करती है। वास्तव में प्रश्न काल प्रश्नों को पूछने और कार्यपालिका के कार्यों की जवाबदेही तय करने तथा मंत्रियों या विभागों से आश्वासन प्राप्त करने के लिए एक उपयुक्त अवसर प्रदान करता है।

प्रश्न काल में दिए जाने वाले उत्तर सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में सबसे अधिक प्रामाणिक स्रोत होते हैं। इस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि तेरहवीं राजस्थान विधान सभा के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मैंने इस अवसर का उपयोग 500 प्रश्न पूछकर किया था, जो कि एक रिकॉर्ड है।

"विधायी अधिनियमों का आशय तात्कालिक मुद्दों का समाधान करना नहीं, बल्कि समाज के सर्वांगीण विकास के लिए दीर्घकालीन आधारभूत ढाँचा तैयार करना होता है।"

मैं यह भी चाहूँगा कि प्रश्न उठाते समय आप सभी संसद सदस्य विषय को संक्षिप्त एवं प्वॉइंट-टू-प्वॉइंट रखें, ताकि हम संसद के समय का अधिकाधिक सदुपयोग कर सकें। हमारी यह भी कोशिश रहेगी कि प्रश्न काल के दौरान सभी तारांकित प्रश्न पूछे जा सकें।

मेरा यह मानना है कि सदस्यों को छोटे और सटीक प्रश्न पूछने चाहिए और मंत्रियों को सारगर्भित उत्तर देने चाहिए। इससे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने में लगने वाले समय में कमी आएगी और सभा में राष्ट्रीय और सामाजिक महत्त्व के और अधिक प्रश्न पूछे जा सकेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से यह चाहता हूँ कि आप इस उपलब्ध अवसर का अधिकाधिक लाभ उठाएँ और कार्यपालिका को विधायिका के प्रति जवाबदेह बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करने में अपना सहयोग दें।

लोक सभा अध्यक्ष के रूप में मेरी कोशिश रही है कि मैं अधिकाधिक सांसदों को शून्यकाल में बोलने का मौका दूँ। पिछले कुछ दिनों में मैंने शून्य काल के दौरान कुल 130 नवनिर्वाचित सांसदों को बोलने का मौका दिया है और मेरी कोशिश रहेगी कि इस सत्र में सभी नवनिर्वाचित संसद सदस्यों को शून्य काल में अपनी बात रखने का मौका मिले।

जैसाकि आप सब जानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र की सफलता सभा में सार्थक और अनुशासित तरीके से वाद-विवाद पर निर्भर करता है। संसद सार्थक संवाद, स्वस्थ

वाद-विवाद, गहन चर्चा, असहमति एवं विरोधी विचारों के प्रकटीकरण के लिए है, न कि व्यवधान उत्पन्न करने के लिए। इन चर्चाओं और विचार-विमर्श का उद्देश्य राष्ट्रहित में सकारात्मक नीतियाँ बनाना होता है। इसके लिए अनेक नियम, परिपाटियाँ और प्रक्रियात्मक उपाय विकसित व सृजित किए गए हैं।

इनमें सबसे प्रमुख बात यह है कि सभा में शालीनता बनाए रखी जाए और अध्यक्षपीठ और साथी सांसदों के प्रति सम्मान की भावना रखी जाए। चूँकि अध्यक्षपीठ सभा के अधिकारों और विशेषाधिकारों की संरक्षक होती है, अत: अध्यक्षपीठ का सम्मान न करना सभा का सम्मान न करने के समान है। यह अत्यंत आवश्यक है कि सदस्य प्रक्रिया और अन्य संसदीय पद्धतियों का पालन करें तथा अध्यक्षपीठ के विनिर्णयों और निदेशों का अनुपालन करें।

सभा में अपने विचार रखते समय या चर्चा में हस्तक्षेप करते समय आपको आवंटित किए गए समय के भीतर अपनी बात समाप्त करना दर्शाता है कि आप सभा के समय का सम्मान करते हैं। सभा में सारगर्भित और सटीक तरीके से अपनी बात रखने से आपके प्रति अध्यक्षपीठ का विश्वास बढ़ता है और साथी सदस्यों की दृष्टि में आपका सम्मान भी बढ़ता है।

हमारा लक्ष्य समग्र रूप से वाद-विवाद और इससे बनने वाले विधानों की गुणवत्ता को बढ़ाना और आमजन की दृष्टि में संसदीय संस्थाओं की छवि को बेहतर बनाना होना चाहिए। इस प्रक्रिया में सभा के नियमों, संसदीय पद्धतियों और प्रक्रियाओं, प्रश्नकाल और संकल्पों आदि सहित विभिन्न संसदीय साधनों की विस्तृत जानकारी का होना अत्यंत आवश्यक है।

मेरा यह मानना है कि जो खिलाड़ी खेल के नियमों की बेहतर जानकारी रखते हैं, वे आसानी से खेल में जीत हासिल कर लेते हैं। नए सदस्यों को नियमित रूप से सभा में उपस्थित होने से अनेक लाभ मिलते हैं। दूसरों के दृष्टिकोण को जानने के लिए उनके विचारों को सुनने की आदत डालना भी आवश्यक है, ताकि हम अलग-अलग विचारों के प्रति सम्मान की भावना रख सकें। इस तरीके से वाद-विवाद और दूसरों के विचारों का प्रतिवाद करके हम एक सर्वसम्मति पर पहुँच सकते हैं और समुचित नीतियों का निर्माण कर सकते हैं।

एक अन्य पहलू पर जोर दिया जाना आवश्यक है कि सदस्यों को विभिन्न विषयों की व्यापक समझ रखने के साथ-साथ अपनी रुचि के कुछ विशिष्ट विषयों में महारत भी हासिल करनी चाहिए। यह ज्ञान सदस्यों द्वारा सभा में अपनी बात रखते समय, वाद-विवाद में भाग लेते समय और विशेष रूप से समितियों के कार्य में अपना योगदान देने में अवश्य

ही उनके काम आएगा और उनके कार्य में परिलक्षित होगा। यह बात यह दर्शाती है कि सदस्यगण अपने कर्तव्यों को पूरा करने में कितने समय का निवेश कर रहे हैं और कितना प्रयास कर रहे हैं। आज के बदलते हुए सामाजिक परिदृश्य में, जिसमें सूचना का तेजी से प्रसार हो रहा है और ज्ञान का दायरा बढ़ रहा है, एक सांसद को कई विषयों, जैसे अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में, राष्ट्रीय एजेंडे की प्रमुख बातों के बारे में, समाज और विश्व की ज्वलंत समस्याओं के बारे में तथा कई अन्य विषयों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। हम सब इस बात से अवगत हैं कि प्रौद्योगिकी के विकास से संचार के तरीकों में परिवर्तन आ रहा है और संसदों तथा संसद सदस्यों को अपने मतदाताओं से बेहतर ढंग से जुड़ने और उन्हें विधायी निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए उपलब्ध अवसर बढ़ रहे हैं। इस समय पारदर्शिता और जवाबदेही की प्रक्रिया की माँग है कि हम प्रभावी संचार के लिए 'स्मार्ट टूल्स' का प्रयोग करें।

सदस्यगण 'मेंबर्स पोर्टल' के माध्यम से सभी विधायी कार्यों से संबंधित और सरकारी वेबसाइटों पर उपलब्ध सभी सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारे संसदीय कामकाज में काफी सहायता मिल जाती है। ऐसी सूचना मोबाइल उपकरणों के माध्यम से लोक सभा कक्ष से भी मिल सकती है। सचिवालयीय सेवाएँ भी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं, क्योंकि सचिवालय को भी समय के साथ-साथ डिजिटल और पेपरलेस बनाया जा रहा है।

इन सभी उपलब्ध अवसरों के साथ कुछ चुनौतियाँ भी हैं। जानकारी प्राप्त करने की यह सहजता और सुगमता लाखों-करोड़ों लोगों को भी प्राप्त है, जिससे हमारा कार्य और अधिक चुनौतीपूर्ण बन जाता है; क्योंकि हमें भी तेजी से बदलते घटनाक्रम की जानकारी रखनी पड़ती है और तेजी से बदलती हुई प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ कदम-से-कदम मिलाकर चलना पड़ता है।

इस समय हमारे द्वारा किए गए कार्यों के बारे में शीघ्र जानकारी उपलब्ध कराने और जनता से जुड़े मुद्दों के प्रति हमारी प्रतिक्रियाएँ जवाबदेही के मूल्यांकन के प्रमुख उपाय बन गए हैं। एक प्रभावी सांसद बनने के लिए हमें मास मीडिया के टूल्स को अपनाना होगा, जो कि आमजन को भी उपलब्ध है और उन्हें प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा, ताकि हम सार्थक तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें।

मैं समझता हूँ कि आगामी सत्रों के दौरान आपको हमारे कुछ विशिष्ट सांसदों से संवाद करने और उनके सुदीर्घ तथा व्यापक अनुभवों से सीखने का मौका मिलेगा। मुझे माननीय सदस्यों से उन विषयों के बारे में सुझाव प्राप्त करके प्रसन्नता होगी, जिन पर

वे विशेषज्ञों की राय जानना चाहते हैं, ताकि ऐसी सूचना और विशेषज्ञों के दृष्टिकोण से सदस्यों को विधि निर्माण, समिति संबंधित कार्य और नीति-निर्माण में सहायता मिल सके।

आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए यह प्रबोधन कार्यक्रम उपयोगी सिद्ध होगा। मैं आप सभी को अपनी शुभकामना देता हूँ कि लोगों की सेवा हेतु किए जाने वाले आपके सभी प्रयास सफल हों। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस प्रबोधन कार्यक्रम का सहर्ष उद्घाटन करता हूँ।

3

संसदीय लोकतंत्र : एक गौरवपूर्ण विरासत*

"लोकतंत्र में जनता का स्थान सर्वोच्च होता है। इसलिए सभा के भीतर और बाहर हमारा आचरण जनता का समर्थन अर्जित करने वाला तथा सभा की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला होना चाहिए।"

मित्रो, इस सम्मानित सभा को संबोधित करना मेरे लिए नि:संदेह गौरव की बात है। आगे और अपनी बात कहने से पहले, मुझे लगता है कि इस संस्थान के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना मेरा कर्तव्य है, जिसने मुझे लोक सभा अध्यक्ष के उच्च पद के लिए आवश्यक अनुभव प्रदान किया है, जिसे प्रतिष्ठित सांसदों, जैसे माननीय मावलंकर जी, माननीय बलराम जाखड़ जी, माननीय संगमा जी, माननीय रवि राय जी, श्रीमती मीरा कुमार, श्री सोमनाथ चटर्जी और श्रीमती सुमित्रा महाजन ने सुशोभित किया है। पीठासीन अधिकारियों के रूप में उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रेरणा का स्रोत है। मेरे पूर्ववर्ती प्रतिभावान लोक सभा अध्यक्षों की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए मैं यथासंभव अपनी पूर्ण क्षमता और विचारशक्ति से सभा को सुचारू रूप से संचालित करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा यह अनुभव रहा है कि यदि आपका इरादा सही हो तो आपके प्रयासों के सार्थक परिणाम होंगे। पीठासीन अधिकारी के रूप में मैं काफी समय सभा में उपस्थित रहता हूँ और यह सुनिश्चित करता हूँ कि पहली बार चुनकर आए सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिले।

परंतु मैं इस सम्मानित सभा का हृदय से आभारी हूँ, जिसके कारण मैं लोक सभा अध्यक्ष के गरिमामयी पद पर आसीन हुआ हूँ। मैंने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं लोक सभा अध्यक्ष के उच्च पद को ग्रहण करूँगा, किंतु भाग्य ने मुझे उस सम्मान का अधिकारी बनाया है। साथ ही इस सम्मानित सभा का तीन बार सदस्य रहने से मुझे पीठासीन अधिकारी के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में बहुत सहायता मिलती है। मेरे

* राजस्थान विधान सभा के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम, जयपुर, 7 जुलाई, 2019

विचार से इस उच्च पद पर मेरा आसीन होना राजस्थान राज्य, इसकी जनता और राजस्थान की विधान सभा के लिए बहुत सम्मान की बात है। यह सभा मेरे लिए एक विद्यालय की तरह है, जहाँ मैंने संसदीय संस्थाओं, परंपराओं, पद्धतियों और पूर्वोदाहरणों के विभिन्न मौलिक पहलुओं को सीखा है। इस सभा में माननीय भैरों सिंह शेखावत जैसे प्रतिष्ठित संसदविद् हुए हैं, जो भारत के उप राष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति बने। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजस्थान की माटी के लाल संसद के पीठासीन अधिकारी बने हैं।

राजस्थान विधान सभा के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में संबोधित करते हुए

मुझे यह बात भली-भाँति ज्ञात है कि अध्यक्ष सभा का ऐसा सदस्य होता है, जो एक दल के टिकट, उसके चुनाव-चिह्न, घोषणा-पत्र और व्यवस्था के द्वारा निर्वाचित होता है, किंतु जैसे ही वह अध्यक्ष बनता है तो वह किसी भी व्यावहारिक उद्देश्य के लिए उस दल का सदस्य नहीं रह जाता है और एक व्यापक रूप में सभा की धरोहर बन जाता है। यह हमारी संसद की एक उत्कृष्ट परंपरा है कि लोक सभा के अध्यक्ष को अनिवार्य रूप से सर्वसम्मति, अर्थात् सभा के सभी वर्गों की सामूहिक सहमति से चुना जाता है। यह हमारी संसदीय प्रणाली का एक अच्छा अनुभव और उदात्त परंपरा है।

मैं इस सम्मानित सभा के समक्ष विधिवत् रूप से शपथ लेता हूँ कि मैं इस विरासत को उच्च स्तर तक लेकर जाऊँगा और राजस्थान विधान सभा के लिए सम्मान तथा गौरव अर्जित करूँगा, जिसने मेरे राष्ट्रीय स्तर का नेता बनने की नींव रखी। मैं शपथ लेता हूँ कि राजस्थान की जनता मेरी विरासत को गौरव और सम्मान के साथ स्मरण करेगी।

मुझे लोक सभा अध्यक्ष का पद ग्रहण किए हुए दो सप्ताह से कुछ ही अधिक समय हुआ है, किंतु इन्हीं कुछ दिनों में मैंने न केवल सभा की मर्यादा और प्रतिष्ठा को बनाए रखने का प्रयास किया है, अपितु सभी को, विशेषकर पहली बार चुनकर आए सदस्यों को,

सभा की कार्यवाही में भाग लेने के अधिकतम अवसर प्रदान करने का अपनी ओर से पूर्ण प्रयास किया है।

आपकी जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहता हूँ कि पहले सप्ताह में 'शून्यकाल' के दौरान मैंने 93 नए सदस्यों को कम-से-कम एक बार बोलने का अवसर प्रदान किया है। 46 नवनिर्वाचित महिला सांसदों में से मैंने 37 महिला संसद सदस्यों को सभा में बोलने का अवसर प्रदान किया है और मेरा प्रयास रहेगा कि इस सत्र में सभी नवनिर्वाचित 264 संसद सदस्यों को सभा में बोलने का मौका दूँ।

संयोग से 2014 में पहली बार सांसद चुने जाने के पश्चात् मुझे पूरे एक वर्ष तक बोलने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। इस अवसर से वंचित रहकर मुझे मालूम है कि किसी पहली बार चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वह सांसद हो अथवा विधायक के लिए सभा में बोलना कितना महत्त्वपूर्ण होता है। जब सभा में आपकी ओर ध्यान दिया जाता है और लोग विशेषकर जिन्होंने आपको चुना है, टेलीविजन पर आपको देखते हैं तो आपको संतुष्टि का भाव होता है कि आप उनकी समस्याओं के बारे में बात करते दिख रहे हैं। यह विशेषकर पहली बार चुने गए सदस्यों के लिए बहुत संतोष की बात होती है।

सभा में सदस्यों की बात सुनी जानी चाहिए, क्योंकि उनके पास जनता की समस्याओं और आकांक्षाओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराने का जनादेश है। सभा में सदस्यों द्वारा कही गई बातों से ही कार्यपालिका को जनता की अपेक्षाओं और अनुभवों के बारे में पता चलता है। प्रश्न काल की एक पवित्रता होती है, जिसका सदस्यों द्वारा उपयोग और मंत्रियों द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए। यह सदस्यों के पास एक ऐसा साधन होता है, जिससे वे लोगों की समस्याओं को सभा में उठाते हैं और कार्यपालिका को संवेदनशील बनाते हैं।

मित्रो, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को यह समझना चाहिए कि जनता मीडिया के माध्यम से लगातार हमारी सक्रियता अथवा निष्क्रियता को देख रही है और उसे विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से यह पता चल जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। लोकतंत्र में जनता का स्थान सर्वोच्च होता है। इसलिए सभा के भीतर और बाहर हमारा आचरण जनता का समर्थन अर्जित करने वाला तथा सभा की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला होना चाहिए। एक प्रतिकूल सूचना हमारी छवि और दल की छवि को बहुत अधिक हानि पहुँचा सकती है। हमें ऐसे अवसरों से बचना चाहिए।

मैं इस अवसर पर इस बात पर भी बल देना चाहता हूँ कि सभा का समय अत्यंत बहुमूल्य है। अत: इसका विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। सदस्यों को सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी विभिन्न नियमों से परिचित तथा भली-भाँति अवगत होना चाहिए, ताकि वे सभा में मुद्दों को उठाते समय सही और उचित प्रक्रिया अपना सकें।

एक जनप्रतिनिधि को पारंपरिक रूप से अनेक भूमिकाएँ निभानी होती हैं। सबसे पहले वह जनता का प्रतिनिधि होता है, जिसने उसे सभा के लिए चुना है। इस भूमिका में उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह जनता की आशाओं और अपेक्षाओं तथा कभी-कभी उनकी शंकाओं और कठिनाइयों को मुखरित करे एवं सरकार और कार्यपालिका से उनकी समस्याओं का समाधान करने का आग्रह करे। यह सत्य है कि लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करना सदैव संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हमें जनता को बताना होगा कि विद्यमान परिस्थितियों में क्या संभव है और क्या संभव नहीं है। जैसाकि एक विद्वान् व्यक्ति ने कहा है, "राजनीतिज्ञों को 'न' कहना सीखना चाहिए और लोक सेवकों को 'हां' कहना।" परंतु सामान्यत: होता इसके विपरीत है। हमें इस प्रवृत्ति को छोड़कर उचित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

एक जनप्रतिनिधि राय कायम करने वाला नेता होने के साथ ही राजनीति के क्षेत्र में जनता का मार्गदर्शक भी होता है। जनता हमसे बहुत अधिक उम्मीदें कर सकती है, परंतु यदि हम उनसे उनकी भाषा में बात करें और उन्हें वास्तविकता बताएँ तो वह निश्चित तौर पर हमारी बात समझ जाएगी।

सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि हम लोगों से उनकी बोली में बात करें। हमें लोगों से इस तरीके से बात करनी सीखनी चाहिए कि वे प्रेमपूर्वक हमारी बात सुनें और उनकी बात इस ढंग से सुननी चाहिए कि वे बेझिझक होकर अपनी बात हमसे कह सकें। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम नियमित रूप से उनके संपर्क में रहें। लोगों से हम तभी जुड़े रह सकते हैं, जब हम उनके लिए उपलब्ध हों।

हमें अपने सहायक कर्मचारियों को यह स्पष्ट अनुदेश देने चाहिए कि जिन लोगों ने हमें चुना है, उन्हें बिना किसी बाधा के हमसे संपर्क करने दिया जाए। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हमने जिन कर्मचारियों को नियुक्त किया है, वे अपने पद का अनुचित उपयोग न करें और हमारी जानकारी के बिना हमारे नाम का दुरुपयोग भी न करें। बेहतर यही होगा कि आप अपने सहायकों पर नजर रखें।

सदस्य की इस भूमिका के साथ-साथ उसकी परिवर्तन और विकास के अग्रदूत के रूप में कार्य करने की भूमिका भी जुड़ी है। हमारे चारों ओर अत्यधिक मानवीय पीड़ा, भुखमरी, सामाजिक और आर्थिक तंगी है। जनप्रतिनिधि के रूप में हमें उनकी समस्याओं का समाधान करने के पूरे प्रयास करने चाहिए। प्राकृतिक आपदा के समय हमें उन तक पहुँचकर उनके बचाव के लिए कार्य करना चाहिए। लोगों को सामाजिक सेवा प्रदान करना सभी जनप्रतिनिधियों का ध्येय होना चाहिए। जनप्रतिनिधि के रूप में हमें सामाजिक सौहार्द को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए।

एक जनप्रतिनिधि की दूसरी महत्त्वपूर्ण भूमिका अपने दल के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता है, क्योंकि हम उस दल के चुनाव चिह्न, घोषणा-पत्र और विचारधारा के आधार पर ही चुनाव लड़ते हैं; परंतु एक बार चुनाव जीतने के बाद हम एक विशेष वर्ग के नहीं, बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि बन जाते हैं। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि राष्ट्र का हित दल के हित से ऊपर होता है।

चूँकि मैं कोटा से हूँ, अत: मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। कोटा ने देश में शिक्षा के केंद्र के रूप में असाधारण नाम कमाया है। एक छोटा सा शहर, जिसके बारे में पहले कम ही लोग जानते थे, आज सभी उसके बारे में जानते हैं। आपको याद होगा कि प्रधान मंत्री जी ने सभा में मेरा अभिनंदन करते हुए कहा था कि कोटा वह धरती है, जो एक प्रकार से आजकल शिक्षा का काशी बन गया है। यह अत्यधिक सम्मान की बात है।

इस प्रबोधन कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि सभा के भीतर और बाहर उचित आचरण करके राजस्थान और उसके विधान मंडल के गौरव एवं प्रतिष्ठा को बनाकर रखिए।

मुझे खुशी है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अनेक प्रतिष्ठित राजनैतिक नेताओं को बजट प्रक्रिया, 'शून्य काल' और प्रभावी जनप्रतिनिधि कैसे बनें आदि, जैसे विविध प्रक्रियात्मक पहलुओं पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया है।

मैं आपसे इस कार्यक्रम को परस्पर संवादजनक बनाने और अनुभवी विधायकों के अनुभवों से सीखने का प्रयास करने का अनुरोध करता हूँ। केवल अभ्यास द्वारा ही आप एक सफल जनप्रतिनिधि बन सकते हैं। अत: हमें सभा में उचित ढंग से बोलने की ऐसी कला सीखने का प्रयास करना चाहिए, जो सार्वजनिक बैठक में बोले जाने वाली भाषा से भिन्न है। लंबा वक्तव्य विद्वत्ता का परिचायक नहीं है। जिस प्रकार बहुत अधिक पत्तियाँ फल को ढक देती हैं, उसी प्रकार बहुत अधिक बोलने से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि हम क्या बोलना चाहते हैं। अत: संक्षिप्तता न केवल समझ अपितु बुद्धिमत्ता को भी दर्शाती है।

मित्रो, सफलता आसानी से नहीं मिलती। यदि आप एक प्रभावी और कुशल जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो आपको पूरी जानकारी एकत्र करनी चाहिए। चूँकि आपको सभा के प्रत्येक दिन की कार्यसूची के बारे में पहले से ही पता होता है, अत: आपको वहाँ पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए। आपको सभा में चर्चा किए जाने वाले विषयों से संबंधित सामग्री पढ़कर आना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि विधान मंडल में केवल सदस्यों के उपयोग के लिए एक समृद्ध ग्रंथालय होना चाहिए।

इस संदर्भ में मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि सदस्यों को विभिन्न विषयों की जानकारी प्रदान करने के लिए हमारी संसद में देश का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथालय है, जहाँ पुस्तकों, पत्रिकाओं, प्रतिवेदनों आदि का वृहद संग्रह है। हमारे पास सभी क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें हैं।

प्राचीन यूनान के दार्शनिक प्लेटो ने कहा था कि ज्ञान ही शक्ति है, परंतु आज के इंटरनेट आधारित युग में जानकारी ही शक्ति है। जिस व्यक्ति को विषय की जानकारी होती है, वह अपनी बात को सही ढंग से रख पाता है। ज्ञान अर्जित करना एक आजीवन प्रक्रिया है, जिसका एकमात्र माध्यम अध्ययन है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने संसद ग्रंथालय को राज्य के विधायकों के लिए भी खुला रखा है। राज्यों के जनप्रतिनिधि संसद ग्रंथालय की सदस्यता ले सकते हैं, इसके समृद्ध संग्रह से पुस्तकें उधार ले सकते हैं और विविध क्षेत्रों में उपलब्ध अद्यतन साहित्य से अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं।

अत: मित्रो, मैं आप सबको यह कहना चाहूँगा कि आप संसद ग्रंथालय में आएँ, वहाँ प्रदान की गई सुविधाओं का लाभ उठाएँ, वहाँ से प्रेरणा लें और अपनी जानकारी बढ़ाएँ। प्रश्न काल और शून्य काल के दौरान जानकार सदस्यों से चर्चा करते समय मंत्री भी सतर्क रहेंगे, क्योंकि ऐसे सदस्य उनके द्वारा की गई भूल को आसानी से पकड़ सकते हैं। जैसाकि मैंने पहले भी कहा कि एक जानकार व्यक्ति बनने के लिए अध्ययन से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। पुस्तक ही एकमात्र ऐसा उपहार होती है, जिसे हम बार-बार पढ़ सकते हैं और जब हम कोई अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं तो हम यह महसूस करते हैं कि विश्व में कहीं कोई ऐसा द्वार खुला है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को रोशन कर सकते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अच्छा जनप्रतिनिधि बनने के लिए अध्ययन बहुत जरूरी है।

इस संदर्भ में मैं पी.एन. पनिकर राष्ट्रीय अध्ययन दिवस के अवसर पर माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहे गए शब्दों को दोहराना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि "मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार के अध्ययन और ग्रंथालय कार्यकलापों को पूरे देश में चलाया जाए। यह कार्यकलाप केवल लोगों को शिक्षित करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। इसके द्वारा सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने का उपाय किया जाना चाहिए। अच्छे ज्ञान की बुनियाद पर बेहतर समाज का निर्माण किया जाना चाहिए।"

लोक सभा सचिवालय का एक अंग और संसद का प्रशिक्षण प्रभाग संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो (बी.पी.एस.टी.) एक अन्य पहलू हैं, जिसका मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ। राजस्थान विधान सभा, राजस्थान के छात्र, राजस्थान विधान सभा की कार्रवाइयों को कवर करने वाले मीडियाकर्मियों का बी.पी.एस.टी.के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है।

वर्ष 2015 में बी.पी.एस.टी. ने राजस्थान की निर्वाचित महिला पंचायत सदस्यों के लिए एक अध्ययन दौरा आयोजित किया था।

इसी वर्ष राजस्थान विधान सभा के लिए प्रत्यायित मीडियाकर्मियों ने संसदीय प्रक्रियाओं और पद्धतियों संबंधी एक परिचय कार्यक्रम में भाग लिया। विधान सभा के सदस्य वर्ष 2010 में एक अध्ययन दौरे पर बी.पी.एस.टी. गए थे।

पिछले नौ वर्षों के दौरान परिस्थितियों में बहुत बदलाव आ चुका है। मैं आपको बी.पी.एस.टी. आने और आपके लाभार्थ स्थापित इस संस्था की सेवाओं का उपयोग करने का निमंत्रण देता हूँ। यदि आप चाहें तो बी.पी.एस.टी. ऐसे प्रबोधन कार्यक्रमों का आयोजन राजस्थान विधान सभा में भी कर सकता है। इसके पास जनप्रतिनिधियों के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने का बहुत अनुभव है।

आपको याद होगा, हमारी संसद ने वर्ष 2016 में राजस्थान विधान सभा के सहयोग से जयपुर में ब्रिक्स महिला सांसद मंच सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसका संचालन भी बी.पी.एस.टी. द्वारा ही किया गया था।

इन्हीं शब्दों के साथ मुझे यह आशा और विश्वास है कि यह प्रबोधन कार्यक्रम सदस्यों को नए कौशल और दृष्टिकोण प्रदान करने में सहायक होगा।

4

लोक लेखा समिति : सरकारी व्यय पर संसद का नियंत्रण*

"लोक लेखा समिति सभी दलों के संसदीय निकाय के अपने स्वरूप को बनाए रखने और राष्ट्र के हित में अपनी भूमिका को कुशलता से और प्रभावी ढंग से निभाने के लिए बेहतरीन प्रक्रियाएँ विकसित करे।"

आज 17वीं लोक सभा की नवगठित लोक लेखा समिति की पहली बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हमारे सहयोगी श्री अधीर रंजन चौधरी जी को इस समिति का सभापति नियुक्त होने पर बधाई देता हूँ।

जैसाकि हम सभी जानते हैं कि सरकारी व्यय पर संसद का नियंत्रण सभी संसदीय लोकतांत्रिक प्रणालियों के सबसे प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। भारतीय विधायिका की सबसे पुरानी समिति, लोक लेखा समिति का गठन पहली बार वर्ष 1921 में किया गया था।

हमारी समिति प्रणाली में इसे सबसे पुरानी समिति होने के कारण नहीं, अपितु इसके उद्देश्य, कार्य क्षेत्र और कृत्यों के कारण गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। सरकारी व्यय पर संसद के नियंत्रण को सुनिश्चित करने में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। संसद की इस समिति ने 1952 से सर्वसम्मति से पारित किए गए 1,631 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं, जिनमें किसी प्रकार की विमत टिप्पणी नहीं थी।

सरकारी व्यय पर संसद के नियंत्रण को सुनिश्चित करने की अपनी भूमिका के चलते लोक लेखा समिति को 'वित्तीय मामलों में राष्ट्र का सजग प्रहरी' माना जाता है। इस समिति द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका में सरकारी और रक्षा व्यय, विकास हेतु परिव्यय, सरकारी उपक्रमों में किए जाने वाले बड़े पैमाने पर निवेशों, सरकारी व्यय के नए तरीके जैसे सरकारी

* 17वीं लोक सभा की लोक लेखा समिति की पहली बैठक, नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2019

निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) में खर्च के लगातार बढ़ते जाने के कारण निरंतर विस्तार हो रहा है।

बढ़ते हुए लोक व्यय के साथ ही समिति को व्यय की 'केवल औपचारिकता और वैधानिकता' से परे अपने विवेक, शुचिता, वित्तीय अनुशासन और लोक परियोजनाओं तथा योजनाओं के कार्यान्वयन में अनुपालन किए जाने वाले सिद्धांतों के लिए अपनी प्रक्रिया और पद्धति विकसित करनी पड़ी।

17वीं लोक सभा की लोक लेखा समिति की पहली बैठक को संबोधित करते हुए

वास्तव में सरकार के वित्तीय प्रबंधन में निष्पादन बजट और विभागीय परिणामी बजट की शुरुआत के साथ ही सरकार के खातों की जाँच करने में लोक लेखा समिति की जाँच संबंधी भूमिका और महत्त्व में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

लोक लेखा समिति का कार्य मुख्य रूप से नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) द्वारा केंद्र सरकार के लेखाओं की लेखापरीक्षा और जाँच के परिणामों पर निर्भर करता है। हाल के वर्षों में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की जाँच हेतु दक्षता-सह-प्रदर्शन आधारित लेखापरीक्षा की विधि को अपनाया गया, जो नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा लोक लेखा समिति के पास कार्यपालिका की कड़ी निगरानी का एक महत्त्वपूर्ण साधन है।

विकास की भावी आवश्यकताओं और सरकारी व्यय में हो रही वृद्धि को देखते हुए लोक लेखा समिति को शासन प्रणाली में वित्तीय अनुशासनहीनता को समाप्त करने के लिए संसद के प्रमुख साधन के रूप में अपनी भूमिका सुदृढ़ करने की बहुत अधिक आवश्यकता है।

यह आवश्यक है कि लोक लेखा समिति सभी दलों के संसदीय निकाय के अपने स्वरूप को बनाए रखने और राष्ट्र के हित में अपनी भूमिका को कुशलता से और प्रभावी ढंग से निभाने के लिए बेहतरीन प्रक्रियाएँ विकसित करे।

जैसाकि आप जानते ही हैं कि वर्तमान समिति के गठन में निरंतरता और परिवर्तन दोनों ही हैं, क्योंकि कुछ सदस्य पिछली लोक सभा में भी इस समिति के सदस्य थे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि नए सदस्यों को पुराने सदस्यों के अनुभवों से सीखने का अवसर मिलेगा और समिति के कार्यकरण में नई ऊर्जा आएगी।

विशेषकर, इस समिति के सभापति की स्थिति बहुत महत्त्वपूर्ण है और उन पर इसकी महती जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्व प्रधान मंत्री और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं और उत्कृष्ट राजनैतिक दिग्गजों ने इस समिति के सभापति पद को सुशोभित किया है, जिनमें श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय पी.वी. नरसिम्हा राव, माननीय ज्योतिर्मय बसु एवं पूर्व राष्ट्रपति माननीय आर. वेंकटरमन इत्यादि के नाम प्रमुख हैं।

इस समिति के वर्तमान सभापति श्री अधीर रंजन चौधरी एक प्रबुद्ध सांसद हैं, वह मंत्री रहे हैं और लोक सभा के सदस्य के रूप में गत चार कार्यकालों में वित्तीय समितियों में से एक प्राक्कलन समिति में दो कार्यकालों सहित अनेक समितियों से संबद्ध रहे हैं।

मुझे आशा है कि अपने लंबे संसदीय अनुभव और नेतृत्व करने की प्रतिभा के साथ वह लोक वित्त के प्रमुख संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका को अत्यंत प्रभावी ढंग से निभाते हुए लोक लेखा समिति का मार्गदर्शन करेंगे। मैं उनके सफल कार्यकाल की कामना करता हूँ।

5

जनप्रतिनिधि : सदन में जनता जनार्दन की आवाज*

"लोकतंत्र में असहमति का अधिकार सबको है और असहमति को पर्याप्त स्थान भी दिया जाना चाहिए, किंतु साथ में यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि असहमति की अभिव्यक्ति अनुशासित ढंग से संसदीय नियमों के अनुरूप हो।"

साथियो, इस प्रतिष्ठित सभा में आकर मुझे श्री मनोहर पर्रिकर जी की याद आ रही है। भले ही वे हमें असमय छोड़कर चले गए, पर उनकी सुनहरी यादें और उनके द्वारा किए गए राष्ट्र-निर्माण के महान कार्य हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। एक वरिष्ठ नेता और समर्पित जमीनी कार्यकर्ता होने के साथ-साथ उन्होंने हमेशा सादगी की एक मिसाल कायम की है।

सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत को उन्होंने अपने जीवन में साकार किया था। वे एक कुशल प्रशासक और जनकल्याण के प्रति समर्पित राजनेता थे। अपनी अडिग निष्ठा और विनम्रता के गुणों के कारण वे सदैव हमारी भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे।

गोवा भौगोलिक दृष्टि से एक छोटा राज्य है, पर इसके बावजूद पर्यटन, व्यापार, प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत के कारण गोवा भारत माता के मुकुट का चमकता हीरा है। गोवा ने विगत वर्षों में हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और एक प्रगतिशील व समृद्ध राज्य के रूप में उभरा है। हम सभी जानते हैं कि गोवा भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है—सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की दृष्टि से भी और सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टि से भी।

गोवा के सौंदर्य, समृद्धि और महत्त्व के कारण ही इसे 'पर्ल ऑफ द ओरिएंट' कहा जाता है। गोवा प्राकृतिक सुंदरता, समुद्र के तटों, झरनों, उत्सव और त्योहारों, वाटर स्पोर्ट्स,

---

* गोवा विधान सभा में संबोधन; 8 नवंबर, 2019

स्वादिष्ट भोजन, भव्य वास्तुकला वाले भवनों से समृद्ध है। गोवा की भूमि जीवन के प्रति उत्सव, आनंद और उल्लास के दृष्टिकोण से देखना सिखाती है।

गोवा की उन्नति और समृद्धि यहाँ के जन प्रतिनिधियों और यहाँ की सरकारों के निरंतर प्रयासों और कठोर परिश्रम से ही संभव हो पाई है। इसमें हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं संस्था का भी सकारात्मक योगदान है।

गोवा विधान सभा को संबोधित करते हुए

यह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारा लोकतंत्र समय की कसौटी पर खरा उतरा है। भारत में भाषायी, धार्मिक और अन्य कई तरह की विविधताएँ हैं; लेकिन हमने परस्पर विरोधी विचारों और माँगों के बीच तालमेल स्थापित करना और भिन्न-भिन्न विचारधाराओं का सम्मान करना सीख लिया है।

आज के वैश्वीकृत विश्व में लोगों की अपेक्षाएँ निरंतर बढ़ती जा रही हैं। उनका प्रतिनिधि होने के नाते हमसे उम्मीद की जाती है कि हम उनकी भावनाओं और उनके विचारों को स्पष्ट अभिव्यक्ति प्रदान करें। इसके अलावा हम इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकते हैं कि हमारे देश में कई लोग अभी भी अत्यंत गरीबी और उपेक्षित दशा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

हमारी वास्तविक चुनौती अपने आर्थिक विकास को समावेशी बनाना है। इसलिए आवश्यक है कि हम सभी लोगों और विशेष रूप से कमजोर वर्गों की खुशहाली के लिए निरंतर प्रयास करते रहें तथा इस दिशा में नए-नए लोकतांत्रिक प्रयोग करते रहें।

मित्रो, जनप्रतिनिधियों के रूप में निर्वाचित होना अत्यंत सम्मान का विषय है। लेकिन इसके साथ बड़ी जिम्मेदारियाँ भी जुड़ी हुई हैं। सार्वजनिक जीवन के अपने चार दशकों के मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको बता सकता हूँ कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि का जीवन चुनौतियों से भरा हुआ होता है। ये चुनौतियाँ पार्टी, निर्वाचन क्षेत्र के लोगों और राज्य की माँगों से उत्पन्न होती हैं।

हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम अपने लोगों, विशेषकर अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं और सरोकारों के प्रति सदैव संवेदनशील और उत्तरदायी बने रहें। सच कहा जाए तो प्रत्येक जनप्रतिनिधि सरकार और लोगों के बीच एक सेतु का भी कार्य करता है।

मैं यहाँ इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि एक विधायक का सभा में प्रदर्शन इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के सरोकारों और आकांक्षाओं से किस हद तक जुड़ा हुआ है और इन्हें सभा में किस पुरजोर तरीके से उठाता है।

माननीय सदस्यो, किसी देश या राज्य की विधायिका वहाँ की जनता के स्वप्नों तथा आकांक्षाओं का मूर्तिमान स्वरूप होती है। आप जनता के प्रतिनिधियों के रूप में इस सदन के सदस्य हैं। इसलिए आप इस सदन में राज्य की जनता जनार्दन की आवाज हैं।

आपके माध्यम से ही यहाँ की जनता के स्वप्न, आकांक्षाएँ, कष्ट, पीड़ाएँ, समस्याएँ आदि अभिव्यक्त होंगी। लेकिन यह सब कैसे संभव होगा? यह सब तभी संभव होगा, जब आप जनता से निरंतर संपर्क और संवाद करते रहेंगे।

मैं पुरजोर रूप से यह कहना चाहता हूँ कि सदस्यों को समाज और राष्ट्र की विभिन्न समस्याओं के बारे में जन-जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। उदाहरण के लिए, निरक्षरता, पर्यावरण संकट, जल संरक्षण, वनों की कटाई, बाल श्रम, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, जातिवाद और सांप्रदायिकता आदि जैसे विभिन्न विषयों पर लोगों को जागरूक बनाकर हम इन विषयों संबंधी चुनौतियों और इनके समाधानों के प्रति लोगों की सोच को बदल सकते हैं।

इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आज के भूमंडलीकरण के युग में प्रत्येक क्षेत्र की नियति पूरे राष्ट्र एवं विश्व के साथ जुड़ गई है। ऐसे में गोवा के विकास और सामाजिक-आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए आपको देश-विदेश के मुद्दों एवं घटनाक्रमों से अवगत रहना होगा और अपनी जानकारी के कोष को निरंतर अपडेट करते रहना होगा।

माननीय सदस्यो, जैसाकि मैंने कहा, आप इस सदन में जनता जनार्दन की आवाज के रूप में कार्य करते हैं। किंतु इस भूमिका के निर्वाह के लिए आप सबको लोकतांत्रिक मूल्यों एवं सदन की प्रक्रिया और कार्यवाही संचालन के नियमों तथा संसदीय परंपराओं का ज्ञान

होना अत्यंत आवश्यक है। तब ही आप सदन की कार्यवाही में प्रभावकारी एवं सकारात्मक ढंग से भाग ले पाएँगे।

इसलिए यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है कि आप विधान सभा की प्रक्रियाओं और कार्य संचालन के नियमों को समुचित ढंग से आत्मसात करें। इन संसदीय प्रक्रियाओं और उपकरणों का उद्देश्य विधायिकाओं के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इसके लिए आपके पास प्रश्नकाल और शून्यकाल जैसे उपकरण उपलब्ध हैं। इन प्रक्रियाओं तथा उपकरणों के माध्यम से आप इस सदन में विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन कर सकेंगे।

मित्रो, भले ही कोई विधायक पक्ष में हो या विपक्ष में, लेकिन विकास और जन-कल्याण के कई ऐसे मुद्दे होते हैं, जिनसे निपटने के लिए हमें अपने राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर, जनता और देश के हित के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

माननीय सदस्यो, इस संदर्भ में अनुशासनप्रियता भी महत्त्वपूर्ण है। वस्तुत: सभी सदस्यों को सदन में अनुशासित होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि अनुशासित होने पर ही सदन की कार्यवाही सुचारू एवं प्रभावी ढंग से संचालित हो सकती है।

मेरा मानना है कि लोकतंत्र में असहमति का अधिकार सबको है और असहमति को पर्याप्त स्थान भी दिया जाना चाहिए, किंतु साथ में यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि असहमति की अभिव्यक्ति अनुशासित ढंग से संसदीय नियमों के अनुरूप हो। असहमति को किसी भी हाल में सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करने एवं सदन के अनुशासन और गरिमा को धूमिल करने का जरा भी अवसर नहीं दिया जाना चाहिए।

हमारे संवैधानिक ढांचे में सदन का अध्यक्ष सदन की गरिमा और शक्तियों एवं विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है, इसलिए सदस्यों को अध्यक्षीय पीठ के प्रति अत्यधिक सम्मान और आदर प्रदर्शित करना चाहिए।

जैसाकि आप सब जानते हैं, पीठासीन अधिकारी सभा में सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है। अध्यक्षपीठ का प्रयास रहता है कि वह नियमों, पूर्व-स्थापित परिपाटियों और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए सदन को चलाए। अध्यक्षपीठ सदन की गरिमा का प्रतीक होता है, इसलिए यह आवश्यक है कि सभा का हर सदस्य पीठासीन अधिकारी को यथोचित सम्मान दे। विधान मंडल का कारोबार सुचारू और कारगर रूप से चलाने के लिए अध्यक्षपीठ को समूचे सदन का पूरा सहयोग चाहिए।

मैं स्वयं को इस संबंध में भाग्यशाली मानता हूँ। अध्यक्ष के पद पर आसीन होने के दिन से ही मुझे सभी दलों और राजनीतिक विचारधाराओं के सदस्यों का समर्थन और सहयोग

मिला है। इस सहयोग के कारण सदन के बहुमूल्य समय का अधिक-से-अधिक सार्थक उपयोग किया जा रहा है।

वास्तव में 1952 के बाद से सदन में सबसे अधिक काम 17वीं लोक सभा के पहले सत्र में हुआ था। इस सत्र में कुल 280 घंटे चलने वाली सदन की 37 बैठकें हुईं, जिनमें 36 विधेयक पारित हुए और लोक सभा में 33 विधेयक लाए गए। पारित विधेयकों में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक जैसे कुछ ऐतिहासिक विधेयक शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में भी मुझे अपने साथी सांसदों से इसी प्रकार का सहयोग मिलता रहेगा।

साथियो, हमारी संसद और अन्य विधायी संस्थाओं का गौरव इसी बात से है कि वे विश्व के सबसे बड़े सफल लोकतंत्र के प्रतिनिधि निकायों में गिनी जाती हैं। इसलिए संसद और विधान सभाओं में वाद-विवाद की विषय-वस्तु और गुणवत्ता हमारी प्रतिष्ठा और हमारे प्रतिनिधि होने के अनुरूप ही स्तरीय होनी चाहिए। जनता के प्रतिनिधि को यह शोभा नहीं देता कि वह अभद्र आचरण अपनाए या असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करे।

सदन में विधायकों के निरंकुश व्यवहार से जनता को गलत संदेश मिलता है। जैसाकि आप जानते हैं, हमारे कई विधायी निकायों की कार्यवाही का अब सीधा प्रसारण होने लगा है। इसलिए यदि विधान मंडलों का कामकाज बार-बार स्थगित किए जाने से बाधित होता है तो यह हमारी छवि को खराब करेगा। ऐसी घटनाएँ आमतौर पर समाज के मानस पटल पर और सोशल मीडिया के इस समय में विशेष रूप से युवाओं के मन में हमारी खराब छवि बनाती हैं। इससे हमारी प्रतिनिधि संस्थाओं की छवि भी धूमिल होती है। अत: सभी जनप्रतिनिधियों को भारतीय लोकतंत्र की गरिमा के अनुरूप ही आचरण करना चाहिए।

सूचना का अधिकार अधिनियम तथा सूचना प्रौद्योगिकी में हर दिन हो रहे परिवर्तनों के कारण आज शासन की प्रकृति में काफी बदलाव आया है। इसके साथ-साथ, सामाजिक-आर्थिक विकास के कारण नई प्रकार की जटिल चुनौतियाँ और समस्याएँ भी सामने आ रही हैं। पर्यावरण का संकट इनमें सबसे प्रमुख है। आज की जनता भी अधिक जागरूक हो गई है। इन सब कारणों से शासन का कार्यभार अत्यंत जटिल एवं श्रमसाध्य हो गया है। ऐसी स्थिति में शासन व्यवस्था को उत्तरोत्तर जन केंद्रित, पारदर्शी एवं जवाबदेह होना चाहिए और इस उद्देश्य की पूर्ति में नई प्रौद्योगिकी हमारे लिए अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकती है।

साथियो, आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। हमें इस युग में प्रभावकारी एवं प्रासंगिक बने रहने के लिए अपनी कार्य संस्कृति में सकारात्मक बदलाव लाने होंगे। साथ ही हमें उपलब्ध प्रौद्योगिकियों का प्रतिबद्धतापूर्वक अधिकाधिक प्रयोग करना होगा।

वस्तुत: माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का डिजिटल भारत का अभियान आज क्रांतिकारी भूमिका निभा रहा है। शासन के संस्थानों व प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण से कार्यों की गति में तेजी आई है और समय एवं धन की बचत हो रही है। इसके साथ ही शासन में पारदर्शिता आई है और जनभागीदारी में भी वृद्धि हुई है। कागज की बचत से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं।

मुझे आप सबको यह सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमने भारतीय संसद में भी विभिन्न प्रकार से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। हमने सांसदों की सहायता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विकसित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

सभी प्रकार के दस्तावेजों, प्रक्रियाओं आदि को डिजिटलीकृत किया जा रहा है— प्रश्न सूची, कार्यवाही सूची, लोक सभा बुलेटिन आदि को भी डिजिटल रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। लोक सभा सचिवालय ने सभी सांसदों के लिए ई-रीडर उपकरणों की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। इसके साथ ही फाइल ट्रैकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी विकसित किया गया है और लोक सभा सचिवालय की विभिन्न शाखाएँ इसका उपयोग कर रही हैं।

इस प्रकार, हम देख सकते हैं कि देश में शासन की प्रक्रियाओं और संस्थाओं का डिजिटलीकरण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इस महाभियान का उद्देश्य लोकतंत्र में जनता की भागीदारी को बढ़ाना है तथा पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि करना है। इससे शासन तक जनता की पहुँच में भी वृद्धि होती है। यह प्रक्रिया पारिस्थितिकी अनुकूल है तथा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अतुलनीय योगदान करती है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि गोवा विधान सभा भी शीघ्र ही सदन की कार्यवाही में शामिल सभी प्रक्रियाओं, सदन की समितियों एवं सचिवालय की सभी प्रक्रियाओं को स्वचालित अथवा डिजिटलीकृत करेगी।

अंत में मैं आपसे एक विशेष बात कहना चाहूँगा। लोक सभा सचिवालय का संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) तीन दशकों से भी अधिक समय से संसदीय पद्धति और प्रक्रिया में प्रशिक्षण और प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित करता आ रहा है। उसकी गिनती आज विश्व की उत्कृष्ट संसदीय प्रशिक्षण संस्थाओं में की जाती है।

प्राइड का एक महत्त्वपूर्ण कार्य सदस्यों को संसद की विभिन्न प्रक्रियाओं तथा हमारी संसदीय संस्थाओं की कार्यशैली से परिचित कराना है। इसके साथ ही यह हमारे प्रतिष्ठित सांसदों को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराती है, जहाँ वे अपने समृद्ध और विविध अनुभवों को साझा कर सकें।

इसलिए मैं यह देखकर खुश हूँ कि इस विधान सभा के सचिवालय के कुछ अधिकारी और गोवा विधान सभा में आने के लिए अधिकृत संवाददाता, प्राइड द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण और पूर्व में आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का हिस्सा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि निकट भविष्य में गोवा विधान सभा के सदस्य इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए लोक सभा सचिवालय में आएँ।

इसके साथ ही मैं आपके सभी भावी प्रयासों की सफलता की कामना करता हूँ।

6

युवा : लोकतंत्र के कर्णधार*

"युवाओं में अपार ऊर्जा, उमंग और उत्साह होता है। उनके भीतर रचनात्मक तरीके से सोचने की अतुलनीय क्षमता होती है। इसलिए हर देश को अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं और निर्णय प्रक्रिया में अपने युवाओं को शामिल करना चाहिए।"

सबसे पहले मैं राष्ट्रमंडल समूह के विभिन्न देशों से आए युवा प्रतिभागियों का भारत में स्वागत करता हूँ। मैं भारत की संसद और यहाँ की 130 करोड़ जनता की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।

साथियो, कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट (CYP) राष्ट्रमंडल समूह के रचनात्मक चिंतन और दूरदृष्टि का जीता-जागता साकार रूप है।

CYP एक महान और पवित्र परियोजना का हिस्सा है। वह परियोजना क्या है? वह परियोजना है, मानव सभ्यता के सुनहरे भविष्य को सच करने की परियोजना। लंबे संघर्षों और असंख्य बलिदानों के रास्ते पर चलकर आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और लोकतंत्र के सपने को जी रहे हैं।

लेकिन लोकतंत्र को पा लेना ही काफी नहीं है। लोकतंत्र को पाने के बाद यह और भी जरूरी है कि लोकतंत्र को बचाए रखा जाए, उसे बेहतर-से-बेहतर बनाया जाए। यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और इसके लिए सतत जागरूक रहकर संघर्ष करते रहना पड़ता है। इसलिए हर पीढ़ी को लोकतंत्र के योद्धाओं की जरूरत होती है। ऐसे में हमारे लिए यह जरूरी है कि हम नई पीढ़ी को आने वाले समय में लोकतांत्रिक राजनीति के लिए श्रेष्ठ तरीके से तैयार करें। भविष्य की इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रमंडल समूह ने CYP की परिकल्पना की है।

---

* 10वाँ राष्ट्रमंडल युवा संसद, 2019 समारोह, नई दिल्ली, 25 नवंबर, 2019

साथियो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस नए युग में पूरी दुनिया एक-दूसरे के अत्यंत निकट आ चुकी है। पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। इस परिस्थिति में विश्व के हर देश की प्रगति और समृद्धि के साथ-साथ सबका भविष्य भी एक-दूसरे से जुड़ चुका है।

इसलिए न केवल देश के भीतर, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रणाली और लोकतांत्रिक मूल्यों को अधिक-से-अधिक बढ़ावा देकर सशक्त बनाने की जरूरत है। इसके लिए विश्व की नई पीढ़ी में भी लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता और विश्वास पैदा करना होगा। उन्हें लोकतंत्र की संस्थाओं, प्रक्रियाओं और पद्धतियों से अवगत कराना होगा। इस पुनीत और पावन उद्देश्य में CYP एक रचनात्मक और सक्रिय मंच की भूमिका निभा रहा है।

साथियो, जीवन के किसी भी क्षेत्र में कुछ बेहतर करने के लिए यह जरूरी है कि हम उस क्षेत्र की परंपराओं से, तौर-तरीकों से परिचित हों। हम उसकी बारीकियों, खूबियों और कमियों को जानें। CYP का भी यही प्रयास है कि आप युवाओं को संसदीय कार्य-प्रणाली से साक्षात रूप से जोड़ा जाए।

आप सबका इस गौरवपूर्ण आयोजन में शामिल होना इस बात की गवाही देता है कि आप संसदीय लोकतंत्र और राजनीति में रुचि रखते हैं इसलिए आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और अपने ज्ञान व अनुभव को समृद्ध करने की कोशिश करनी चाहिए।

साथियो, आप सबको यह समझना चाहिए कि संसदीय लोकतंत्र की मूल भावना क्या है, इसकी प्रेरक शक्ति क्या है? इसकी मूल भावना है संवाद की, वाद-विवाद की और विचार-विमर्श की, सामूहिक तरीके से सोचने-विचारने की। लोकतंत्र शासन की एक प्रणाली है, लेकिन उससे भी पहले लोकतंत्र निर्णय प्रक्रिया का एक समावेशी तरीका है।

लोकतंत्र वस्तुतः बहुमत का अल्पमत के ऊपर शासन नहीं है, बल्कि इसकी खासियत यह है कि इसमें सभी वर्गों को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। सभी की बात सुनी जाती है और उनके दृष्टिकोण को निर्णय प्रक्रिया में जगह दी जाती है।

लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में असहमति का भी अधिकार होता है, इसलिए हमें विरोधी विचारों और असहमतियों को भी धैर्य से सुनना चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए। इसी भावना और इन्हीं मूल्यों पर संसदीय लोकतंत्र की सफलता टिकी होती है। इसलिए आप सभी को ये सारी बातें सीखनी चाहिए।

आज पूरा विश्व कई तरह की समस्याओं और चुनौतियों से जूझ रहा है। एक तरफ

जलवायु परिवर्तन का खतरा मंडरा रहा है तो दूसरी ओर विश्व के कई हिस्सों में गंभीर राजनीतिक संकट मौजूद है। शरणार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। विश्व व्यापार भी कई परेशानियों से गुजर रहा है।

इंटरनेट और सूचना एवं संचार तकनीक के कारण एक तरफ तो कई सकारात्मक परिवर्तन आए हैं, वहीं दूसरी तरफ नई तरह की समस्याएँ पैदा हो रही हैं और ये सारी समस्याएँ ऐसी हैं, जो पूरे विश्व के लिए मायने रखती हैं।

इनसे निपटने के लिए पूरे विश्व को संवाद (Dialogue), वाद-विवाद (Debate) और चर्चा (Discussion) के जरिए कॉमन एजेंडा (Common Agenda) बनाकर काम करना होगा। यह 3-D ही दरअसल संसदीय लोकतंत्र के मूल भाव हैं। Dialogue, Debate और Discussion के जरिए ही हम चौथे-D यानी Decision पर पहुँचते हैं।

साथियो, यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इस परिदृश्य में युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है? मेरा मानना है कि युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में और निर्णय प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि युवाओं में अपार ऊर्जा, उमंग और उत्साह होता है। उनके भीतर रचनात्मक तरीके से सोचने की अतुलनीय क्षमता होती है।

"आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण दुनिया के सभी देशों की नियति, उनका भविष्य एक साथ जुड़ गया है। इसलिए अपने साझे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमें साझी रणनीति के साथ साझे ढंग से काम करना होगा।"

एक युवा हर प्रश्न, हर समस्या, हर मुद्दे पर खुले दिमाग से नए ढंग से सोच-विचार सकता है और नए समाधान दे सकता है। इसलिए हर देश को अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं तथा निर्णय प्रक्रिया में अपने युवाओं को शामिल करना चाहिए। लेकिन इन सबके लिए यह भी जरूरी है कि युवाओं को सही शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाए। उन्हें हर मुद्दे पर नए ढंग से सोचना सिखाया जाए।

साथियो, आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण दुनिया के सभी देशों की नियति, उनका भविष्य एक साथ जुड़ गया है। इसलिए अपने साझे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमें साझी रणनीति के साथ साझे ढंग से काम करना होगा।

मेरा विश्वास है कि संसदीय लोकतंत्र की भावना इसमें हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। इसलिए हमें CYP जैसे कार्यक्रमों की सख्त जरूरत है।

मैं आशा करता हूँ कि इस आयोजन के जरिए आप सभी प्रतिभागी यह समझ पाएँगे कि लोकतंत्र के भीतर शासन और प्रशासन में संसद की क्या भूमिका होती है और संसद कैसे इस भूमिका का निर्वाह करती है? एक सांसद की क्या जिम्मेदारियाँ और दायित्व होते हैं?

मुझे उम्मीद है कि आप लोग एक-दूसरे से अपने अनुभवों को साझा करके एक-दूसरे को समृद्ध करेंगे। मेरी कामना है कि यह आयोजन आपको भविष्य में बेहतर नेतृत्व के लिए जरूरी कौशल और सोच विकसित करने में सहायता करेगा और आप इसका उपयोग करके अपने-अपने देशों और पूरे विश्व को बेहतर बनाएँगे।

7

संसदीय लोकतंत्र में विधायकों की भूमिका*

"हमारी संसद हमारे संविधान के उच्च आदर्शों जैसे कि सहभागी लोकतंत्र, सामाजिक और धार्मिक बहुलवाद, सामाजिक न्याय तथा नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक प्रगति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।"

राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (CPA, India Region) के सातवें सम्मेलन में उत्तर प्रदेश का दिल कहे जाने वाले शहर लखनऊ में पधारे सभी गण्यमान्य व्यक्तियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ।

मैं इस सम्मेलन में देश की सभी विधान सभाओं एवं विधान परिषदों से आए अध्यक्षों, सभापतियों एवं प्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।

I extend a hearty welcome to distinguished guests from Australia and Malaysia and I wish them a pleasant stay in India, especially in historic City of Lucknow.

मैं इस मंच से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।

CPA, India Region Conference के आयोजन एवं शानदार मेहमान-नवाजी के लिए मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष माननीय श्री हृदय नारायण दीक्षित जी और उत्तर प्रदेश सरकार को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ।

साथियो, इससे पूर्व सी.पी.ए. इंडिया रीजन का छठा सम्मेलन पटना में हुआ था, जहाँ सतत विकास लक्ष्य सहित विविध मुद्दों पर सारगर्भित चर्चा हुई थी और सभी प्रतिभागियों ने उसमें रचनात्मक सहयोग किया था। अब हम लोग गोमती के किनारे बसी सुंदर नगरी लखनऊ में चर्चा, विचार-विमर्श एवं अंतर्संवाद के लिए एकत्र हुए हैं।

---

* राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, भारत क्षेत्र के सातवें सम्मेलन का उद्घाटन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश; 16 जनवरी, 2020

लखनऊ शहर की अपनी एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत रही है। इस शहर के लिए एक बड़ी पुरानी कहावत है—'मुसकराइए! आप लखनऊ में हैं।' उत्तर प्रदेश भारतीय राजनीति के गढ़ के रूप में जाना जाता है, जिसने देश को सदैव सक्षम नेतृत्व दिया है। आज लखनऊ की पवित्र धरती पर खड़े होकर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सहज ही पुण्य स्मरण हो आता है।

साथियो, हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारे देश के लिए कोई नई अवधारणा नहीं है। वास्तव में यह हमें प्राचीन काल से ही विरासत में मिला है।

लखनऊ में सातवें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए

वैदिक काल से लेकर आज तक लोकतंत्र में हमारी आस्था की जड़ें बहुत गहरी हैं। दरअसल लोकतंत्र हमारे राष्ट्र की धड़कन है। हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि हमने बड़ी-बड़ी बाधाओं का सामना करते हुए अपने संविधान तथा शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली को सुरक्षित बनाए रखा है।

गत सात दशकों के दौरान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में हमारी संसद की उपलब्धियाँ उल्लेखनीय रही हैं। हमारी संसद हमारे संविधान के उच्च आदर्शों जैसे कि सहभागी लोकतंत्र, सामाजिक और धार्मिक बहुलवाद, सामाजिक न्याय तथा नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक प्रगति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, भारत क्षेत्र के सातवें सम्मेलन में विशिष्ट जनों को संबोधित करते हुए

हमारा संसदीय लोकतंत्र राष्ट्र-निर्माण के चुनौतीपूर्ण कार्य में न केवल एक सशक्त और रचनात्मक शक्ति रहा है, अपितु यह नियोजित आर्थिक विकास, प्राचीन सामाजिक व्यवस्था के शांतिपूर्ण परिवर्तन तथा सामाजिक और आर्थिक अल्प विकास की स्थितियों से निर्धनों के उत्थान के प्रति भी प्रतिबद्ध रहा है। यही कारण है कि वंचित और पददलित वर्गों सहित हमारे समाज के विभिन्न वर्गों को संसद और विधान मंडलों में उनका उचित प्रतिनिधित्व मिला है।

लोक सभा, राज्य विधान मंडलों तथा अन्य लोकतांत्रिक निकायों के आवधिक चुनावों का सफल संचालन तथा निर्वाचन प्रक्रिया में लोगों की सक्रिय और उत्साहपूर्ण भागीदारी ने इस प्रणाली में उनकी अगाध आस्था और विश्वास को व्यापक रूप से प्रदर्शित किया है।

अपने आप में यह तथ्य ही एक महान उपलब्धि है कि मानव जाति का छठा भाग एक ऐसे देश में निवास करता है, जहाँ संसदीय शासन प्रणाली है। भारत के लोगों की सहज लोकतांत्रिक आस्था ही वास्तव में हमारी ताकत है।

आजाद भारत में चुनाव-दर-चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया में लोगों की उतरोत्तर बढ़ती भागीदारी इस बात का सशक्त प्रमाण है कि लोगों में लोकतंत्र के प्रति आस्था और विश्वास बढ़ा है। जितना लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, उतनी ही हमारी उनके प्रति जिम्मेदारी भी बढ़ी है।

हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रेस एवं मीडिया ने हमारे लोकतंत्र को और मजबूत किया है। अपनी इसी विरासत को सहेजते हुए हम आज सीपीए, भारत क्षेत्र के इस सम्मेलन में एकत्र हुए हैं।

साथियो, इस बार हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वह बहुत ही सामयिक एवं प्रासंगिक है। वह विषय है 'विधायक की भूमिका'। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए यह विषय विशेष महत्त्व रखता है।

मैं मानता हूँ कि प्रत्येक सांसद और विधायक राष्ट्र के आदर्शों, आशाओं और विश्वास का अभिरक्षक है।

जनप्रतिनिधि के रूप में सदस्य का दर्जा बहुत ऊँचा होता है। हालाँकि सदस्यों को अपने संसदीय कर्तव्यों का निर्वहन बेरोक-टोक करने के लिए सक्षम बनाने हेतु विशेष अधिकार दिए गए हैं, किंतु इन विशेष अधिकारों के साथ कुछ दायित्व भी जुड़े हुए हैं। सदन के भीतर और बाहर गरिमापूर्ण आचरण सदस्य के प्राथमिक दायित्वों में से एक है।

विधान सभा और संसद के साथ एक लंबे अरसे से संबद्ध रहने के दौरान मैंने सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों ही दलों के दिग्गजों को निकट से देखा है और उनकी बात सुनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है।

मुझे यह देखकर दु:ख होता है कि पक्ष और प्रतिपक्ष में एक-दूसरे के विचारों को सुनने के इच्छुक रहने की प्रवृत्ति कम हो रही है। हमारा देश विविधताओं वाला देश है। राजनीतिक बहुलवाद हमारे लोकतंत्र का मर्म है। इसी से संसदीय वाद-विवाद में जीवंतता और सक्रियता का संचार होता है। संसदीय आचरण का पहला सिद्धांत इस बात में विश्वास रखना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है, बशर्ते इसे अध्यक्ष द्वारा निर्धारित नियमों के भीतर रहकर अभिव्यक्त किया जाए।

सदस्यों को समझना होगा कि वाक्-स्वातंत्र्य के बिना ज्ञानपूर्ण वाद-विवाद नहीं हो सकता, किंतु व्यवस्था के बिना तो वाद-विवाद हो ही नहीं सकता और इससे एक विमर्शी निकाय का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।

यदि संसदीय लोकतंत्र को फलना-फूलना है और गहरी जड़ें जमानी हैं तो लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ करना होगा। यह तभी संभव है, जब इसके संजोए हुए मूल्यों को सभी संबंधित व्यक्तियों, विशेषरूप से विधायकों और सांसदों द्वारा आत्मसात किया जाए।

असहमति एक लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति है, किंतु इसे लोकतांत्रिक मानदंडों के भीतर रहते हुए अभिव्यक्त किया जाना चाहिए। लोगों की अपेक्षाओं और आशाओं का रचनात्मक ढंग से समर्थन करने के माध्यम से ही संसद और राज्य विधान मंडलों के उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है।

संसद और राज्य विधान मंडलों में होने वाले वाद-विवाद के दौरान कभी-कभी आवेश और गरमा-गरमी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह कोई असामान्य बात नहीं है, किंतु इसे अशोभनीय व्यवहार का रूप धारण करने से रोकने की आवश्यकता है।

सदस्यों को अपनी बात सशक्त और भावपूर्ण ढंग से रखनी चाहिए, किंतु उन्हें प्रचंड, अपमानजनक और व्यक्तिगत आक्षेप वाली बात कहने से बचना चाहिए। इसके लिए नि:संदेह योग्यता की आवश्यकता होती है। इसके लिए कार्य के प्रति निष्ठा की आवश्यकता होती है, जैसे कि प्रत्येक कार्य के संबंध में आवश्यक है, किंतु इसके साथ ही, बहुत अधिक सहयोग, आत्मानुशासन, संयम और शालीनता की भी आवश्यकता होती है।

हमारे विधान मंडलों में यह सर्वाधिक महत्त्व की बात है कि अध्यक्षपीठ के प्राधिकार और गरिमा का सम्मान किया जाए, उसे बनाए रखा जाए। साथ ही साथ पीठासीन अधिकारियों को सदस्यों की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए और कुल मिलाकर सदस्यों एवं सदन के समक्ष अपने व्यवहार में ईमानदारी और निष्पक्षता दिखानी चाहिए।

साथियो, किसी लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि निरंतर जनता के साथ अंतर-संवाद करता रहता है एवं उनकी समस्याओं और चुनौतियों को भली-भाँति समझते हुए सरकार के समक्ष उनकी भावनाओं और अपेक्षाओं को प्रस्तुत करता है।

"हमारा संसदीय लोकतंत्र राष्ट्र-निर्माण के चुनौतीपूर्ण कार्य में न केवल एक सशक्त और रचनात्मक शक्ति रहा है, अपितु यह नियोजित आर्थिक विकास, प्राचीन सामाजिक व्यवस्था के शांतिपूर्ण परिवर्तन तथा सामाजिक और आर्थिक अल्प विकास की स्थितियों से निर्धनों के उत्थान के प्रति भी प्रतिबद्ध रहा है।"

विधायक नीति निर्माण में भी आम नागरिकों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है और उनकी आशाओं तथा आकांक्षाओं का वाहक होता है। अत: विधायकों का यह कर्तव्य बनता है कि किसी भी नीति के निर्माण के समय उनका पक्ष मजबूती से रखें और आम नागरिकों के सरोकारों के अनुरूप सरकार की नीतियों को यथासंभव प्रभावित करें।

संसद और विधान मंडलों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जनता की बातों को सरकार के समक्ष पेश करने तथा सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए बहुत से साधन उपलब्ध हैं। इन साधनों के माध्यम से आम जनता के हित के विशिष्ट मामले उठाए जा सकते हैं और इन पर चर्चा की जा सकती है। मेरा तात्पर्य यह है कि सदस्यों को विधान मंडलों में उपलब्ध

हर साधनों का समुचित उपयोग करना चाहिए।

प्रश्न काल सदस्यों के लिए सरकार से जवाब तलब करने का सबसे महत्त्वपूर्ण साधन है। अत: सभी सदस्यों को प्रश्न काल का प्रभावी उपयोग करना जरूरी है।

प्रश्न काल के अलावा शून्य काल भी सदस्यों का काल है, जिसमें जनप्रतिनिधिगण दैनिक एजेंडा से अलग विभिन्न अविलंबनीय लोक महत्त्व के मुद्दे उठा सकते हैं, इसलिए शून्य काल का उपयोग अधिकाधिक मुद्दों को उठाने में किया जाना चाहिए।

मेरा यह मानना है कि हमें सभी सांसदों और विधायकों को शून्य काल में अधिक-से-अधिक बोलने का अवसर देना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो इसके लिए हमें शून्य काल का समय भी बढ़ाना चाहिए, ताकि सभी जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में रखने का मौका मिले।

हमारे विधान मंडलों का एक और मुख्य कार्य जनता की ओर से सरकार के कार्य, उसकी नीतियों और कार्यक्रमों पर निगरानी रखना है और विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संसद और विधान मंडलों में अन्य साधनों के अतिरिक्त सशक्त और सुदृढ़ समिति प्रणाली उपलब्ध है।

संसदीय और विधान मंडलों की समितियाँ सरकार के बजट, नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं, परियोजनाओं एवं उसके कार्यान्वयन का मूल्यांकन करती हैं और अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हैं।

इस प्रणाली में सदस्यों को अपनी सुविचारित राय को व्यक्त करने की आजादी रहती है, क्योंकि समिति की बैठक गोपनीय होती है। सदस्यगण विभिन्न मुद्दों पर अपनी दलगत प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर अपनी सुविचारित राय एवं कीमती सुझाव समिति को देते हैं।

संसदीय समितियाँ सुशासन का मार्ग प्रशस्त करने के अतिरिक्त, पारदर्शिता और जवाबदेही के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी बड़ी भूमिका निभा रही हैं।

मुख्य विषय के अतिरिक्त हम लोग दो अन्य महत्त्वपूर्ण विषयों पर आपस में चर्चा और अंतर-संवाद करेंगे। पहला विषय है 'बजटीय प्रस्तावों की संवीक्षा के संबंध में विधायकों का क्षमता निर्माण'।

बजट सरकार का सबसे महत्त्वपूर्ण आर्थिक नीति उपकरण है और यह सरकार की प्राथमिकताओं का एक व्यापक विवरण उपलब्ध कराता है। जनता के प्रतिनिधि निकायों के रूप में, संसद और विधान मंडल यह सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि बजट उपलब्ध संसाधनों के साथ देश की जरूरतों और जनता की अपेक्षाओं से मेल खाता हो।

बजटीय प्रक्रिया में प्रभावी विधायी भागीदारी, नियंत्रण और संतुलन स्थापित करती है, जो पारदर्शी और जवाबदेह शासन के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

इसलिए बजट पर संसद और विधान सभाओं में सार्थक तथा उपयोगी चर्चाएँ हो सकें, इसके लिए सदस्यों का क्षमता निर्माण आवश्यक है। सदस्यों को बजट प्रस्तावों की संवीक्षा से संबंधित नियमों, प्रक्रियाओं और अपने अधिकारों का भी ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है।

दूसरा विषय विधायी कार्यों की ओर विधायकों का ध्यान केंद्रित करना है, जो एक विधायी निकाय के रूप में विधान मंडलों के प्रभावी कामकाज के लिए महत्त्वपूर्ण है।

लोकतंत्र में विधि के अनुसार शासन चलता है, इसलिए विधि निर्माण लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को आकार देने का एक महत्त्वपूर्ण साधन है। यह जरूरी है कि विधायकों को विधायी प्रक्रियाओं के विविध पहलुओं का बोध हो। उन्हें नियमों और प्रक्रियाओं का गहन ज्ञान एवं संवैधानिक प्रावधानों की पर्याप्त समझ हो। साथ ही, उन्हें हमारे संसदीय रीति-रिवाजों, परंपराओं और मान्यताओं की उचित जानकारी भी होनी चाहिए। इसके लिए हर विधान मंडल में सदस्यों के उपयोग हेतु पुस्तकालय एवं संदर्भ सेवा उपलब्ध होती है। माननीय सदस्यों को इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए।

मैं यहाँ आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हाल ही में देहरादून में संपन्न हुए भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 79वें सम्मेलन में संसद और विधान मंडलों की भूमिका को और प्रभावी बनाने एवं जनप्रतिनिधियों की भागीदारी को और सशक्त करने के उद्देश्य से हमने कई महत्त्वपूर्ण संकल्प पारित किए थे, जैसे कि सदन का कामकाज सुचारू रूप से चलाना सुनिश्चित करने के लिए और व्यवधान को रोकने के लिए सभी विधान सभाओं, विधान परिषद, लोक सभा और राज्य सभा द्वारा कठोर नियम बनाए जाएँ एवं सदस्यों के सभा के 'वेल', यानी गर्भगृह में आने पर उनके विरुद्ध तुरंत कार्यवाही सुनिश्चित हो।

सभा की मर्यादा इसी में है कि सभा में वाद-विवाद हो, चर्चा हो, सहमति-असहमति भी रहे, परंतु सदन की कार्यवाही निर्बाध रूप से चलनी चाहिए। विरोध में भी गतिरोध न हो, व्यवधान न हो। मतलब यह कि सभा में डिबेट और डिस्कशन हो, डिसेंट भी हो, पर कोई डिसरप्शन न हो।

सदन राष्ट्र को वाणी देने वाला मंच है। यह राष्ट्र से और राष्ट्र के लिए बोलता है। अत: सदन की कार्यवाही का बाधारहित और सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है।

यदि संसद और विधान मंडलों में निरंतर अव्यवस्था और व्यवधान की स्थिति बनी रहेगी तो समय के साथ उठने वाले प्रश्नों का समाधान करना तो दूर की बात है, ये संस्थाएँ कार्य करने में समर्थ नहीं हो पाएँगी।

अत: निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरकार और राजनीतिक दलों को इस महत्त्वपूर्ण दायित्व का निर्वाह करना है कि हमारी राजनीतिक प्रणाली की प्रधान संस्थाओं का कार्य बाधारहित और सार्थक ढंग से तथा गरिमा एवं शालीनता के साथ संपादित हो।

इसका मतलब यह नहीं है कि संसद और विधान मंडलों को निस्तेज और नीरस बना दिया जाए। विधान मंडल को सक्रियता से भरा एक ऐसा स्थान होना चाहिए, जो वाद-विवादों, तर्क-वितर्क से गुंजायमान हो तथा हाजिर-जवाबी और हास-परिहास से जीवंत हो।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि लोक सभा के पिछले दो सत्रों में व्यवधान नहीं के बराबर हुआ है। पहले सत्र में तो कोई व्यवधान हुआ ही नहीं। इसका सकारात्मक परिणाम यह हुआ कि जहाँ पहले सत्र की कार्य उत्पादकता 125 प्रतिशत रही, वहीं दूसरे सत्र की 115 प्रतिशत।

इसके अलावा देहरादून में सभी विधान मंडलों के नियमों में एकरूपता लाने के लिए पीठासीन अधिकारियों में आपस में चर्चा हुई।

मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इन प्रयासों से भारत के विधान मंडलों की क्षमता और कार्यकुशलता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी और राष्ट्रमंडल के भारत क्षेत्र में संसदीय लोकतंत्र और मजबूत होगा।

हमारे संसदीय लोकतंत्र का आधार है—लोगों की संप्रभुता, विधायिका की प्रमुखता तथा सर्वोच्चता, कार्यपालिका की जिम्मेदारी और न्यायपालिका की स्वतंत्रता।

हमारे संसदीय लोकतंत्र का भविष्य तभी उज्ज्वल रह सकता है, यदि शक्तियों के विभाजन की इस उच्च अवधारणा का समन्वित संचालन हो। पर अपने संसदीय अनुभव से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यह सब लोकतंत्र की शक्ति साबित होगा अगर हम सबके मन में पहला विचार निस्स्वार्थ रूप से जन-कल्याण हो, अंत्योदय हो।

महात्मा गांधी ने कहा था कि हम जो भी कार्य करें, उससे समाज के सबसे गरीब, उपेक्षित और वंचित व्यक्ति को उसका लाभ मिले। हम जनप्रतिनिधिगण इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ कि सी.पी.ए., भारत क्षेत्र का लखनऊ में आयोजित यह सम्मेलन बहुत सफल होगा।

मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पधारे सभी प्रतिभागी एवं विधायकगण विभिन्न चर्चाओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे एवं यहाँ होने वाली विभिन्न चर्चा बहुत उपयोगी और प्रेरक साबित होगी। हम यहाँ चर्चा किए गए विषयों पर व्यापक जानकारी प्राप्त करके लौटेंगे।

8

लोकतंत्र एवं विधायी प्रक्रियाएं*

"संसद और विधान मंडलों में सभा की कार्यवाही बिना व्यवधान सुचारू रूप से चले। पक्ष और प्रतिपक्ष नियमों के दायरे में ही अपनी-अपनी बात रखें। विरोध हो, पर गतिरोध न हो।"

यह बड़े हर्ष की बात है कि हम लोग गोमती नदी के किनारे बसी सुंदर नगरी लखनऊ में चर्चा, विचार-विमर्श एवं अंतर-संवाद के लिए एकत्र हुए। पिछले दो दिनों में हमने सम्मेलन की थीम एवं निर्धारित विषयों पर सफलतापूर्वक विचार-विमर्श किया है। मैं इस विचार-विमर्श को जीवंत और प्रासंगिक बनाने में आपकी सक्रिय भागीदारी और सार्थक योगदान के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ।

मुझे आशा है कि पिछले दो दिनों में किया गया विचार-विमर्श भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की दृष्टि से एवं नीति-निर्माण की दृष्टि से हमारे लिए काफी लाभदायक एवं मार्गदर्शी सिद्ध होगा।

मैं सम्मेलन में प्रतिभागियों की बड़ी संख्या और सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श में प्रतिभागिता के लिए माननीय पीठासीन अधिकारीगण का उत्साह देखकर अभिभूत हूँ।

"संसद समाज में परिवर्तन लाने का सशक्त माध्यम हैं।"

साथियो, इस बार हम लोगों ने जो थीम रखी थी—'विधायक की भूमिका', वह बहुत ही सामयिक एवं प्रासंगिक थी और हम सबके जीवन से जुड़ी हुई थी। इस पर बहुत ही सारगर्भित एवं उत्कृष्ट चर्चा हुई। इस चर्चा में देश भर से आए विधान मंडलों के अध्यक्षों ने हिस्सा लिया और अपने बहुमूल्य एवं उपयोगी विचार सम्मेलन में रखे। उनके व्याख्यानों से यहाँ आए सभी प्रतिभागीगण लाभान्वित हुए।

---

* राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, भारत क्षेत्र के सातवें सम्मेलन में समापन भाषण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश; 17 जनवरी, 2020

जैसाकि हम सब जानते हैं, संसदें समाज में परिवर्तन लाने का सशक्त माध्यम हैं। चाहे वह सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति का मसला हो या कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो। विधान मंडल विशेषकर संसद ही उनके कार्यान्वयन की निगरानी करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह हो।

इस चर्चा में एक ओर जहाँ निर्वाचित संसद सदस्य अथवा राज्य के विधायकों को उनकी भूमिका के बारे में अवगत कराया गया, वहीं उन्हें यह बताया गया कि जनप्रतिनिधि की लोकतंत्र में क्या महत्ता है।

निर्वाचित प्रतिनिधि राज्य और जनता के बीच सेतु का काम करता है। जनप्रतिनिधि निरंतर जनता के साथ मेल-जोल और अंतर-संवाद करता रहता है। अत: उससे यह आशा की जाती है कि वह आम नागरिकों के सरोकारों, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप किसी भी नीति के निर्माण के वक्त उनका पक्ष मजबूती से रखे।

इस सम्मेलन में चर्चा के लिए मुख्य विषय के अतिरिक्त दो अन्य विषय भी रखे गए थे। पहला विषय था—'बजटीय प्रस्तावों की संवीक्षा के संबंध में विधायकों का क्षमता निर्माण।'

विधायिका को कार्यपालिका के द्वारा राजकोषीय धन के उपयोग पर निगरानी रखनी होती है। इस संबंध में हमें नीति विशेषज्ञ चाणक्य की सलाह को ध्यान में रखना चाहिए कि हम राजकोषीय धन का सदुपयोग कैसे सुनिश्चित करें।

जब बजट पेश होता है, फिर उसकी संवीक्षा भी होती है। इस दौरान जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते सांसदों और विधायकों की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाती है। उन्हें बजट प्रस्तावों की संवीक्षा करनी होती है कि बजट उपलब्ध संसाधनों के साथ देश की जरूरतों और जनता की अपेक्षाओं से कितना मेल खाता है।

इस संदर्भ में यह अत्यंत आवश्यक है कि सांसद और विधायक वित्तीय टर्मिनोलॉजी एवं बजटीय प्रक्रियाओं से अवगत हों। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिलाने की बात यहाँ की गई, जो सर्वथा उचित है।

दूसरे महत्त्वपूर्ण विषय 'विधायी कार्यों पर विधायकों का ध्यान केंद्रित करना' पर भी यहाँ विस्तृत एवं सारगर्भित चर्चा हुई।

इस विषय पर हुई चर्चा के दौरान सदस्यों द्वारा विधान मंडलों में उपलब्ध विधायी साधनों के सार्थक इस्तेमाल पर भी बल दिया गया।

एक विधि निर्माता का कार्य विधान का निर्माण करना है, अत: उन्हें इस कार्य में निपुणता होनी चाहिए। एक विधायी निकाय की सफलता के लिए एवं विधान मंडलों में प्रभावी कामकाज सुनिश्चित करने के लिए यह बात बहुत महत्त्वपूर्ण है।

इस संबंध में जैसाकि मैंने पहले भी यह सुझाव रखा था कि यदि लोक सभा की तर्ज पर राज्य विधान सभाओं में भी सत्र के दौरान विधेयकों पर ब्रीफिंग सेशन आयोजित किए जाएँ तो मैं समझता हूँ कि राज्य विधान मंडलों के विधायकों के लिए यह बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।

कुल मिलाकर इस सम्मेलन के दौरान जिन महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी है और जो सुझाव उभरकर सामने आए हैं, उन्हें मैं संक्षेप में आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा।

संसद और विधान मंडलों में सभा की कार्यवाही बिना व्यवधान सुचारू रूप से चले। पक्ष और प्रतिपक्ष नियमों के दायरे में ही अपनी-अपनी बात रखें। विरोध हो, पर गतिरोध न हो। ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विधान मंडलों द्वारा कठोर नियम बनाए जाएँ।

सभी विधान मंडलों में माननीय सदस्यों को अविलंबनीय लोक महत्त्व के मुद्दों को अधिक-से-अधिक शून्य काल के माध्यम से उठाने का अवसर मिले। इसके लिए सभा का समय भी बढ़ाया जा सकता है।

सभी विधान मंडलों के नियमों में एकरूपता लाई जाए।

लोक सभा सचिवालय की तर्ज पर सीपीए, भारत क्षेत्र के सभी विधान मंडलों का डिजिटलाइजेशन हो और इनमें आपस में कनेक्टिविटी बने।

ऐसे सम्मेलन हमारे विधायी निकायों में ठोस लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं को सुस्थापित करने और विभिन्न विधान मंडलों में आपस में बेस्ट प्रैक्टिसेज साझा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मुझे इस बात का संतोष है कि सीपीए, भारत क्षेत्र का लखनऊ में आयोजित सातवां सम्मेलन बहुत सफल रहा।

9

कोरोना महात्रासदी के पश्चात् विधायी कार्यों का संपादन एवं चुनौतियाँ*

"मेरा विश्वास है कि जहाँ कार्यपालिका महामारी और संक्रमण से निपटने का काम तत्परता से करती रहेगी, वहीं विधायिकाएँ भी वैश्विक परीक्षा की इस घड़ी में देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाएँगी, ताकि राष्ट्र-निर्माण का कार्य भी निर्बाध चलता रहे।"

आज समस्त विश्व कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है।

केंद्र एवं सभी राज्य सरकारों की सूझ-बूझ, आपसी तालमेल एवं उत्कृष्ट आपदा प्रबंधन के कारण भारत में स्थिति अन्य देशों की अपेक्षा काफी बेहतर है।

दुनिया के दूसरे देशों का अनुभव हमें बताता है कि यह संक्रमण जब कम्युनिटी स्तर पर पहुँचता है तो वह महामारी का रूप ले लेता है, तब स्थिति बहुत भयावह हो जाती है।

अमेरिका और यूरोप के कई देश, जिनकी आबादी हमसे बहुत कम है एवं वहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध हैं, वहाँ के हालात भी देखते-ही-देखते नियंत्रण के बाहर हो गए।

हमारे देश में सही समय पर देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा, विदेशी और देशी फ्लाइट के संचालन पर प्रतिबंध, social distancing के नियमों के व्यापक क्रियान्वयन से ही हम अपनी विशाल जनसंख्या को काफी हद तक संक्रमण से बचाने में सफल रहे हैं।

यह संतोष का विषय है कि सरकारी प्रयासों से स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है तथा सरकार उससे निपटने में पूरी तरह से सक्षम है।

यही नहीं, इस महात्रासदी के समय में भारत संकट में पड़े अन्य देशों की औषधि इत्यादि से यथासंभव सहायता भी कर रहा है, जो अत्यंत गर्व का विषय है और हमारी 'वसुधैव कुटुंबकम्' की प्राचीन सोच के सर्वथा अनुकूल है।

---

* पीठासीन अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस, संसदीय सौध विस्तार, नई दिल्ली; 21 अप्रैल, 2020

आज मेरा आप सबसे संवाद का उद्देश्य यही है कि इस महामारी के प्रसार के बारे में तथा इसकी रोकथाम और नियंत्रण के उपायों के बारे में आपसे सार्थक चर्चा एवं विचार-विमर्श हो।

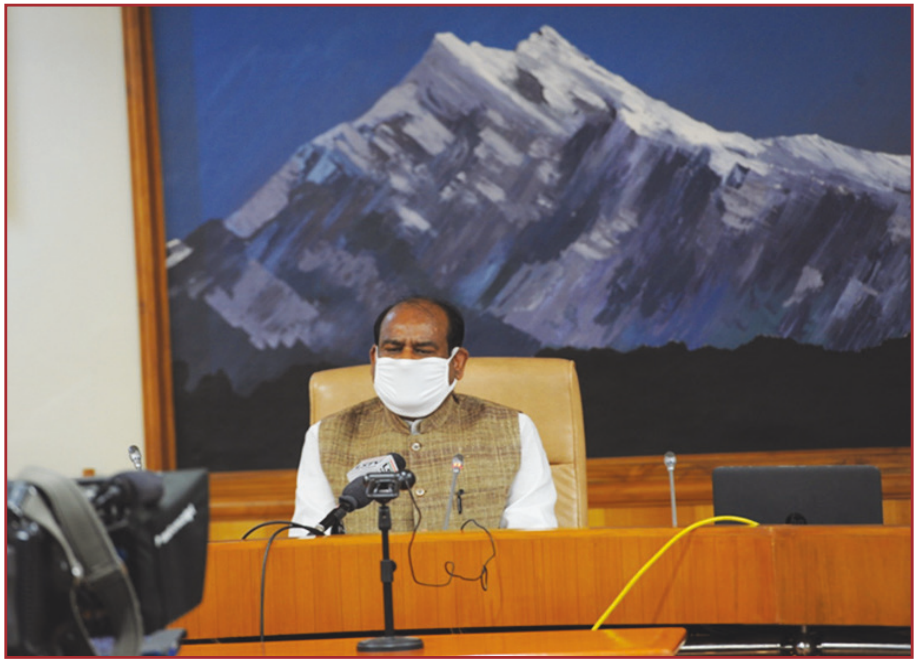

पीठासीन अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए

पीठासीन अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हुए

साथ-ही-साथ, आपके राज्य में इस संबंध में क्या पहल की गई हैं और कौन-कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेज लागू की जा रही हैं, उनके बारे में भी जानना है।

लॉकडाउन के दूसरे चरण में सरकार ने 20 अप्रैल, 2020 से कृषि संबंधी एवं अन्य चुनिंदा आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी है।

केंद्र व राज्य सरकारों के कार्यालय भी सीमित उपस्थिति के साथ खोलने का आदेश दिया गया है।

इस स्थिति में हमारा प्रयास होगा कि हम अधिक-से-अधिक डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ई-फाइलिंग को बढ़ावा दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यक बैठकों को संचालित करें, जिससे कि 'सोशल डिस्टेंसिंग' के नियमों का अधिक-से-अधिक पालन हो सके।

विधायी कार्यों एवं समितियों के कार्यों को भी किस प्रकार गति दी जा सकती है, इस बारे में भी हम अपने-अपने विचार और अनुभव साझा करेंगे।

मैंने लोक सभा की समितियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बैठकें करने को कहा है। विधान सभाओं में भी यही तरीका अपनाया जा सकता है। नई परिस्थितियों में इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अधिकाधिक उपयोग करते हुए भौतिक और वर्चुअल के सही तालमेल के साथ ही हमें विधायी कार्यों को निपटाना होगा।

जैसाकि आपको विदित है कि पूर्व में हमने चार महत्त्वपूर्ण विषयों पर पीठासीन अधिकारियों की समितियों का गठन किया था। असम विधान सभा के अध्यक्ष माननीय श्री हितेंद्र नाथ गोस्वामी जी की अध्यक्षता वाली सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट देहरादून में दे दी थी। इसके तकनीकी पहलुओं पर स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है।

दूसरी समिति राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष माननीय श्री सी.पी. जोशी जी के नेतृत्व में 'स्वायत्तता' के विषय पर गठित हुई थी। इस समिति का प्रारूप प्रतिवेदन अभी लोक सभा सचिवालय के पास है, जिस पर आगे की कार्यवाही की जा रही है।

'विधायिकाओं के कार्य-प्रचालन में व्यवधान' के विषय पर उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष माननीय श्री हृदय नारायण दीक्षित जी के नेतृत्व में गठित समिति की एक बैठक दिल्ली में संसद भवन परिसर में संपन्न हुई थी। इसके अलावा एक अन्य समिति 'संविधान की दसवीं अनुसूची' के विषय पर राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष माननीय श्री सी.पी. जोशी जी की अध्यक्षता में गठित की गई थी।

वर्तमान परिस्थितियों में इन समितियों के कार्य प्रचालन में निश्चय ही बाधा आई होगी। मैं आशा करता हूँ कि सभी समितियाँ अपना कार्य यथासंभव शीघ्रता से पूर्ण करेंगी, ताकि

उनकी अनुशंसाओं और सुझावों का लाभ विधायी निकायों को मिल सके।

हमने इस वर्ष विधायिकाओं द्वारा कुछ आयोजनों के बारे में भी निर्णय लिया था। सी.पी.ए. के चार जोन में भी कार्यक्रम होने थे, परंतु वर्तमान स्थिति को देखते हुए इन पर हम फिर विचार करेंगे।

अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का शताब्दी वर्ष, जो कि 14–15 सितंबर, 2020 से शुरू होगा, उसके विषय में भी, मुझे लगता है कि थोड़ी स्थिति और साफ होने पर ही निर्णय लेना उचित होगा। अगले सम्मेलन के बारे में भी मेरी यही सोच है।

अंत में, वर्तमान स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ कि जहाँ कार्यपालिका महामारी और संक्रमण से निपटने का काम तत्परता से करती रहेगी, वहीं विधायिकाएँ भी वैश्विक परीक्षा की इस घड़ी में देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाएँगी, ताकि राष्ट्र-निर्माण का कार्य भी निर्बाध चलता रहे।

भाग-दो

विधिक और संवैधानिक मुद्दे

10

भारतीय संविधान : देश की संस्कृति और सभ्यता के विकास की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति*

"हम अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हुए ऐसे लोकमत का निर्माण करें, जहाँ हम अपनी जनता को मूल कर्तव्यों के प्रति जागरूक कर सकें और उसकी सोच को एक सकारात्मक मोड़ दे सकें।"

संसद भवन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में आज हम सब भारतीय संविधान की 70वीं वर्षगाँठ के ऐतिहासिक अवसर पर एकत्र हुए हैं। सत्तर वर्ष पूर्व आज ही के दिन 26 नवंबर, 1949 को इसी केंद्रीय कक्ष में भारत के संविधान को अंगीकार किया गया था। आज ही के दिन एक नया इतिहास रचा गया था, जिनकी मधुर स्मृतियाँ आज भी हमारे मन में ताजा हैं।

आज के पावन अवसर पर मैं भारतीय संविधान को शत-शत नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ, उन सभी संविधान निर्माताओं को, जिनके परिश्रम और अप्रतिम योगदान से हमारा अनूठा संविधान अस्तित्व में आया।

आज से सात दशक पूर्व जब हमें स्वतंत्रता मिली थी, तब हमारे सामने भारत के निर्माण की ढेरों चुनौतियाँ थीं। तब उस चुनौती को देश की जनता ने स्वीकार करते हुए भारत की संविधान सभा को इस महत्त्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी दी थी। इसके बाद डॉ. राजेंद्र प्रसाद, डॉ. भीमराव अंबेडकर एवं संविधान सभा के अन्य मनीषियों के अथक प्रयासों से संपूर्ण भारत की आशा और उम्मीद के प्रतीक एक महान संविधान का निर्माण हुआ।

हमारा संविधान भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। यह हमारे आदरणीय पूर्वजों की दिव्य संकल्पना का शंखनाद है। इसलिए यह पवित्र है और श्रद्धा का पात्र भी है।

---

* संविधान दिवस के अवसर पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित समारोह, नई दिल्ली; 26 नवंबर, 2019

बीते सत्तर सालों में देश की विकास यात्रा में हमारे संविधान ने विशिष्ट भूमिका निभाई है, लेकिन इन सात दशकों में हमारे सामने नई चुनौतियाँ और अवसर भी आए हैं।

तेजी से बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में हमारा संविधान आज भी हमारा संबल है। नई प्रौद्योगिकी, सूचना तकनीक से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में भी हमारा यह संविधान ही हमें मार्गदर्शन प्रदान करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन इसके लिए हमें एक नए दृष्टिकोण से संविधान को देखना होगा। हम संविधान दिवस को 'कर्तव्य पर्व' के रूप में मनाएँ और एक नई शुरुआत करें।

संविधान ने हम सबको मौलिक अधिकारों के रूप में शक्तियाँ दी हैं, लेकिन हमें यह सदैव याद रखना चाहिए कि मौलिक अधिकारों के साथ संविधान ने हमारे लिए कुछ मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित किए हैं।

70वें संविधान दिवस के अवसर पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित समारोह में भाषण देते हुए

हम सभी भारतवासी यदि संविधान के अनुच्छेद 51(क) में दिए गए इन मौलिक कर्तव्यों को अपने रोजमर्रा के जीवन और आचरण में उतारें तो हम बहुत जल्द ही एक नए भारत का निर्माण कर पाएँगे।

हम संविधान के मौलिक कर्तव्यों को देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि उनमें मानवीय जीवन के हर पहलू को अनुशासित करने की परिकल्पना की गई है।

हम सभी देशवासियों से यही अपेक्षा की जाती है कि हम संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों और उसकी संस्थाओं का आदर करें।

हम भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। हम देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करें। इसके साथ ही हम वैज्ञानिक सोच विकसित करते हुए अपने-अपने क्षेत्र में श्रेष्ठता हासिल करें।

संविधान ने जहाँ एक तरफ मौलिक अधिकारों के रूप में हमें पर्याप्त आजादी और शक्तियाँ दी हैं, वहीं दूसरी तरफ संतुलन बनाते हुए मौलिक कर्तव्यों का निर्देश देकर हमें अनुशासित भी किया है। यह अनुशासन मौलिक अधिकारों द्वारा दी गई आजादी और शक्तियों के प्रयोग की एक जरूरी शर्त है।

मौलिक कर्तव्यों के पालन से राष्ट्र की अधिकांश समस्याओं का समाधान हो सकता है, चाहे वन और पर्यावरण के संरक्षण की बात हो, स्वच्छता की बात हो या प्रदूषण नियंत्रण की बात हो। भूमि, वन, झील, नदियाँ, जल और वन्यजीव जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण जैसी समस्याओं को सुलझाने की दिशा में भी आगे बढ़ा जा सकता है।

"भारत का संविधान बस कुछ कानूनों और नियमों की एक लिखित किताब नहीं है। भारत का संविधान हमारे राष्ट्र की सामूहिक चेतना, आदर्शों और सामूहिक सपनों व आशाओं का प्रतिबिंब है।"

कर्तव्यों से विमुख होकर सिर्फ अधिकारों की बात करने से एक प्रकार का असंतुलन पैदा होता है। इस असंतुलन के कारण देश के विकास में बाधाएँ आती हैं और विकास की गति धीमी हो जाती है। जबकि अपने कर्तव्यों का निर्वहन तो हमारे देश का मूल दर्शन है।

इसलिए अब समय आ गया है कि हम सभी सांसद देश के सामने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करें, जहाँ अधिकारों के साथ-साथ हम अपने कर्तव्यों का स्मरण स्वयं करें और दूसरों को भी कराएँ। अत: आइए, हम सब संविधान दिवस को कर्तव्य पर्व के रूप में मनाएँ।

संविधान में उल्लेख किए गए मौलिक कर्तव्य हमें उन आदर्शों व मूल्यों की याद दिलाते हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हमें प्रेरणा दी; देश की संप्रभुता को बनाए रखने का दर्शन दिया, देश में समरसता की बयार चलाई।

हम अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हुए ऐसे लोकमत का निर्माण करें, जहाँ हम अपनी जनता को मूल कर्तव्यों के प्रति जागरूक कर सकें और उसकी सोच को एक सकारात्मक मोड़ दे सकें।

आज संसद के दोनों सदनों के सभी दलों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इस बात पर आम राय बनाएँ कि इस अनुच्छेद का पालन सिर्फ विवेकाधीन न रह जाए।

कोई भी राष्ट्र तभी सफल हो सकता है, जब राष्ट्रीय मुद्दों पर सभी देशवासियों का सहयोग और सबकी सहभागिता होगी। संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य भी यही है कि हम सब देशवासी देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें और राष्ट्र-निर्माण में अपनी भूमिका तथा भागीदारी निभाएँ। तभी 'सबका साथ-सबका विकास' का सपना सच हो सकेगा।

साथियो, भारत का संविधान बस कुछ कानूनों और नियमों की एक लिखित किताब नहीं है। भारत का संविधान हमारे राष्ट्र की सामूहिक चेतना, आदर्शों और सामूहिक सपनों व आशाओं का प्रतिबिंब है।

इसलिए हमें संविधान को अपना पथ-प्रदर्शक बनाए रखना है। हमें संविधान का रचनात्मक उपयोग करते हुए एक नए भारत की नई तस्वीर बनानी होगी और यह महान जिम्मेदारी हम सभी के कंधों पर है।

इसलिए आइये, आज इस गौरवपूर्ण अवसर पर हम भारतीय संविधान के दिखाए रास्ते पर चलते हुए एक नए भारत के निर्माण का संकल्प लें।

जय हिंद।

11

विधायी निकायों के अध्यक्ष एवं लोकतंत्र की चुनौतियाँ*

"सभा में डिबेट, डिस्कशन और डिसेंट, तीनों का स्थान है, परंतु डिसरप्शन (व्यवधान) का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। डिसरप्शन से लोकतंत्र की मूल आत्मा पर आघात पहुँचता है, क्योंकि डिसरप्शन से किसी के बोलने का कीमती अधिकार छीना जाता है।"

सन् 1921 में अपनी स्थापना के समय से ही भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन ने नए विचारों के पारस्परिक आदान-प्रदान और विमर्श के लिए एक मंच प्रस्तुत किया है।

शुरू से ही पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं कि पूरे देश में विधान मंडल अपने आपको बदलते समय के अनुरूप ढाल सकें।

उत्तराखंड विधान सभा पहली बार राजधानी देहरादून में इस सम्मेलन की मेजबानी कर रही है। उत्तराखंड जहाँ एक ओर अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य की धरती है वहीं दूसरी ओर इसे देवभूमि भी कहते हैं। यह गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों की उद्गम स्थली है, जो समस्त देशवासियों की आस्था एवं श्रद्धा का केंद्र है। इस राज्य के लोग पूरे देश में अपनी सादगी, गर्मजोशी और आतिथ्य सत्कार के लिए जाने जाते हैं।

मैं इस ऐतिहासिक और सुंदर शहर देहरादून में इस सम्मेलन का आयोजन करने के लिए उत्तराखंड विधान सभा के माननीय अध्यक्ष के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ और सम्मेलन की अच्छी व्यवस्था एवं प्रबंधन के लिए विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूँ।

---

* भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 79वें सम्मेलन में उद्घाटन भाषण, देहरादून; उत्तराखंड, 18 दिसंबर, 2019

आगे बढ़ने से पहले मैं अपने उन कुछ सहयोगी पीठासीन अधिकारियों और विशिष्ट व्यक्तियों का उल्लेख करना अपना कर्तव्य समझता हूँ, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। विगत वर्षों में हमने ऐसे प्रसिद्ध नेताओं और संसदविदों को खोया है, जिन्होंने भारत की राजनीति और लोकतंत्र में असाधारण योगदान दिया है।

श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय श्री सोमनाथ चटर्जी, माननीय श्री अनंत कुमार, माननीय श्री मनोहर पर्रिकर, माननीया श्रीमती सुषमा स्वराज और सर्वप्रिय श्री अरुण जेटली जी ने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया है और उनका निधन वास्तव में राष्ट्र के लिए एक बड़ी क्षति है। उन सभी गुणीजनों की दूरदर्शिता तथा राजनीति की व्यापक जानकारी एवं समझ के कारण उन्हें सभी विचारधारा के लोगों का सम्मान और आदर मिला। हम सभी पुण्यात्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

देहरादून में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 79वें सम्मेलन में सलामी गारद लेते हुए

मैं इस अवसर पर उन दिवंगत विशिष्ट सहयोगियों का भी श्रद्धापूर्वक स्मरण करना चाहता हूँ, जो कभी-न-कभी इस पीठासीन अधिकारी परिवार के सदस्य रहे और उनका निधन जनवरी 2016 में गांधीनगर में आयोजित पिछले सम्मेलन के बाद हुआ है। हमारे विधान मंडलों के लिए उनका योगदान अमूल्य रहा है।

इसके बाद मैं यहाँ पधारे सभी प्रतिष्ठित पीठासीन अधिकारियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, जिन्होंने गांधीनगर में आयोजित पिछले सम्मेलन के बाद कार्यभार संभाला है। मैं

आप सभी लोगों की ओर से और अपनी ओर से इस महत्त्वपूर्ण सम्मेलन में हमारे परिवार का हिस्सा बनने पर हर नए पीठासीन अधिकारी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने उन सहयोगियों की भी सराहना करता हूँ, जो अब पीठासीन अधिकारी नहीं हैं, किंतु जिन्होंने हमारे सम्मेलन के लिए अमूल्य योगदान दिया है।

जैसाकि आप जानते हैं कि 25 मई, 2019 को 16वीं लोक सभा के विघटन से पूर्व 11 अप्रैल से 19 मई, 2019 तक सात चरणों में 17वीं लोक सभा के गठन के लिए देश में आम चुनाव हुए। आम चुनावों का सफल संचालन, जो विश्व में सबसे बड़ा चुनावी कार्य है, प्रतिनिधिक लोकतंत्र में हमारे देश की जनता के दृढ़ विश्वास का प्रमाण है। इन चुनावों में अब तक सर्वाधिक 67.40 प्रतिशत मतदान हुआ और जनता ने अपने जनप्रतिनिधियों को चुनकर लोकतंत्र के मंदिर, भारत की संसद में भेजा।

तत्पश्चात् भारत के राष्ट्रपति ने 17वीं लोक सभा की बैठक दिनांक 17 जून, 2019 को आहूत की थी। सभा ने 19 जून, 2019 को सर्वसम्मति से 17वीं लोक सभा का अध्यक्ष चुनकर मुझे सदन चलाने की महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी।

पीठासीन अधिकारी की सदन के कुशल संचालन और कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। अध्यक्ष का लक्ष्य सदैव यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी परिस्थितियों में संसदीय मर्यादा बनाए रखी जाए। पीठासीन अधिकारियों को नियमों के अंतर्गत अनुशासन संबंधी व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, परंतु सभा चलाने के लिए पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों का सहयोग आवश्यक है।

वर्तमान लोक सभा के पहले दो सत्रों में मैंने संसद की कार्यवाही को संचालित करने के लिए उच्च मानदंडों को निर्धारित किया है, ताकि सभा व्यवस्थित ढंग से चले और अधिक-से-अधिक कार्य संपादित किया जा सके। इस कार्य में मुझे काफी हद तक सफलता भी मिली है।

अध्यक्ष के रूप में विभिन्न दलों के सदस्यों को पर्याप्त समय और अवसर उपलब्ध कराना वास्तव में एक चुनौती है। सभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चले और इसकी कार्य उत्पादकता में सुधार हो, इसके लिए पक्ष-विपक्ष दोनों का सहयोग आवश्यक है। सभा के अध्यक्ष के रूप में हमारी भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि सदन सिर्फ सरकारी विधायी कार्यों एवं वित्तीय स्वीकृति का मंच बनकर न रह जाए, बल्कि यह सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के सदन के रूप में कार्य करे।

मेरे अब तक के कार्यकाल में लोक सभा के पिछले दो सत्रों में सदन की उत्पादकता क्रमशः 125 और 115 प्रतिशत रही और यह सभी राजनीतिक दलों के रचनात्मक सहयोग से ही संभव हो सका।

भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 79वें सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देते हुए

यह आवश्यक है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते संसद और विधान मंडलों में जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप सभी सांसद और विधायक कार्य करें और वे अपने-अपने संसदीय एवं विधान सभा क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को पुरजोर तरीके से संसद और विधान मंडलों में रखें, ताकि सरकार उन पर कार्यवाही करने के लिए बाध्य हो।

इसलिए मैंने लोक सभा में अपनी जिम्मेदारी का पालन करते हुए प्रश्न काल और शून्य काल को विशेष महत्त्व दिया है।

मैंने सदैव यह प्रयास किया है कि प्रश्नकाल में ज्यादा-से-ज्यादा प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकें। इसका परिणाम यह रहा है कि पिछले दो सत्रों में औसतन 7.5 प्रश्नों के उत्तर प्रतिदिन दिए गए। 27 नवंबर, 2019 को सभा में सभी 20 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए।

17वीं लोक सभा के प्रथम सत्र में 265 नवनिर्वाचित सदस्यों में से लगभग सभी को शून्यकाल के दौरान अथवा सभा के किसी अन्य कार्य के दौरान सभा में अपनी बात रखने का अवसर दिया गया।

सभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि सदस्य लोक महत्त्व के मुद्दे भी सदन में पूरी गंभीरता और तत्परता से उठा सकें।

सरकारी विधेयकों पर भी पक्ष और प्रतिपक्ष, सबकी बात सदन में रखी जा सके, यह अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। हमें छोटे-छोटे दलों और बिना दल के प्रतिनिधियों की आवाज को भी पर्याप्त एवं समुचित स्थान देना होगा, तभी लोकतंत्र जीवंत रहेगा।

जनहित के मामलों में वाद-विवाद हो, चर्चा हो, सहमति-असहमति भी रहे, मगर सदन की कार्यवाही निर्बाध रूप से चलनी चाहिए। विरोध में भी गतिरोध न हो, यही विधायिका की मर्यादा है और यही संसदीय लोकतंत्र की खूबसूरती भी है।

सभा में डिबेट, डिस्कशन और डिसेंट, तीनों का स्थान है, परंतु डिसरप्शन (व्यवधान) का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। डिसरप्शन से लोकतंत्र की मूल आत्मा पर आघात पहुँचता है, क्योंकि डिसरप्शन से किसी के बोलने का कीमती अधिकार छीना जाता है।

मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लोक सभा के हमारे पहले सत्र के दौरान व्यवधान के कारण कोई समय बर्बाद नहीं हुआ।

सदन में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए हमें संसद सदस्यों को, विशेषकर नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय नियमों एवं प्रक्रियाओं से अवगत कराना भी आवश्यक है। इस उद्देश्य से संसदीय लोकतंत्र, शोध और प्रशिक्षण संस्थान (PRIDE) ने सत्रहवीं लोक सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 'प्रबोधन कार्यक्रम' का आयोजन किया। 17वीं लोक सभा के दूसरे सत्र के दौरान संसद सदस्यों के क्षमता निर्माण के लिए सभा में पुनः स्थापित किए जाने वाले महत्त्वपूर्ण विधेयकों के बारे में जानकारी देने के लिए ब्रीफिंग सत्र आयोजित किए गए, ताकि विधायी मामलों के बारे में संसद सदस्यों को पर्याप्त जानकारी हो।

'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार की मिशन मोड परियोजनाओं— ई-संसद और ई-विधान की अवधारणा से प्रेरणा लेते हुए संसद में डिजिटलीकरण का काम चल रहा है। भारत की संसद में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बहुत हद तक पहले से ही किया जा रहा है, ताकि दोनों सभाओं को अधिक पारदर्शी, जनसुलभ, जवाबदेह और प्रभावी बनाया जा सके।

ई-संसद और पेपरलेस प्रणाली की दिशा में हमारी पहल में अन्य बातों के साथ-साथ संसद सदस्यों के लिए ई-पोर्टल, ऑनलाइन संदर्भ सेवा और ई-ऑफिस प्रणाली उपलब्ध कराए गए हैं। सदस्यों की सुविधा के लिए कॉल सेंटर की तर्ज पर एक सूचना केंद्र स्थापित किया गया है, जिससे सदस्यों को संसदीय कार्यवाही के साथ-साथ अन्य सुविधाओं की तात्कालिक सूचना उपलब्ध हो सके। अब हम आधुनिकीकरण के प्रयासों के भाग के रूप में सभाकक्ष में टेबलेट या लैपटॉप का उपयोग करने पर भी विचार कर रहे हैं।

ऐसा पता चला है कि हमारे कुछ राज्यों ने भी अपने विधान मंडलों में डिजिटलाइजेशन की दिशा में बहुत अच्छी प्रगति की है। फिर भी हमें अभी एक लंबा रास्ता तय करना है।

मैं यहाँ यह भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि दिनांक 28 अगस्त, 2019 को मेरी अध्यक्षता में नई दिल्ली में पीठासीन अधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें हुए निर्णय के अनुसार मैंने तीन महत्त्वपूर्ण विषयों पर समितियों का गठन किया था—

पहला, विधान मंडलों के कार्यकरण में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का मूल्यांकन करने तथा सुझाव देने हेतु समिति, जिसके सभापति असम विधान सभा के अध्यक्ष माननीय श्री हितेंद्र नाथ गोस्वामी हैं।

दूसरा, सभा के सुचारू कार्यकरण संबंधी मामले को देखने हेतु समिति, जिसके सभापति उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष, माननीय श्री हृदय नारायण दीक्षित जी हैं, और

तीसरा, विधान मंडल सचिवालयों की वित्तीय स्वतंत्रता के मामले की जाँच हेतु समिति, जिसके सभापति राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष माननीय श्री सी.पी. जोशी जी हैं।

ये तीनों समितियाँ इन महत्त्वपूर्ण विषयों पर सिफारिशों सहित अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी।

अब मैं इस 79वें सम्मेलन में चर्चा के लिए चुने गए विषयों का उल्लेख करना चाहता हूँ। इनमें पहला और बहुत ही प्रासंगिक विषय है—'संविधान की दसवीं अनुसूची और अध्यक्ष की भूमिका'। जैसाकि आप सब जानते हैं, संविधान की दसवीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर संसद अथवा राज्य विधान मंडलों के सदस्यों की निरर्हता के बारे में उपबंध किए गए हैं। अनुसूची के अनुसार इस प्रश्न का निर्णय प्रत्येक सभा के सभापति अथवा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है कि सभा का कोई सदस्य निरर्हित हो गया है अथवा नहीं, और उसका निर्णय अंतिम होता है।

मैं समझता हूँ कि दल परिवर्तन से लोकतंत्र के आधार और इसके सिद्धांतों पर ही कुठाराघात होता है। दल परिर्वतन से संबंधित विषयों पर अध्यक्षपीठ द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होता है।

परंतु पीठासीन अधिकारियों द्वारा लिये जाने वाले निर्णय पर न्यायिक अधिकारियों द्वारा की जा रही टिप्पणी एक गंभीर चिंता का विषय है। इस सम्मेलन में इस विषय पर चर्चा एवं विचार-विमर्श होना चाहिए, ताकि अध्यक्ष पद की मर्यादा एवं प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रहे। साथ ही, मेरा यह मानना है कि इन मुद्दों पर निर्णय लेते समय हमें अपनी अध्यक्षीय मर्यादा का पालन करना चाहिए।

चर्चा का एक और महत्त्वपूर्ण विषय है—'शून्य काल सहित सभा के अन्य साधनों के माध्यम से संसदीय लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण तथा क्षमता निर्माण।'

शून्य काल जनता के प्रतिनिधियों के पास एकमात्र ऐसा साधन है, जिसके माध्यम से वे अविलंब जनता की बातों एवं समस्याओं को सदन के माध्यम से सरकार के समक्ष रख सकते हैं। शून्य काल में सदस्य ऐसे मामले उठा सकते हैं, जिन्हें वे अविलंबनीय लोक महत्त्व का मामला मानते हैं और जिन्हें सामान्य प्रक्रिया नियमों के अंतर्गत उठाने में होने वाले विलंब से वे बचना चाहते हैं।

"शून्य काल जनता के प्रतिनिधियों के पास एकमात्र ऐसा साधन है, जिसके माध्यम से वे जनता की बातों एवं समस्याओं को सदन के माध्यम से अविलंब सरकार के समक्ष रख सकते हैं। मेरा यह मानना है कि सभी सांसदों और विधायकों को शून्य-काल में अधिक-से-अधिक बोलने का अवसर देना चाहिए।"

मेरा यह मानना है कि हमें सभी सांसदों और विधायकों को शून्य काल में अधिक-से-अधिक बोलने का अवसर देना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो इसके लिए हमें शून्य काल का समय भी बढ़ाना चाहिए, ताकि सभी जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में रखने का मौका मिले।

इनके अलावा स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण सूचना, अल्पकालीन चर्चा, गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प जैसे विभिन्न अन्य साधनों और अनेक अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से आम जनता के हित के अथवा अविलंबनीय लोक महत्त्व के विशिष्ट मामले उठाए जा सकते हैं और इन पर चर्चा की जा सकती है।

मेरा यह मानना है कि इस विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए कि लोक सभा और विधान सभा की कार्यवाही को चलाने के नियमों में एकरूपता लाई जाए। हालाँकि विधान सभा और लोक सभा की अपनी-अपनी स्वायत्तता है, परंतु हमारा मकसद एक है और वह है लोकतंत्र का सशक्तीकरण।

डॉ. बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था—

"दायित्वों का दैनिक आकलन आवधिक आकलन से कहीं अधिक प्रभावी और भारत जैसे देश में कहीं अधिक आवश्यक है।"

उनके इस कथन से हम यह सीख ले सकते हैं कि संसदीय लोकतंत्र को सशक्त और जीवंत बनाए रखने के लिए हम जनप्रतिनिधियों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति सदैव सजग रहना होगा।

अब समय आ गया है कि आजादी के 75वें वर्ष में लोक सभा और विधान सभा लोकतंत्र के स्तंभों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए मिलकर कार्य करें।

राज्य विधान मंडलों को अपने कामकाज में 'प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद' के मूल्यों को आत्मसात करना चाहिए। हमारा नारा होना चाहिए—

"सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्।"

(अर्थात् सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी कल्याण के मार्ग पर चलें, किसी को कोई कष्ट न हो।)

इन्हीं शब्दों के साथ, भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 79वें सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मैं आप सबको शुभकामनाएँ देता हूँ और आशा करता हूँ कि चर्चा के दौरान हम सबको विधान मंडलों में अपनाई गई अच्छी पद्धतियों के बारे में जानकारी मिलेगी।

12

संसदीय लोकतंत्र में विधायी प्रक्रियाओं का महत्त्व*

"जनप्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वे लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने और वर्तमान विभिन्न चुनौतियों का उपयुक्त तरीके से समाधान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।"

पीठासीन अधिकारियों और सचिवों के 79वें सम्मेलन में हुई चर्चा में प्रतिनिधियों के उत्साह, सक्रिय भागीदारी और सहभागिता को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मैं इस सम्मेलन को सफल इसलिए मानता हूँ, क्योंकि इस मंच पर हुए विचार-विमर्श से हमें उन मुद्दों के बारे में नई दिशा मिली है, जिन पर चर्चा की गई।

मुझे विश्वास है कि यहाँ हुए गहन एवं रचनात्मक विचार-विमर्श से हमें अपने लोकतंत्र के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का सामना करने, संसदीय और विधायी काम-काज को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

इस सम्मेलन का एक महत्त्वपूर्ण विषय था शून्य काल सहित सभा में उपलब्ध साधनों के माध्यम से संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाना और क्षमता निर्माण।

इस विषय पर देश भर के विधायी निकायों से आए हुए पीठासीन अधिकारियों ने अपने-अपने सुविचारित मत इस विषय पर रखे और सम्मेलन को एक नया आयाम दिया। इस बात पर सहमति हुई कि सभी सदस्यों को शून्य काल में अविलंबनीय लोक महत्त्व की बात को रखने का अवसर अधिकाधिक मिले, ताकि विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही को पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाए।

---

* भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों और सचिवों के सम्मेलन के समापन सत्र में विदाई भाषण, देहरादून, उत्तराखंड; 19 दिसंबर, 2019

पीठासीन अधिकारियों ने सदस्यों की सभा की कार्यवाही में बार-बार व्यवधान करने एवं गर्भगृह में आ जाने पर चिंता जताई। हम सभी ने यह संकल्प लिया है कि सभी विधान सभा, विधान परिषद, लोक सभा एवं राज्य सभा अपने सदनों के लिए कठोर नियम बनाएँगे, जिससे सदन का कामकाज सुचारू रूप से चले।

यहाँ हुई दो दिवसीय बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि क्यों न सभी विधायी निकायों में विधायी साधनों जैसे नियम 377, नियम 193, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, आधे घंटे की चर्चा, नियम 184 इत्यादि को एक समान कर दिया जाए। इससे सभी विधायी संस्थाओं में एकरूपता आएगी। इसके लिए मेरा विचार है कि पीठासीन अधिकारियों की एक समिति का गठन कर दिया जाए, ताकि इस कार्य का निष्पादन अधिक सामंजस्य और सहयोग से हो सके।

सभा में सभी की यह सहमति हुई है कि भारत में विधायी निकायों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित योजना का परिचालन एवं क्रियान्वयन लोक सभा के तत्वावधान में होगा।

जनप्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वे लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने और वर्तमान विभिन्न चुनौतियों का उपयुक्त रूप से समाधान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उन्हें बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालते रहना चाहिए।

मेरी राय में हम सांसदों और विधायकों की प्रतिनिधि वाली भूमिका को ध्यान में रखते हुए उनके क्षमता निर्माण तथा विधान मंडलों के निर्बाध कामकाज के लिए ऐसी संसदीय प्रक्रियाओं और साधनों का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं।

हमने यह निर्णय लिया है कि वर्ष 2020 से तीन वर्षों के लिए हम अपनी विधायिकाओं में संसदीय लोकतंत्र, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) के अधिकारियों को उनके यहाँ भेज उनकी आवश्यकता अनुसार प्रबोधन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे।

एक और सुझाव इस सम्मेलन में आया है कि उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार की तर्ज पर एक 'वार्षिक उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार' प्रदान किया जाए। मैं समझता हूँ कि यह अच्छा प्रस्ताव है और इससे सभी विधायकों में अपने कार्य और आचरण को उत्कृष्ट रखने की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू होगी। इससे निश्चय ही विधान सभा के कार्यकरण में गुणात्मक परिवर्तन होगा।

यह बात भी हुई कि राज्य विधान मंडलों की बैठकों की संख्या में वृद्धि हो।

सभा का यह भी मत था कि मीडिया को सदन में हुई सकारात्मक चर्चा को महत्ता देते हुए कवर करना चाहिए।

सम्मेलन में हमने जिस दूसरे विषय पर चर्चा की, वह था—"संविधान की दसवीं अनुसूची और अध्यक्ष की भूमिका।" हमने इस विषय पर चर्चा इसलिए की, क्योंकि दल परिवर्तन की समस्या के कारण लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता के विश्वास में कमी आई है और इसके कारण चुनाव प्रणाली के तहत बार-बार अनावश्यक चुनाव कराने पड़ रहे हैं, जिससे अनिवार्य रूप से सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता है।

दल परिवर्तन से लोकतंत्र के आधार और इसके सिद्धांतों पर ही कुठाराघात होता है।

इस संबंध में पीठासीन अधिकारियों द्वारा लिये जाने वाले निर्णय पर न्यायिक अधिकारियों द्वारा की जा रही टिप्पणी एक गंभीर चिंता का विषय है। इस सम्मेलन में इस विषय पर चर्चा एवं विचार-विमर्श हुआ। सभी पीठासीन अधिकारी इस बात पर सहमत थे कि न्यायिक अधिकारियों को पीठासीन अधिकारियों द्वारा लिये गए निर्णय पर कुछ कहने के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि अध्यक्ष पद की मर्यादा एवं प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रहे। दल परिवर्तन संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेते समय पीठासीन अधिकारियों को भी अपनी अध्यक्षीय मर्यादा का पालन करना चाहिए।

मित्रो, भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन से हमें अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने का मंच मिलता है। विचारों के इस आदान-प्रदान से हम एक-दूसरे से सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं।

अभी हमने हाल ही में लोक सभा के 40 लाख प्रलेखों और दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन कर दिया है और यह कार्य अभी भी चल रहा है। इस संदर्भ में मेरा कहना है कि चूँकि देश की विधायिकाओं के पास अत्यंत महत्त्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक दस्तावेज एवं प्रलेख हैं, जिनका समय से संरक्षण बहुत जरूरी है। इस मुहिम में आवश्यक हो तो आप लोक सभा सचिवालय के अनुभव से लाभ उठा सकते हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जैसाकि पीठासीन अधिकारियों की दिल्ली में हुई बैठक के दौरान 28 अगस्त, 2019 को तीन समितियों विधान मंडलों के कार्यकरण में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का मूल्यांकन करने तथा सुझाव देने हेतु समिति, सभा के सुचारू कार्यकरण संबंधी मामले पर विचार करने संबंधी समिति और विधान मंडल सचिवालयों की वित्तीय स्वायत्तता के मामले की जाँच हेतु समिति, का गठन किया गया था। मुझे विश्वास है कि लखनऊ में होने वाली बैठक से पहले राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन में इन समितियों की सिफारिशें प्रस्तुत करने के प्रयास किए जाएँगे।

आज यहाँ हुई चर्चा में बहुत से पीठासीन अधिकारियों ने विधायी निकायों की वित्तीय स्वायत्तता पर जोर दिया। इस मामले में मैं कहना चाहता हूँ कि इस संबंध में समिति की रिपोर्ट आने के बाद हम आपस में विचार-विमर्श करके किसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे।

इस सम्मेलन के वर्ष 2021 में सौ वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में भारतीय संसद एवं देश की विधान सभाओं में वर्ष 2020-21 तक पूरे वर्ष भव्य समारोह आयोजित किए जाने की योजना है। इस शताब्दी समारोह को किस प्रकार भव्यता से मनाया जाए, इस संबंध में हमने सभी पीठासीन अधिकारियों से राय माँगी है।

यहाँ मौजूद उन सभी प्रतिनिधियों का धन्यवाद करता हूँ, जिनके द्वारा इस विचार-विमर्श में की गई सार्थक भागीदारी से इस सम्मेलन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में बहुत मदद मिली।

13

लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग की तकनीक एवं कला में प्रशिक्षण की आवश्यकता*

"किसी भी देश में शासन की गुणवत्ता मुख्यत: वहाँ लागू होने वाले कानूनों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अच्छे शासन का एक आधार यह है कि कानून देश की जनता की सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करे और उसे परिलक्षित करे।"

संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे संक्षेप में प्राइड (PRIDE) कहा जाता है, केंद्र एवं राज्य सरकारों के तथा विदेशों से आने वाले अधिकारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग ट्रेनिंग कार्यक्रम भी इनके इन्हीं प्रयासों का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे वर्ष 1985 में शुरू किया गया था।

इस कार्यक्रम से विश्व के विभिन्न देशों के और हमारे संसद एवं राज्य विधान मंडलों के सचिवालयों से आने वाले अनेक प्रतिभागियों को उल्लेखनीय रूप से लाभ मिला है।

मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि इस बार इस कार्यक्रम में भारत की संसद के दोनों सदनों के सचिवालयों से एक-एक प्रतिभागी सहित विश्व के 26 देशों से कुल 40 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। यह कार्यक्रम निश्चय ही आप सबके लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक रहा होगा।

प्रिय प्रतिभागियो, आज हमारे जीवन का शायद ही कोई ऐसा पहलू है, जो किसी-न-किसी कानून से प्रभावित न होता हो।

तीव्र वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय प्रगति के युग ने नि:संदेह विधायी कार्य को भी प्रभावित किया है और लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया को और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाया है।

---

* 35वें अंतर्राष्ट्रीय विधायी प्रारूपण प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह, संसद भवन, नई दिल्ली; 14 फरवरी, 2020

किसी भी देश में शासन की गुणवत्ता मुख्यत: वहाँ लागू होने वाले कानूनों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अच्छे शासन का एक आधार यह है कि कानून देश की जनता की सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करे और उसे परिलक्षित करे।

सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि जिन नागरिकों के लिए कानून बनाया जाता है, वे कानून को जान सकें और समझ सकें। इसमें ही अच्छे लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग का महत्त्व निहित है।

35वें विधायी प्रारूपण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

अब कानून बनाने का काम घरेलू मामलों, वित्त, रक्षा, विदेश और सामाजिक-आर्थिक मामलों के परंपरागत क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रह गया है, अपितु अब पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, सूचना प्रौद्योगिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे और भी कई नए क्षेत्रों के बारे में भी कानून बनाए जाते हैं।

हम वैश्वीकरण के युग में रह रहे हैं, जहाँ वस्तुओं, पूँजी, व्यापार, सेवाओं, श्रम, प्रौद्योगिकी आदि के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों में काफी वृद्धि हुई है, और इसने विधान के दायरे में हितधारकों, अधिकारों और हितों के एक नए आयाम की शुरुआत की है।

अत: अच्छी लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग की पहली आवश्यकता निश्चित रूप से उन उद्देश्यों और कारणों की स्पष्ट समझ है, जो प्रस्तावित विधान को अनिवार्य और औचित्यपूर्ण बनाते हैं।

विधान की विषय-वस्तु की अच्छी जानकारी के साथ-साथ ड्राफ्टिंग करने वाले को देश के मूलभूत कानून, अर्थात् देश के संविधान, इसकी विधि पुस्तिका, जरूरी प्रसंगों, न्यायिक आदेशों और टिप्पणियों, प्रभावित जनता के मूल अधिकारों के स्वरूप और क्षेत्र आदि की

संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उन्हें विद्यमान राजनीतिक और प्रशासनिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए।

प्रत्येक विधान का उद्देश्य कभी-कभी सभी नागरिकों के लिए और कभी-कभी जनसंख्या के एक विशेष भाग के लिए कुछ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करना होता है और अंततः इसे लक्षित लाभार्थियों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूर्णतया परिलक्षित करना चाहिए।

विधान कल्पना और लक्षण पर आधारित नहीं हो सकता। अच्छी लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के लिए भाषा पर मजबूत पकड़ और उसका उचित प्रयोग बहुत महत्त्वपूर्ण है। विधान अपने आप में अर्थपूर्ण और बोधगम्य होना चाहिए। विधान संक्षेप में और स्पष्ट रूप से संप्रेषित करने में सक्षम होना चाहिए। विधान की ड्राफ्टिंग के लिए सटीक शब्दावलियों और तकनीकी शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि अनिश्चितता और मतभेद के लिए कोई स्थान न रहे।

विधान सुसंगत, स्पष्ट और संविधान के अनुरूप होना चाहिए। ड्राफ्टिंग के समय विधान के प्रत्येक पहलू पर विस्तारपूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है। बरसों की कठिन मेहनत और अनुभव से ही ऐसी परिपूर्णता हासिल की जा सकती है। इस संदर्भ में लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिक सहायक रहा होगा।

अलग-अलग देशों में लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के लिए अलग-अलग प्रक्रिया और पद्धतियाँ हैं, फिर भी एक सक्षम विधान बनाने हेतु तकनीक और विशेषज्ञता में समानता होती है। वस्तुतः लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग में विधेयक के अतिरिक्त सरकार के संबंधित विभागों द्वारा जारी सांविधिक आदेशों, नियमों और अन्य निर्देशों की ड्राफ्टिंग भी शामिल है।

जहाँ तक हमारे देश का संबंध है, भारत का संविधान देश का सर्वोच्च विधान है। राज्य के प्रत्येक अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अस्तित्व का आधार संविधान ही है। जहाँ तक कानूनों का संबंध है, विधायी और वित्तीय प्रस्तावों को तैयार करना और उन्हें संसद के समक्ष रखना कार्यपालिका का दायित्व है।

हमारी संसद को कार्यपालिका द्वारा प्रस्तुत किए गए विधायी प्रस्ताव पर जानकारी माँगने, चर्चा करने, जाँच करने और उन्हें अंतिम रूप से अनुमोदित करने की असीमित शक्तियाँ प्राप्त हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका को कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है।

हमारे देश में विधेयकों को सरकारी विधेयक और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सरकारी विधेयक संबंधित मंत्रालयों द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं, विधि मंत्रालय को विधेयक का प्रारूप तैयार करने का कार्य सौंपा गया है

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के मामले में संसदीय अधिकारियों की प्रारूप तैयार करने में कुशलता अत्यधिक सहायक सिद्ध होती है, क्योंकि सदस्यों को इस संबंध में अकसर सहायता की आवश्यकता होती है।

हमारे यहाँ संसदीय समितियों का व्यापक नेटवर्क है। विधेयक विस्तृत परीक्षण और जाँच हेतु समस्त विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों और तदर्थ समितियों को भेजे जाते हैं।

यदि संसदीय अधिकारी लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग की तकनीक में निपुण हो तो वह विधेयकों की जाँच करने और उन्हें अंतिम रूप देने से पहले समिति द्वारा विचार किए जाने के स्तर पर उनमें सुधार करने में सदस्यों की सहायता कर सकते हैं।

इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि अधिकारियों को लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग की कला और तकनीक में प्रशिक्षित किए जाने की बहुत आवश्यकता है।

मुझे बताया गया है कि एक महीने तक चले इस पाठ्यक्रम के दौरान आपको वरिष्ठ संसदविदों, विख्यात विधि-विशेषज्ञों, नौकरशाहों और शिक्षाविदों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। आपने विधि संस्थानों का भी भ्रमण किया है। मुझे विश्वास है कि राजस्थान विधान सभा के साथ आपके सहयोजन के दौरान आपने हमारे देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत को देखा होगा। आप इन अच्छी यादों को लंबे समय तक संजोए रखेंगे।

इस प्रशिक्षण के माध्यम से आप सभी को एक-दूसरे के विचारों को, प्रथाओं और अनुभवों को साझा करने का अवसर भी मिला होगा। मेरे अनुभव बताते हैं कि ऐसे अवसर न सिर्फ आपके पेशेवर ज्ञान और कौशल को बढ़ाने में सहायक होते हैं, बल्कि ये आपके मानसिक क्षितिज का विस्तार भी करते हैं।

अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हर खूबसूरत सफर का अंत होता है। लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग पर 35वें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन का वक्त आ चुका है।

मैं आप सभी प्रतिभागियों सहित उन सभी के सहयोग की बहुत सराहना करता हूँ, जिन्होंने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है और आप सभी को आपके भावी प्रयासों तथा कॅरियर के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ।

भाग-तीन

राष्ट्रीय विकास एवं पर्यावरण

14

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम : देश की अर्थव्यवस्था का आधार*

"MSME क्षेत्र सरकार की उस भावना का प्रतीक है, जिसके मूल में लोगों को 'Job Seeker' की जगह 'Job Creator' बनाना है। आप सिर्फ उद्यमी ही नहीं हैं, बल्कि New India के महत्त्वपूर्ण निर्माताओं में से एक हैं।"

MSME क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन है। यह क्षेत्र हमारे देश के सामाजिक-आर्थिक रूपांतरण, विकास और स्थायित्व के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। MSME या छोटे उद्योग हमारे देश में करोड़ों देशवासियों की रोजी-रोटी के साधन हैं। कढ़ाई-बुनाई से लेकर दवाई तक, खेत-खलिहान से लेकर खेल के मैदान तक, वस्त्र से लेकर शस्त्र तक, ऊन से लेकर ऊर्जा तक ऐसे अनेक क्षेत्रों में लघु उद्योग हमेशा से अपना अहम योगदान देते रहे हैं। इस प्रकार, MSME देश में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है।

यदि आँकड़ों की बात करें तो यह क्षेत्र प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। हमारे देश के GDP में इसका योगदान 8 प्रतिशत है। इस प्रकार, यह क्षेत्र हमारे देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर कई राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करता है, जैसे—

- भारत की बढ़ती जनसंख्या के लिए रोजगार सृजन करना।
- गरीबी को कम करना।
- क्षेत्रीय असमानताओं को कम करके गाँवों से शहरों की ओर पलायन को कम

---

* छठा इंडिया इंटरनेशनल MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) स्टार्ट अप एक्सपो एंड समिट, प्रगति मैदान, नई दिल्ली; 23 अगस्त, 2019

करना। निर्यात को बढ़ावा देकर विदेशी मुद्रा का अर्जन करना।

- नवाचार को बढ़ावा देना।
- स्थानीय व पारंपरिक हस्तशिल्पों और प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।

मित्रो, भारत विश्व की सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाला देश है और इन युवाओं के भीतर मौजूद अपार ऊर्जा, रचनात्मकता और श्रमशक्ति का राष्ट्र-निर्माण हेतु अधिकाधिक उपयोग किए जाने की आज नितांत आवश्यकता है।

छठे इंडिया इंटरनेशनल MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) स्टार्ट अप एक्सपो एंड समिट में भाषण देते हुए

इस संदर्भ में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र न केवल युवाओं, बल्कि महिलाओं, गरीबों और जनजातियों को भी रोजगार तथा स्वरोजगार के अपार अवसर प्रदान करता है।

यह क्षेत्र इन संवेदनशील वर्गों के लिए कम लागत व पूँजी में व्यवसाय शुरू करने और स्थानीय कलाओं और हस्तशिल्पों आदि के माध्यम से आजीविका प्राप्त करने में सहायक है। इस क्रम में इन संवेदनशील वर्गों का आर्थिक रूप से सशक्तीकरण होता है और राष्ट्रीय विकास में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित होती है।

साथियो, MSME क्षेत्र के महत्त्व को देखते हुए सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई उल्लेखनीय योजनाएँ और कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम और योजनाएँ शामिल हैं। ये योजनाएँ MSME क्षेत्र के लिए

ऋण सुविधाएँ प्रदान करती हैं; कौशल विकास गुणवत्ता में सुधार एवं कर लाभ के अवसर उपलब्ध कराती है और विपणन सहायता भी सुनिश्चित करती है।

मित्रो, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। यह क्षेत्र समावेशी विकास को प्रोत्साहित करता है। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ का भी मानना है कि विकासशील देशों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम रोजगार और आय सृजन के महत्त्वपूर्ण अवसर उपलब्ध कराते हैं तथा गरीबी उन्मूलन और सामाजिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अत: Sustainable Development Goals की प्राप्ति में भी यह क्षेत्र अत्यंत सहायक है।

साथियो, इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में अभी हाल ही में माननीय प्रधान मंत्री जी ने MSME क्षेत्र के लिए 12 क्रांतिकारी फैसले लिये। इनमें सबसे पहला प्रमुख निर्णय है कि सिर्फ 59 मिनट में लघु उद्यमियों को लोन देने की सुविधा प्रदान करना।

दूसरा प्रमुख निर्णय यह है कि जो उद्यमी GST से जुड़े हैं, उन्हें ब्याज दर में छूट प्रदान करना और निर्यात के लिए सस्ता ऋण देना। इसके अलावा सरकारी खरीद में MSME क्षेत्र के लिए 25 प्रतिशत की अनिवार्यता और महिला उद्यमियों से कम-से-कम तीन प्रतिशत खरीद की अनिवार्यता भी निर्धारित की गई है।

इसके साथ ही, टेक्नोलॉजी को उन्नत बनाने के लिए देशभर में 20 HUB और 100 SPOKES की स्थापना की जाएगी। लेबर कानूनों में सकारात्मक बदलाव किए गए हैं तथा पर्यावरण मंजूरी से जुड़ी प्रक्रियाओं को भी सरल बनाया गया है।

इस प्रकार ये सारे बड़े फैसले MSME क्षेत्र को मजबूत बनाने वाले हैं और एक नए युग की शुरुआत करने वाले हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इन फैसलों से भारत चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।

मित्रो, इस परिदृश्य में अब यह आवश्यक है कि आप सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ उठाएँ। इस हेतु सबसे पहली जरूरत है कि इन योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में आम जनता और व्यावसायिक समुदायों के बीच जानकारी और जागरूकता बढ़ाई जाए। इस क्रम में MSME डेवलपमेंट फोरम सराहनीय कार्य कर रहा है।

यह फोरम देश और विदेशों में प्रदर्शनियों, शिखर सम्मेलनों, सम्मेलनों, रोड शो, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। साथ ही, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अपने उत्पादों एवं सेवाओं आदि को प्रदर्शित करने और प्रचार-प्रसार का अवसर भी दे रहा है।

मेरा मानना है कि MSME डेवलपमेंट फोरम सरकार के विकास एजेंडा में सक्रियतापूर्वक भागीदारी करके 'नए भारत' और 'उद्यमशील भारत' के निर्माण में सराहनीय

योगदान कर रहा है। साथ ही यह फोरम निजी क्षेत्र और सिविल सोसाइटी के लिए अनुकरणीय आदर्श भी प्रस्तुत कर रहा है।

साथियो, MSME क्षेत्र सरकार की उस भावना का प्रतीक है, जिसके मूल में लोगों को 'Job Seeker' की जगह 'Job Creator' बनाना है। आप सिर्फ उद्यमी ही नहीं हैं बल्कि New India के महत्त्वपूर्ण निर्माताओं में से एक हैं।

अत: आइए, हम सब मिलकर प्रण करें—

"दृढ़ संकल्प से नए भारत का निर्माण करेंगे।
सतत श्रम से नई राहों का संधान करेंगे॥
हर संकट, हर बाधा को हम पार करेंगे।
श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करेंगे॥"

15
पर्यावरण संरक्षण में जन साधारण की भागीदारी*

"हमें विकास करने की आवश्यकता है, जिसके बिना हम गरीबी का उन्मूलन तथा प्रगति नहीं कर सकते, परंतु साथ ही हमें यह भी महसूस करना चाहिए कि पर्यावरण की कीमत पर विकास नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।"

कोटा का एक लंबा इतिहास रहा है। यह शहर अनेक उतार-चढ़ावों का सामना करते हुए इस मुकाम पर पहुँचा है। विभिन्न क्षेत्रों में लगातार प्रगति करते हुए और नए एवं सशक्त भारत के निर्माण में अपना पूर्ण योगदान करते हुए कोटा एक बड़े शैक्षणिक केंद्र के रूप में उभरा है, जहाँ पर पूरे देश से हजारों छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं।

'स्मार्ट सिटी मिशन' के अंतर्गत भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने पूरे भारत के 100 शहरों का चयन किया है, जिन्हें स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किया जाना है। मुझे इस बात का उल्लेख करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारा कोटा शहर भी इनमें शामिल है।

इस शहर के विकास हेतु कोटा नगर निगम द्वारा किए गए योगदान के लिए मैं नगर निगम को बधाई देता हूँ। वर्ष 1921 में नगरपालिका परिषद के रूप में निगम की शुरुआत हुई थी और 1993 में इस नगरपालिका का उन्नयन निगम के रूप में किया गया था, ताकि शहर की बढ़ती हुई माँगों को पूरा किया जा सके।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें न केवल शिक्षा के एक केंद्र के रूप में अपितु एक स्वच्छ और हरित शहर के रूप में अपने शहर को प्रसिद्ध करने के लिए अपनी-अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने की आवश्यकता है। यह 'वृक्षारोपण कार्यक्रम' इस दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है।

---

* राजस्थान के कोटा नगर निगम द्वारा आयोजित 'वृक्षारोपण कार्यक्रम', कोटा, राजस्थान, 21 जुलाई, 2019

'वृक्ष' मनुष्य के लिए जीवन-स्रोत हैं। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण तथा मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक वृक्ष एक दिन में लगभग चार लोगों के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है।

हमारे पर्यावरण में कम हो रहे वृक्षों के कारण हमें कुछ प्रतिकूल परिणामों का सामना करना पड़ रहा है। विश्व के औसत तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण विषम जलवायु परिस्थितियाँ, कम वर्षा के कारण सूखा, बार-बार आने वाली बाढ़ से विनाश, कृषि उत्पादन में कमी, आपदाएँ और तबाही के कारण बड़े पैमाने पर जान-माल की क्षति हो रही है। वस्तुत: प्रकृति के इस प्रतिशोध ने मानव के अस्तित्व पर एक प्रश्नचिह्न लगा दिया है।

राजस्थान के कोटा नगर निगम द्वारा आयोजित 'वृक्षारोपण कार्यक्रम' में जनसमूह को संबोधित करते हुए

इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमें विकास करने की आवश्यकता है, जिसके बिना हम गरीबी का उन्मूलन तथा प्रगति नहीं कर सकते, परंतु साथ ही हमें यह भी महसूस करना चाहिए कि पर्यावरण की कीमत पर विकास नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

प्रत्येक नागरिक और समाज के हर वर्ग को शामिल करके एक सामाजिक आंदोलन के रूप में वृक्षारोपण कार्यक्रम आरंभ किया जाना अनिवार्य है। हरित क्षेत्र का विस्तार करने के लिए हम सबका ध्येय वाक्य 'एक व्यक्ति-एक पौधा' होना चाहिए।

हमने देश में वृक्षारोपण और वनीकरण बढ़ाने के लिए अच्छी योजनाएँ तैयार की हैं। कम वृक्षों वाले वन क्षेत्रों में लोगों की भागीदारी के माध्यम से राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम और एक हरित भारत हेतु राष्ट्रीय अभियान, जिसका उद्देश्य भूमि की स्थिति के अनुसार वन और वृक्ष क्षेत्र बढ़ाना है, ऐसी ही दो प्रमुख योजनाएँ हैं।

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारें भी विशेष अवसरों और समारोहों के साथ ही विश्व पर्यावरण दिवस, वन महोत्सव आदि के दौरान स्थानीय लोगों तथा विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर वृक्षारोपण करती हैं।

इस संदर्भ में मुझे यहाँ यह कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि 8,266 वर्ग किमी. 'ट्री कवर' के साथ हमारा राज्य राजस्थान देश में सर्वाधिक वृक्ष क्षेत्र वाले राज्यों में दूसरे स्थान पर है।

इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस को स्वच्छ वायु को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'वायु प्रदूषण' विषय के साथ मनाया गया। इस विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी को एक वृक्ष रोपित करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पौधों को रोपा गया।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वृक्षारोपण को जन अभियान बनाने का निर्णय लिया है, जिससे नर्सरी स्कूल, शहरी वनीकरण, खाली भूमि पर वृक्षारोपण, कृषि भूमि पर बाँधों आदि को बढ़ावा मिलेगा।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सरकारी कार्यक्रमों में नागरिक समाज और गैर-सरकारी संगठनों की व्यापक भागीदारी होनी चाहिए, जमीनी स्तर पर लोगों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए और पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए।

इस संबंध में मैं हिमालय की गोद में बसे देश भूटान का उदाहरण देना चाहूँगा, जहाँ राजकुमार के जन्म का उत्सव मनाने के लिए वृक्षारोपण किया गया था। हर जगह ऐसी ही परंपराओं को अपनाया जाना चाहिए।

हमें अनेक महत्त्वपूर्ण अवसरों पर किसी वस्तु के स्थान पर उपहारस्वरूप पौधे देने चाहिए या पौधे लगाने चाहिए, ताकि हम त्योहारों और कार्यक्रमों को अविस्मरणीय बना सकें।

मुझे आप सबको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि संसद भवन परिसर में भी समय-समय पर वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। वस्तुत: यह एक सतत प्रक्रिया है। यह एक हरित संसद बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है, जिसका मुख्य उद्देश्य इसे पेपरलेस बनाना है।

कोई भी यह देख सकता है कि संसद परिसर में जामुन जैसे फलदार वृक्ष और नीम जैसे चिकित्सीय वृक्ष मौजूद हैं। यहाँ अन्य दुर्लभ प्रजाति के पौधे भी हैं, जिनमें विशिष्ट चिकित्सीय गुण हैं।

कोटा के लोगों को स्वयं भी अपने शहर को हरा-भरा और पर्यावरण की दृष्टि से समृद्ध बनाने के लिए ऐसे वृक्षारोपण कार्यक्रमों में भाग लेकर पहल करनी चाहिए।

मैं कामना करता हूँ कि कोटा नगर-निगम अपने सार्थक उद्देश्यों को पूरा करे और अपने सभी प्रयासों में पूर्णतया सफल हो। मैं इस शहर की बेहतरी के लिए निरंतर किए गए प्रयासों हेतु निगम की सच्चे मन से सराहना करता हूँ।

मुझे विश्वास है कि यह संस्था अपने अच्छे कार्य को जारी रखेगी और उपलब्धि हासिल करेगी। मैं यह 'वृक्षारोपण कार्यक्रम' आयोजित करने के लिए नगर निगम का धन्यवाद करता हूँ।

आइए, आज हम सब मिलकर यह प्रतिज्ञा करें कि हम सभी अधिक-से-अधिक वृक्ष लगाकर और उनका संरक्षण करके अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अधिकाधिक प्रयास करेंगे, क्योंकि 'जब होंगे पेड़ सुरक्षित, तभी होगा हमारा कल सुरक्षित'।

16
सही पोषण–देश रोशन*

"पोषण अभियान केवल सरकार का कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक जन-आंदोलन है, इसके लिए स्थानीय निकायों के जन-प्रतिनिधियों, राज्य के सरकारी विभागों, सामाजिक संगठनों और सरकारी तथा निजी क्षेत्रों की समावेशी भागीदारी की आवश्यकता है।"

मित्रो, नारी शक्ति एक ऐसी अद्‌भुत शक्ति है, जिसकी धुरी के इर्द-गिर्द समस्त संसार का चक्र घूमता है। बिना नारी के सृष्टि की कल्पना संभव नहीं। यही कारण है कि हमारी संपूर्ण मानवता नारी के मातृरूप की ऋणी है।

साथियो, माता सदैव पूजनीय होती है। माता साक्षात् प्रकृति-रूप है, माता धरती-रूप है, जो जन्म देती है। हम कह सकते हैं कि हमारी समस्त मानव जाति का स्वास्थ्य और विकास इस बात पर निर्भर है कि माता स्वरूपा स्त्रियों का स्वास्थ्य और विकास कितना बेहतर हुआ है। इसलिए स्त्रियों को सिर्फ आदर और श्रद्धा का पात्र बनाकर और नारी शक्ति की पूजा करने से ही हम अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं कर सकते, बल्कि हम सबका और पूरे समाज का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह स्त्रियों के संपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए समर्पित हो।

मुझे खुशी है कि आज के दौर में स्त्रियाँ सशक्त हुई हैं, सबल हुई हैं। अब वे घर की चारदीवारियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हर चुनौती का सामना कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्त्रियाँ अब अपने कॅरियर और अन्य जिम्मेदारियों के साथ-साथ अपने घर की जिम्मेदारियों का भी उतने ही मनोयोग से निर्वाह कर रही हैं। ऐसी जीवनदायिनी, शक्तिस्वरूपा माता की शक्ति को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।

साथियो, माँ के सिवाय संसार में ऐसी कोई हस्ती नहीं है, जो उसी वात्सल्य और प्रेम से शिशु का लालन-पालन कर सके, जैसे कि माँ करती है। संसार में चेतना के आविर्भाव

* सुपोषित माँ अभियान का शुभारंभ, कृषि मंडी उपज समिति, कोटा, राजस्थान, 29 फरवरी, 2020

का श्रेय नारी को ही जाता है। इसमें किंचिन्मात्र भी संदेह नहीं है कि नारी ही वह शक्ति है, जो समाज का पोषण से लेकर संवर्धन तक करती है।

उस नारी के स्वास्थ्य की चिंता न केवल हमारा धर्म है, बल्कि हमारा कर्तव्य भी है। हम सभी लोग इस अभियान के माध्यम से उनको पोषण प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर हमारी अगली पीढ़ी को जन्म देने की जिम्मेदारी है, जन्म देने और पालन-पोषण की जिम्मेदारी है। मातृ और शिशु, दोनों की उचित देखभाल करना हम सबका परम कर्तव्य है। स्वस्थ और सुरक्षित मातृत्व ही हमारे स्वस्थ और सुरक्षित देश की निशानी है। मुझे विश्वास है कि इस अभियान के सुपरिणाम होंगे और माता तथा शिशु, दोनों स्वस्थ एवं सुरक्षित रहेंगे।

'सुपोषित माँ अभियान' के शुभारंभ के अवसर पर भाषण देते हुए

हमारे देश में एक ओर मातृत्व को जहाँ काफी महत्त्व दिया जाता है, वहीं किशोरियों एवं महिलाओं में पोषण की कमी एक बड़ी समस्या है।

कोटा-बूंदी संसदीय क्षेत्र की कच्ची बस्तियों में 5,000 महिलाओं एवं किशोरियों की स्क्रीनिंग के दौरान करीब 1,000 ऐसी महिलाएँ एवं किशोरियाँ चिह्नित की गईं, जिनमें पोषण की कमी पाई गई। अभावग्रस्त एवं वंचित वर्ग में यह समस्या दूर करना हम सबका सामूहिक दायित्व है।

इसी दृष्टिकोण से कोटा-बूंदी संसदीय क्षेत्र में 'सुपोषित माँ अभियान' संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। अभियान के तहत चिह्नित महिलाओं एवं किशोरियों को

आगामी 9 माह तक 17 किलो की पोषण किट उपलब्ध करवाई जाएगी। इस किट में वह सब सामग्री होगी, जिनका सेवन पोषण के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इन महिलाओं एवं किशोरियों की प्रतिमाह चिकित्सकीय जाँच कर परामर्श व दवाएँ भी उपलब्ध करवाई जाएँगी। महिलाओं को मेडिकल कार्ड भी उपलब्ध करवाया जाएगा।

भारत के नीति-निर्माताओं ने हमेशा स्वास्थ्य व खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 के अनुसार, राज्य अपनी जनता के पोषण और रहन-सहन का स्तर बढ़ाने व सार्वजनिक स्वास्थ्य में बढ़ोतरी को अपना मुख्य कर्तव्य मानेगा।

यदि हम कुपोषण की बात करें तो यह प्राय: तीन रूपों में देखा जाता है। पहला अल्प पोषण, दूसरा भूख और तीसरा वजन की अधिकता या मोटापा। इन तीनों से ही बच्चों का स्वास्थ्य, वृद्धि और विकास प्रभावित होता है। इससे देश और अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुँचता है।

"पोषण अभियान केवल सरकार का कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक जन-आंदोलन है, इसके लिए स्थानीय निकायों के जन-प्रतिनिधियों, राज्य के सरकारी विभागों, सामाजिक संगठनों और सरकारी तथा निजी क्षेत्रों की समावेशी भागीदारी की आवश्यकता है।"

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के एक आँकड़े के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के 35 प्रतिशत से अधिक बच्चे अविकसित हैं। यह विचारणीय बिंदु है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें सभी लोगों को पोषण के प्रति जागरूक करना है। इसके लिए निरंतर प्रयास करना है।

वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूरी दुनिया के लिए 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए हैं। उनमें दूसरे स्थान पर ही भुखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण की बात की गई है। यदि विश्व को 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो माताओं, बच्चों और युवाओं के पोषाहार में निवेश करना जरूरी है।

इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने अल्प पोषण और कुपोषण की दरों में तेजी से सुधार किया है। पिछले दो दशकों में इस दिशा में उल्लेखनीय कदम भी उठाए गए हैं जैसे विद्यालयों/स्कूलों में मिड डे मील की शुरुआत, आँगनवाड़ियों में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को राशन एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को पीडीएस की सहायता से अनाज उपलब्ध कराना।

पोषण अभियान के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं, दुग्धपान कराने वाली माताओं, बच्चों और किशोरियों की पोषाहार स्थिति में सुधार लाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

8 मार्च, 2018 को राजस्थान के झुंझुनू में पोषण अभियान की शुरुआत माननीय प्रधान मंत्री जी ने की। इस प्रकार, 9,046 करोड़ रुपए के तीन वर्षीय राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम

का शुभारंभ हुआ। मुझे प्रसन्नता है कि पोषण अभियान के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में 315 जिले, वर्ष 2018-19 में 235 जिले और बाकी बचे जिले वर्ष 2019-20 में लिए जा रहे हैं।

भारत के 599 जिलों में से पोषण इंडेक्स में कोटा 222वें स्थान पर है। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर कोटा-बूंदी क्षेत्र की पोषाहार स्थिति को बेहतर बनाएँ। ऐसा करने में यह अभियान अपनी भूमिका निभाएगा। पोषण अभियान दरअसल कई मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ पोषाहार केंद्रित योजनाओं और कार्यक्रमों को मिलाकर बनाया गया एक अभियान है।

पोषण अभियान की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि सभी स्टेकहोल्डर्स एक टीम की तरह काम करें। इसमें राज्य सरकारों, स्थानीय स्वशासन एवं अन्य सभी एजेंसियों सहित सभी स्टेकहोल्डरों की बड़ी भूमिका है। 'सही पोषण-देश रोशन'। सच है कि लोगों की साझेदारी से ही कुपोषण से पार पाना संभव है।

इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक गांव के आँगनवाड़ी केंद्र को पोषाहार, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा सेवाओं का एक सजीव केंद्र बनना होगा। इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता को बढ़ावा दिया जा रहा है। खुले में शौच की कुप्रथा को भी समाप्त किया जा रहा है। 'मिशन इंद्रधनुष' के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और दो साल तक के बच्चों को सभी उपलब्ध टीके लगवाए जा रहे हैं।

इसी प्रकार 'एनीमिया मुक्त भारत' कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों, किशोरों और महिलाओं के बीच 'टेस्ट, ट्रीट एंड ट्रैक' के माध्यम से एनीमिया को कम करने, साथ ही सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

पोषण अभियान केवल सरकार का कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक जन-आंदोलन है, इसके लिए स्थानीय निकायों के जन-प्रतिनिधियों, राज्य के सरकारी विभागों, सामाजिक संगठनों और सरकारी तथा निजी क्षेत्रों की समावेशी भागीदारी की आवश्यकता है।

इस जन-आंदोलन को जारी रखने के लिए हमें भारी संख्या में जन-बल की आवश्यकता है, जिनमें आँगनवाड़ी कामगार और आशाकर्मी, एन.सी.सी. कैडेट्स, एन.एस.एस. तथा भारत स्काउट गाइड सहित कई स्वयंसेवक प्रमुख हैं। ये सभी मिलकर पोषण के संदेश को घर-घर तक पहुँचाने के संकल्प को एक सामूहिक मिशन के रूप में समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

मैं मानता हूँ कि पंचायत से लेकर संसद तक चुने हुए जन प्रतिनिधि कुपोषण के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

संसद सदस्यगण अपनी सांसद निधि का उपयोग पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत वे कई योजनाओं, यथा मॉडल आँगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण,

आँगनवाड़ी केंद्रों में सुविधाएँ बढ़ाने, आदि के लिए धन उपलब्ध करा सकते हैं। पोषाहार संबंधित कार्यों के लिए कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) कोष से अधिक आबंटन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

मैं एम्स, आई.आई.टी., आई.सी.एम.आर., आई.सी.ए.आर., एन.आई.एन. जैसे अनुसंधान तथा शैक्षणिक संस्थानों से भी अनुरोध करूँगा कि वे साक्ष्य आधारित अनुसंधान करके पोषाहार के क्षेत्र में ज्ञान की कमी को दूर करें एवं नई तकनीक का उपयोग करके शीघ्र ही संपूर्ण समाज को पूर्ण पोषण प्रदान करने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दें।

पोषण हमें एक बेहतर जीवन का मौका देता है। आइए, हम मिल–जुलकर एक ऐसा समाज बनाएँ, जिसमें प्रत्येक शिशु, युवा और युवती, विशेषकर गर्भवती माताओं को पोषक, सुरक्षित, सस्ता आहार उपलब्ध हो, जिससे वे अपने जीवन को बेहतर बना सकें।

मैं इस पावन मंच से यह भी आह्वान करना चाहता हूँ कि गर्भवती माताओं को समुचित पोषण दिलाने के उद्देश्य से सभी सामाजिक संस्थाएँ, समाज और व्यक्ति आगे आएँ और उन माताओं को एडॉप्ट करें, ताकि अगले 9 माह तक उनके लिए सुपोषित भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। आप सभी सुधीजनों से इस अभियान से जुड़ने का विनम्र अनुरोध है और मुझे विश्वास भी है कि कोटा के लोग इस अभियान से जुड़ने में अपने आपको गौरवान्वित महसूस करेंगे।

मैं इस अभियान से जुड़कर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ तथा अपनी ओर से हर स्तर पर एवं हर प्रकार की संभव सहायता देने और भागीदारी करने की इच्छा भी रखता हूँ।

यह अभियान समुदाय और सामाजिक कार्यकर्ताओं की सहायता से ही सफल हो सकता है। इस उद्देश्य को जन–आंदोलन और पोषण संबंधी लक्ष्यों पर सीधा प्रभाव डालने वाली विभिन्न योजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है।

अपनी बात समाप्त करते हुए मैं यह आशा करता हूँ कि इस योजना से 'स्वस्थ भावी पीढ़ी' का निर्माण होगा।

"मातृ शिशु को दें ऐसा पोषक आहार,
ताकि हो भावी पीढ़ी का निरंतर विकास,
रहे तन सदा स्वस्थ, मन बने फौलाद।"

इस पावन उद्देश्य की प्राप्ति में निश्चय ही हम सफल होंगे।

17

अपने मकान का सपना*

"भारत में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री विकसित होने के साथ-साथ हमें विदेशों के लिए भी कुशल और अकुशल श्रमिक तैयार करने चाहिए, ताकि वैश्विक स्तर पर भविष्य में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हमारी भागीदारी बढ़े।"

आज मुझे खुशी है कि वर्ष 2022 तक सबका अपने मकान का सपना पूरा हो, इसके लिए आपने इस सम्मेलन को आयोजित किया है।

हर व्यक्ति के जीवन की मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान। व्यक्ति चाहे गरीब हो या अमीर, उसका सबसे बड़ा सपना होता है कि उसका स्वयं का मकान हो और इस सपने को, इस आकांक्षा को पूरा करने के लिए हमारे प्रधान मंत्री जी ने इसके लिए एक लक्ष्य तय किया है।

भारत विश्व की सर्वाधिक तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इस देश के आर्थिक विकास में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि बहुत तेजी से भारत में शहरीकरण का विस्तार हो रहा है और शहरों में आधारभूत विकास भी हो रहा है। गाँवों से अपने रोजगार, व्यापार के लिए लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं।

किसी समय हमारी 80 प्रतिशत की जनसंख्या गाँवों में रहती थी और 20 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में। आज यह अनुपात 60:40 में है। इसलिए शहरों में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तेजी से हो रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि शहर में उसका भी एक मकान हो और शहर के मकान का सपना तभी पूरा हो सकता है, जब हम उसको सस्ती दर पर आवास उपलब्ध कराकर उसके सपने को पूरा करने में सफल हो सकें।

---

* वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास संबंधी राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद का 15वाँ राष्ट्रीय कन्वेंशन, नई दिल्ली; 19-20 अगस्त, 2019

वर्तमान सरकार ने देश में वर्ष 2022 तक सबको मकान मिले, इसके लिए गाँवों के साथ-साथ शहरों में भी प्रधान मंत्री आवास के लिए व्यापक प्रयास किए हैं।

देश के अधिकांश गाँवों में जहाँ पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, वहाँ पक्के मकान दिखने लगे हैं। गाँवों में शौचालय भी दिखने लगे हैं। देश की जनता का गाँवों और शहरों में पक्के मकान का सपना पूरा करने की दिशा में सरकार ने कदम आगे बढ़ाया है।

वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास संबंधी राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद के 15वें राष्ट्रीय कन्वेंशन में भाषण देते हुए

यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग उपस्थित हैं, जिन्होंने इस देश में सस्ती दर पर आवास उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रयास किए हैं और आप सभी के प्रयासों से आज हर आम आदमी के सपने एवं आकांक्षाएँ, उनके अपने घर, अपने मकान का सपना पूरा भी हुआ है।

आप जानते हैं कि गरीब-से-गरीब को लगता है कि उनका अपना घर हो, जिसमें वे सुकून से रह सकें। अपना घर होने की जो सुखद अनुभूति होती है, उससे बड़ी कोई सुखद अनुभूति नहीं होती है।

जहाँ आप आम जनों को सस्ती दर पर मकान उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं आप करोड़ों लोगों को इस इंडस्ट्री के माध्यम से रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं।

इस देश में गरीब व्यक्ति के लिए सबसे अधिक रोजगार का साधन है तो वह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है। एक मकान के निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों में दक्ष मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। भारत में सबसे ज्यादा रोजगार सृजन का साधन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, चाहे मकान हो, चाहे सड़क हो, या पुल, जिसमें अधिकतम लोगों को रोजगार मिलता है।

देश में बेरोजगारी समाप्त करने की दिशा में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है, जहाँ कुशल और अकुशल श्रेणी के लोगों को इस इंडस्ट्री के माध्यम से रोजगार मिलता है और इसलिए हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम किसी तरीके से बढ़ रही विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के योगदान को बढ़ाएँ।

भारत में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री विकसित होने के साथ-साथ हमें विदेशों के लिए भी कुशल और अकुशल श्रमिक तैयार करने चाहिए, ताकि वैश्विक स्तर पर भविष्य में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हमारी भागीदारी बढ़े, इसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए।

आवास का सपना सबके लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है और इसमें अधिकांश लोग निम्न एवं निम्न मध्यम वर्ग के हैं, जिनके आवास संबंधी अपने सपने एवं आवश्यकताएँ हैं। विशेष रूप से महिलाओं की आकांक्षा रहती है, सपना होता है कि उनका अपना घर हो, अपना खुद का मकान हो। सरकार भी सामाजिक-आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वहीं सस्ते दर पर आवास के लिए भी सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

हमारी 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का महत्त्वपूर्ण योगदान है। भारत में आर्थिक विकास को गति देने में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की रफ्तार को बढ़ाना जरूरी है और देश में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में भारत आधुनिकतम टेक्नोलॉजी के साथ विश्व के बाजार में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के माध्यम से प्रवेश करे, ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए।

इस देश में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, जिसके माध्यम से देश में कुशल और अकुशल लोगों को रोजगार मिलता है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप सभी लोग इस देश में सस्ती दर पर आवास उपलब्ध कराने के लिए नए प्रयास करें और अधिकतम लोगों को रोजगार देने का प्रयास करें।

18

कृषि विज्ञान में प्रबंधन का महत्त्व*

"भारत एक कृषि-प्रधान देश है और हमारे देश का विकास तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि हमारे अन्नदाता किसान आत्मनिर्भर न हो जाएँ। कृषि हमारे जीवन की आधारशिला है। हमारे कृषकों की समृद्धि और खुशहाली देश के विकास का परम सूचक है।"

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किसानों के हित में आयोजित प्रगतिशील कृषक सम्मेलन-सह-प्रदर्शनी में मुझे राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ में आकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है।

यह प्रगतिशील कृषक सम्मेलन किसान भाइयों को कृषि एवं इसके आधुनिकीकरण के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

जैसाकि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि-प्रधान देश है और हमारे देश का विकास तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि हमारे अन्नदाता किसान आत्मनिर्भर न हो जाएँ। कृषि हमारे जीवन की आधारशिला है। हमारे कृषकों की समृद्धि और खुशहाली देश के विकास का परम सूचक है।

हमारा एकमात्र लक्ष्य किसानों को समृद्ध एवं समर्थ बनाना है। जब तक हमारे देश का गांव, गरीब, किसान और मजदूर सशक्त नहीं होंगे, तब तक देश की पूर्ण समृद्धि संभव नहीं है। इसलिए भारत सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2022 तक हम अपने किसानों की आय में वृद्धि करके उसको दोगुना कर देंगे।

हम किसान को अन्नदाता कहते हैं और उसके लिए कुछ करना हम सबका फर्ज है। हम कहते हैं 'जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान' तो इसका अर्थ है कि जवान, किसान और विज्ञान, ये तीनों हमारे देश को सशक्त बनाने का काम करते हैं।

---

* राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील कृषक सम्मेलन-सह-प्रदर्शनी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश; 17 जनवरी, 2020

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील कृषक सम्मेलन-सह-प्रदर्शनी

जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो इस खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सबसे अहम भूमिका कृषकों की है और खाद्य आपूर्ति, खेतों से व्यक्ति की रसोई तक अन्न व अन्य खाद्य सामग्री पहुँचने की जो लंबी शृंखला है, उसकी पहली कड़ी हमारा कृषक है।

किसान तभी ज्यादा मात्रा में और गुणवत्तापूर्ण अन्न का उत्पादन कर सकेंगे, जब उन्हें विज्ञान का साथ मिलेगा। पूरे देश में कृषकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएँ चल रही हैं, जैसे—मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, नीम कोटेड यूरिया, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधान मंत्री कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नैम) आदि। मुझे खुशी है कि ये योजनाएँ हमारे देश के कृषि स्वास्थ्य को पूरी तरह बदल देंगी।

किसान भाइयो, हम सभी जानते हैं कि खेती हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और हमारे कुल श्रम संसाधन का लगभग 54.50 प्रतिशत खेती एवं इससे जुड़े कार्यकलापों में संलग्न है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का विशालतम क्षेत्र है। सकल घरेलू उत्पादों का लगभग 16.1 प्रतिशत कृषि और उससे संबंधित व्यवसायों से आता है।

जहाँ तक कि उत्तर प्रदेश राज्य के भूमि संसाधन का प्रश्न है, यह भारत की सबसे उपजाऊ कृषि भूमि में से एक है। माँ गंगा एवं उनकी सहायक नदियों के घने नेटवर्क ने इसे बेहद उर्वर भूमि बना दिया है।

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। इसकी लगभग 65 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। राज्य की लगभग 166 हेक्टेयर भूमि का उपयोग यानी कुल भूमि का लगभग 69 प्रतिशत खेती के लिए उपयोग किया जाता है। गेहूँ, गन्ना सहित विभिन्न प्रकार की फसलों की पैदावार यहाँ पर होती है। चावल, आलू, प्याज, टमाटर, आम, हरी फली, कपास इत्यादि यहाँ की कुछ प्रमुख फसलें हैं।

हम जानते हैं कि हरित क्रांति के फलस्वरूप हमने अन्न उत्पादन को कई गुना बढ़ाया है। बढ़ती हुई आबादी एवं बदलते मौसम में बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि के कारण अनावश्यक रूप से भारी मात्रा में फसलों को क्षति पहुँची है। हमने श्वेत क्रांति के माध्यम से दुग्ध उत्पादन में भी आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। अब हमें कृषि एवं पशुपालन को और अधिक आधुनिक रूप देने की जरूरत है, क्योंकि बढ़ती आबादी के मद्देनजर कृषि उत्पादन में और वृद्धि की नितांत आवश्यकता है।

इसके लिए हमें नीली क्रांति की जरूरत पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में नदियों का प्राकृतिक संजाल है। हमें इस अनमोल संसाधन का लाभ उठाने की आवश्यकता है। यह बहुत उपयुक्त है कि सरकार द्वारा किसानों को 'नीली क्रांति योजना' और मत्स्यपालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पशुपालन, मत्स्यपालन, मधुमक्खीपालन, रेशमकीटपालन कुछ ऐसे उपाय हैं, जिनसे हम किसानों की समृद्धि का लक्ष्य आसानी से हासिल कर सकते हैं।

कृषि-विकास के लिए कृषि मंत्रालय ने अपने कई विभागों में लाभकारी योजनाओं को लागू किया है, इसमें बजट में बढ़ोत्तरी करके कृषि संबंधित अन्य क्षेत्र जैसे डेयरी उद्योग, पशुपालन, मत्स्यपालन, मधुमक्खीपालन आदि को समाहित किया है।

गायों की नई देशी नस्लों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए 'गोकुल मिशन' प्रारंभ हुआ है, जिसमें डेयरी द्वारा कृषक अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और विश्व का 19 प्रतिशत दुग्ध भारत से आता है। उत्पादन की इस गति को हमें निरंतर बरकरार रखना है। इसके लिए हमें नई तकनीक का उपयोग करना है।

आप सभी सरकार की सात सूत्रीय नीतियों से अवगत होंगे, जिसमें प्रत्येक बूँद पर अधिक फसल, मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाना, कोल्ड स्टोर और गोदामों की श्रृंखला बढ़ाना, ताकि कटा हुआ अनाज बर्बाद न हो। खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से वैल्यू एडीशन करना, कृषि पदार्थों की बिक्री में विकृतियों को दूर करने के लिए ई-प्लेटफॉर्म की शुरुआत और मिश्रित खेती, जैसे—मुर्गीपालन, मत्स्यपालन, मधुमक्खी से शहद उत्पादन, मेंड़ पर पेड़ आदि योजनाओं के माध्यम से किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उत्पादन को बढ़ावा देने का सुंदर प्रयास हो रहा है।

साथियो, आज तकनीक का युग है और सभी कृषक भाइयों को तकनीकी ज्ञान का लाभ उठाना चाहिए, जैसे मोबाइल फोन पर एप्प के जरिए मौसम की सूचना, बीज की जानकारी, ई-पोर्टल द्वारा खरीददारी जैसी चीजें संभव हैं। इसके लिए सभी कृषक भाइयों के पास मोबाइल फोन होना जरूरी है। हमारी सरकार का ऐसा प्रयास है कि कृषि से जुड़ी प्रत्येक योजना के लिए मोबाइल एप्प बने।

मुझे जानकर बहुत खुशी हुई है कि विकास खंड स्तर पर बीज गोदामों की स्थापना की जा रही है, जिससे कृषकों को एक ही छत के नीचे उन्नतशील बीज, कृषि, रक्षा, रसायन एवं अन्य निवेशों के साथ-साथ कृषकों को नई तकनीक का प्रशिक्षण/जानकारी देने हेतु किसान कल्याण केंद्र उपलब्ध हैं। आपके प्रदेश में यह योजना वर्ष 2017-18 से चल रही है और अब यह पूरे भारत में लागू की जाएगी।

मुझे बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में 100 किसान कल्याण केंद्र वर्ष 2018-19 में 31 किसान कल्याण केंद्र स्थापित किए गए हैं एवं 2019-20 में 50 किसान कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएँगे। किसान कल्याण केंद्र के माध्यम से उस इलाके के कृषकों को कृषि संबंधित तमाम जानकारियाँ एक ही स्थान पर मिल जाएँगी, जिनसे उनको लाभ होगा।

हम सब यह जानते हैं कि देश में 85 प्रतिशत से अधिक किसान छोटे और सीमांत हैं, जिनके पास बाजार में बेचने लायक फसल कम होती है और खेती-बाड़ी में उनके खर्चे बहुत अधिक होते हैं। इसलिए सरकार ने इन बाधाओं को दूर करने के लिए और किसानों का मुनाफा बढ़ाने के लिए ई-नैम (e-NAM) की शुरुआत की है। ग्रामीण हाटों को कृषि मंडियों के रूप में विकसित किया गया है।

"हमारे लाखों मेहनतकश कृषक भाई ही हमारी अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ हैं। उनकी समृद्धि में ही हमारे देश की समृद्धि निहित है।"

सरकार का ध्यान किसानों पर है, इसलिए प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा की गई है। इसके तहत एक साल में प्रत्येक किसान को छह हजार रुपए का अनुदान दिया जा रहा है, ताकि वे खेती के लिए उत्तम बीज और खाद खरीद सकें। किसानों की बेहतरी के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में सभी रबी एवं खरीफ की फसलों का न्यूनतम बिक्री मूल्य बढ़ाया गया है।

हमारे लाखों मेहनतकश कृषक भाई ही हमारी अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ हैं। उनकी समृद्धि में ही हमारे देश की समृद्धि निहित है।

ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की भी अच्छी पहल है, जिसमें उन्होंने टॉप स्कीम (TOP—Tomato-Onion-Potato) की शुरुआत की है, ताकि इसकी उपलब्धता देश में हो और इसके माध्यम से किसानों को हमेशा विक्रय लाभ भी हो। ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और कृषि लॉजिस्टिक की भी पेशेवर सुविधाएँ किसानों को दी जाएँगी।

प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना के तहत विपणन संबंधी सहायता के साथ फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडीशन का प्रावधान है, इससे वर्ष 2019-20 में बीस लाख किसानों को फायदा होगा।

आजकल हर क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्यों की बात होती है। जैविक खेती से हम पर्यावरण को होने वाले नुकसान को न्यूनतम स्तर पर ले जा सकते हैं और कृषि लागत को कम करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए आज जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और जैविक उत्पादों के लिए बाजार का नेटवर्क तैयार हो रहा है।

जब हम कृषकों के कल्याण के विषय में आगे बढ़ते हैं तो हमको औद्योगिक सुधारों और नई प्रौद्योगिकी से उनको जोड़ने के भी प्रयास करने होंगे। कृषि से उत्पादकता बढ़ाना, किसानों को लाभकारी मूल्य दिलवाना और उनको कृषि संबंधी तकनीकी दक्षता से परिपूर्ण करना आदि विभिन्न उपाय हैं, जिन पर सरकार तो सोचती है, परंतु इसमें सिविल सोसाइटी और किसानों के हित में कार्य कर रहे अन्य संस्थानों का भी योगदान जरूरी है।

"जब हम कृषकों के कल्याण के विषय में आगे बढ़ते हैं तो हमको औद्योगिक सुधारों और नई प्रौद्योगिकी से उनको जोड़ने के भी प्रयास करने होंगे।"

आजकल कृषि व्यवसाय को भी उसी परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है, जिस तरह हम अन्य व्यवसायों को देखते हैं। जिस तरह पूरी जानकारी और अच्छे कौशल के अभाव में कोई अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा शोधकर्ता या गुरु नहीं हो सकता, उसी तरह कृषि की समस्त जानकारी और नवीनतम तकनीक के बिना कृषि को लाभप्रद व्यवसाय बनाना कठिन है।

इस दृष्टि से राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ में आयोजित प्रदर्शनी में किसानों को उन नई तकनीकों एवं किसान कल्याण केंद्रों के विषय में जानने का अवसर मिलेगा, जो उन्हें विशेष कौशल से युक्त कर सकते हैं। सरकार की विभिन्न स्कीमों एवं योजनाओं के बारे में जानकारी देने की दृष्टि से यह संस्थान काफी महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी

सिद्ध होगा। चाहे विभिन्न फसलों की बुवाई, उनमें समय से सही मात्रा में खाद डालना हो, उचित मात्रा में सिंचाई की जानकारी, जल का बेहतर प्रबंधन हो या मिट्टी की गुणवत्ता की जाँच, इन सभी के लिए सिंगल विंडो के रूप में किसान कल्याण केंद्र काम करेंगे और निश्चय ही किसानों को खेती के संबंध में नई जानकारियाँ देंगे।

आज के समय में अन्न उपजाने से भी जरूरी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके विषय में भी ये केंद्र काफी उपयोगी और सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

कृषि उपज का बेहतर प्रबंधन, उसकी मार्केटिंग एवं किसानों को उपज का बेहतर मूल्य दिलवाना किसी भी सरकार की प्राथमिकता है।

मैं चाहता हूँ कि हमारे देश का किसान, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार के किसान शीघ्र आत्मनिर्भर हों, और देश की इकॉनोमी में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकें। यदि हमारे भारत के ये महत्त्वपूर्ण राज्य कृषि में अपनी सकारात्मक भागीदारी निभाएँगे तो निश्चय ही हम एक उन्नत देश बन जाएँगे। दूसरी हरित क्रांति उत्तर प्रदेश के हरे-भरे खेतों से ही होगी, ऐसा मुझे विश्वास है।

किसान भाइयो, यह संतोष का विषय है कि उत्तर प्रदेश शासन ने आपके कल्याण के लिए यह मेगा प्रदर्शनी आयोजित की है। मुझे इस बात का विश्वास है कि किसानों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएँ उनके जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध होंगी। साथ ही, इनसे किसानों को नवीन उत्साह और मनोबल प्राप्त होगा एवं उनके जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आएगी। 'अन्नदाता सुखी भवः' के उद्घोष के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष
श्री ओम बिरला की विभिन्न कार्यक्रमों में गरिमामयी उपस्थिति

श्री ओम बिरला भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयीजी की जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए

श्री ओम बिरला अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ केंद्रीय कक्ष में एक पुस्तक का विमोचन करते हुए

श्री ओम बिरला महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर चरखा से सूत कातते हुए

श्री ओम बिरला 21 जुलाई, 2019 को कोटा के दशहरा मैदान में आयोजित
पौधारोपण अभियान में पौधा लगाते हुए

श्री ओम बिरला कॉन्स्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली में 5 अक्तूबर, 2019 को रोटरी क्लब, दिल्ली द्वारा आयोजित 'सेव अर्थ' कार्यक्रम में भाग लेते हुए

श्री ओम बिरला 14 नवंबर, 2019 को संसदीय ज्ञानपीठ में 2018 बैच के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.) के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ

13 दिसंबर, 2001 को हुए आतंकवादी हमले में संसद की सुरक्षा करते हुए अपनी जान गँवाने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री ओम बिरला

श्री ओम बिरला 18 दिसंबर, 2019 को देहरादून में आयोजित भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 79वें सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

श्री ओम बिरला 12 फरवरी, 2020 को संत गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में गुरु रविदास विश्व महापीठ के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए

श्री ओम बिरला 16 जनवरी, 2020 को उत्तर प्रदेश विधान सभा में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन के सातवें सम्मेलन में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

श्री ओम बिरला 29 फरवरी, 2020 को कोटा में 'सुपोषित माँ अभियान' के शुभारंभ के दौरान महिला और बाल विकास मंत्री एवं वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी के साथ

श्री ओम बिरला, 17 मार्च, 2020 को संसद भवन में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, एन.डी.एम.सी., सी.पी.डब्ल्यू.डी., सी.जी.एच.एस. के वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य एजेंसियों के साथ संसद भवन संपदा में नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार को रोकने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए

श्री ओम बिरला 9 अप्रैल, 2020 को नई दिल्ली स्थित अपने आवास से रोटरी क्लब ऑफ इंडिया की एक बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते हुए

श्री ओम बिरला 21 अप्रैल, 2020 को संसद भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य विधान सभाओं के पीठासीन अधिकारियों के साथ संवाद करते हुए

श्री ओम बिरला 20 जून, 2020 को नई दिल्ली स्थित अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आई.एफ.आई.एम. बिजनेस स्कूल के 25वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर संकाय सदस्यों और विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए

श्री ओम बिरला संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में श्री सोमनाथ चटर्जी की जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद विशिष्ट जनों के साथ

श्री ओम बिरला संसदीय ज्ञानपीठ में लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों हेतु फ्रेंच भाषा के आरंभिक स्तर के पाठ्यक्रम का शुभारंभ करते हुए

श्री ओम बिरला संसद सत्र के समाप्त होने के बाद मीडिया के साथ संवाद करते हुए

श्री ओम बिरला 27 नवंबर, 2019 को लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष, श्री जी.वी. मावलंकर की जयंती के अवसर पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात् राज्य सभा के उप-सभापति, श्री हरिवंश और पूर्व उप-प्रधान मंत्री, श्री एल.के. आडवाणी तथा अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ

श्री ओम बिरला 17 जुलाई, 2019 को संसदीय सौध में संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा भा.प्र.से. के 2017 बैच के अधिकारियों के लिए आयोजित 'सहायक सचिवों हेतु संसदीय प्रक्रिया और पद्धति' विषय पर प्रबोधन कार्यक्रम में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

भाग-चार

शिक्षा एवं संस्कृति

19

शिक्षा : चरित्र-निर्माण का पहला कदम*

"शिक्षा समाज का दर्पण होती है, जो हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों को दर्शाती और प्रभावित करती है।"

सबसे पहले मैं भारत लोक शिक्षा परिषद के प्रयासों और ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में इसके अमूल्य योगदान की सराहना करता हूँ। यह शहरी और ग्रामीण भारत के बीच के अंतर को कम करने तथा इनकी असमानता को दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

शिक्षा चरित्र-निर्माण का पहला कदम है। शिक्षा के माध्यम से बच्चों का मन श्रेष्ठता, सौंदर्य व सत्य विचार से भरा जाना चाहिए। प्रेम, सहानुभूति, पवित्रता व उच्चता का आदर्श उनके सामने प्रस्तुत हो तो वे एक कर्तव्यपरायण जिम्मेदार नागरिक बनेंगे।

शिक्षा विश्व में सकारात्मक परिवर्तन लाने का सबसे सशक्त माध्यम है। यदि हम समस्त भारत का विकास करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें सभी को शिक्षित करना होगा। शिक्षा समाज का दर्पण होती है, जो हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों को दर्शाती और प्रभावित करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार न केवल गरीबी और अशिक्षा के उन्मूलन के लिए, अपितु अन्य विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक क्षेत्रों में लोगों के विकास के लिए भी महत्त्वपूर्ण है।

हमारा देश विविधताओं का देश है, यहाँ हर तरह की विविधता है, पर फिर भी एक अदृश्य सांस्कृतिक सूत्र से हम सभी आपस में बँधे हुए हैं।

मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि परिषद देश के सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तीकरण से संबंधित महत्त्वपूर्ण सुविधाएँ प्रदान कर रही है और शारीरिक प्रशिक्षण, संस्कार तथा देशभक्ति के गीतों, कहानियों, खेल-कूद, कला एवं योग जैसे शिक्षण

---

* भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित एकल भागवत ज्ञानयज्ञ कार्यक्रम, नई दिल्ली; 21 सितंबर, 2019

के विभिन्न रुचिकर माध्यमों के द्वारा बच्चों का चरित्र-निर्माण और राष्ट्र के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण निर्मित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

वर्तमान में भारतीय लोक शिक्षा परिषद भारत के 25 राज्यों में 9434 स्वयंसेवकों, 10 क्षेत्रीय संगठनों और 8 सहायक एजेंसियों के सहयोग से अपना अभियान चला रही है। इस संस्थान के तहत 91,035 से अधिक एकल विद्यालयों में एक लाख से अधिक शिक्षकगण एवं पूर्णकालिक कार्यकर्ता पूरे समर्पण एवं सेवा भाव से ज्ञानयज्ञ में लगे हुए हैं और ये लगभग 25 लाख बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। यह वस्तुत: एक प्रशंसनीय उपलब्धि है।

भारत लोक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा आयोजित एकल भागवत ज्ञानयज्ञ कार्यक्रम के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए

संगठन शिक्षा ही नहीं, अपितु युवाओं को सही दिशा देने का सराहनीय काम भी कर रहे हैं। मुझे जानकारी है कि पंजाब में रासायनिक उर्वरक, नशाखोरी के प्रति सचेत कर यह एकल विद्यालय लोगों में शिक्षा, संस्कार और जागरूकता के लिए प्रयत्नशील हैं।

एकल विद्यालय द्वारा चलाए गए अभियान के तहत विद्यार्थी साहसी, समर्थ, संयमी, त्यागशील, अनुशासनप्रिय, शिक्षित, स्वावलंबी एवं स्वाभिमानी बनते हैं। सीमावर्ती इलाकों में एकल विद्यालय काफी अच्छा योगदान दे रहे हैं एवं बहुमुखी शिक्षा के साथ-साथ सामयिक समस्याओं के प्रति हमें जागरूक कर रहे हैं।

शिक्षा सब बच्चों का नैतिक अधिकार है। 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम अनुसार अनुच्छेद 21ए जोड़ा गया, जिसमें राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के लिए अनिवार्य व नि:शुल्क व्यवस्था करेगा। सरकार के इन्हीं प्रयासों में भारतीय लोक शिक्षा परिषद जैसी संस्थाएँ अपना योगदान देकर देश सेवा का कार्य कर रही हैं।

शिक्षा कोई समय के साथ बदलने वाली चीज नहीं है। प्रशिक्षण अवश्य समय के साथ बदलता है। सच बोलना चाहिए, यह हर युग में लागू है, समाज और देश के हित में कार्य करना प्रत्येक कालखंड के लिए आवश्यक है। इसलिए शिक्षा के जो मापदंड भारत के मनीषियों ने निर्धारित किए थे, वे कालजयी हैं तथा वे सदा प्रासंगिक रहेंगे। इसी से प्रेरित होकर भारत लोक शिक्षा परिषद व इस दिशा में काम कर रही संस्थाएँ निरंतर अपना कार्य कर रही हैं।

"भागदौड़ से भरी इस दुनिया में आध्यात्मिकता हमें झुलसती हुई धूप में पेड़ों की शीतल छाया की तरह शांति प्रदान करती है।"

हमारे संस्कारों में वेदों, उपनिषदों, गीता, महाभारत, रामायण इत्यादि पवित्र ग्रंथों का निचोड़ है। मुझे यकीन है कि भारतीय लोक शिक्षा परिषद जैसी परोपकारी संस्था से जुड़े विद्यार्थी शिक्षा के उद्देश्य को केवल उत्तीर्ण होकर पदवी प्राप्त कर लेने तक सीमित न करते हुए एक चरित्रवान व्यक्तित्व वाले मनुष्य बनेंगे। उनमें परहित की भावना के साथ शेर के समान साहस भी होगा। वे भविष्य में समाज व राष्ट्र के लिए श्रेयस्कर एवं उपयोगी साबित होंगे।

मेरे लिए यह सम्मान और गौरव की बात है कि मुझे इस ज्ञानयज्ञ और आध्यात्मिक उत्सव में आमंत्रित किया गया है। भागदौड़ से भरी इस दुनिया में आध्यात्मिकता हमें झुलसती हुई धूप में पेड़ों की शीतल छाया की तरह शांति प्रदान करती है।

श्रीमद्भगवद्गीता भारतीय धर्म, दर्शन और अध्यात्म का सार है। जो वेद-ज्ञान नहीं पा सकते, दर्शन और उपनिषद् का स्वाध्याय नहीं कर सकते; भगवद्गीता उनके लिए अतुल्य संबल है। जीवन के उस मोड़ पर जब व्यक्ति स्वयं को द्वंद्वों तथा चुनौतियों से घिरा हुआ पाता है और कर्तव्य-अकर्तव्य के संजाल में फंस जाता है तो श्रीमद्भगवद्गीता उसका हाथ थामती है और मार्गदर्शन करती है।

श्रीमद्भगवद्गीता में दिए गए उपदेश जीवन का सार हैं। इन उपदेशों को सुनने वाले व्यक्ति को एक अनूठी आत्मानुभूति, एक गहन चिंतन, अद्भुत किंतु नया दृष्टिकोण प्राप्त होता है।

प्रवचनों एवं सत्संग के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर की सत्ता को जानने और समझने का अवसर मिलता है। वे सहज ही उस मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं, जिससे उन्हें अपना आध्यात्मिक विकास करने के साथ ही सदाचारी और व्यावहारिक जीवन जीने में सहायता मिलती है।

शिक्षा–संस्कार और राष्ट्रभक्ति के इस महायज्ञ में शामिल होकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मेरा पूरा विश्वास है कि आपका यह भगीरथ प्रयास भावी पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में सहायक होगा और हमारा देश विश्वगुरु के रूप में पुनः प्रतिष्ठित होने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

20

सकारात्मक आध्यात्मिकता*

"मानव सभ्यता के विकास काल से ही भारत अध्यात्म, शांति और मानवता के प्रति प्रेम का केंद्र रहा है। अध्यात्म हमारी जीवन-शैली में है।"

मित्रो, ब्रह्माकुमारियाँ अध्यात्म का पर्याय बन गई हैं। अपने स्थापना काल से ही यह संस्था विश्व कल्याण और व्यक्तिगत उत्थान के प्रति समर्पित विश्व विख्यात आध्यात्मिक आंदोलन के रूप में जानी जाती रही है।

मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई है कि प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अद्वितीय, आध्यात्मिक और मूल्य-आधारित शैक्षणिक संस्था के रूप में विकसित हुआ है। अध्यात्म के विभिन्न पक्षों को समाविष्ट करते हुए इस विश्वविद्यालय ने मानवता के सामाजिक-सांस्कृतिक ज्ञानोदय में सार्थक योगदान किया है। इतने वर्षों में ब्रह्माकुमारियों ने अपने अनवरत त्याग, आस्था, विश्वास और इस उद्देश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बल पर अध्यात्म के क्षेत्र में विशेष स्थान बनाया है और वैयक्तिक स्तर पर शांति और उन्नति के माध्यम से समाज में बदलाव लाया है। मुझे यह देखकर खुशी हुई है कि एक अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक संस्था और सामाजिक-आध्यात्मिक संगठन के रूप में प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सभी महाद्वीपों में स्थापित अपने केंद्रों के माध्यम से समाज के नैतिक उद्धार के प्रति प्रतिबद्ध है।

मित्रो, मानव सभ्यता के विकास-काल से ही भारत अध्यात्म शांति और मानवता के प्रति प्रेम का केंद्र रहा है। अध्यात्म हमारी जीवन-शैली में है। वेदों और उपनिषदों जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी अध्यात्म और विश्वशांति का समर्थन किया गया है। 'वसुधैव कुटुंबकम्'

---

* प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 'रूहानी उड़ान' कार्यक्रम, माउंट आबू, राजस्थान; 22 सितंबर, 2019

अर्थात् संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, का व्यापक वैश्विक दृष्टिकोण हमारी संस्कृति और मानस-पटल पर अंकित है।

प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 'रूहानी उड़ान' कार्यक्रम में उद्‌गार व्यक्त करते हुए

विशिष्ट अतिथिगण, युवा वर्ग सदैव ब्रह्माकुमारियों का आधार रहा है। यह जानकर खुशी हुई है कि इस सुविख्यात संगठन के साथ अनेक युवा जुड़े हुए हैं, जो हिंसा से किनारा करते हुए शांतिमय जीवन जीते हैं, महिलाओं का आदर करते हैं और समाज की भलाई के प्रयास करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहते हैं। ब्रह्माकुमारियों की संस्कृति से ही उन्हें त्याग और समस्त मानवजाति की सेवा की भावना को आत्मसात करने में मदद मिली है। मुझे बताया गया है कि ब्रह्माकुमारियों के युवा अनुयायी समय-समय पर कौशल विकास कार्यक्रमों और स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करते हैं; बच्चों को शिक्षा प्रदान करके और उनकी अन्य जरूरतों को पूरा करके मलिन बस्तियों को दिव्य नगरी में परिवर्तित करने में सहायता करते हैं।

यह जानकर बहुत संतोष हुआ कि ये प्रतिभाशाली युवा पिछले 10 सालों से राष्ट्रीय अखंडता शिविरों और जीवन कौशल शिविरों का आयोजन करते आ रहे हैं। इससे युवाओं और राष्ट्र-निर्माण के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का परिचय मिलता है, इसके अलावा आपकी अन्य पहलों, जैसे—देश के कोने-कोने में आम जनता तक पहुँचने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों, सम्मेलनों, परियोजनाओं, रिट्रीट और रैलियों के आयोजन के माध्यम से समावेशी

और सतत विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा। इनसे शांति, स्वच्छता और संवहनीय विश्व के संदेश का भी प्रचार और प्रसार हो सकेगा।

वैश्वीकरण के इस युग में जहाँ नैतिक मूल्यों का बहुत तेजी से ह्रास हो रहा है, वहाँ युवा पीढ़ी को निष्ठा, साहस और दृढ़निश्चय आदि जैसे मूलभूत मूल्यों की शिक्षा देना बहुत आवश्यक है। युवा प्रत्येक देश की सबसे मूल्यवान संपत्ति होते हैं और हम इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली हैं। भारत विश्व के युवा देशों में से एक है, जहाँ 65 प्रतिशत लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। अब हमारे सामने यह चुनौती है कि इन युवाओं की ऊर्जा का उपयोग राष्ट्रहित में करते हुए हम विश्व में अग्रणी भूमिका निभाएँ।

"युवा ऊर्जा का उपयोग राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने, राष्ट्र-निर्माण और सकारात्मक कार्यकलापों के लिए किया जाना चाहिए।"

युवा ऊर्जा का उपयोग राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने, राष्ट्र-निर्माण और सकारात्मक कार्यकलापों के लिए किया जाना चाहिए। सकारात्मक आध्यात्मिकता से इन चुनौतियों को पूरा करने में मदद मिल सकती है और युवाओं को सफलता प्राप्त करने के लिए आत्म-विश्वास और दृढ़निश्चय विकसित करने के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। आत्मविश्वास और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण व्यक्ति पावन जीवन जीने की शैली को आत्मसात कर समाज के लिए आदर्श बन सकते हैं। आज के चुनौतीपूर्ण वैश्विक संदर्भ में जहाँ एक ओर युवाओं को राष्ट्र-निर्माण के विभिन्न कार्यकलापों में सम्मिलित करते हुए उनके नेतृत्व के गुणों और व्यक्तित्व को संवारा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विश्व में भुखमरी, गरीबी, महिलाओं के प्रति अपराध, भ्रष्टाचार और आतंकवाद की समस्याएँ भी हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक है कि उत्साही और सक्रिय युवाओं की एक ऐसी पीढ़ी तैयार की जाए, जो सभी चुनौतियों का डटकर सामना करे और 21वीं शताब्दी के नए भारत के निर्माण के प्रति योगदान के सपने को सार्थक ढंग से साकार करे।

मैं अध्यात्म के युवा संदेशवाहकों को बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि वे अपने आस-पास के लोगों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। मैं आयोजकों का आभार व्यक्त करते हुए उनके सभी भावी प्रयासों की सफलता की कामना करता हूँ।

21

अज्ञानता के अंधकार पर ज्ञान के प्रकाश की विजय*

"हमारी संस्कृति में ज्ञान एवं विद्या के प्रकाश को सबसे ज्यादा महत्त्व दिया गया है।...दीपावली का यह पर्व बुरी प्रवृत्तियों और अज्ञान के तथा अविद्या के अंधेरे से निकलकर ज्ञान और विद्या के प्रकाश की ओर बढ़ने के संकल्प का भी पर्व है।"

युवाओं को ऊर्जा, उल्लास और उत्साह का प्रतीक माना जाता है। मैं जब भी युवाओं के बीच जाता हूँ तो एक नई उमंग और उल्लास से भर जाता हूँ। इसलिए आज आप सब के बीच यहाँ आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इस समारोह में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद (ARSP) का आभारी हूँ।

साथियो, आज हम एक बहुत ही खास अवसर पर यहाँ मिल रहे हैं। यह खास मौका है—दीपावली महापर्व का। वैसे तो मानव जीवन में सभी पर्व महत्त्वपूर्ण होते हैं पर दीपावली का एक विशेष महत्त्व है, क्योंकि यह प्रकाश का, रोशनी का पर्व है।

मित्रो, मुझे लगता है कि हमारे जीवन में प्रकाश या रोशनी सबसे जरूरी तत्त्व है। इस जीवन और जगत को, उसकी खूबसूरती को हम प्रकाश के कारण ही देख पाते हैं। इसलिए दीपावली के जरिए हम इस प्रकाश का आदर और सम्मान करते हैं।

साथियो, लेकिन दीपावली का पर्व केवल भौतिक प्रकाश या रोशनी का उत्सव नहीं है। भौतिक अंधेरा तो डरावना होता ही है, पर काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि जैसी बुरी भावनाओं का अंधेरा तो और भी ज्यादा खतरनाक होता है और इन सबका असली कारण है अज्ञान का, अविद्या का अंधकार।

---

* शारदा विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ दीपावली का त्योहार मनाने के अवसर पर संबोधन, ग्रेटर नोएडा; 22 अक्तूबर, 2019

इसलिए हमारी संस्कृति में ज्ञान एवं विद्या के प्रकाश को सबसे ज्यादा महत्त्व दिया गया है। विद्या के प्रकाश के सहारे ही हम बुराइयों से बचे रहते हैं और स्वयं को ऊपर उठाकर देवतुल्य बन सकते हैं। इसलिए हमारे उपनिषदों में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तो दीपावली का यह पर्व बुरी प्रवृत्तियों और अज्ञान के तथा अविद्या के अंधेरे से निकलकर ज्ञान और विद्या के प्रकाश की ओर बढ़ने के संकल्प का भी पर्व है।

ग्रेटर नोएडा स्थित शारदा विश्वविद्यालय में दीपावली उत्सव के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को संबोधित करते हुए

मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि शारदा विश्वविद्यालय इस संदर्भ में उल्लेखनीय काम कर रहा है और विद्या एवं ज्ञान के प्रकाश को फैला रहा है।

साथियो, भारतीय संस्कृति पूरे विश्व को एक परिवार मानती है। 'वसुधैव कुटुंबकम्' अर्थात्, पूरा विश्व ही एक परिवार है, की धारणा के आधार पर हम सदियों से अन्य देशों के साथ प्यार, भाईचारे और अपनेपन का संबंध बनाते रहे हैं और ज्ञान-विज्ञान का आदान-प्रदान करते रहे हैं।

भारत की इसी प्राचीन मान्यता का अनुसरण करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद लगभग पचास वर्षों से विदेशी छात्र-छात्राओं को हमारे सांस्कृतिक परिवेश में शामिल करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

साथियो, आप सभी जानते हैं कि भारत और यहाँ की अद्भुत संस्कृति को समझने के लिए प्राचीन काल से ही विदेशी छात्र एवं यात्री यहाँ आते रहे हैं। मौर्यकाल में मेगास्थनीज

आए। बाद में चीनी यात्री फाहियान आए। फिर हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग आए, तेरहवीं शताब्दी में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता और बहुत से लोग आए।

ये सभी यात्री यहाँ की सभ्यता और संस्कृति से एवं ज्ञान-विज्ञान से सम्मोहित हुए बिना नहीं रह पाए। 'अतिथि देवो भव:' के मूल्यों पर चलने वाली हमारी मातृभूमि ने हमेशा ही अतिथियों का हृदय से स्वागत किया है। आज यहाँ मौजूद सभी विदेशी विद्यार्थियों का भी उसी भाव से हार्दिक स्वागत है।

मुझे खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद (ARSP) ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। परस्पर मेल-भाव बढ़ाते हुए गत वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद ने कई पहलें की हैं और उन्हें जारी भी रखा है। प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत और संपर्क को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

इनमें कई महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल हैं, जैसे कि PIO—सांसद सम्मेलन, 'नो योर रूट्स (Know Your Roots)' कार्यक्रम, प्रवासी भारतीय युवाओं के साथ संपर्क, उनसे जुड़े व्यापक विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलन और संगोष्ठियाँ शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद प्रवासी भारतीयों से जुड़े मुद्दों के बारे में उनके विचारों और उनके सरोकारों को हमारी सरकार तक पहुँचाने के लिए संपर्क सूत्र के रूप में भी काम कर रही है। यह बहुत उल्लेखनीय है।

जैसाकि हम सब जानते हैं, छात्र-छात्राएँ विश्व समुदाय का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं। यहाँ आकर उन्हें अपना ज्ञान बढ़ाने और अनेक संस्कृतियों के बीच रहकर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इससे वे अपने चुने हुए देश की भाषा और संस्कृति को गहराई से जान पाते हैं। विदेशी विद्यार्थियों के पास हमारे देश में स्थानीय सदस्य की तरह रहने और उनके व अपने बीच के सांस्कृतिक अंतर को समझने और उससे सीखने का एक अवसर होता है।

हमारा देश सांस्कृतिक रूप से एक समृद्ध देश है। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के खान-पान, परंपराएँ, मान्यताएँ, सामाजिक रीति-रिवाज, वेशभूषा, भाषा, त्योहार, आदि मौजूद हैं।

हमारे यहाँ हिंदू जैन, इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी धर्म जैसे विश्व के सभी प्रमुख धर्मों के अनुयायी भी रहते हैं, लेकिन इन विविधताओं के बावजूद भारत के नागरिक एक-दूसरे की मान्यताओं और आचार-विचार का सम्मान करते हुए प्रेम, सद्भाव और शांति से रहते हैं।

मैं कहना चाहता हूँ कि हम अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से भली-भाँति परिचित हैं और संस्कृतियों, धर्मों और मान्यताओं के इस अनूठे सामंजस्य को बनाए रखने का हर संभव प्रयास करते हैं।

मुझे यह कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि विश्व भर में हमारा देश सहिष्णु देश के रूप में प्रसिद्ध है। हम शांति और अहिंसा के पक्षधर हैं। हथियारों और गोला-बारूद के उपयोग को हम कभी भी बढ़ावा नहीं देते हैं।

हमें उम्मीद है कि आप अपने यहाँ के प्रवास के दौरान भारत के मूल स्वभाव को समझेंगे। हमारी संस्कृति प्रेम, विश्वास, शांति और सद्भाव पर केंद्रित है। भारत हमेशा से ही 'सर्वे भवन्तु सुखिन:' का हिमायती रहा है। हमारा यह विश्वास रहा है कि शांतिपूर्ण विश्व में ही संस्कृति और मानवता का विकास हो सकता है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब आप यहाँ से वापस जाएँगे तो आप दुनिया भर में हिंसा, आपसी झड़प जैसे अवगुणों को मिटाकर सर्वत्र प्रेम, सौहार्द, शांति और सद्भाव का संदेश फैलाने वाले भारत के 'गुडविल एंबेसडर' बनेंगे।

भारतीय संस्कृति के जिन मूल तत्वों को आप ग्रहण कर पाएँगे, उससे भविष्य में आपके विश्व नागरिक बनने का स्वप्न निश्चय ही पूर्ण होगा।

यह गर्व की बात है कि शारदा विश्वविद्यालय—ग्रेटर नोएडा में पूरे उत्तरी भारत में सबसे अधिक विदेशी छात्र (2000 से ऊपर) हैं। यह हमारी शिक्षा प्रणाली और इसकी व्यावहारिक सोच में विदेशी छात्रों के विश्वास को दर्शाता है। यहाँ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि प्राचीन समय में 'नालंदा' और 'तक्षशिला' के शिक्षा केंद्र विश्वप्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों में शामिल थे।

मैं यहाँ उपस्थित सभी विदेशी छात्रों और उनके देशों के मिशन प्रमुखों को बताना चाहूँगा कि 'दीपावली' को 'दीपों का त्योहार' कहा जाता है। इस पर्व को दीये जलाकर धूमधाम से मनाने का रिवाज है।

ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन बुराई के प्रतीक लंका नरेश रावण को पराजित कर भगवान श्रीराम अयोध्या पहुँचे थे। तब अयोध्या की प्रजा ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था।

मित्रो, दीपावली के दिन सभी लोग अपने-अपने घरों को सुंदर ढंग से सजाते हैं और रंगोली भी बनाते हैं। इस मौके पर मित्र और संबंधी आपस में मिठाइयों और उपहारों का आदान-प्रदान करते हैं। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन और उपहार देने का भी रिवाज है।

साथियो, हमारे देश में ये त्योहार न केवल जीवन की नीरसता में सरसता घोलते हैं, बल्कि देश की जीवंत और ऊर्जावान संस्कृति को भी दर्शाते हैं। इन त्योहारों को मिल-जुलकर मनाने से लोगों में खुशी का संचार होता है तथा उनके आपसी संबंध और मजबूत होते हैं।

भारत का हर त्योहार परस्पर प्रेम और विश्वास का संदेश देता है। हर पर्व के पीछे सबके कल्याण की कामना होती है और ये भारतीय संस्कृति की मानवतावादी सोच को ही दर्शाते हैं। हमारी इस सोच ने सदियों से विश्व को हमारे देश के प्रति आकर्षित किया है।

दीवाली की अँधेरी रात में छोटे-छोटे दीपों की जगमगाहट हम सबके मन, मस्तिष्क और आत्मा को प्रकाशित करती है। जलते हुए दीपक हमें प्रेरित करते हैं कि हम अंधेरे से डरें नहीं। हम निराश न हों।

लेकिन दीपावली के मौके पर दीये जलाना एक नई शुरुआत एक नए संकल्प का भी प्रतीक है। इसलिए आइए, हम सब इस दीपावली पर दीये जलाते हुए यह संकल्प लें कि हम अपने को बेहतर मनुष्य बनाएँगे। हम हमेशा शुभ कर्म करेंगे तथा सही व सकारात्मक दिशा में सोचेंगे।

मैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद को इस आयोजन के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। आपने इस गरिमामयी आयोजन के जरिए सभी संबंधित लोगों को शामिल किया और आपस में मिलने-जुलने का एक मंच प्रदान किया है। मेरा विश्वास है कि इसके दूरगामी और प्रेरणास्पद परिणाम होंगे।

मैं आशा करता हूँ कि शारदा यूनिवर्सिटी इसी तरह से भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार के पावन कार्य को करती रहेगी। इसके साथ-साथ, अंतर्राष्ट्रीय छात्र समुदाय के बीच आपसी सद्भाव बढ़ाने के सामूहिक प्रयासों को भी निरंतर जारी रखेगी।

इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों को मैं पुन: हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और इस शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी लोगों को दीपावली के इस त्योहार की बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।

22

समावेशी शिक्षा नीति*

"शिक्षा ही एक ऐसा साधन है, जो किसी उद्देश्य के अनुसार समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं तथा आदर्शों को दृष्टि में रखते हुए बालक की मूल प्रवृत्तियों का विकास इस प्रकार से करती है कि व्यक्ति तथा समाज दोनों ही विकसित होते रहें।"

शिक्षा एक ताकतवर हथियार है। किसी भी महान देश की नींव एक अच्छी शिक्षा प्रणाली के आधार पर रखी जाती है। हमारे देश में युगों-युगों से शिक्षा और शिक्षक का उच्चतम स्थान रहा है। वह चाहे गुरु द्रोणाचार्य या गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल हों अथवा नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालय। हम ज्ञान, नवोन्मेष और उद्यमिता में विश्व में अग्रणी रहे हैं। हमारे संस्कारों में गुरु-शिष्य का एक विशेष संबंध रहा है।

गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाय।
बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताय॥

एक शिक्षित व्यक्ति शिक्षा रूपी दीप लिये जीवन-यात्रा में निरंतर आगे बढ़ता है। आप हमारे देश के उन सौभाग्यशाली युवाओं में से हैं, जिनको उच्च शिक्षण संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला है।

शिक्षा को हमेशा महत्त्वपूर्ण लोकहित और सामाजिक दायित्व माना जाता है एवं शिक्षा का विकास से सीधा संबंध है।

शिक्षण संस्थान मानवीय क्षमताओं का विस्तार करते हैं। शिक्षा का उद्देश्य हमेशा एक ही रहा है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, "शिक्षा मनुष्य में पहले ही उपलब्ध पूर्णता की अभिव्यक्ति है।"

---

* कलिंगा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में जनजातीय समुदाय के छात्रों को संबोधन, भुवनेश्वर, ओडिशा; 09 नवंबर, 2019

मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष तथा दैनिक जीवन की प्रत्येक क्रिया को सफल बनाने के उद्देश्य का विशेष महत्त्व होता है। बिना उद्देश्य के हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। शिक्षा के क्षेत्र में भी यही बात है।

शिक्षा ही एक ऐसा साधन है, जो किसी उद्देश्य के अनुसार समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं तथा आदर्शों को दृष्टि में रखते हुए बालक की मूल प्रवृत्तियों का विकास इस प्रकार से करती है कि व्यक्ति तथा समाज, दोनों ही विकसित होते रहें। इस दृष्टि से नर्सरी, प्राइमरी, माध्यमिक तथा उच्च स्तरों एवं सामान्य व्यावसायिक एवं तकनीकी तथा प्रौढ़ आदि सभी प्रकार की शिक्षा के उद्देश्य अलग-अलग और स्पष्ट होते हैं।

भुवनेश्वर में कलिंगा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में जनजातीय समुदाय के छात्रों को संबोधित करते हुए

कलिंगा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज बहुत ही अद्भुत और नेक दृष्टि (Vision) पर चलकर कार्य कर रहा है। 1993 में 250 छात्रों से शुरू कर आज यह संख्या 30,000 तक पहुँच गई है। इस यात्रा में यह संस्थान शिक्षा के साथ-साथ इन विद्यार्थियों के लिए रहने की व्यवस्था, इनके कौशल विकास, इनकी चिकित्सा सुविधाएँ आदि मुहैया कराता रहा है। इस संस्थान के छात्र-छात्राएँ कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं। एक व्यक्ति की सोच व समर्पण किस तरह से समाज को बदल सकता है, यह इंस्टिट्यूट इस बात का जीता-जागता उदाहरण है।

आज भारत में एक समावेशी शिक्षा नीति है। हमारे देश के संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची में आती है, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है, जिसके

अंतर्गत 6–14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा अधिनियम लागू है। अनुच्छेद 29 (2) के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के समान अधिकार हैं। अनुच्छेद 30 (1) व 30 (2) के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था है। आजादी के बाद से हमारे देश की साक्षरता में निरंतर बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 1951 में हमारे देश की साक्षरता दर लगभग 18.33 प्रतिशत थी, जो कि वर्ष 2011 में बढ़कर 64.06 प्रतिशत हो गई।

हमारे यहाँ शिक्षा में लैंगिक अंतराल की समस्या से निपटने के लिए हमेशा से प्रयास हुए हैं और आज 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' जैसी योजनाएँ ज्यादा–से–ज्यादा बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। सही एवं उचित शिक्षा से ही हमारी बालिकाओं का उचित विकास होगा और वह एक सशक्त स्वावलंबी महिला बनेंगी। यही महिला सशक्तीकरण का उद्देश्य है। आप सब ने मलाला युसूफ जई का नाम सुना होगा, जिसने मात्र 11 वर्ष की उम्र में लड़कियों को शिक्षा के समान अवसर के लिए आवाज उठाई। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 'शिक्षित महिला अदम्य शक्ति का स्रोत है।' (Enlightened Women are a source of infinite strength)। इस संस्थान में छात्र–छात्राओं की लगभग बराबर संख्या देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं यह कहना चाहूँगा कि जिन छात्राओं को यहाँ पढ़ने का अवसर मिला, वे पूर्ण निष्ठा से अपने जीवन में आगे बढ़ें और परिवार, समाज एवं देश के विकास के लिए अपना योगदान दें।

शिक्षा कोई समय के साथ बदलने वाली चीज नहीं है। प्रशिक्षण समय के साथ अवश्य बदलता है। नई तकनीकों के साथ प्रशिक्षण भी बदलता रहता है, परंतु शिक्षा हमेशा स्थिर रहती है। सच बोलना चाहिए, यह हमेशा के लिए लागू होता है। ईमानदारी हरेक समय में अपेक्षित होती है। समाज और देश के हित में कार्य करना हरेक कालखंड में आवश्यक होता है, इसलिए शिक्षा के जो मापदंड स्वरूप और नीतियाँ भारत के मनीषियों ने निर्धारित की थीं, वे आज से पाँच हजार वर्ष पहले भी प्रासंगिक थीं और आज भी प्रासंगिक हैं। आवश्यकता है, उन्हें पढ़–समझकर उनका समुचित उपयोग करने की।

अच्छी शिक्षा के लिए चार चीजें बहुत महत्त्वपूर्ण हैं, जिनमें पहली है—पहुँच (Access), दूसरी समता (Equity), तीसरी गुणवत्ता (Quality) और चौथी प्रासंगिकता (Relevance)।

शिक्षा ऐसी हो, जो पूरे विश्व में उपयोग में लाई जा सके। शिक्षा के पाठ्यक्रम को समय, स्थानीय परिस्थितियों, संस्कृति एवं सामाजिक जीवनशैली के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए इस संस्थान ने बदलते हुए समय में प्रोफेशनल एवं टेक्नीकल स्किल को अपनाया है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर पीएच.डी. तक की शिक्षा आप लोग यहाँ प्राप्त करते हैं।

प्यारे विद्यार्थियो, मुझे खुशी है कि आप इस संस्थान से अनुशासित होकर सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक गुणों को समेटे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। आप सभी छात्र अब निश्चित ही आर्थिक स्वावलंबन की ओर जाएँगे। आप से आग्रह है कि आप सब लोग अपने घर-परिवार की जिम्मेदारियों के साथ-साथ समाज और देश के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को समझें।

भारतीय संस्कृति हृदय और बुद्धि, दोनों में उदार भाव रखकर कर्म करने की है। आप सभी युवा विद्यार्थी हमारी संस्कृति के संवाहक हैं। हमारे देश के कर्णधार हैं।

आज बदलते भारत की गूँज दुनिया भर में है। टेक्नोलॉजी के इस युग में 'डिजिटल इंडिया मिशन' का उद्देश्य भारत को ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलकर तकनीकी तौर पर सशक्त, सक्षम समाज को तैयार करना है। तकनीक हमेशा नवयुग में प्रवेश का माध्यम रही है। पेपर, प्रिंटिंग प्रेस, ब्लैक बोर्ड, पुस्तकें या फिर आज के स्मार्ट बोर्ड, मोबाइल, इंटरनेट सेवा का, नव क्रांति का आप सबको अपने हित में और देश के हित में सकारात्मक प्रयोग करना है।

एक समय था, जब शिक्षा का अर्थ सरकारी नौकरी पाना होता था। अब समय अलग है। निजी क्षेत्र में ऐसे बहुत से अवसर हैं। साथ ही उद्यमशीलता के लिए कई अवसर हैं, सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए कौशल भारत अभियान के तहत मेक इन इंडिया के तहत और कई माध्यमों से रियायती दरों पर ऋण के माध्यम से नवयुवकों को आर्थिक सहायता दे रही है, ताकि वह अपना काम शुरू करके आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनने के साथ-साथ और लोगों को भी रोजगार दें, रोजगार सृजन करें। आपके लिए संभावनाओं का पूरा आसमान है।

आपके पास शिक्षा रूपी पंख हैं। आप ऊँचा उठें और आगे बढ़ें। आप में इस बात की क्षमता है कि आप वर्तमान का विश्लेषण करें तथा भविष्य का पूर्वानुमान लगाकर उसके लिए योजना बनाएँ और उसके लिए तैयार हों।

मेरे युवा मित्रो, शिक्षा मानव विकास का सबसे सशक्त माध्यम है। हमारे समाज और देश के समग्र विकास के लिए शिक्षा अनिवार्य है।

23

आधुनिक शिक्षा का सामाजिक परिवर्तन एवं राष्ट्र के विकास में योगदान*

"आज हमारे आस-पास की दुनिया सूचना क्रांति पर आधारित है, जो तेजी से आगे बढ़ रही है, किंतु हमारा समाज परंपरागत समाज है। ...हमें परंपरा और आधुनिकता में संतुलन रखना चाहिए। जहाँ हमें आधुनिकता को अपनाना चाहिए, वहीं हमें अपनी परंपरा को नहीं भूलना चाहिए, जो हमारे समाज का वास्तविक आधार है।"

ओडिशा, ओडिशावासी ओ आपण मानंकु मोर नमस्कार (सबको मेरा नमस्कार)। ओडिशा कु आसी मोते बहुत भल लागुच्छी।

कीट ओ कीस भली अनुष्ठान स्थापना करीथीबारु सांसद एवं कीट-कीस र प्रतिष्ठाता डॉ. अच्युत सामंतंकु धन्यबाद जणाउच्छी।

आज कलिंग इंस्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (Kalinga Institute of Industrial Technology) के 15वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में आप सबके बीच यहाँ आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इस शुभ अवसर पर मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए मैं इस संस्था के संस्थापक और माननीय संसद सदस्य, श्री अच्युत सामंत जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आज यहाँ जिन विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाएगी, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।

प्रिय विद्यार्थियो, मैं दीक्षांत समारोह को सिद्धि-दिवस के रूप में देखता हूँ। आज आपके बरसों की ज्ञान-साधना की सिद्धि का दिन है। पिछले कई वर्षों से आप जिस ज्ञान-यज्ञ में दृढ़-संकल्प और परिश्रम के साथ लगे हुए हैं, आज उस ज्ञान-यज्ञ की पूर्णाहुति का दिन है।

---

* कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान का 15वां वार्षिक दीक्षांत समारोह, भुवनेश्वर, ओडिशा; 09 नवंबर, 2019

हम सब जानते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में दीक्षांत समारोह बहुत ही महत्त्वपूर्ण अवसर होता है। हर विद्यार्थी विद्या-अध्ययन करने के दौरान उस दिन का स्वप्न देखता रहता है, जब पढ़ाई पूरी करने और सफलतापूर्वक परीक्षा पास करने के बाद उसे दीक्षांत समारोह में डिग्री प्रदान की जाएगी। आप सबके जीवन में आज वह सपना सच होने जा रहा है। आप सबके जीवन के इस महत्त्वपूर्ण अवसर का साक्षी होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है।

भुवनेश्वर में कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान के
15वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए

आप सबको यहाँ तक पहुँचाने में आप सबके माता-पिता, अध्यापकों और इस शिक्षा संस्थान का भी बहुत महत्त्वपूर्ण योगदान है। उनके सहयोग और मार्गदर्शन के बिना आप सबके लिए इस मंजिल को पाना बहुत मुश्किल होता। इसलिए आज का दीक्षांत समारोह आप सबके माता-पिता, अध्यापकों और इस शिक्षा संस्थान के लिए भी गर्व और प्रेरणा से भरा हुआ सफलता का दिन है। मैं उन्हें भी बधाई देता हूँ।

खासकर, मैं कलिंग इंस्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (KIIT) की भी सराहना करता हूँ, जो आज के युवाओं को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार कर रहा है।

आज आप छात्र जीवन से निकलकर एक नई दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। इस नई दुनिया में कई चुनौतियाँ और संभावनाएँ हैं। मैं जानता हूँ कि आप सबके कई सपने और

अपेक्षाएँ होंगी। लेकिन आपके माता-पिता, आपके समाज और आपके राष्ट्र को भी आपसे कई उम्मीदें और अपेक्षाएँ हैं। इसलिए आप सबको अपने जीवन में इन सारी अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाने के लिए लगातार कोशिश करनी होगी और इन्हीं अपेक्षाओं और चुनौतियों को अवसर के रूप में बदलना होगा। तब ही आप अपना और अपने परिवार, समाज व राष्ट्र का विकास कर पाएँगे।

ज्ञान बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन इसका उपयोग हमेशा ही सकारात्मक और कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। भले ही आज आप विद्यार्थी जीवन से निकल रहे हैं, लेकिन आपको हमेशा ही विद्यार्थी बने रहना चाहिए। आपको हमेशा ही कुछ नया पढ़ते-सीखते रहना होगा और बदलते समय के साथ कदमताल करना होगा। तब ही आप आज की परिवर्तनशील (Dynamic) और तेजी से बदलती दुनिया के साथ कदम-से-कदम मिलाकर चल पाएँगे।

साथियो, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि ज्ञान प्राप्त कर लेना बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि आप यह सीखें कि आपको अपने ज्ञान का वास्तविक जीवन में कैसे सही उपयोग करना है।

आप सभी होनहार युवा हैं। आप में अपार ऊर्जा, उमंग और उत्साह है। आप में नए ढंग से सोचने और रचनात्मक चिंतन की अपार क्षमता है।

मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस देश और समाज को आपकी ऊर्जा, उमंग, उत्साह और रचनात्मकता की बहुत जरूरत है। आप अपनी रचनात्मकता (creativity) का इस्तेमाल करके नई प्रौद्योगिकी (Technology) का विकास कर सकते हैं, देश और दुनिया की समस्याओं के नए समाधान ढूँढ़ सकते हैं।

मित्रो, हम सब जानते हैं कि शिक्षा समाज में सामाजिक-आर्थिक बदलाव लाने का एक सशक्त साधन है। इससे व्यक्ति को अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने की शक्ति मिलती है। नि:संदेह शिक्षा व्यक्ति को इस काबिल बनाती है कि वह रोजगार या उद्यम के माध्यम से प्राप्त होने वाली आर्थिक स्वतंत्रता से अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है और अपने सपनों को साकार कर सकता है।

लेकिन यह केवल कमाई करने का साधन नहीं है; बल्कि अपना व्यक्तित्व बनाने और अपने आस-पास की दुनिया को बदलने की शक्ति प्राप्त करने का साधन भी है।

शिक्षा कोई ऐसी जानकारी नहीं है, जिसे इंसान के दिमाग में डाल देने के बाद उसे बिना समझे सारा जीवन बिताया जा सकता है। यह विचारों को आत्मसात करने की एक ऐसी प्रक्रिया है, जिससे जीवन का निर्माण होता है, चरित्र का निर्माण होता है और व्यक्तित्व का निर्माण भी होता है।

शिक्षा वह महत्त्वपूर्ण साधन है, जिससे छात्र को एक ऐसे उपयोगी और जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद मिलती है, जो अनुशासनप्रिय हो और जिसके आचरण में मर्यादा हो।

मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं गुणों से समाज सशक्त होता है और देश में एकता एवं अखंडता का वास होता है। हम मानव गरिमा और समानता के मूल्यों पर आधारित आधुनिक लोकतंत्र का निर्माण करने के प्रयास कर रहे हैं।

ये ऐसे आदर्श हैं, जिन्हें हमें पूरी तरह साकार करना चाहिए। हमारी भावी संकल्पना में इन महान सिद्धांतों को शामिल किया जाना चाहिए। शिक्षा के बिना इन उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सकता है।

मित्रो, जैसाकि आप जानते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रही प्रगति के परिणामस्वरूप दुनिया में तेजी से बदलाव आ रहे हैं।

इंटरनेट पर आधारित डिजिटल दुनिया से सूचना के आदान-प्रदान का एक ऐसा सुपर हाइवे तैयार हुआ है, जिससे पूरी दुनिया के बारे में हमारी जानकारी बढ़ी है।

ऐसी दुनिया में प्रौद्योगिकी से जुड़ी शिक्षा समाज और देश में बदलाव लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, इसलिए समय की माँग है कि हमें इस क्षेत्र में हो रही प्रगति की पूरी जानकारी हो। अब वह समय नहीं रहा, जब एक साधारण डिग्री नौकरी के लिए काफी होती थी। यह विशेषज्ञता का युग है।

हम सब इस बात को समझते हैं कि हमारे आस-पास प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे बदलाव बहुत तेज गति से और व्यापक रूप से हो रहे हैं।

नई प्रौद्योगिकियों से नए प्रकार के रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। डाटा एनालिटिक्स, बिग डाटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई प्रौद्योगिकी आ रही है, जो पूरे विश्व में उत्पादन प्रक्रियाओं में भी तेजी से बदलाव ला रही हैं। इसके साथ ही रोजगार, कल्याण और शिक्षा की विद्यमान प्रणालियों के समक्ष भी नई चुनौतियाँ पैदा हो रही हैं।

हम जानते हैं कि इस युग में शिक्षा और रोजगार के अवसरों का भविष्य स्टेम मोड्यूल (STEM Module) पर टिका है, अर्थात् विज्ञान (Science), प्रौद्योगिकी (Technology), इंजीनियरिंग (Engineering) और गणित (Maths)। इस नए रुझान के अनुसार मौजूदा पाठ्यक्रम को बदलना जरूरी हो गया है। स्टेम भारत में अभी शुरुआती चरण में है, किंतु शिक्षा प्रणाली में धीरे-धीरे इस रुझान को शामिल किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

'स्किल इंडिया परियोजना' को बढ़ावा देने और डिजिटलीकरण पर जोर दिए जाने से स्टेम शिक्षा शीघ्र ही सभी जगह लागू हो जाएगी।

मैं कोटा, राजस्थान से हूँ, जो प्रौद्योगिकी की शिक्षा में प्रवेश पाने के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है और यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है।

मैं मानता हूँ कि शिक्षा और रोजगार के अवसर, जो पहले कुछ ही लोगों को उपलब्ध थे, उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हो रही उन्नति से अधिकाधिक लोगों को उपलब्ध कराकर परंपरागत समाजों को वास्तव में आगे बढ़ने का मौका दिया जा सकता है।

हालाँकि इसमें कोई संदेह नहीं कि हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, किंतु हमें जीवन में ह्यूमेनिटीज की भूमिका की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति वर्तमान युग की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। इसे समाज को प्रभावित करने के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए।

हालाँकि आज हमारे आस-पास की दुनिया सूचना क्रांति पर आधारित है, जो तेजी से आगे बढ़ रही है, किंतु हमारा समाज परंपरागत समाज है और अपने आस-पास हो रहे बदलाव के अनुसार खुद को ढालने में समय लगता है। हमें परंपरा और आधुनिकता में संतुलन रखना चाहिए।

जहाँ हमें आधुनिकता को अपनाना चाहिए, वहीं हमें अपनी परंपरा को नहीं भूलना चाहिए, जो हमारे समाज का वास्तविक आधार हैं। जब मैं परंपरा की बात करता हूँ तो इसका अर्थ है, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और हमारी महान सभ्यता की भव्यता।

बदलाव के प्रति हमारा भी यही दृष्टिकोण होना चाहिए। हमें अच्छे और बुरे में भेद करना आना चाहिए। हमें वही चुनना चाहिए, जो हमारे लिए प्रासंगिक और सही है। आधुनिकता और आर्थिक संपन्नता की दौड़ में हमें अपनी संस्कृति और परंपरा के श्रेष्ठ और उदात्त मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए।

मित्रो, भारत विश्व का सबसे युवा देश है। हमारी 60 प्रतिशत से अधिक की जनसंख्या युवा है। यह हमारे लिए वरदान जैसा है। वहीं दूसरी ओर पूरे विश्व में आज कुशल युवा श्रमशक्ति की बहुत अधिक माँग है। हमारे देश के युवाओं के लिए न केवल अपने देश में, बल्कि विश्व के हर कोने में रोजगार की अपार संभावनाएँ मौजूद हैं। इसलिए आप सबको इन मौकों का लाभ उठाना चाहिए।

लेकिन इसके लिए हमारे युवाओं को शिक्षा के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के कौशल को भी सीखना होगा। आपको नई तकनीक के उपयोग में दक्ष बनना होगा और निरंतर विकसित होने वाली नई-नई टेक्नोलॉजी और ज्ञान-विज्ञान से खुद को अपडेट करते रहना होगा।

आप सबके लिए यह सुनहरा अवसर है। जब आप विश्व के अलग-अलग हिस्सों में जाकर वहाँ शानदार काम करेंगे तो भारत का सम्मान भी बढ़ेगा। आप सबके साथ-साथ भारत की सभ्यता और संस्कृति भी विश्व के कोने-कोने में विस्तारित होगी। इस प्रकार निश्चित रूप से हम पुन: विश्वगुरु बन पाएँगे।

"युवाओं को अपने विचारों, भावनाओं और कल्पनाओं का इस्तेमाल करके ऊँचे-से-ऊँचा सपना देखना चाहिए, अपने लिए ऊँचे-से-ऊँचा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए।"

वर्तमान सरकार इस दिशा में लगातार कोशिश कर रही है कि हमारे देश के युवाओं को दक्ष बनाया जाए, शिक्षित बनाया जाए। इसके लिए सरकार युद्धस्तर पर कई योजनाएँ और कार्यक्रम चला रही है, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन योजना, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया आदि जो सभी छात्रों के लिए बहुत लाभदायक हैं।

लेकिन जब तक आप में दृढ़ संकल्प, लगन नहीं होगी, जब तक आप कठोर परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक यह उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री कलाम साहब ने कहा है कि छोटे लक्ष्यों को सोचना ही अपराध है (To think low is a crime)।

युवाओं को अपने विचारों, भावनाओं और कल्पनाओं का इस्तेमाल करके ऊँचे-से-ऊँचा सपना देखना चाहिए, अपने लिए ऊँचे-से-ऊँचा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए।

ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप सब राष्ट्र और समाज तथा मानवता का भला करते हुए एक सफल, सार्थक और सुखमय जीवन का आनंद लें।

24

समर्थ, संस्कारित गीतामय भारत का निर्माण*

"गीता अनुपम आत्मविश्वास जाग्रत करके हमें निर्भय बनाती है। मैं केवल देह नहीं हूँ। देह तो आवरण मात्र है। जब इस ज्ञान से आत्मा की अमरता का बोध होता है तो व्यक्ति बड़े-से-बड़ा कार्य निर्भय होकर करता है।"

"जी ओ गीता (जी.आई.ई.ओ.)" महोत्सव भगवद् गीता के सभी 18 अध्यायों पर संवाद करने के लिए आयोजित किया गया है। मुझे बताया गया है कि कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार तैयार की गई है कि इसमें देश के विभिन्न भागों से 18 हजार युवा, 1800 नौकरशाह, 1800 व्यापारी, 1800 डॉक्टर और 1800 वकील शामिल होंगे।

स्वामी जी ने उचित ही कहा है कि गीता का प्रत्येक अध्याय महत्त्वपूर्ण है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने-अपने कार्य क्षेत्र में जीवन जीने की बहुमूल्य कला सिखाता है।

यह जानकर खुशी हुई है कि गीता प्रेरणा महोत्सव का उद्देश्य युवाओं को गीता के ज्ञान से परिचित कराना और हमारे समाज के मतभेदों और पूर्वग्रहों को दूर करते हुए एक समरस समाज का निर्माण करना है। यह भी सराहनीय बात है कि जी.आई.ई.ओ. गीता इस आयोजन के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास कर रही है कि युवा पीढ़ी चरित्रवान बने, नैतिकतापूर्ण आचरण करे और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे।

मेरी व्यक्तिगत राय है कि गीता अन्य धर्मग्रंथों की भांति जीवन के उत्तरार्ध में पढ़े जाने वाला ग्रंथ नहीं है। जिस आयु में हम सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं, जब हमारे जीवन में ऊर्जा की प्रचुरता रहती है, तब यदि हम गीता के संपर्क में आएँ, उसमें निहित कर्मयोग के मर्म को समझें, जानें, तब वह हमारे लिए सर्वाधिक हितकारी मार्गदर्शिका बनेगी। युवा पीढ़ी

* गीता प्रेरणा महोत्सव, लाल किला मैदान, नई दिल्ली; 01 दिसंबर, 2019

की यहाँ पर उपस्थिति मुझे काफी आश्वस्त कर रही है। उनके युवा मानस पर गीता का सकारात्मक प्रभाव शुभ संकेत है।

श्रीमद्भगवद्गीता हमारे सनातन धर्म के महान ग्रंथ महाभारत में ज्ञान कोष की भांति संचित है। जीवन जीने की कला तथा नर से नारायण बनने का मार्गदर्शन इस अद्भुत पुस्तक में विद्यमान है।

गीता प्रेरणा महोत्सव के अवसर पर भाषण देते हुए

साथियो, गीता एक कालजयी रचना है। यह समय की परिधि से परे है। युद्ध के मैदान में भी गीता का उपदेश भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को उस समय दिया था, जब अर्जुन के भीतर और बाहर दोनों तरफ संघर्ष चल रहा था। इस उपदेश की उपयोगिता तब भी थी, आज भी है और आगे भी हमेशा बनी रहेगी।

वास्तव में गीता मानव मन को भटकावों से हटाकर सही राह पर चलाने की सबसे कीमती चाबी है। हम आज की ज्वलंत समस्याओं का समाधान भी गीता में आसानी से ढूँढ़ सकते हैं। चाहे वह मानवीय मूल्यों का पतन हो, सांप्रदायिकता या जात-पात हो, सबके निदान के लिए हमें कहीं और नहीं बल्कि गीता की ओर जाने की आवश्यकता है।

साथियो, हर व्यक्ति के लिए गीता के अपने मायने हैं। यहाँ गीता की शास्त्रीय व्याख्या करने वाले विद्वान मनीषी भी उपस्थित हैं, जो उसके धार्मिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक विशेषताओं और गूढ़ तत्वों की व्याख्या करेंगे।

श्रीमद्भगवद्गीता को लेकर जो मेरे मन में भाव हैं और अपना निजी अनुभव है, वे मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मेरी माँ एक अत्यंत धार्मिक महिला थीं। वह धार्मिक पुस्तकों को बहुत सहेजकर ससम्मान रखती थीं। रामायण और महाभारत की कथाएँ बचपन में ही हमें सुना दी गई थीं।

ऐसे ही महाभारत के हिस्से के रूप में श्रीमद्भगवद्गीता से मेरा परिचय हुआ। बाद में, जैसे-जैसे इस महान कृति को जानने-समझने की दृष्टि व्यापक हुई तो इस पुस्तक का महत्त्व और निखरकर सामने आ गया।

महात्मा गांधी श्रीमद्भगवद्गीता को 'गीता माता' कहते थे। उनके जीवन में जब भी कोई संकट आता था, कोई चुनौती आती थी तो वह उसका हल श्रीमद्भगवद् गीता में ही तलाशते थे। वह मानते थे कि जो मनुष्य श्रीमद्भगवद् गीता का भक्त होता है, उसे निराशा कभी नहीं घेरती, वह हमेशा आनंद में रहता है।

आखिर यह आनंद आता कहाँ से है? जब इस प्रश्न की विवेचना करते हैं तो हमें इस महान पुस्तक के प्रथम अध्याय को देखना होगा, जिसका नाम 'अर्जुन विषाद योग' है। समय कोई भी रहा हो, हम सब अर्जुन हैं। हम सबके समक्ष परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। संशय जगते हैं, प्रश्न उठते हैं कि क्या किया जाए? क्या किया जाना चाहिए? ऐसे प्रश्न हमें दुविधा में डालते हैं। हमारी बुद्धि और विवेक को 'कठिन परीक्षा' से गुजरना पड़ता है।

इस प्रकार एक कुरुक्षेत्र हम सबके मन-मस्तिष्क में चलता रहता है। यही कुरुक्षेत्र है और धर्म क्षेत्र भी है। इस क्षेत्र में कुछ-न-कुछ लड़ाइयाँ चलती ही रहती हैं। अधिकांश लड़ाइयाँ मेरे-तेरे को लेकर ही होती हैं। ये अपने-पराये के भेदभाव से पैदा होती हैं।

मैं इसे स्वयं से भी जोड़कर देखता हूँ कि 17वीं लोक सभा में मुझे नवनिर्वाचित संसद सदस्यों ने सर्वसम्मति से लोक सभा अध्यक्ष के पद पर कार्य करने के लिए चुना। इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए भगवद्गीता ही प्रेरणा बनती है। गीता ही मेरा मार्गदर्शन करती है। मैं एक ऐसे संवैधानिक पद की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, जहाँ मेरी दृष्टि में सभी समान हैं। कोई मेरा अपना नहीं है और कोई पराया नहीं है। मेरी नजर में कोई पक्ष या विपक्ष नहीं है, सब एक समान हैं।

श्रीमद्भगवद्गीता मुझे सिखाती है कि यदि किसी को अपना मानने लगेंगे तो राग पैदा होगा और किसी को पराया समझेंगे तो द्वेषभाव आ जाएगा। इसलिए 'मेरे-तेरे' का भेद भुलाकर राग-द्वेष त्यागना चाहिए।

विचार करके देखें तो हम सब अपने-अपने जीवन-संग्राम के योद्धा हैं। जब हम मोहग्रस्त होते हैं तो यह ग्रंथ हमारे धैर्य को टूटने से बचाता है, एक साहस भरता है, हृदय की दुर्बलता को छोड़ने का आह्वान करता है।

गीता अनुपम आत्मविश्वास जाग्रत करके हमें निर्भय बनाती है। मैं केवल देह नहीं हूँ। देह तो आवरण मात्र है। जब इस ज्ञान से आत्मा की अमरता का बोध होता है तो व्यक्ति बड़े-से-बड़ा कार्य निर्भय होकर करता है।

हमने देखा है कि हमारे देश के क्रांतिकारी, बलिदानी वीर इसी प्रेरणा से फाँसी के फँदे को चूमते रहे। अत्याचारी अंग्रेजी शासन लाख चाहकर भी उनके चेहरों की मुस्कान को नहीं मिटा सका। उनके बलिदानों से ही हमें आजादी मिली।

आजादी मिलने के बाद पूरे देश में एक चुनौतीपूर्ण वातावरण था। ऐसे में आमजन की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तथा एक नए भारत के निर्माण के लिए स्वयं देशवासियों ने ही अपने संविधान का निर्माण करके भारत को एक गणतंत्र के रूप में स्थापित किया।

हमारा यह संविधान दरअसल हमारे पूर्वजों के ही स्थापित मूल्यों का एक दर्शन है, इस संविधान का श्रीमद्भगवद्गीता से भी अंतर्संबंध है। वह मैं आपको आज बताना चाहूँगा।

यदि आप भारत के मूल संविधान को देखें, जो हस्तलिखित था। उसके प्रत्येक भाग के आरंभ में हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक गौरव को उकेरने वाले चित्र अंकित हैं।

हमारे संविधान के भाग-4 में राज्यों के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है, जिसमें मूल कर्तव्यों का वर्णन है। नीति निदेशक तत्वों वाले इसी भाग के आरंभ में ही गीता ज्ञान का चित्र अंकित है। इतने महत्त्वपूर्ण भाग में गीता उपदेश के चित्र के व्यापक मायने हैं और यह एक संदेश लिये हुए है। हम अपने कर्तव्यपालन से विमुख नहीं हो सकते। हमें निरंतर कर्म करते रहना है। गीता के उपदेशों को स्मरण रखते हुए ही हम संविधान निर्माताओं के सपनों के भारत को एक सच्चाई में बदल सकते हैं।

साथियो, आप सब यहाँ तत्त्व ज्ञानियों की बातें सुनेंगे। मैंने आपके साथ अपने व्यावहारिक जीवन में गीता से हुए साक्षात्कार और उसके लाभ का वर्णन किया है।

अंत में, मैं एक बार पुन: महात्मा गांधी जी को उद्धृत करना चाहूँगा, जिन्होंने कहा था कि "गीता हमारी सद्गुरु रूप है, माता रूप है और हमें विश्वास रखना चाहिए कि उसकी गोद में सिर रखकर हम सही सलामत पार हो जाएँगे"।

मेरे लिए यह सौभाग्य का विषय रहा है कि मैं ऐसे महोत्सव में शामिल हो पाया। गीता प्रेरणा महोत्सव दरअसल एक ज्ञानयज्ञ की तरह है और मुझे इस ज्ञान-यज्ञ में शामिल होकर आत्मिक संतुष्टि हो रही हैं।

जिस उद्देश्य से यह महोत्सव आयोजित हो रहा है, उस समरस, संस्कारित गीतामय 'भारत' का उद्देश्य यथाशीघ्र प्राप्त हो, ऐसी मेरी शुभकामना और सदिच्छा है। जन-जन

तक गीता का पुनीत उपदेश पहुँचे। लोग अपने कर्तव्यों की ओर उन्मुख हों। उन्हें उनके कर्तव्य-पथ से कोई भी संशय डिगा न पाए। और यदि कभी कोई संशय उन्हें घेरे तो फिर एक ही उपाय उनके सामने है। वे लौटकर गीता की शरण में आएँ, जो सीधे कर्मयोगी प्रभु श्रीकृष्ण के मुख से निकली है।

क्योंकि कहा भी गया है कि "गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै।" अर्थात् केवल गीता का ही पालन कर लें तो अन्य शास्त्रों के विस्तार में जाने की आवश्यकता ही नहीं है।

25

आई.सी.ए.आई.—एक प्रमुख लेखा निकाय*

आप पर देश के धन की, व्यक्तियों द्वारा अर्जित की गई मेहनत की कमाई की निगहबानी करने का दायित्व है और यह आपकी संस्था का आदर्श वाक्य 'एष सुप्तेषु जागृति' है, जिसका सार है—'वह व्यक्ति सोने वाले व्यक्तियों के बीच जाग रहा है। इस आदर्श को प्राप्त करने के लिए आपको हमेशा सतर्क रहना होगा।'

मैं द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आई.सी.ए.आई.) की फरीदाबाद शाखा के 40वें स्थापना दिवस समारोह के शुभ अवसर पर आप सब को इस महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ।

यह बड़े गर्व की बात है कि आई.सी.ए.आई. विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लेखा-कार्य संबंधी निकाय है, जो जनहित और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में शुरू से ही अपना योगदान देता आया है। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि अपनी स्थापना के सात दशक के दौरान आई.सी.ए.आई. ने न केवल देश में, बल्कि विश्व स्तर पर भी एक प्रमुख लेखा-कार्य संबंधी निकाय के रूप में अपनी पहचान हासिल की है।

सन् 1949 में अपनी स्थापना से ही इसे अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली संस्था तथा सार्वजनिक जवाबदेही के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। साथ ही विश्व का सबसे बड़ा सांविधिक, लेखा-कार्य, लेखापरीक्षा और व्यावसायिक निकाय होने के नाते यह संस्था अपने सदस्यों में स्वतंत्र, सुविचारित और संतुलित राय कायम करने के लिए भी जानी जाती है।

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सी.ए.) की प्रमुख संस्था के रूप में यह संस्था ऐसे स्वतंत्र पेशेवरों को तैयार करती है, जो पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा के रक्षक होते हैं। हमारे देश में लेखा संबंधी कार्यों की आई.सी.ए.आई. द्वारा की जा रही निरंतर निगरानी भारत में अकाउंटिंग

* द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आई.सी.ए.आई.) की फरीदाबाद शाखा का 40वां स्थापना दिवस समारोह; 21 दिसंबर, 2019

के क्षेत्र में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत आवश्यक है।

कोई भी व्यक्ति निर्धारित परीक्षाओं में भाग लेकर और तीन साल के व्यावहारिक प्रशिक्षण के बाद ICAI का सदस्य बनता है। ज्यादा–से–ज्यादा युवा इसमें आएँ एवं इस पेशे को अपने कॅरियर के रूप में अपनाएँ, ऐसा हमारी अर्थव्यवस्था के हित में है।

सरकार ने 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों में से एक के रूप में इसकी पहचान की है। मैं नोटबंदी, जी.एस.टी., रेरा (भू–संपदा विनियामक अधिनियम) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, स्वच्छता ही सेवा आदि के प्रभावी कार्यान्वयन सहित सरकार की पहलों का समर्थन करने वाले विभिन्न अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भी आई.सी.ए.आई. की सराहना करना चाहूँगा। इसके अतिरिक्त आई.सी.ए.आई. उन देशों को तकनीकी सहायता प्रदान कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जहाँ लेखा–कार्य संबंधी मूलभूत सुविधाओं की कमी है।

जैसाकि हम सभी जानते हैं, राष्ट्र के विकास में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विकास में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सी.ए.) महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सी.ए. हमारे समाज में सत्यनिष्ठा की संस्कृति को मजबूत करने तथा बेहतर कॉरपोरेट शासन प्रणाली को सुनिश्चित करने का कार्य कर सकते हैं।

एक नागरिक होने के नाते जहाँ हमारे बहुत से अधिकार हैं, वहीं हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। करों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान भी एक जिम्मेदार नागरिक का परम कर्तव्य है। आर्थिक शुचिता से विकास को गति मिलती है एवं सतत विकास में यह सहायक होता है। अगर हम सब कर्तव्यनिष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन करें तो वह दिन दूर नहीं, जब भारत पुन: अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त करेगा।

आप देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के माध्यम से प्रदान की गई स्वायत्तता, जनता के सामने एक विश्वसनीय संस्था के रूप में आपके व्यवसाय की महत्ता को उजागर करती है, जो स्पष्टता, पारदर्शिता को सुनिश्चित करने तथा गलत कामों को उजागर करने की दिशा में कार्य कर रही है।

देश में स्वतंत्रता के बाद से ही अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने, कानून के शासन को लागू करने एवं वित्तीय पारदर्शिता के प्रयासों में कानून के माध्यम से और जन–जागरण से भी मदद मिलेगी। जैसाकि हम सभी जानते हैं कि अकाउंटिंग के क्षेत्र में सत्यनिष्ठा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटक है। सत्यनिष्ठा से तात्पर्य है कि लेखाकारों को उनके समक्ष उपलब्ध वित्तीय जानकारी का संज्ञान ईमानदारी, स्पष्टता और निष्पक्ष भाव से लेना चाहिए। वस्तुनिष्ठा और स्वाधीनता के सिद्धांतों की माँग यह भी है कि लेखाकारों को अकाउंटिंग सेवाओं के समय किसी प्रकार के हितों के टकराव तथा अन्य संदिग्ध व्यावसायिक मुद्दों से जुड़ी समस्याओं से दूर रहना चाहिए।

आप वित्तीय रिपोर्टरों और मध्यस्थों के रूप में सेवा करते हैं और सार्वजनिक हित संबंधी अपने प्राथमिक दायित्व का पालन करते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी महत्त्वपूर्ण आर्थिक

निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। तद्नुसार लेखाकारों का नैतिक रूप से अनुचित व्यवहार समाज के लिए हानिकारक हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप जनता आप पर अविश्वास कर सकती है और कुशल पूँजी बाजार संचालन में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। इसलिए आपका व्यवसाय समाज और देश के लिए वित्तीय मॉनिटर की महत्त्वपूर्ण भूमिका लिये हुए है।

आज मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप आई.सी.ए.आई. के आदर्श वाक्य में निहित विचारों और सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध रहें। आप पर देश के धन की, व्यक्तियों द्वारा अर्जित की गई मेहनत की कमाई की निगहबानी करने का दायित्व है और यह आपकी संस्था का आदर्श वाक्य 'एष सुप्तेषु जागृति' है, जिसका सार है—'वह व्यक्ति सोने वाले व्यक्तियों के बीच जाग रहा है। इस आदर्श को प्राप्त करने के लिए आपको हमेशा सतर्क रहना होगा।'

वर्तमान समय के संदर्भ में, जब हमें कई कॉरपोरेट धोखाधड़ी का सामना करना पड़ रहा है तो यह आदर्श वाक्य सी.ए. समुदाय के लिए विशेष महत्त्व रखता है, क्योंकि राष्ट्र आपको बहुत उम्मीद के साथ देखता है कि आप न केवल धोखाधड़ी का पता लगाएँगे, बल्कि ऐसे तरीके भी खोजेंगे, जिससे ऐसी घटनाएँ बार-बार न हों।

वित्तीय शुचिता, पारदर्शिता और जवाबदेही, जो सुशासन के महत्त्वपूर्ण घटक हैं, की भी आपके पेशे से अपेक्षा की जाती है। संसद ने लेखाओं को प्रमाणित करने और उसका लेखापरीक्षण करने की आपको एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदान की है। आपको यह सुनिश्चित करना है कि समाज की आर्थिक स्थिति ठीक रहे।

बढ़ती व्यावसायिकता को देखते हुए मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने इंडियन ऑडिट फर्मों से आग्रह किया है कि वे दुनिया में अत्यधिक सम्मानित ऑडिट फर्मों के रूप में उभरकर आएँ, जिन्हें वर्ष 2022 तक शीर्ष कंपनियाँ और संस्थाएँ अपने लेखापरीक्षण कार्य को सौंप सकें। इसके लिए आपको दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कौशल की तुलना में अपने कौशल को उन्नत करने और आज की गतिशील दुनिया में पेशेवर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए बहुत प्रासंगिक नए कौशल प्राप्त करने की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर आई.सी.ए.आई., फरीदाबाद को उनकी 40वीं वर्षगाँठ पर बधाई देता हूँ और आपसे अब तक किए गए अच्छे कार्यों को जारी रखने का आग्रह करता हूँ।

इस अवसर पर आई.सी.ए.आई., फरीदाबाद शाखा द्वारा अपने सदस्यों की एक डायरेक्ट्री भी प्रकाशित की जा रही है। निश्चय ही इससे आप वित्तीय विश्लेषकों को विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयों एवं कई अन्य वित्तीय मसलों पर आपसी चर्चा, अंतरसंवाद एवं विचार-विमर्श करने में सुविधा होगी। मैं इसके लिए सभी आयोजकों को बधाई देता हूँ।

26

आई.सी.ए.आई. की बहुआयामी भूमिका*

"सी.ए. का कार्य क्षेत्र केवल एक लेखाकार, लेखापरीक्षक या कराधान विशेषज्ञ तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह वास्तव में बहुमुखी हो गया है। इसमें अन्य कार्यों के अतिरिक्त माल और सेवा कर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फंड मैनेजमेंट, क्रेडिट एनालिसिस, मध्यस्थता और दिवाला कानून जैसे अन्य क्षेत्र भी जुड़ गए हैं।"

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई.सी.ए.आई.) देश का एक प्रमुख लेखा संस्थान है। अपने 70 वर्षों से अधिक के कार्यकाल में आई.सी.ए.आई. ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस संस्थान ने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ-साथ एथिकल प्रैक्टिस के लिए मानकों को निर्धारित करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रथाओं के ट्रस्टी के रूप में भी इस संस्थान को काफी प्रसिद्धि मिली है।

वर्ष 1949 में मात्र 1700 सदस्यों वाला यह संस्थान आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संस्थान बन गया है, जिसके पास तीन लाख से अधिक ऐसे सदस्य हैं, जो लेखा सेवा के पेशे या सरकारी या निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। मुझे यह भी बताया गया है कि आई.सी.ए.आई. में 7.5 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं और 2 लाख से ज्यादा आर्टिकल्ड असिस्टेंट्स भी हैं। ये सभी मिलकर इसे एक बड़ा ऑडिट परिवार बनाते हैं।

देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पेशे को विकसित करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 बना, जिसके तहत 1 जुलाई, 1949 को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई.सी.ए.आई.) का गठन हुआ।

---

* द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का वार्षिक समारोह, अशोक होटल, नई दिल्ली; 07 फरवरी, 2020

वर्तमान में इस संस्थान के 4 रीजनल ऑफिस, 163 शाखाएँ और विदेशों में 30 चैप्टर कार्यरत हैं, जो विद्यार्थियों को लेखांकन एवं उससे जुड़ी हुई अन्य महत्त्वपूर्ण विधाओं की जानकारी देकर उन्हें कौशलयुक्त एवं दक्ष बना रहे हैं।

सनदी लेखा के क्षेत्र के साथ अनेक वर्षों से जुड़े हुए सभी महानुभावो, आपको देश की संसद ने एक पवित्र अधिकार दिया है। बहीखातों में सही को सही और गलत को गलत कहने का, प्रमाणित करने का ऑडिट करने का और यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपके पास है।

द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के वार्षिक समारोह के अवसर पर विचार व्यक्त करते हुए

समाज की आर्थिक व्यवस्थाएँ स्वस्थ रहें, उनमें गलत चीजों का प्रवेश न हो, यह सब आप देखते हैं। आप देश के अर्थतंत्र के बड़े स्तंभ हैं और इसलिए आप सबके बीच आना मेरे स्वयं के लिए भी शिक्षा और दीक्षा का एक बड़ा अवसर है।

दुनिया भर में भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उनकी समझ और बेहतरीन वित्तीय क्षमताओं के लिए जाना जाता है। चूँकि आपको आर्थिक मामलों की पूरी समझ है, इसलिए आपको अर्थव्यवस्था का ऋषि-मुनि कहना सर्वथा उचित होगा।

आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सी.ए.) न केवल वित्त और लेखा के मामलों में व्यावसायिक संगठनों की रीढ़ हैं, बल्कि व्यवसाय सलाहकार, रणनीतिकार और अग्रणी प्रशासकों के रूप में भी महत्त्वपूर्ण और प्रभावशाली भूमिका निभा रहे हैं। आप अर्थव्यवस्था और व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी प्रबंधकों के रूप में भी योगदान दे रहे हैं और बहुआयामी भूमिकाएँ निभा रहे हैं।

चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम अब केवल वित्तीय प्रबंधन नहीं रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट अब परियोजनाओं की पहचान में भी सहायता करते हैं। ऐसे कार्य तकनीकी, वित्तीय और

वाणिज्यिक रूप से कितने व्यावहारिक हैं, इसका मूल्यांकन करते हैं। वे विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में दक्ष होते हैं और वह इनकी प्रक्रियाओं के चयन में भी मार्गदर्शन करते हैं।

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे राष्ट्र के फाइनेंशियल गाइड हैं। आप देश की अर्थव्यवस्था की निगरानी करने वाली संस्था है। आप राजकोष के रक्षक भी हैं और देश की जनता की ओर से सरकार के कुशल वित्त प्रशासन पर पैनी नजर रखने वाले पारखी भी हैं। मैं मानता हूँ कि अगर हम वित्त प्रबंधन की ठीक से निगरानी करें तो कई समस्याएँ स्वयं ही सुलझ जाएँगी, इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का मुस्तैदी से काम करना आवश्यक है।

आज के वैश्विक युग में विभिन्न देशों के हित अंतर्निहित हैं। देश की अर्थव्यवस्था एक-दूसरे को प्रभावित करती है और परस्पर निर्भर भी है। ऐसे में विकास की विभिन्न परियोजनाओं का चयन भी एक गंभीर विषय है। आज की खुली अर्थव्यवस्था में देश की आर्थिक गतिविधियाँ विश्व की आर्थिक गतिविधियों से जुड़ गई हैं। ऐसे में अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए इन गतिविधियों की निगरानी अत्यंत आवश्यक है। इस कार्य के लिए हमारे राष्ट्र को आप सबके कुशल श्रम एवं योग्य विश्लेषण की आज विशेष आवश्यकता है।

आपकी इसी भूमिका के कारण चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को 'अर्थव्यवस्था के रखवाले' (Conscience Keepers of Economy) कहा जाता है। इसलिए भारत के माननीय पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने इस संस्थान को 'राष्ट्र-निर्माण में भागीदार (Partner in Nation Building)' कहा था।

आज हमारा देश इतिहास के एक और अहम पड़ाव पर है। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश का राजनीतिक एकीकरण हुआ। अब आज देश आर्थिक एकीकरण के दौर से एक नई यात्रा को प्रारंभ कर रहा है। आज के समय में जो एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार का सपना साकार हुआ है, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

आज सी.ए. का कार्य क्षेत्र केवल एक लेखाकार, लेखापरीक्षक या कराधान विशेषज्ञ तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह वास्तव में बहुमुखी हो गया है। इसमें अन्य कार्यों के अतिरिक्त माल और सेवा कर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फंड मैनेजमेंट, क्रेडिट एनालिसिस, मध्यस्थता और दिवाला कानून जैसे अन्य क्षेत्र भी जुड़ गए हैं। लेखांकन और वित्तीय सेवाओं की पारदर्शिता में सी.ए. की स्थिति अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो गई है।

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देश के अर्थतंत्र के भरोसेमंद प्रवक्ता होते हैं। आप सरकार और कर देने वाले नागरिकों और कंपनियों के बीच पुल का काम करते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का हस्ताक्षर सत्यता की भरोसे की गवाही देता है। कंपनी बड़ी हो या छोटी, आप जिस खाते पर हस्ताक्षर कर देते हैं, उस पर सरकार भी भरोसा करती है और देश के लोग भी भरोसा करते हैं।

आज हमारा देश सकारात्मक और प्रगतिशील परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है। सरकार ने कई ऐसे परिवर्तनकारी और समय की माँग के अनुरूप आधुनिक कानून पास किए हैं, जिनमें आपके क्षेत्र के लोगों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। आप जो भी रास्ता चुनें, उसमें सदैव यह ध्यान रखें कि उसमें शुद्धता हो, शुचिता हो, कंप्लायंस हो और विश्वसनीयता हो।

वास्तव में 'स्वयं से पहले सेवा' का मंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बिल्कुल सटीक है। इसी सेवा भाव को आगे रखकर हमें अपने देश को गौरवान्वित करने के लिए 'इंडिया फर्स्ट' के दृष्टिकोण को अपनाना होगा।

जैसे-जैसे कॉरपोरेट क्षेत्र उन्नत पारदर्शिता और जवाबदेही के वातावरण में विकसित होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को स्वतंत्रता के साथ काम करने और अधिकतम ईमानदारी बनाए रखने की आवश्यकता होती है। आपकी संस्था का आदर्श वाक्य है—"या एषा सुप्तेषु जागृति", इसका सार है—'वह व्यक्ति जो नींद में सोने वाले व्यक्तियों के बीच जाग रहा है।'

इस आदर्श को प्राप्त करने के लिए आपको हमेशा सतर्क रहना होगा। आपको हमेशा जागृत रहना होगा, तभी आप देश को एक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने में मदद कर सकते हैं।

आपको कानूनों और नियमों का पालन करते हुए बहुत ही उच्च स्तर के आत्म-अनुशासन को बनाए रखना है और नैतिकता के कोड के भीतर काम करना है।

केवल धन कमाना हमारी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य नहीं है। सामाजिक कल्याण के साथ-साथ अंत्योदय हमारी बुनियादी सोच में शामिल है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि हमें हरेक मानव के जीवन में उत्थान लाने की दिशा में यत्न करना चाहिए।

भारत आज दुनिया का सबसे युवा देश है। आज विश्व के लगभग 20 प्रतिशत युवा हमारे देश में हैं। हमें उनकी ऊर्जा का सदुपयोग करना सीखना होगा। शिक्षा और सही कौशल के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना आज के समय की माँग है। इसलिए यदि हम अपने देश के युवाओं को अच्छी तरह से प्रशिक्षित और कुशल बनाएँ तो वे राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान दे सकेंगे।

आज डिजिटल क्रांति और सूचना तकनीक का युग है, जिसने अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान दी है और यह समय नवाचार एवं व्यापार के नए तरीके का है। इसलिए आपको भी बदलते समय के अनुरूप अपने व्यवसाय में आधुनिकता और तीव्रता लानी होगी, तभी आप अपने-आपको नए वातावरण के अनुकूल ढाल पाएँगे।

मैं इस संस्थान से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ और संस्थान के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

27

जेनरेशन इक्वेलिटी : एक विश्वव्यापी अभियान*

"शिक्षा ऐसी हो, जिससे आप जीवन में एक सफल और जिम्मेदार व्यक्ति बनें। आप अपने परिवार, समाज और देश के लिए सकारात्मक योगदान दे सकें, साथ-साथ आप में मानवीय मूल्यों का भी विकास हो।"

वर्ष 1976 में पहले स्कूल की स्थापना के बाद से ही रयान इंटरनेशनल ग्रुप देश में गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यह वास्तव में बहुत ही सराहनीय कार्य है।

रयान ग्रुप ने आज स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्थाओं में अपना एक अलग स्थान बना लिया है। मुझे खुशी है कि ज्ञान, कौशल, संस्कार तथा सामाजिक और नैतिक मूल्यों की शिक्षा के माध्यम से रयान ग्रुप छात्रों के लिए एक उपयुक्त माहौल प्रदान कर रहा है।

यह ग्रुप पिछले चार दशकों से भी अधिक समय से हमारे देश के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। यह और भी प्रसन्नता की बात है कि पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने के साथ-साथ रयान इंटरनेशनल ग्रुप विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों की छिपी प्रतिभाओं का विकास करने का प्रयास कर रहा है।

सांस्कृतिक कार्यक्रम शिक्षा के अभिन्न अंग हैं। आज वैश्वीकरण के इस युग में विभिन्न संस्कृतियों को समझने और उनसे कुछ ग्रहण करने का अवसर प्रदान करने में ऐसे कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज रयान इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के स्कूल में आयोजित होने वाले उत्सव के माध्यम से आप सब बच्चों को एक-दूसरे की संस्कृति को समझने और आगे बढ़ने का अद्‌भुत अवसर मिला है।

---

* 16वाँ रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल उत्सव, तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली; 13 से 17 दिसंबर, 2019

मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं कि ऐसे अनुभव छात्रों के मन पर हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ जाते हैं, जिससे वे बड़े होकर आत्मविश्वास से भरे जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। मैं मानता हूँ कि इससे उनमें नेतृत्व के आवश्यक गुण विकसित होते हैं। बच्चों के ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से हमें अपने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की विशेषताओं को दूसरे देशों के सामने लाने का अवसर भी मिलता है।

16वें रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल उत्सव पर देश-विदेश से आए बच्चों को संबोधित करते हुए

आज के आधुनिक युग में शिक्षा के व्यापक अर्थ हैं। शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न होकर व्यावहारिक कौशल से जुड़ी हो। आज शिक्षा के साथ-साथ उच्च कौशल विकास और उद्यमशीलता भी प्राथमिकता पर है। शिक्षा ऐसी हो, जिससे आप जीवन में एक सफल और जिम्मेदार व्यक्ति बनें। आप अपने परिवार, समाज और देश के लिए सकारात्मक योगदान दे सकें, साथ-साथ आप में मानवीय मूल्यों का भी विकास हो।

प्यारे बच्चों, आप सब देश के भविष्य हैं। दुनिया के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हो रही नई खोज के बारे में, अर्थव्यवस्था और मानव जीवन के हरेक पहलू के बारे में आपके ज्ञान का प्रभाव भविष्य में आप के निर्णयों और कार्यों पर पड़ेगा।

इस उत्सव में एक साथ इकट्ठा होना वास्तव में आप सबके लिए जानकारी साझा करने और एक-दूसरे से कुछ सीखने का बहुत अच्छा अवसर है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आप सब छात्र बहुत प्रतिभाशाली हैं, परंतु परंपरागत शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन से कहीं आगे बढ़कर यहाँ अपनी परफॉर्मेंस के माध्यम से अपनी छिपी हुई कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके लिए मैं आज यहाँ मौजूद सभी बच्चों की दिल से सराहना करता हूँ।

16वें रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल उत्सव का विषय 'जेनरेशन इक्वल' बहुत ही अच्छा विषय है। आप सब बच्चे—लड़के और लड़कियाँ—सच में जेनरेशन इक्वल का उदाहरण हैं, क्योंकि आप सब एक समान हैं। मैं रयान इंटरनेशनल ग्रुप को इस वर्ष के उत्सव के लिए इस विषय को चुनने के लिए बधाई देता हूँ, जिसका उद्देश्य हमारे समय के एक प्रमुख सामाजिक अभिशाप, अर्थात् महिलाओं के बारे में रूढ़िवादी सोच और सामाजिक पूर्वाग्रह को दूर करना है।

जेनरेशन इक्वेलिटी के विश्वव्यापी अभियान से प्रेरणा लेकर स्कूल स्तर पर इस बृहत् उत्सव के माध्यम से बच्चों में समानता और सामाजिक जिम्मेदारी का भाव जगाने का यह प्रयास वास्तव में प्रशंसनीय है।

प्राचीन संस्कृति और विविधता में एकता भारत की पहचान है। भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से आप विदेशों से आए बच्चों को यहाँ बहुत भिन्नता दिखेगी, पर इस सब विविधता को हम एकता के अदृश्य तार से मजबूत सूत्र में बाँधे हुए हैं और हमें इस पर गर्व है कि हमारे देश की संस्कृति में प्रारंभ से ही बेटा-बेटी दोनों को हर क्षेत्र में समान अवसर मिलते आए हैं।

महिला-पुरुष के बीच समानता सुनिश्चित करने तथा महिलाओं और बच्चियों को अधिकार देने के लिए हमारे संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं। विगत वर्षों में नियमित विधायी उपायों और नीतिगत पहलों की मदद से इन संवैधानिक उपबंधों को मजबूत किया गया है। इससे हमारे समाज में महिलाओं और बच्चियों की स्थिति में महत्त्वपूर्ण बदलाव आए हैं, लेकिन अभी भी उन्हें अनेक सामाजिक और आर्थिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव सदियों पुरानी सामाजिक बुराई है, जो पूरी दुनिया में अनेक समाजों और देशों में अभी भी मौजूद है। यह देखकर बहुत दु:ख होता है कि महिलाओं के बारे में रूढ़िवादी सोच, सामाजिक पूर्वाग्रह और असमानता के कारण हमारे समाज में दहेज मृत्यु, झूठी शान के लिए हत्या, घरेलू हिंसा आदि जैसे जघन्य अपराध होते हैं। ऐसी सोच उनकी प्रगति और खुशहाली के मार्ग में भी सबसे बड़ी बाधा है।

ऐसे परिदृश्य में मुझे खुशी है कि हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी केवल महिलाओं के विकास पर ही नहीं, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर भी जोर दे रहे हैं। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' उनका केवल नारा ही नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे देश का जन-आंदोलन है। हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति में बदलाव लाने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया जा रहा है। अनेक तरह के प्रयासों के माध्यम से अब महिलाओं के समग्र विकास और सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है।

1995 में संयुक्त राष्ट्र की स्वर्ण जयंती के अवसर पर बीजिंग में चौथे विश्व महिला सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसे 'बीजिंग डिक्लेरेशन' कहते हैं। इसमें हस्ताक्षर करने वाले देशों ने महिला सशक्तीकरण के लिए प्रस्ताव दिया था। आने वाले वर्ष 2020 में बीजिंग डिक्लेरेशन की रजत जयंती पर हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत ने बेटियों और महिलाओं के अधिकारों के लिए सकारात्मक प्रयास किए हैं और हमें उसके अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं।

आज हमारी नई पीढ़ी, हमारे देश के युवा, महिलाओं और लड़कियों का सम्मान करने और समाज में उन्हें उनका उचित स्थान दिलाने के लिए जागरूक एवं सजग है। मैं समझता हूँ कि एक ऐसी पीढ़ी विकसित करने, जिसमें लड़के और लड़कियाँ एक समान हों, के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में हमारे शैक्षिक संस्थान बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमारे युवा वर्ग को प्रशिक्षित करते हैं और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए तैयार करते हैं।

इस संदर्भ में मैं एक बार फिर इस नेक सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए रयान इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ इंस्टिट्यूशंस की सराहना करता हूँ।

भारतीय संस्कृति में अहिंसा और मानवता को परम धर्म माना गया है और हमारे देश ने हमेशा विश्व को शांति का एक संदेश दिया है, परस्पर प्रेम और सद्भाव का संदेश दिया है। हमारी संस्कृति 'वसुधैव कुटुंबकम्' की है और हम विश्व को एक परिवार मानते हैं। विदेशों से आए हुए प्रिय बच्चो, आप भारत के प्रवास के दौरान यह सब महसूस कर रहे होंगे। मुझे विश्वास है कि यह प्रेम, सद्भाव, शांति और अहिंसा का संदेश आप अपने साथ लेकर भी जाएँगे।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं इस नई पीढ़ी को भविष्य के लिए तैयार करने में अमूल्य योगदान करने के लिए विद्यालय समूह से जुड़े सभी अध्यापकों और कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूँ।

मुझे विश्वास है कि यह उत्सव सफलतापूर्वक संपन्न होगा। मुझे आशा है कि आप समाज की बुराइयों से बचते हुए अपने निश्चय की राह पर चलेंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे और अपने परिवार, समाज तथा देश का नाम ऊँचा करेंगे।

इस समारोह में उपस्थित सभी छात्र-छात्राएँ एक वैश्विक समुदाय के युवा नागरिक हैं। ऐसे उत्सवों से एक अलग अनुभव आता है। यह एक समावेशन है, जो हमें ज्यादा सहिष्णु और सभ्य बनाता है। मैं इस कार्यक्रम में भाग लेने वालों और यहाँ मौजूद बच्चों के जीवन एवं शैक्षणिक कॅरियर में योगदान के साथ-साथ आपके सभी भावी प्रयासों की सफलता की कामना करता हूँ।

28

राष्ट्र-निर्माण में भारतीय शिक्षण संस्थानों का योगदान*

"हमारे युवाओं को ज्ञान, विज्ञान, परिश्रम और नवाचार के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। हम विद्यार्थियों और युवाओं की गुणवत्ता और क्षमता को इतना बेहतर बनाएँ कि पूरी दुनिया हमारी ओर देखे। ...पूरा विश्व हमसे सीखने की कोशिश करे कि विद्यार्थियों की प्रतिभाओं और क्षमताओं को कैसे तराशा जाता है।"

युवाओं को उल्लास, ऊर्जा और उमंग का प्रतीक माना जाता है। मैं जब भी युवाओं के बीच जाता हूँ तो एक नई ऊर्जा और एक नई ताजगी महसूस करता हूँ। आज इतने सारे प्रसन्न और उत्साही युवाओं के बीच मुझे इस दीक्षांत समारोह में आमंत्रित करने के लिए मैं कॅरियर प्वॉइंट विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री प्रमोद माहेश्वरी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

सबसे पहले मैं उन सभी छात्र-छात्राओं को बधाई देना चाहूँगा, जो आज के दीक्षांत समारोह में सम्मानित होंगे और डिग्री प्राप्त करेंगे।

मैं समझ सकता हूँ कि आज उनके जीवन का एक महत्त्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ है। ज्ञान-अर्जन हेतु जिस त्याग-तपस्या में वे वर्षों से लीन थे, आज उस ज्ञान-यज्ञ की पूर्णाहुति का दिन है। आज आप जैसे ज्ञान-साधकों की साधना और संकल्प की सिद्धि का दिन है। आपके जीवन के इस सौभाग्यशाली अवसर का साक्षी बनना मेरे लिए भी बड़े संतोष की बात है।

साथियो, सफलता और सिद्धि का रास्ता आसान नहीं होता। इस रास्ते में न जाने कितनी मुश्किलें और विघ्न-बाधाएँ आती हैं।

---

* कॅरियर प्वॉइंट यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह, कोटा, राजस्थान; 24 दिसंबर, 2019

आप सभी की इस ज्ञान-यात्रा में भी कई प्रकार की कठिनाइयाँ और अवरोध आए होंगे, लेकिन आप लोगों ने हार नहीं मानी और हर मुश्किल का निडर होकर सामना किया।

आप हर चुनौती से लड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। इसलिए आज आप सफल हैं और आज आपके इसी दृढ़ संकल्प तथा इच्छा-शक्ति का सम्मान किया जा रहा है। मैं आपकी इस जीवटता और जज्बे को सलाम करता हूँ। आपकी लगन और आपके साहस का अभिनंदन करता हूँ।

कॅरियर प्वॉइंट यूनिवर्सिटी, कोटा, राजस्थान के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए

लेकिन आपको यह भी याद रखना चाहिए कि आपकी इस विजय-यात्रा में आप अकेले नहीं थे। आपके माता-पिता और अन्य परिवारजन, आपके शिक्षकगण और आपके समाज व राष्ट्र ने आपका सहयोग और मार्गदर्शन किया है, इसलिए आपको इन सबके प्रति कृतज्ञ एवं आभारी होना चाहिए।

आज आपके जीवन के इस सुंदर अवसर पर मैं आपसे कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ, ताकि आप भावी जीवन के लिए अपने आपको सही ढंग से तैयार कर सकें।

शिक्षा मानव सभ्यता के विकास की कुंजी है, लेकिन शिक्षा सिर्फ किताबों या परीक्षाओं तक ही सीमित नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के जीवन और व्यक्तित्व के हर पक्ष का संतुलित विकास करना है।

शिक्षा हमें अच्छा नागरिक बनाती है और हमारे अंदर सहिष्णुता, अनुशासन, प्रतिबद्धता, करुणा तथा संवेदनशीलता जैसे सद्गुण जगाती है। इसके माध्यम से हम सही और गलत

में अंतर करना सीखते हैं। शिक्षा हमें यह भी सिखाती है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ते समय हममें समाज के प्रति अपने कर्तव्यों की भी चेतना हो।

केवल शिक्षा से ही लोकतांत्रिक सुदृढ़ता, सामाजिक एकता और सतत विकास को प्राप्त किया जा सकता है। यह बहुत जरूरी है कि हम अपने पूरे समाज को शिक्षा और विकास के रास्ते पर ले जाएँ तथा यह सुनिश्चित करें कि हमारे समाज का कोई भी वर्ग इसमें पीछे न छूट जाए। मुझे खुशी है कि भारत को ज्ञान-आधारित समाज बनाने के हमारे प्रयासों में कॅरियर प्वॉइंट यूनिवर्सिटी अपना योगदान दे रही है।

भारत आज विश्व का सबसे युवा देश है। हमारी 60 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या युवा है। किसी भी देश के युवा ही उसकी असली संपत्ति होते हैं। देश का भविष्य ही युवाओं पर टिका होता है। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि युवाओं की अपार ऊर्जा और रचनात्मकता को सही दिशा में लगाया जाए। उन्हें राष्ट्र-निर्माण और सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया में शामिल किया जाए।

"केवल शिक्षा से ही लोकतांत्रिक सुदृढ़ता, सामाजिक एकता और सतत विकास को प्राप्त किया जा सकता है।"

हमारे देश के युवाओं में प्रतिभा है। आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें सही शिक्षण और प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जाए, ताकि वे अपने साथ-साथ परिवार और समाज की जिम्मेदारी भी ले सकें और उनकी क्षमताओं का 100 प्रतिशत सार्थक उपयोग हो सके।

आज का युग तकनीक का युग है। इसके ज्ञान के बिना आज शिक्षण-प्रशिक्षण अधूरा है, इसलिए सरकार इस दिशा में भरपूर प्रयास कर रही है। आज भारत दुनिया की सबसे सस्ती डाटा कनेक्टिविटी वाले देशों में है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को सशक्त बना रही है।

मुझे आशा है कि आप लोग भी डिजिटल क्रांति में शामिल होंगे और शिक्षण-प्रशिक्षण एवं अध्ययन-अध्यापन में तकनीक को विशिष्ट स्थान देंगे।

आज पूरे विश्व को बड़ी संख्या में कुशल युवाओं और दक्ष श्रमशक्ति की जरूरत है। ऐसे में हमारे लिए यह अच्छा अवसर है कि हमारे कुशल और प्रशिक्षित युवा दुनिया में हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाएँ।

हमारे युवाओं को ज्ञान, विज्ञान, परिश्रम और नवाचार के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। हमें कोशिश करनी है कि हम अपने विद्यार्थियों और युवाओं को पूरी दुनिया में सबसे कुशल बनाएँ। हम उनकी गुणवत्ता और क्षमता को इतना बेहतर बनाएँ कि पूरी दुनिया हमारी ओर देखे।

विश्व के हर कोने में यही संदेश जाए कि हमें अपने विद्यार्थियों और युवाओं को भारत के युवाओं और विद्यार्थियों जैसा बनाना है। पूरा विश्व हमसे सीखने की कोशिश करे कि विद्यार्थियों की प्रतिभाओं और क्षमताओं को कैसे तराशा जाता है।

हमारे युवाओं और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण देने के लिए सबसे पहली जरूरत Infrastructure या अवसंरचना की होती है। जब तक शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए अच्छी इमारत, क्लासरूम, अच्छी किताबें, पुस्तकालय, अच्छे शिक्षक नहीं होंगे, तब तक हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा।

हालाँकि देश की सरकार इस संदर्भ में पूरी कोशिश कर रही है। बड़ी संख्या में स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों का निर्माण किया जा रहा है, किंतु भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में सरकार के साथ-साथ सेवा की भावना से प्रेरित होकर निजी क्षेत्र को भी सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। तभी देश के हर बच्चे तक गुणवत्ता वाली शिक्षा की रोशनी पहुँच पाएगी।

मुझे खुशी है कि कॅरियर प्वॉइंट समूह इस दिशा में प्रशंसनीय काम कर रहा है। हाड़ोती अंचल के प्रथम स्व-पोषित विश्वविद्यालय के माध्यम से यह बहुत बड़ी समाज सेवा कर रहा है। अपने धन को, समय को, शक्ति को ज्ञान के प्रचार-प्रसार में लगाना राष्ट्र की और संस्कृति की सबसे बड़ी सेवा है।

कोटा को 'भारत के शैक्षणिक शहर' और 'एजुकेशन हब' के रूप में जाना जाता है, जो बिल्कुल सही बात है। और कोटा का यह कॅरियर प्वॉइंट यूनिवर्सिटी निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम विश्वविद्यालयों में से एक है। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि यहाँ के अनेक प्रतिभावान अध्यापकों और प्रबंधकों के माध्यम से यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को अत्यधिक लाभ मिला है।

कॅरियर प्वॉइंट ग्रुप दो दशकों से भी अधिक समय से उच्च प्रतिभाओं का विकास कर रहा है। यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और हमारे देश के विभिन्न हिस्सों से आए हजारों छात्रों के सपनों को पूरा करने वाला एक अग्रणी संस्थान बन गया है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिकता को आगे बढ़ाने और शिक्षा को सस्ती एवं सुलभ बनाने के साथ ही छात्रों के श्रेष्ठ गुणों को विकसित करने के सरकार के प्रयासों में सहायक बनने के लिए मैं कॅरियर प्वॉइंट के संकाय और प्रबंधन के प्रयासों की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ।

मुझे यह देखकर खुशी हुई है कि कॅरियर प्वॉइंट यूनिवर्सिटी ने 2012 में एक छोटी सी शुरुआत के बाद से उल्लेखनीय प्रगति की है। समय के साथ-साथ, अत्याधुनिक अवसंरचना, अच्छी शैक्षणिक सुविधाओं और अनुभवी संकाय वाली कॅरियर प्वॉइंट यूनिवर्सिटी ने देश भर में नाम और यश कमाया है।

यह उल्लेखनीय है कि इस विश्वविद्यालय ने इतने कम समय में ही कला और मानविकी, सूचना विज्ञान और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अलावा इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर एप्लिकेशन जैसे विविध और नवीन पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराने की क्षमता हासिल कर ली है।

मैं समझता हूँ कि यह विश्वविद्यालय हर वर्ष हजारों छात्रों की शैक्षिक जरूरतों को 'स्टूडेंट फर्स्ट' का दृष्टिकोण रखते हुए पूरा करता है और छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा और सुविधाएँ प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। मैं इस बात की सराहना करता हूँ कि इस विश्वविद्यालय में हर छात्र को उसकी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए विश्व की सबसे अच्छी, आई.आई.टी. की शिक्षा प्रणाली का अनुसरण करते हुए अपनी शिक्षा प्रणाली में प्रयोग संबंधी दृष्टिकोण को अपनाया गया है।

इसकी शैक्षणिक प्रणाली निर्धारित पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत छात्रों में व्यावसायिक कौशल और भविष्य में नेतृत्व कर पाने के विशिष्ट गुणों का विकास भी शामिल है।

आज हम सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। इसमें विश्वविद्यालय से प्राप्त शिक्षा का योगदान भी महत्त्वपूर्ण होता है। आज उद्योग और अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्रों को कुशल श्रमशक्ति चाहिए। अब रोजगार देने वाले केवल शैक्षणिक योग्यता और प्रमाणपत्रों के आधार पर ही रोजगार नहीं दे रहे हैं।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि कॅरियर प्वॉइंट यूनिवर्सिटी अपने शोध और व्यावहारिक कौशल कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों में ज्ञान, कौशल और समाज सेवा के मूल्य प्रदान करते हुए उनकी पूरी क्षमता विकसित करने में सहायता करेगी।

यह खुशी की बात है कि कॅरियर प्वॉइंट यूनिवर्सिटी ने बहुत सी अच्छी परंपराओं को अपनाया है, जिसमें सीखने की सतत प्रणाली, घनिष्ठ गुरु-शिष्य संबंध, स्वतंत्र सोच और विश्लेषण, छात्रों को सम्मान, एकता, विश्वास, ईमानदारी और नैतिक व्यवहार जैसे आदर्श गुणों का महत्त्व सिखाना शामिल है। ये सभी दूरगामी अर्थव्यवस्था के नए और गतिशील माहौल के लिए जवाबदेह शिक्षा प्रणाली तैयार करने तथा इसे बनाए रखने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

जैसाकि आप सभी जानते हैं कि भारत ज्ञान आधारित समाज के रूप में तेजी से उभर रहा है और दुनिया के अन्य ज्ञान-आधारित समाजों के साथ जुड़ रहा है। मुझे विश्वास है कि यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम सह-पाठ्यक्रम और पाठ्येत्तर कार्यकलापों से छात्रों को वैश्वीकृत दुनिया की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी।

अंत में एक बार फिर से मैं कठिन परिश्रम और अनुशासित प्रयासों के माध्यम से अपनी शिक्षा पूरी करके आज सम्मान और उपाधियों को प्राप्त करने जा रहे सभी युवा विद्यार्थियों को बधाई देता हूँ।

मेरे युवा मित्रो, जैसे ही आप इस परिसर से बाहर निकलेंगे तो चुनौतियों और अवसरों से भरपूर एक नई दुनिया आपका इंतजार कर रही होगी। आगे बढ़िए और उन अवसरों का लाभ उठाइए, अपनी क्षमता तथा प्रतिभा को दिखाइए। मेरी शुभकामनाएँ आप सबके साथ हैं।

हमारे देश के महान ऋषि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि "मुझे अपने देश में, विशेष रूप से अपने देश के युवाओं में विश्वास है। इसलिए आपको एक 'Change Leader' बनना होगा। इतना ही नहीं, आप अपने आपको 'Thought Leader' होने के लिए भी तैयार करें"।

मुझे उम्मीद है कि अपने ज्ञान और कौशल का प्रयोग आप केवल अपने फायदे के लिए नहीं करेंगे, बल्कि जनकल्याण तथा हमारे देश के समग्र विकास एवं प्रगति के लिए भी करेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जीवन में कितने ही आगे क्यों न बढ़ जाएँ, आप कभी भी अपने माता–पिता, परिवारजनों, शिक्षकों और यूनिवर्सिटी को न भूलें।

29

सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान एवं सम्यक् आचरण*

"भारत का मूलभूत गुण इसकी एकता, सहनशीलता और धार्मिक सद्भावना रही है। विभिन्न धर्मों के अनुयायियों को यह याद रखना चाहिए कि किसी भी धर्म की नींव घृणा और हिंसा पर नहीं रखी गई।"

अपने 125 साल के इतिहास के दौरान श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन (धर्म संरक्षिणी) महासभा ने लोगों को जोड़कर प्राचीन धर्म, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के संदर्भ में सार्थक संवाद के लिए मंच प्रदान किया है।

यह महासभा समाज में अपेक्षित बदलाव लाकर समाज की सेवा करती आई है। यह वास्तव में सराहनीय है कि जैनियों की सबसे पुरानी यह महासभा अपने स्थापना काल से ही एक शताब्दी से भी अधिक समय से हमारे समाज के वंचित वर्गों के लोगों के उत्थान में लगी हुई है। साथ ही प्राचीन धर्म, संस्कृति और परंपरा के संरक्षण के लिए अथक प्रयास करती आई है।

इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं उन सब लोगों को भी बधाई देता हूँ, जो वर्तमान में अथवा पूर्व में भी इस महासभा के साथ जुड़े रहे हैं।

भारत अध्यात्म के साथ-साथ हमेशा से ही शांति और मानवता के प्रति प्रेम का केंद्र रहा है। वेदों और उपनिषदों जैसे हमारे प्राचीन धर्मग्रंथों में भी आध्यात्मिकता और विश्वशांति की बात कही गई है। हमारे जनमानस और संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम्, अर्थात् 'पूरा विश्व हमारा परिवार है' की सर्वव्यापी भावना निहित रही है।

---

* श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन (धर्म संरक्षिणी) महासभा की 125वीं वर्षगाँठ, जैन जन उपयोगी भवन, कोटा; 4 जनवरी, 2020

इतिहास में झाँकने की कोशिश करें तो हम पाते हैं कि जैन धर्म अत्यंत प्राचीन धर्म है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में विकसित होने के कारण इसे बौद्ध धर्म के समकालीन माना जाता है।

जैन मत की स्थापना के सिलसिले में 24 तीर्थंकरों की एक लंबी परंपरा का वर्णन किया जाता है। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, महावीर अंतिम तीर्थंकर थे।

श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन (धर्म संरक्षिणी) महासभा की 125वीं वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में विशिष्ट सभा को संबोधित करते हुए

दरअसल तीर्थंकर उन्हें कहा जाता है, जो मुक्त हैं। इन्होंने अपने प्रयत्नों के बल पर बंधन को त्यागकर मोक्ष को अंगीकार किया है। जैन परंपरा में तीर्थंकर को आदरणीय पुरुष कहा जाता है। इनके बताए हुए मार्ग पर चलकर मानव बंधन से मुक्त हो सकता है।

जैन तीर्थंकर परंपरा से ही जैन दर्शन का विकास हुआ है। चौबीसवें तीर्थंकर भगवान महावीर के समय से जैन मत का विकास और प्रचार-प्रसार हुआ तथा जैन धर्म पुष्पित और पल्लवित हुआ है।

जैन धर्म की दिगंबर परंपरा में किसी भी वस्तु के संग्रह को वर्जित माना गया है। जैन धर्म में अहिंसा पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। जैन धर्म की मान्यताएँ दरअसल इतनी व्यापक और विशाल हैं कि यह जीव और जड़ दोनों की सत्ता को स्थापित करता है।

जैन धर्म की मान्यताएँ कितनी विशाल हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जैन धर्म में मान्यता है कि जीव का निवास केवल मनुष्यों, पशुओं और पेड़-पौधों में ही नहीं है, बल्कि धातुओं और पत्थरों जैसे पदार्थों में भी निहित है।

जैन परंपरा कहती है कि वस्तु के अनेक धर्म या गुण हैं और इनकी पूर्ण जानकारी सामान्य मानव के लिए असंभव है। मानवीय ज्ञान की सीमाएँ हैं। कोई भी मनुष्य वस्तु के सारे गुणों की जानकारी नहीं पा सकता है। वह वस्तु के आंशिक गुणों को ही समझने में सक्षम है। वस्तु के अनंत गुणों का ज्ञान, मुक्त व्यक्ति के द्वारा ही संभव है। इसे 'स्यादवाद' कहते हैं।

यहाँ हाथी और छह दृष्टिबाधित व्यक्तियों के दृष्टांत को समझना जरूरी है। छह दृष्टिबाधित व्यक्ति हाथी के आकार का ज्ञान जानने के उद्देश्य से हाथी के अंगों का स्पर्श करते हैं। जो अपने हाथों को हाथी के शरीर के जिस भाग पर रखता है, वह उसी भाग को पूरा हाथी समझ लेता है। जो दृष्टिबाधित व्यक्ति हाथी के पैर पकड़ता है, वह हाथी को खंभे जैसा समझता है। जो हाथी की सूंड को स्पर्श करता है, वह हाथी को अजगर जैसा बतलाता है। जो हाथी की पूँछ को छूता है, वह हाथी को रस्सी जैसा बतलाता है। जो हाथी के पेट को छूता है, वह हाथी को दीवार जैसा बतलाता है। जो हाथी के कान को छूता है, वह हाथी को पंखे जैसा बतलाता है।

प्रत्येक दृष्टिबाधित व्यक्ति यही सोचता है कि वह सत्य कह रहा है और दूसरे गलत हैं, परंतु पूर्णता में देखा जाए तो उन सभी दृष्टिबाधित व्यक्तियों का ज्ञान गलत है, क्योंकि सबों ने हाथी के एक-एक अंग को स्पर्श किया है।

विभिन्न दर्शनों में जो मतभेद पाया जाता है, उसका कारण भी यही है कि प्रत्येक दर्शन अपने दृष्टिकोण को ठीक मानता है और दूसरे के दृष्टिकोण को मिथ्या बतलाकर उपेक्षा करता है। यदि प्रत्येक धर्म दर्शन में सोचा जाए कि उसका मत किसी दृष्टि विशेष पर निर्भर है तो मतभेद होने की संभावना खत्म हो जाती है।

जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उन्होंने इस बात को न सिर्फ समझा है, बल्कि यह उनके धर्म-दर्शन के ही एक सिद्धांत के रूप में रेखांकित किया गया है।

दूसरी बात है कि जैन धर्म में मोक्ष के मार्ग के लिए तीन रत्न बताए गए सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् आचरण। विभिन्न धर्मदर्शनों में इन तीनों मार्गों में से किसी-न-किसी एक मार्ग को आवश्यक माना गया है, पर जैन मान्यताओं की विशेषता है कि उन्होंने तीनों मार्गों का समन्वयन किया है।

इसके लिए किसी रोगी व्यक्ति की बड़ी अच्छी उपमा है कि एक रोगग्रस्त व्यक्ति जो रोग से मुक्त होना चाहता है, उसे चिकित्सक के प्रति आस्था रखनी चाहिए। उसके द्वारा दी गई दवाओं का ज्ञान होना चाहिए और चिकित्सकों के मतानुसार आचरण भी करना चाहिए। इस प्रकार सफलता के लिए सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चरित्र का सम्मिलित प्रयोग आवश्यक है।

सत्य के प्रति श्रद्धा की भावना रखना सम्यक् दर्शन है। सम्यक् ज्ञान उस ज्ञान को कहा जाता है, जिसके द्वारा जीव और अजीव के मूल तत्वों का पूर्ण ज्ञान होता है और तीसरा, हितकर कार्यों का आचरण और अहितकर कार्यों का त्याग ही सम्यक् चरित्र कहलाता है।

अत: मोक्ष के लिए तीर्थंकरों के प्रति श्रद्धा तथा सत्य का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने आचरण का संयम भी अत्यंत आवश्यक है। सम्यक् चरित्र व्यक्ति को मन, वचन और कर्म पर नियंत्रण करने का निर्देश देता है। जैन मत के अनुसार सम्यक् चरित्र के पालन से जीव अपने कर्मों से मुक्त हो जाता है।

कर्म के द्वारा ही मानव दु:ख और बंधन का सामना करता है। अत: कर्मों से मुक्ति पाने का अर्थ है, बंधन और दु:ख से छुटकारा पाना। मोक्ष मार्ग में सबसे महत्त्वपूर्ण चीज सम्यक् चरित्र ही कही जा सकती है।

इसमें मन, वचन और शारीरिक कर्मों का संयम बहुत जरूरी है। जैन धर्म में दस प्रकार के धर्मों का पालन करना बताया गया है। सत्य, क्षमा, शुद्धता, तप, संयम, त्याग, विरक्ति, नम्रता, सरलता और ब्रह्मचर्य यही दस प्रकार के धर्म हैं।

सम्यक् चरित्र के लिए पंच महाव्रत का पालन करना आवश्यक माना गया है। पाँच महाव्रत हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अर्थात् चोरी का निषेध, अपरिग्रह, यानी संग्रह और विषयों की आसक्ति का त्याग एवं पाँचवाँ आवश्यक महाव्रत है ब्रह्मचर्य, यानी वासनाओं का त्याग। इन कर्मों को अपनाकर जीव अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त हो जाता है। यही मोक्ष है।

सत्य और अहिंसा में विश्वास रखना भारतीय सभ्यता और संस्कृति का शाश्वत चिंतन है। 'अहिंसा परमो धर्म:', भारतीय संस्कृति का मूल तत्त्व है। यह तत्त्व हमारे देश की मिट्टी में ही रचा-बसा है। यह हमें बचपन से ही एक संस्कार के रूप में मिलता है। भारतीय मनीषियों ने इस 'अहिंसा परमो धर्म:' के तत्त्व के लिए बड़े त्याग और तपस्याएँ की हैं। भगवान महावीर ने कहा था कि सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान ही अहिंसा है और अहिंसा शक्तिशाली लोगों की पहचान है।

भगवान महावीर का उपदेश था—'जियो और जीने दो'। उन्होंने यह स्पष्ट संदेश दिया था कि जीवहिंसा की भी अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसमें भी वही प्राण है, जो हममें है। सभी जीवों के प्रति दयालुता का संदेश उनका मूल संदेश था। अहिंसा के प्रति उनका यह आग्रह ही जैन धर्म के मूल में है।

हिंसा से शांति संभव नहीं। जब कभी भी अहिंसा पर चर्चा होती है तो सदैव यही खयाल आता है कि हमें मन, वचन और कर्म से भी अहिंसक होना आवश्यक है। शांति मन के अंदर से उपजने वाली भावना है। इसलिए पहले प्रयास यह करना होगा कि किस प्रकार मनुष्य का

मन शांत हो। इसके लिए ज्ञानामृत का पान करने की आवश्यकता है।

हम सबको, विशेष रूप से हमारे युवा वर्ग को यह समझना चाहिए कि आर्थिक विकास का मूल आधार भी शांति ही है। यदि हमें आर्थिक और राजनीतिक महाशक्ति बनना है तो निश्चय ही इस विशाल एवं अपार युवाशक्ति का सकारात्मक उपयोग किया जाना चाहिए।

भारत का मूलभूत गुण इसकी एकता, सहनशीलता और धार्मिक सद्भावना रही है। विभिन्न धर्मों के अनुयायियों को यह याद रखना चाहिए कि किसी भी धर्म की नींव घृणा और हिंसा पर नहीं रखी गई।

हम यहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी याद कर सकते हैं। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की बुनियाद ही सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर रखी थी। इसी सिद्धांत पर उन्होंने संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम को संचालित किया था। यह अहिंसा का एक अभिनव प्रयोग था। हम कह सकते हैं कि गांधी जी के जीवन एवं दर्शन पर जैन आचार्यों के अहिंसा के विचारों का बड़ा प्रभाव था।

श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन (धर्म संरक्षिणी) महासभा इन समृद्ध जैन मान्यताओं, परंपराओं और दर्शन की विरासत को आगे बढ़ाने में बहुत सराहनीय भूमिका निभा रही है। पूरी दुनिया में जैन धर्म की पावन मान्यताओं और सिद्धांतों के प्रचार-प्रसार और इनके संरक्षण में महासभा का योगदान विशेष रूप से प्रशंसनीय रहा है।

जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता और इसका सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें अहिंसा और सत्य के बहुमुखी पहलुओं, नैतिकता और सदाचार पर बल दिया जाता है। जैन धर्म ने भारतीय संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक योगदान दिया है।

जैन धर्म ने हमारे देश में भाषा, विशेष रूप से देशी भाषा के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे इतिहास में ब्राह्मणों और बौद्धों के लिए लेखन और शिक्षा-दीक्षा का माध्यम संस्कृत और पाली भाषा थी, परंतु प्रारंभ में जैन धर्म का प्रचार-प्रसार आमजनों की भाषा में होता था और इसका दार्शनिक साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया था। इस प्रकार जैन धर्म ने भारतीय भाषाओं और साहित्य को बहुत समृद्ध किया है।

जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की बुराई को दूर करने के प्रयास किए गए। जैन धर्म में जाति के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी जातियों के लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता था।

जैन धर्म के उपदेशों में न केवल अहिंसा पर बल दिया जाता है, बल्कि मानवता की सेवा पर भी बल दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप हमें अपने आस-पास इतने सारे अस्पताल, स्कूल और लोकहित के अन्य संस्थान दिखाई देते हैं, जिनकी स्थापना और प्रबंधन जैन धर्म

के लोगों द्वारा किया जा रहा है। उनके जनहित के कार्यों से सभी की भलाई के लिए जनसेवा किए जाने और लोकोपकारी कार्य किए जाने की भावना को बढ़ावा मिलता है।

"हमारा भारत कई धर्मों की उद्गमस्थली रहा है। ऐसा इसलिए कि यहाँ पर सभी व्यक्तियों को अपने मत एवं पंथ के मुताबिक जीवन जीने का अवसर सुलभ कराया जाता रहा है।"

जैन धर्म ने हमारे देश में कला, वास्तुकला और मूर्तिकला पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। उनकी यह विशेषता उनके द्वारा तैयार किए गए चित्रों और गुफाओं में की गई चित्रकारी के अलावा स्तूपों में पत्थर की रेलिंग, सजे हुए द्वारों, पत्थर की छतरियों, स्तंभों और अपने संतों के सम्मान में निर्मित मूर्तियों में दिखाई देती है। इस सबसे कला और वास्तुकला के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्टता का परिचय मिलता है। उदाहरण के लिए राजस्थान में माउंट आबू में ग्यारहवीं शताब्दी में निर्मित जैन मंदिर वास्तव में बहुत सुंदर और दर्शनीय है।

हमारे देश में जनजीवन अध्यात्म और तर्क से बहुत प्रभावित रहा है। हमारे देश की नींव एक ऐसी सभ्यता ने रखी, जो मूलत: आध्यात्मिक एवं तर्कशील थी। इसी कारण हमारे देश में सभी प्रकार के विचारों, मान्यताओं और परंपराओं के विकसित होने और फलने-फूलने का पूरा अवसर मिला है। इसी कारण से यहाँ कालांतर में नई-नई धारणाएँ जुड़ती गईं और इसका दर्शन गहरा होता गया।

हमारा भारत कई धर्मों की उद्गमस्थली रहा है। ऐसा इसलिए कि यहाँ पर सभी व्यक्तियों को अपने मत एवं पंथ के मुताबिक जीवन जीने का अवसर सुलभ कराया जाता रहा है। इसलिए यहाँ पर बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर कई क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। कई आंदोलन हुए हैं, लेकिन उन सबके बावजूद हमारी युगों पुरानी आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना अभी भी अपने मूल स्वरूप में विद्यमान है और जैन धर्म का दर्शन भी हमारे इसी आध्यात्मिक-सांस्कृतिक चेतना का एक अटूट हिस्सा है।

इस स्मरणीय अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सामाजिक-आर्थिक सेवाओं, शिक्षा, विरासत और संस्कृति के संरक्षण आदि क्षेत्रों में समाज में योगदान देने वाले महान व्यक्तियों का सम्मान करते रहेंगे। मैं आप सभी के भावी प्रयासों में सफलता की कामना करता हूँ और अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ।

30

कोटा शहर : उभरता हुआ शिक्षा का केंद्र*

"संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम हम सबमें नई और सृजनात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। राजस्थान की भूमि तो वैसे ही सांस्कृतिक रूप से उत्कृष्ट हैं और पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम करती है।"

मेरे लिए यह बहुत हर्ष और गर्व का विषय है कि मेरे अपने राज्य के अपने शहर कोटा में कोटा कार्निवल का आयोजन किया गया है। इस कार्निवल में यहाँ के छात्रगण, कोटा के उत्कृष्ट शिक्षा संस्थानों में पढ़े हुए वे बच्चे, जो देश के विभिन्न प्रोफेशनल कॉलेजों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या कर चुके हैं, आज इसका हिस्सा बने हैं। इतनी बड़ी संख्या में आज आप सबकी उपस्थिति को देखकर मुझे अपने शहर कोटा के लिए गौरव का एहसास हो रहा है।

आप सभी का मेरी ओर से और संपूर्ण कोटा शहर की ओर से हार्दिक स्वागत है। कोटा को 'शिक्षा की काशी' भी कहा जाता है। इस पवित्र ज्ञान की नगरी में आप सभी के पधारने से मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। कोटा शहर एक ऐसा शहर है, जिसमें पूरे देश के विद्यार्थीगण आकर मेडिकल और इंजीनियरिंग सहित अन्य महत्त्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी हेतु शिक्षा ग्रहण करते हैं और अपने कॅरियर का निर्माण करते हुए देश के भविष्य का निर्माण करते हैं।

लाखों की संख्या में छात्र-छात्राएँ आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं जब आप लोगों को देखता हूँ, मुझे अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारा भारत एक साथ दिखाई देता है। आज मेरा कोटा शहर एक 'मिनी भारत' बन गया है।

आज इस कार्निवल में अलग-अलग रंग में, अलग-अलग ड्रेस में देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोग एक साथ 'फन रन' में सम्मिलित हुए हैं, कितना खूबसूरत रंग-बिरंगा नजारा है, मानो भारत एक गुलदस्ते की तरह है, जिसमें तरह-तरह के फूल सजे हुए हैं और

---

* कोटा जिला प्रशासन एवं कोटा छात्र कल्याण सोसाइटी द्वारा आयोजित 'कोटा कार्निवल', कोटा; 2 फरवरी, 2020

सभी की अपनी महक है। सभी की अपनी खूबसूरती है और सब ने मिलकर हमारी अद्‌भुत सांस्कृतिक विविधता को एक पहचान दी है।

आज सभी लोग मिलकर एक साथ यहाँ इस कार्निवल में हिस्सा ले रहे हैं। 'फन रन सांकेतिक है, परंतु इसके व्यापक आयाम हैं। असल में, जो भावनात्मक एकता हमारे दिलों में है, उसका जीता-जागता सबूत यह आयोजन है, जिसका हिस्सा बनकर मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। आज 'कोटा कार्निवल' भावनात्मक मिलन का सुखद कार्यक्रम बन गया है।

कोटा जिला प्रशासन एवं कोटा छात्र कल्याण सोसायटी द्वारा आयोजित 'कोटा कार्निवल' के अवसर पर युवाओं को संबोधित करते हुए

पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ पाठ्येतर गतिविधियाँ, मौज-मस्ती और मनोरंजन बहुत जरूरी है। उत्सव हमारे जीवन में विविध रंग भरते हैं। संगीत और नृत्य समारोहों के साथ-साथ ऐसे उत्सव हमारे अंदर नई ऊर्जा और जोश का संचार करते हैं। वास्तव में ऐसे उत्सव 'स्ट्रेस बस्टर' का काम करते हैं।

इस 'फन रन' से एक ओर हम यह भी संदेश दे रहे हैं कि आप युवाओं को फिट रहना है। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। आपको जीवन को उत्सव की तरह जीना है। जितना आप खुश रहेंगे, उतनी ही सकारात्मकता आपमें आएगी। यह सकारात्मकता आपको जीवन में रचनात्मक कार्यों को करने की प्रेरणा देगी।

संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम हम सबमें नई और सृजनात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। राजस्थान की भूमि तो वैसे ही सांस्कृतिक रूप से उत्कृष्ट है और पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम करती है।

मुझे विश्वास है कि कोटा कार्निवल हमारे शहर को और भी अधिक लोकप्रिय बनाने और छात्रों को इसकी ओर आकर्षित करने में सहायक होगा। यह हमारे शहर को एक अलग पहचान देगा और पर्यटकों को आकर्षित करेगा।

आज का यह कोटा कार्निवल सिर्फ भारत की एकता का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि हमारी युवाशक्ति को भी प्रतिबिंबित करता है। आप युवाओं के ऊपर भारत का भविष्य निर्भर है और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने उत्साह, शक्ति और समर्पण से आप भारत को नई ऊँचाइयों पर लेकर जाएँगे। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि आपकी ऊर्जा, आपकी सफल भागीदारी हमारे लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है।

लोग कहते हैं कि युवा देश का भविष्य हैं, पर मैं कहता हूँ कि युवा देश का वर्तमान हैं और देश का स्वर्णिम भविष्य बनाना उनके हाथों में है। गरीबी को समाप्त करने से लेकर जलवायु परिवर्तन से निपटने तक, दुनिया का भविष्य युवा वर्ग के हाथों में है। शासन में युवा महत्त्वपूर्ण सहभागी हैं और उनके पास विकास के एजेंडे को परिवर्तन के एजेंट के रूप में आगे ले जाने की क्षमता है।

युवावस्था ही जीवन काल का एक सबसे श्रेष्ठ समय होता है, जो युवा इस श्रेष्ठ समय की कीमत को समझते हैं, वे ही संसार में परिवर्तन लाते हैं और समाज को दिशा देते हैं। युवा एक ऐसे वर्ग विशेष का नाम है, जो अक्षय ऊर्जा प्रवाहित करने वाला दिव्य स्रोत तो है ही, साथ ही साथ राष्ट्र, समाज, सभ्यता व संस्कृति की दशा व दिशा तय करने वाला केंद्र भी है।

इतिहास साक्षी है कि आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक जितने भी संघर्ष व आंदोलन हुए हैं, युवकों, विशेषकर छात्रों की भूमिका सर्वोच्च रही है और युवक ही संघर्ष के आधार बने हैं। अनेकानेक विचारकों ने युवा शक्ति को राष्ट्र की शक्ति के रूप में देखा और इन्हें राष्ट्र के नव-निर्माण के साधन के रूप में स्वीकारा भी है।

जगद्गुरु शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद जी हों या आजादी के मतवाले शहीद राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह हों या अंतरिक्ष में पहुँचने वाले राकेश शर्मा व कल्पना चावला या खेल जगत में नाम कमाने वाली पी.टी. ऊषा हो या सचिन तेंदुलकर हो, अगर आप सबके जीवन को देखेंगे तो सभी ने युवावस्था में ही अपनी शक्ति को दिशा देकर अपना, अपने परिवार का एवं अपने समाज और देश का नाम ऊँचा किया।

आप युवाओं में इस प्रकार का जो सामाजिक सरोकार देखने को मिलता है, वह आपकी व्यापक सामाजिक दृष्टि का परिणाम है। इन परिस्थितियों में युवा शक्ति नेतृत्व की चर्चा आज भी प्रासंगिक है।

आज युवाओं ने जहाँ एक ओर राजनीति में अपनी सक्रिय सहभागिता को दर्ज किया है, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक चुनौतियों को भी उतनी ही तत्परता से स्वीकार किया है। मैं जब

संसद में आए युवा सांसदों को देखता हूँ, उनको अपना विषय पूरे विश्वास और गंभीरता से रखते देखता हूँ तो मुझे अपार हर्ष होता है और मैं आशा और उत्साह से भर जाता हूँ। मुझे विश्वास हो जाता है कि भारत का मानव संसाधन दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। हमें असेंबली और संसद में अधिक युवाओं, महिलाओं और पुरुषों की जरूरत है। युवाओं के सपने बड़े होते हैं। उनकी उड़ान भी बड़ी होती है।

देश की दशा और दिशा को सही मार्ग प्रदान करने का काम युवा वर्ग का है। जब-जब देश पर संकट आया है, जब-जब देश को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, तब-तब युवाओं ने अपनी असीम शक्ति से मुसीबत का प्रतिरोध किया है। उन्होंने सत्य, धर्म, न्याय, सामूहिकता, एकता, समरसता और सौहार्द के सन्मार्ग पर चलते हुए राष्ट्र-निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारत एक युवा देश है। अकसर यह बात होती है कि हमारे देश की जनसंख्या अधिक है, परंतु इसका एक दूसरा पक्ष यह भी है कि हमारी इस जनसंख्या में 54 करोड़ युवा हैं, जो हमारी राष्ट्रीय शक्ति की पहचान हैं। इन 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने में सक्षम होगी।

आप लोग हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड हो। हर चेहरे पर एक मुस्कान लाना, उनको गरीबी से मुक्त कराना और भारत को एक पूरी तरह विकसित राष्ट्र बनाना हम सबका सामूहिक लक्ष्य होना चाहिए। यह ही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है।

शास्त्रों में वर्णित है—'चरैवेति-चरैवेति।' चलते रहो, चलते रहो। चलते रहने से ही जीवन चलता रहता है। जीवन चलने का नाम है। चलने से ही मंजिल मिलती है। आप सभी लोग आज जिस मुकाम पर पहुँचे हैं, इसमें आपकी अपनी जीवन-यात्रा ही तो है। यह आपकी मेहनत ही तो है, जिसने आपको आज कामयाब बनाया है, परंतु इस मेहनत में आपके अभिभावक और गुरुजनों का भी बहुत महत्त्वपूर्ण योगदान है। इसलिए आपको उन सबका सम्मान करना चाहिए।

हमारे देश की परंपरा रही है कि हमारे यहाँ गुरु और माता-पिता को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हर अभिभावक अपने बालकों को श्रेष्ठ सुविधाएँ देने का प्रयास करता है। अपने लिए कमी करके भी अपने बच्चों को किसी भी वस्तु की कमी नहीं होने देता, ऐसा सभी अभिभावकों का विचार स्वाभाविक रूप से होता है।

आपके माता-पिता ने आपको यहाँ पढ़ने भेजा और यहाँ शिक्षण संस्थाओं में उच्च कोटि के शिक्षकों ने आपको जो शिक्षण-प्रशिक्षण दिया, वह आपकी सफलता की नींव बना। इसके लिए मैं यहाँ कोटा शहर के सभी कोचिंग संस्थाओं को भी बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई।

इस वर्ष हम महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मना रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का हथियार बनाकर पूरी दुनिया को संघर्ष का एक नया रास्ता दिखाया। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए एक व्यक्ति की आत्मशक्ति जब इतना प्रभाव डाल सकती है तो प्यारे साथियो, आप सब मिलकर उत्साहपूर्वक सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे तो परिवर्तन स्वयं दिखेंगे।

"देश की दशा और दिशा को सही मार्ग प्रदान करने का काम युवा वर्ग का है। जब-जब देश पर संकट आया है, तब-तब युवाओं ने अपनी असीम शक्ति से मुसीबत का प्रतिरोध किया है। उन्होंने सत्य, धर्म, न्याय, सामूहिकता, एकता, समरसता और सौहार्द के सन्मार्ग पर चलते हुए राष्ट्र-निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।"

गांधी जी से सीखने वाली एक और बात है और वह है—समय का उचित उपयोग। युवाओं को सफलता पाने के लिए यह बहुत जरूरी है। यदि आप लोक सभा की कार्यवाही देख रहे हैं तो आप जानते होंगे कि अध्यक्ष बनने के बाद मैंने सदन के समय का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।

हम अपनी संसद को लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं। संसद देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर बोलना संसद सदस्यों की जिम्मेदारी है। इसलिए मैंने यह सुनिश्चित किया है कि जो कोई सदस्य सदन में अपनी बात रखना चाहता है, जन सरोकार के मुद्दे उठाना चाहता है, उसे बोलने का अवसर मिले।

मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में भी अपने लिए और राष्ट्र के बेहतर भविष्य के लिए समय का उचित प्रबंधन करें। यदि समय का उचित प्रबंधन नहीं होगा और युवा शक्ति का उचित नियमन नहीं होगा तो फिर रास्ते से भटकने का खतरा भी है। यही खतरा है, जो कभी-कभी युवाओं को दिशाहीन बना देता है। यही भटकाव न जाने कितने युवाओं को ड्रग्स, नशा, दुराचार जैसी आदतों की ओर मोड़ देता है। मगर यही ऊर्जा नकारात्मक न होकर यदि सकारात्मक रूप धारण कर ले तो फिर इसके चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलते हैं।

वर्तमान पीढ़ी के युवा टेक्नोसेवी हैं। हमारे जेनरेशन के लोग तो इलेक्ट्रॉनिक साधनों के इस्तेमाल में पीछे छूट जाते हैं। युवा पीढ़ी बहुत आगे है। सूचना तकनीक ने हमारे जीवन में निश्चित ही एक नया अध्याय जोड़ा है। इंटरनेट की ताकत ने पूरी दुनिया को एक सूत्र में समेटकर रख दिया है। पर मैं आप सबको इस बात से आगाह भी करना चाहता हूँ कि सूचना

तकनीक की इस तिलिस्मी दुनिया को अपने ऊपर हावी न होने दें। इसे लत में न बदलें। आप इसे संचालित करें। कहीं ऐसा न हो कि ये आपको संचालित करने लगे।

सिर्फ इतना ही नहीं, सूचनाओं के अथाह सागर से मोती चुनकर निकालने के लिए नीर-क्षीर-विवेक आवश्यक है और आपको अपने अंदर वही गुण विकसित करना है। वरना यह वरदान पलक झपकते अभिशाप में भी बदल सकता है।

आप वे हैं, जो आपकी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते।

अंत में मैं यह विश्वास व्यक्त करता हूँ कि कोटा कार्निवल 'शिक्षा की काशी' को एक विशिष्ट पहचान देगा और इस शहर की विविधता तथा विशालता को सामने लाएगा। यह छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करने वाला एक तनाव रहित मनोरंजन-मंच प्रदान करेगा। इसे मनोरंजक माहौल में छात्रों को तनाव मुक्त रखने के लिए तैयार किया गया है।

पहले, गोवा और सिंगापुर जैसे शहर ऐसे आयोजनों की मेजबानी करते थे। अब कोटा कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। मैं इस पहल के लिए जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना करता हूँ। कार्निवल में टैलेंट हंट, डांस और सिंगिंग के इवेंट को भी शामिल किया गया है। मुझे यकीन है कि आप सभी इस आयोजन में रोमांच, भोजन, नृत्य और संगीत आदि का आनंद लेंगे।

अभी तक कोटा के स्टूडेंट्स कॅरियर या एकेडमिक फेयर में एक-दूसरे से मिल पाते थे। यह पहली बार होगा, जब किसी फन एक्टिविटी में स्टूडेंट्स एक-दूसरे से मिलेंगे। मुझे बताया गया है कि इवेंट के अगले एडिशन में स्पोर्ट्स एक्टिविटी को शामिल किया जाएगा। इस साल समय की कमी को देखते हुए स्पोर्ट्स को शामिल नहीं किया गया है।

मैं यहाँ उपस्थित सभी बच्चों, उनके अभिभावकों और कोटा कार्निवल के आयोजनकर्ताओं तथा जिला प्रशासन को पुन: हार्दिक बधाई देता हूँ। मुझे विश्वास है कि इस आयोजन से राष्ट्रीय एकता और युवाशक्ति का एक दृढ़ संदेश लोगों तक जाएगा और यहाँ आए सभी लोगों के लिए यह आयोजन एक अविस्मरणीय पल होगा।

31

गृहे-गृहे गायत्री यज्ञ : एक अभियान*

"किसी भी समाज के समुचित विकास के लिए किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, आदि से ऊपर उठकर सभी की भागीदारी की आवश्यकता होती है। यह जिम्मेदारी केवल सरकार की ही नहीं होती, अपितु गैर-सरकारी संगठनों और धार्मिक संगठनों को भी आगे बढ़कर प्रयास करने चाहिए।"

आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की प्राचीन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। यह वैदिक संस्कृति की भूमि है और युगों से ऋषियों और महात्माओं ने सभी जातियों, संप्रदायों और धर्मों के लोगों में भाईचारे और एकजुटता के विचार और भावनाओं का प्रचार-प्रसार एवं विकास किया है।

यही कारण है कि हम 'वसुधैव कुटुंबकम्' की भावना में विश्वास करते हैं और गायत्री परिवार ऐसे समाज के मॉडल को साकार कर रहा है, जिसमें केवल प्रेम, सद्भाव, सौहार्द्र एवं उस परमात्मा पर अटूट विश्वास की बात कही गई है।

देवियो और सज्जनो, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि गायत्री परिवार इस दर्शन में विश्वास रखता है कि मनुष्य अपनी नियति का स्वयं निर्माण करता है और ऐसा वह, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा के माध्यम से कर पाता है। इसे लोगों को जीवन-शैली के रूप में अपनाना चाहिए।

गायत्री ईश्वर की, विवेक की, शक्ति की मूर्त रूप है। उनकी उपासना में निहित तत्त्व और उसके अर्थ को समझ लेने से दूरदर्शी ज्ञान की प्राप्ति होती है।

एकमात्र यही एक पर्याप्त प्रोत्साहन है, जिससे कोई व्यक्ति सदाचारी जीवन जीने और

---

* गायत्री परिवार ट्रस्ट (गायत्री शक्ति पीठ, विज्ञान नगर) द्वारा आयोजित कार्यक्रम, कोटा, राजस्थान; 17 से 20 फरवरी, 2020

भौतिक दु:ख, शोक, कष्ट और यातना से सहज मुक्ति पाने की ओर अग्रसर हो सकता है। गायत्री मंत्र अर्थात्—

"ॐ भूर्भुवः स्व तत्सवितुर्वरेण्यं।
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्॥"

के उच्चारण से पूर्ण संतोष का भाव आता है और इस पवित्र मंत्र में संपूर्ण जीवन-दर्शन समाहित है।

गायत्री परिवार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए

गायत्री शक्ति पीठ के शक्तिपुंज युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य हैं, जो एक महात्मा, सुधारक, लेखक, दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु और दूरदृष्टा थे। उन्होंने शक्तिपीठ की स्थापना लोगों और व्यापक रूप से समाज के परिवर्तन के लिए एक मिशन और जन-आंदोलन के रूप में की।

आचार्यश्री का संपूर्ण जीवन भगीरथ जैसी तपस्या के लिए समर्पित था, जिसका लक्ष्य सार्वभौमिक शांति, समरसता और सद्भाव के एक नए युग के आगमन के लिए मार्ग प्रशस्त करना था, जिसे धरती पर स्वर्ग के अवतरण के युग से जोड़ा जा सकता है।

पंद्रह वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने 24 लाख महापुरश्चरणों का प्रयास किया और आध्यात्मिक साधनों के माध्यम से लोगों और समाज के सामाजिक और नैतिक उत्थान के कार्य में लग गए।

वास्तव में समाज के प्रति उनका योगदान आत्म-निरीक्षण, आत्म-शुद्धि, आत्म-विकास और आत्मानुभूति की प्रक्रिया के माध्यम से आत्मा के उत्थान की व्यवस्था करना

है। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और साहस जैसे सद्गुण अत्यंत स्वाभाविक गुण हैं, जो सभी में होने चाहिए।

उनके उपदेशों का भारत और विदेश में लाखों लोग इस तरह अनुसरण करते हैं, मानो वे युग-ऋषि के संदेशों के आलोक में अपने और पूरे समाज के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हों।

आचार्यजी ने स्वेच्छा से गायत्री जयंती दिवस, अर्थात् 2 जून, 1990 को इस संसार को त्याग दिया, किंतु इस नश्वर संसार से देह त्याग के बावजूद मिशन का विश्व भर में विस्तार हुआ और उनके द्वारा आरंभ किए गए कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 41 अश्वमेध यज्ञ (32 भारत और 9 विदेश में, जिसमें यू.के., यू.एस.ए., कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं) किए गए।

यह मेरे लिए अत्यंत गर्व और संतोष की बात है कि अखिल विश्व गायत्री परिवार, शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वावधान में गायत्री शक्तिपीठ, सागवाड़ा, राजस्थान के एक जनजाति बहुल क्षेत्र, बागर क्षेत्र के लोगों के जीवन के उत्थान के प्रति कृत संकल्प होकर कार्य कर रहा है।

जनजातीय लोग प्रकृति और पर्यावरण के बहुत निकट हैं। आधुनिकता के इस युग में यह संभव है कि वे अपने देश में अलग-थलग महसूस करते हों। हालाँकि हमारी सरकार विभिन्न नीतियों, स्कीमों, योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से जनजातीय लोगों को हमारे समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लगातार कार्य कर रही है, परंतु इस संबंध में गायत्री परिवार के सदस्यों का योगदान सराहनीय है।

वे प्रत्येक समुदाय और धर्म के लोगों से संपर्क करते हैं और उनके बीच आध्यात्मिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मदद से भारतीय संस्कृति, पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता फैलाते हैं।

हम सभी परिचित हैं कि शिक्षा किसी समाज और राष्ट्र के जीवन में अप्रत्याशित परिवर्तन लाने का सर्वोत्तम माध्यम है। ज्ञान के उस छिपे हुए स्रोत को प्रकाश में लाने का कार्य शिक्षा करती है। यह अज्ञानता के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करने का माध्यम है।

मुझे खुशी है कि यहाँ गायत्री शक्तिपीठ में 'श्री राम गुरुकुलम् भवन' की आधारशिला रखने का मुझे शुभ अवसर मिल रहा है। यह अपनी तरह का पहला विद्यालय है और यह बिना किसी भेदभाव के समाज के जरूरतमंद छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। गायत्री शक्तिपीठ सागवाडा के इस आवासीय विद्यालय के परिसर में 200 कमरे होंगे, जो छात्रों को सभी मूलभूत सुविधाएँ, जैसे रहना, भोजन, लाइब्रेरी और खेल-कूद की सुविधाएँ इत्यादि प्रदान करेगा।

गायत्री परिवार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जनसमूह को संबोधित करते हुए

इसके अतिरिक्त, छात्रों को भारतीय धर्म, अध्यात्म, दर्शन, मानवता, संस्कृति, प्रकृति और साथ ही पर्यावरण के बारे में शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही उन्हें भविष्य के लिए व्यावसायिक शिक्षा, कॅरियर संबंधी मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा।

आज के आधुनिक विश्व में विद्यार्थी प्राय: अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, अत: श्रीराम गुरुकुलम् और गायत्री परिवार के समर्पित सदस्य छात्रों का ध्यान अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रखने और इस देश के जिम्मेदार नागरिक बनाने के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं। इस प्रकार गायत्री परिवार के प्रवर्तक आचार्य श्रीराम शर्मा का स्वप्न पूरा होगा।

मेरे विचार से किसी भी समाज के समुचित विकास के लिए किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय आदि से ऊपर उठकर सभी की भागीदारी की आवश्यकता होती है। यह जिम्मेदारी केवल सरकार की ही नहीं होती, अपितु गैर-सरकारी संगठनों और धार्मिक संगठनों को भी आगे बढ़कर प्रयास करने चाहिए और इस दिशा में गायत्री परिवार के कार्य नि:संदेह सराहनीय हैं।

मुझे विश्वास है कि ऐसे कार्य इस मिशन के पूर्णाहुति यज्ञ के बाद भी नहीं रुकेंगे, बल्कि हमारे देश की जनता को शामिल करके ऐसी समाज-सेवा के एक नए मिशन की शुरुआत होगी।

32

अटल टिंकरिंग लैब : प्रौद्योगिकी एवं रचनात्मकता का संगम*

"आज के नौनिहाल हमारे देश के भविष्य हैं। इनमें वैज्ञानिक सोच का विकास करना और उन्हें 'आउट ऑफ द बॉक्स' सोचने के लिए प्रेरित करना हम सबकी जिम्मेदारी है।"

दुनिया को अगर प्रगति के मार्ग पर लाना है तो स्कूल और कॉलेजों में विज्ञान और तकनीक की पढ़ाई नए तरीके से कराया जाना बेहद जरूरी है। इसी मकसद से नीति आयोग द्वारा अटल नवाचार मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब की शुरुआत की गई है। टिंकरिंग का अर्थ है, एक नए आइडिया से कुछ नया बना देना। यह लैब योजना बच्चों में क्रिएटिविटी पैदा करने के उद्देश्यों से बनाई गई है। स्कूल में बच्चों को लैब में समय मिलेगा और विज्ञान तथा तकनीक में रुचि रखने वाले बच्चे इस लैब में अपनी क्रिएटिविटी को आजमाएंगे।

जैसाकि आप जानते हैं कि नीति आयोग के अनुसार, यदि भारत को अगले तीन दशकों में निरंतर 9 से 10 प्रतिशत विकास दर कायम रखनी है तो यह अत्यंत आवश्यक होगा कि देश की तीव्र प्रगति के लिए हमें नए आइडियाज की, नई तकनीक की आवश्यकता होगी।

नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन, विशेषकर अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला के बल पर लाखों की संख्या में बाल अन्वेषकों को तैयार करने में मदद मिलेगी, जो युवा उद्यमियों के रूप में विकसित होंगे और भारत का अभूतपूर्व विकास सुनिश्चित हो सकेगा।

आज के नौनिहाल हमारे देश के भविष्य हैं। इनमें वैज्ञानिक सोच का विकास करना और उन्हें 'आउट ऑफ द बॉक्स' सोचने के लिए प्रेरित करना हम सबकी जिम्मेदारी है।

* अटल टिंकरिंग लैब के शुभारंभ के अवसर पर भाषण, आदर्श विद्या मंदिर, नैनवा रोड, बूंदी, राजस्थान; 20 फरवरी, 2020

कहा गया है कि सफल व्यक्ति हमसे अलग नहीं होते, बल्कि उनकी सोच अलग होती है। वे नए ढंग से और कुछ अलग करने की सोचते हैं।

अटल टिंकरिंग लैब के शुभारंभ के अवसर पर भाषण देते हुए

एक शिक्षक और समाज के तौर पर हमें नई सोच का हमेशा स्वागत करना चाहिए और विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं, उनकी ऊर्जा एवं संकल्प को प्रोत्साहन देना चाहिए।

जहाँ तक कि 'अटल टिंकरिंग लैब' का संबंध है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि छात्र किताबी ज्ञान के साथ-साथ प्रायोगिक तरीके से पढ़ाई कर सकें। वे विज्ञान और गणित आदि की अवधारणाओं को प्रायोगिक रूप से सीख और समझ सकें। यह लैब आधुनिक शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ सिद्ध हो सकती है।

नीति आयोग द्वारा 'अटल नवाचार मिशन' (AIM) के तहत 'अटल टिंकरिंग लैब' (ATL) की स्थापना के लिए स्कूलों का चयन किया जाता है। आपके विद्यालय ने इसके लिए निर्धारित मानदंडों को सफलतापूर्वक पूरा किया, इसके लिए विद्यालय प्रबंधन व विद्यार्थीगण, सभी विशेष बधाई के पात्र हैं।

भारत जैसे विकासशील देश में शिक्षा अत्यंत मूल्यवान है। राष्ट्र-निर्माण के लिए हम सभी नागरिकों का परम कर्तव्य है कि हम शिक्षा की इस केंद्रीय भूमिका को समझें। आज रोटी, कपड़ा और मकान के समान ही शिक्षा भी जीवन की एक बुनियादी आवश्यकता बन गई है।

शिक्षा एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है, जो व्यक्ति को न केवल शैक्षिक कौशल प्रदान करता है, बल्कि उसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार करता है। शिक्षा व्यक्ति को ऐसे ज्ञान एवं नवीन कौशलों के अर्जन का सामर्थ्य प्रदान करती है, जो एक बेहतर और समृद्ध जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं।

शिक्षा हमारे भीतर की क्षमताओं को उजागर करने में सहायता करती है। यह हमारी क्षमताओं को एक ऐसी शक्ति में रूपांतरित करती है, जो अज्ञान के अंधेरे को दूर कर ज्ञान के प्रकाश को फैलाती है। शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों, शिक्षकों और व्यापक अर्थों में समाज को अत्यधिक सम्मान प्राप्त होता है। इससे राष्ट्र के साझे लोकाचार एवं मूल्यों को आत्मसात करने और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है।

साथियो, कहा जाता है कि "एक बच्चे का मन कोरे कागज की तरह होता है"। यदि बच्चों को शुरू से ही वैज्ञानिक सोच के साथ ज्ञानार्जन के लिए प्रेरित किया जाए, अर्थात् उनके कोरे मन पर वैज्ञानिक सोच की छाप छोड़ी जाए तो निश्चय ही बड़ा होकर वे विज्ञान के क्षेत्र में उम्दा कार्य कर सकते हैं।

"एक शिक्षक और समाज के तौर पर हमें नई सोच का हमेशा स्वागत करना चाहिए और विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं, उनकी ऊर्जा एवं संकल्प को प्रोत्साहन देना चाहिए।"

डॉ. राधाकृष्णन ने एक बार कहा था कि 'हमें वैसी ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जैसा समाज हम बनाना चाहते हैं'। मुझे विश्वास है कि देश भर में चयनित विद्यालयों में से ऐसी प्रतिभाएँ निकलेंगी, जो सूचना और प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं अन्य संबद्ध क्षेत्रों में नवोन्मेष करके भारत ही नहीं, विश्व के कल्याण के लिए कार्य करेंगी।

अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी काफी नवोन्मेष हो सकते हैं। यदि हम विद्यालय स्तर पर बच्चों में हमारे सौरमंडल, अंतरिक्ष आदि के विषय में जिज्ञासाएँ जगाते हैं तो निश्चय ही हम इन्हीं बच्चों में से अगला अब्दुल कलाम, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, आइंस्टीन एवं न्यूटन पा सकते हैं।

वास्तव में 'अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला' की स्थापना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को ऐसा कौशल प्रदान करना और उन्हें उस प्रौद्योगिकी तक पहुँच प्रदान करना है, जो उन्हें समाधान प्रस्तुत करने में सक्षम बनाएगी। इन प्रयोगशालाओं का लक्ष्य 500 समुदायों और स्कूलों में ढाई लाख युवाओं को भविष्य के लिए अभिनव कौशल प्रदान करना है।

नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन, विशेषकर अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला के बल पर लाखों की संख्या में बाल अन्वेषकों को तैयार करने में मदद मिलेगी, जो युवा उद्यमियों के रूप में विकसित होंगे और भारत का अभूतपूर्व विकास सुनिश्चित हो सकेगा।

ये ATLS इन विद्यार्थी अन्वेषकों के लिए नवाचार हब (केंद्र) के रूप में कार्य करेंगी, जिससे उन्हें उन अनूठी स्थानीय समस्याओं का भी समाधान ढूँढ़ने में आसानी होगी, जिनका सामना उन्हें अपने दैनिक जीवन में करना पड़ता है। यहाँ उपस्थित बच्चों के खिले चेहरे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उनके अभिभावकों के मन में भी हर्ष की भावना है। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे उनका नाम रोशन करें। यह अवसर अब उन्हें विद्यालय द्वारा दिया जाने वाला है, जब वे लैब में सक्रियता दिखाएँगे।

मैं इस अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला के अत्यंत उपयोगी होने की कामना करते हुए इसका सहर्ष उद्घाटन करता हूँ।

33
व्यावहारिक एवं मूल्य आधारित शिक्षा*

"हमें शिक्षा को व्यावहारिक बनाना होगा, विद्यार्थियों में जिज्ञासा और उत्सुकता जगानी होगी, ताकि वे स्वयं पूछें, वे स्वयं हल ढूँढ़ने को आतुर हों। अध्ययन में तनाव नहीं, बल्कि आनंद होना चाहिए। शिक्षा में दबाव नहीं, बल्कि सहजता होनी चाहिए। उनके पास सूचनाओं का भंडार नहीं, बल्कि ज्ञान की पूँजी होनी चाहिए।"

इस सभागार का नाम श्री रामशांताय स्वयं में भारत की संस्कृति की खूबसूरती को बयान करता है। हम श्रीराम के उपासक और शांति के पुजारी हैं। मुझे विश्वास है कि यहाँ होने वाले सभी कार्यक्रम बच्चों में हमारी संस्कृति की जड़ों को और गहरा करेंगे।

यह बहुत खुशी की बात है कि विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, वर्ष 1952 में गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में अपने पहले सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना से लेकर अब तक कई दशकों से शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहा है। वर्ष 1977 में राष्ट्रीय निकाय के गठन से यह संस्था और भी मजबूत हुई है और वर्तमान में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान इन संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रहे लगभग 34 लाख विद्यार्थियों के साथ 1300 से भी अधिक विद्यालयों का संचालन कर रहा है।

इस संगठन की शुरुआत शिक्षा की ऐसी राष्ट्रीय व्यवस्था प्रदान करने के लिए की गई थी, जिससे युवा पुरुषों और महिलाओं की ऐसी पीढ़ी तैयार की जा सके, जो मातृभूमि और हमारे समृद्ध सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति सम्मान की भावना से परिपूर्ण हो। यह संस्था उपयुक्त नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्व के विकास पर विशेष बल देती है।

मुझे यह जानकर और भी प्रसन्नता हुई है कि यह संस्था शैक्षिक पाठ्यक्रम के मुख्य विषयों के साथ योग, शारीरिक शिक्षा, नैतिक मूल्य और अध्यात्म की शिक्षा भी दे रही है।

---

* स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन में श्री रामशांताय सभागार का लोकार्पण, कोटा, राजस्थान; 1 मार्च, 2020

हम सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद, जिनके नाम से इन संस्थाओं का नाम है, भारत के एक महान सपूत थे। उन्होंने पराधीन भारत की युवाशक्ति बन शिकागो धर्म सम्मेलन में विश्वबंधुत्व और विश्व मानवता का उद्घोष किया और वेदों की वाणी के शंखनाद से मंत्रमुग्ध कर दिया था। आज हमारी पीढ़ी का एक बड़ा हिस्सा जब पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकर्षित होता है और अपने संस्कारों से दूर भागता नजर आता है, वहाँ स्वामी जी के मार्ग को याद कर उन्हें राह दिखाने की आवश्यकता है।

श्री रामशांताय सभागार के लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित विशिष्ट जनों को संबोधित करते हुए

शिक्षा बहुत महत्त्वपूर्ण होती है। हमारी युवा पीढ़ी इसी माध्यम से विभिन्न विषयों और विधाओं में ज्ञान प्राप्त करने के साथ-साथ हमारे नैतिक मूल्यों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जान पाएगी। हमारे बच्चों को हमारी सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में पूरी जानकारी देना और यह सुनिश्चित करना कि हमारे बच्चे हमारी संस्कृति की ताकत से परिचित हों और उससे सीखकर आगे बढ़ें, यह हमारी पीढ़ी की ही जिम्मेदारी है।

विद्या भारती इस मामले में एक अग्रणी संस्था रही है और इसने बच्चों को भारत के सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को महत्त्व देने वाला परिवेश उपलब्ध कराया है। वास्तव में इनका शैक्षिक पाठ्यक्रम इन सभी बातों को ध्यान में रखकर और सभी कक्षाओं के लिए मूल्य आधारित शिक्षा का समावेश करके तैयार किया गया है। इसी प्रकार की नैतिक और

आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से ही बालकों में वांछित चारित्रिक विशेषताएँ विकसित की जा सकती हैं।

चूँकि योग हमारी प्राचीन परंपरा का एक बहुमूल्य वरदान है, इसलिए यह उचित ही है कि विद्या भारती ने अपने पाँच बुनियादी शैक्षिक विषयों में योग को भी शामिल किया है। हमें इस पीढ़ी को, जो आज विद्यार्थी हैं, उन्हें कर्मठ और निर्भीक बनाना है, उन्हें जुझारू और संवेदनशील बनाना है।

आजकल ऐसा पाया जाता है कि विद्यार्थियों पर बस्ते का बड़ा भारी बोझ रहता है। बड़े पाठ्यक्रम होते हैं, पाठ्यपुस्तकों का ढेर होता है। कम उम्र से ही होमवर्क और क्लास वर्क का बड़ा दबाव होता है। ऐसे में पढ़ाई बोझ सी लगने लगती है। बच्चों की दिलचस्पी जाती रहती है। वे तनाव में आ जाते हैं। हमें शिक्षा को व्यावहारिक बनाना होगा, विद्यार्थियों में जिज्ञासा और उत्सुकता जगानी होगी, ताकि वे स्वयं पूछें, वे स्वयं हल ढूँढ़ने को आतुर हों। अध्ययन में तनाव नहीं, बल्कि आनंद होना चाहिए। शिक्षा में दबाव नहीं, बल्कि सहजता होनी चाहिए। उनके पास सूचनाओं का भंडार नहीं, बल्कि ज्ञान की पूँजी होनी चाहिए। जब वे शिक्षा पूरी करके स्कूलों से बाहर निकलें तो वे सिर्फ एक सक्षम और सफल व्यक्ति ही नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक बनकर निकलें और उससे भी बढ़कर एक बेहतर इंसान बनकर निकलें।

दरअसल हमने अपनी शिक्षा प्रणाली को प्रयोगशाला में बदल दिया है, जहाँ से सफलता का उत्पादन हो। मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम अपने शिक्षा-तंत्र से एक ऐसा नागरिक तैयार कर पाएँ, जो सफलता से मदांध न हो, विफलता से हताश न हो तो यही हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी।

हमारी शिक्षा प्रणाली से ऐसी चरित्रवान युवा पीढ़ी तैयार होनी चाहिए, जो देश की सेवा और विकास के प्रति समर्पित हो। तभी शिक्षा राष्ट्रीय प्रगति और देश में 'अनेकता में एकता' की भावना को बढ़ावा देते हुए लोकतंत्र को और मजबूत बनाने की महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल होगी। हमारे विद्यालयों में भी प्राकृतिक वातावरण साफ-सुथरा होना चाहिए। विद्यार्थीगण स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति जागरूक बनें, क्योंकि स्वच्छ वातावरण में व्यक्ति स्वस्थ रहता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन तथा मस्तिष्क का निवास होता है।

मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन एक शैक्षणिक संस्था के नाते आदर्श शिक्षा मूल्यों को स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है, यहाँ के छात्र निश्चित रूप से अपनी पसंद के क्षेत्र में आगे की पढ़ाई करने के साथ-साथ देश की संस्कृति और गरिमा के संवाहक बनेंगे।

हम सब जानते हैं कि आज विश्व सतत विकास लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। वर्ष 2030 तक विकास के 17 लक्ष्यों को हासिल करना है, जिसके सन्नह लक्ष्यों में चौथा लक्ष्य सबको

शिक्षा के समान अवसर देकर शिक्षित करने का है। सरकार तो निश्चित रूप से काम कर ही रही है, परंतु इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है और मुझे आशा है कि ऐसे सामूहिक प्रयासों से भारत निश्चय ही अपने लक्ष्य को हासिल करेगा। हमें स्वामी विवेकानंद जी का यह वाक्य 'उठो, जागो और तब तक न रुको, जब तक अपना लक्ष्य न हासिल कर लो' याद रखकर दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ना है।

आज तकनीक का युग है। आज क्लास-रूम में शिक्षा के तौर तरीके बदल रहे हैं। आज इंटरनेट से विद्यार्थी बहुत कुछ सीख रहे हैं, पर भारत में गुरु-शिष्य परंपरा का अपना आदर्श है और गुरु के संपर्क से शिष्य बहुत कुछ सीखते हैं, जो किताबों, कंप्यूटर से संभव नहीं। विद्यालय इस परंपरा को जीवंत रखने का भी माध्यम है।

हमारे देश में हमेशा से बेटा-बेटी को शिक्षा के समान अवसर मिलें, इसका प्रयास हुआ है। आज बेटियों को हर क्षेत्र में उच्च पदों पर देखकर मन प्रसन्न होता है। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि स्कूल में गुरु-शिष्य, प्रबंधकों, सबका दायित्व भी बनता है कि वे सामाजिक ताने-बाने के पहरेदार बनें, वे शिक्षा के माध्यम से यह जागरूकता भी लाएँ, जिससे समाज में सौहार्द्र हो। युवा गलत आदतों में न पड़ें और अपने प्रति, परिवार के प्रति, समाज और देश के प्रति जिम्मेदार बनें। यही एक विकसित राष्ट्र की राह भी है और निशानी भी।

बच्चों के समग्र विकास में शिक्षा की महत्त्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए मैं इस स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों से आग्रह करता हूँ कि आप पूरी निष्ठा और प्रेरणादायी नेतृत्व कौशल से छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करते रहें।

मैं विद्या भारती शिक्षा संस्थान के भावी प्रयासों की सफलता की कामना करता हूँ।

भाग-पाँच

स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे

34

हेपेटाइटिस रोग : निवारण एवं नियंत्रण*

"जिस प्रकार स्वच्छता के लिए 'स्वच्छ भारत अभियान' चलाया गया है, उसी प्रकार हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए भी व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है।"

इस वर्ष 'विश्व हेपेटाइटिस दिवस' का विषय 'फाइंड द मिसिंग मिलियंस' है। नि:संदेह, जैसाकि इस विषय से स्पष्ट है कि हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लोगों में इस बीमारी के संबंध में जागरूकता का अभाव है और इसके कारण ऐसे मामले बड़ी संख्या में हैं, जिनमें हेपेटाइटिस रोग का पता भी नहीं चल पाता है।

हेपेटाइटिस को लेकर लोगों में एड्स जैसी अवेयरनेस नहीं है और इसके खतरनाक होने का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में हर बारहवां आदमी इसका शिकार है।

हालाँकि हेपेटाइटिस-बी और एच.आई.वी. के बैक्टीरिया के फैलने का पैटर्न एक ही है, लेकिन हेपेटाइटिस-बी एच.आई.वी. के मुकाबले 50 से 100 गुणा ज्यादा खतरनाक है। ऐसा इसलिए, क्योंकि हेपेटाइटिस-बी का बैक्टीरिया बॉडी के बाहर भी कम-से-कम सात दिन तक जिंदा रहकर किसी हेल्दी इंसान को संक्रमित कर सकता है।

भारत में हेपेटाइटिस-बी से संक्रमित रोगियों की संख्या लगभग 40 मिलियन है और लंबे समय तक अधिकतर लोगों को इस संक्रमण के बारे में पता न चल पाने के कारण उन्हें सिरोसिस अथवा यकृत कैंसर जैसी प्राणघातक बीमारियाँ होने का खतरा भी बढ़ जाता है।

---

* यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान (आई.एल.बी.एस.) द्वारा आयोजित 'विश्व हेपेटाइटिस दिवस संगोष्ठी', अशोक होटल, नई दिल्ली; 27 जुलाई, 2019

आँकड़ों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष लगभग 6 लाख रोगी हेपेटाइटिस-बी वायरल संक्रमण के कारण मर जाते हैं, ऐसे में यह बीमारी भारत में सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। यह एक बहुत बड़ी संख्या है और इस संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और सरकार, नागरिक समाज, शिक्षा जगत तथा शोध संस्थानों से जुड़े लोगों के द्वारा निरंतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान (आई.एल.बी.एस.) द्वारा आयोजित 'विश्व हेपेटाइटिस दिवस संगोष्ठी' में विचार व्यक्त करते हुए

जिस प्रकार स्वच्छता के लिए 'स्वच्छ भारत अभियान' चलाया गया है, उसी प्रकार हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए भी व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। साफ भोजन एवं साफ पानी और स्वच्छता से इस बीमारी के होने के खतरे को निश्चय ही रोका जा सकता है।

हम संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और हमारा लक्ष्य वर्ष 2030 तक इस प्राणघातक बीमारी को पूरी तरह से समाप्त करना है। वैश्विक स्तर पर भारत हेपेटाइटिस के सर्वाधिक मामले वाले देशों में से एक है, इस तथ्य का अर्थ यह है कि इस रोग को समाप्त करने के लिए हमें सभी प्रकार के उपाय करने होंगे। 'चुनौतियाँ' बहुत हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि भारत इन चुनौतियों का डटकर सामना कर पाएगा।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि विगत वर्षों में भारत ने पोलियो की बीमारी को खत्म कर दिया है, जोकि एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या थी, जिसने हमारे बहुत से बच्चों को अपंग बना दिया।

मेरा ऐसा मानना है कि हेपेटाइटिस जैसी बीमारी के प्रसार और इससे होने वाली मौतों का एक मुख्य कारण जागरूकता की कमी है और इसलिए रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी संबंधित लोगों की ओर से जोरदार प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

स्वच्छ भारत मिशन एक ऐसा सकारात्मक कदम है, जिसे और अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि इन कदमों से भारत में हेपेटाइटिस 'ए' जैसी बीमारियों के प्रसार में कमी लाने में सहायता मिलेगी। सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत सिविल सोसाइटी समूह आगे बढ़कर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये कदम जल्द-से-जल्द उठाए जाएँ।

भारत सरकार ने वायरल हेपेटाइटिस के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना की भी शुरुआत की है, जिसे देश भर के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है। यह योजना भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है और यह वैश्विक परिप्रेक्ष्य को भी ध्यान में रखती है। यह एक रणनीतिक ढाँचा उपलब्ध कराती है, जिसके आधार पर राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसकी शुरुआत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के अंतर्गत की गई थी। यह कार्यक्रम भी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हमारी वैश्विक प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

भारत विश्व के कुछ ऐसे देशों में शामिल है, जिसने अपने लाभार्थियों को नि:शुल्क सुविधाएँ और जीवनपर्यंत दवाएँ प्रदान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में हेपेटाइटिस-बी और हेपेटाइटिस-सी का प्रबंधन आरंभ किया है। सस्ती जेनेरिक दवाओं के साथ ही जागरूकता और रोग का सही समय पर पता लगाने से संबंधित निवारक उपायों से इस बीमारी के बुरे प्रभावों को समाप्त करने में बहुत सहायता प्राप्त होगी।

हमारा लक्ष्य हेपेटाइटिस-बी और हेपेटाइटिस-सी से संक्रमित लोगों की संख्या और बीमारी तथा मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाना भी है। सिरोसिस और यकृत कैंसर से जुड़े जोखिमों को भी राष्ट्रीय कार्ययोजना के अंतर्गत खत्म करने का एक प्रमुख लक्ष्य है।

हमें लोगों को इस संबंध में जागरूक बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए कि वे हेपेटाइटिस का शिकार कैसे हो जाते हैं और हेपेटाइटिस विषाणुओं से स्वयं को तथा अपने परिवार को बचाने के लिए उन्हें क्या करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रशासकों, नीति-निर्माताओं तथा चिकित्सा पेशेवरों के बीच जागरूकता और समुचित प्रयासों की भी आवश्यकता है। हेपेटाइटिस सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन मुझे

इस बीमारी का इलाज ढूँढ़ने में यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान जैसे संस्थानों और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के समर्पित पेशेवरों तथा शोधकर्ताओं की क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास है। मुझे विश्वास है कि हम सब साथ मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे और इस बीमारी को वर्ष 2030 तक पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे।

हम यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्य करेंगे कि नवजात शिशुओं और जोखिम की संभावना वाले वयस्क लोगों को समय पर हेपेटाइटिस से बचाव के टीके लगाए जाएँ। उन बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जो 'नए भारत' की नींव हैं।

अंत में मैं पुन: एक बार इस बात पर बल देना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य प्रोत्साहन पहलों को मजबूत किया जाना आवश्यक है। हमें अभी इस दिशा में काफी कार्य करना है और मैं यह जानकर प्रसन्न हूँ कि हम सही रास्ते पर हैं।

इस तरह की गंभीर बीमारियों से निपटने के लिए हम सबको साथ मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। आप सभी विशेषज्ञगण एवं हम जैसे जनप्रतिनिधि मिलकर और प्रभावी ढंग से इस दिशा में कार्य कर सकते हैं और इसके लिए आप लोगों को जनप्रतिनिधियों के साथ एवं सरकारी कार्यपालिका के साथ समन्वय, अंतरसंवाद में निरंतर वृद्धि करने की आवश्यकता है।

इसके लिए मैं आप लोगों को संसद में होने वाले कई कार्यक्रमों से जोड़ना चाहता हूँ, जैसे ब्यूरो ऑफ पार्लियामेंटरी स्टडीज ऐंड ट्रेनिंग, स्पीकर रिसर्च इनीशिएटिव इत्यादि। ऐसा होने से जनप्रतिनिधि में विशेष जागरूकता आएगी और वे इस संदेश को जन-जन तक ले जा सकेंगे। मैं संसद में ऐसे विषयों पर चर्चा का भी प्रयास करूँगा, जिससे इस दिशा में और फलदायी समाधान निकलें।

35

लंबी आयु के लिए आयुर्वेद*

**"आज पूरे विश्व में आयुर्वेद के लिए अपार संभावनाएँ मौजूद हैं।
पूरा विश्व और पूरी मानवता आशा भरी नजरों से
भारत की ओर देख रही है।"**

सबसे पहले मैं प्रतिष्ठित 'राष्ट्रीय धन्वंतरि आयुर्वेद पुरस्कार' से इस वर्ष सम्मानित किए जा रहे व्यक्तियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में आपके अमूल्य योगदान और आपकी असाधारण उपलब्धियों पर हम सबको गर्व है।

जो राष्ट्र अपने अतीत, अपनी परंपरा और अपने इतिहास को भुला देता है, दुनिया उसे कभी भी सम्मान या महत्त्व नहीं देती है। हमारी परंपरा से ही हमारी पहचान है। हमारे अतीत से ही हमारा सम्मान और महत्त्व है।

यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि भारतीय सभ्यता और संस्कृति की कई समृद्ध परंपराओं को हमने लंबे समय से भुला रखा था। आयुर्वेद भी उनमें से एक है। पश्चिम के प्रभाव के कारण हम पूरी तरह से पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति पर निर्भर हो गए। हम भूल गए कि हमारे देश में आयुर्वेद जैसी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति भी हजारों सालों से मौजूद है।

लेकिन वर्तमान सरकार ने आयुर्वेद पद्धति को नवजीवन दिया है। इसके लिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया, जो कि बहुत बड़ा कदम है। आयुर्वेद के प्रचार-प्रसार के लिए सरकार दिन-रात मेहनत कर रही है। इन सबका उद्देश्य यही है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को सर्व सुलभ और किफायती बनाया जाए। लोगों में और पूरे विश्व में इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाए।

---

* आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित चौथा आयुर्वेद दिवस समारोह, जयपुर, राजस्थान; 25 अक्तूबर, 2019

मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति एक बार फिर से पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रही है। पूरा विश्व इसे उचित सम्मान दे रहा है।

लेकिन हम सबको यह भी समझ लेना चाहिए कि आयुर्वेद को वैश्विक चिकित्सा पद्धति की मुख्यधारा में लाना सिर्फ हमारी अपनी परंपरा के उत्थान या सम्मान का मामला नहीं है, बल्कि, यह आज के युग की परिस्थितियों की माँग है। आज की जरूरत है।

आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित चतुर्थ आयुर्वेद दिवस समारोह में उद्‌गार व्यक्त करते हुए

दुनिया अब सिर्फ हेल्थ नहीं चाहती है, बल्कि हेल्थ के साथ-साथ अब पूरी दुनिया वेलनेस भी चाहती है, लेकिन वेलनेस एक ऐसी चीज है, जो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति नहीं दे सकती है। इसके लिए दुनिया को आयुर्वेद और योग जैसी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों की तरफ ही मुड़ना होगा।

दूसरी बात यह भी है कि एलोपैथिक चिकित्सा के कई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि एक रोग का उपचार करने के क्रम में दूसरा रोग पैदा हो जाता है। इसलिए दुनिया आज एक ऐसी चिकित्सा पद्धति चाहती है, जिसमें साइड इफेक्ट न के बराबर हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज पूरे विश्व में आयुर्वेद के लिए अपार संभावनाएँ मौजूद हैं। पूरा विश्व और पूरी मानवता आशा भरी नजरों से भारत की ओर देख रही है।

ऐसे समय में हमें सक्रिय होकर जनकल्याण के लिए आयुर्वेद जैसी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए।

वर्तमान सरकार ने इस बात के महत्त्व को समझा है। इसलिए आयुर्वेद के क्षेत्र में काफी सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। वर्ष 2014 में सरकार ने आयुष विभाग को एक मंत्रालय का दर्जा दे दिया। सरकार पिछले पाँच वर्ष से सॉफ्ट पावर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग और आयुर्वेद को बढ़ावा दे रही है।

इस पृष्ठभूमि में भारत सरकार का आयुष मंत्रालय वर्ष 2016 से धनतेरस के दिन एक समुचित विषय के साथ हर साल आयुर्वेद दिवस का आयोजन करता आ रहा है। वेद-पुराणों के अनुसार, भगवान धन्वंतरि देवताओं के चिकित्सक थे।

आयुष मंत्रालय आयुर्वेद को बढ़ावा देने, इसके प्रचार-प्रसार और इसे लोकप्रिय बनाने के लिए देश-विदेश में विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन कर रहा है। इसमें आयुर्वेद से जुड़े लोग और इसके शुभचिंतक भी शामिल होते हैं। अन्य पहलों के साथ ही मंत्रालय ने इस पुरस्कार की शुरुआत की है, जिसमें एक प्रशस्ति-पत्र, ट्रॉफी (धन्वंतरि की प्रतिमा) और पाँच लाख रुपए का नकद पुरस्कार शामिल है, जो हमने अभी-अभी दिया है।

मंत्रालय ने इस वर्ष के समारोह के लिए बहुत ही उपयुक्त और प्रासंगिक विषय चुना है। इस वर्ष का विषय 'लंबी आयु के लिए आयुर्वेद' है, जो 'आयुष्मान भारत' योजना पर आधारित है। आयुष्मान का शाब्दिक अर्थ होता है—दीर्घायु। जैसाकि आप सब जानते हैं, 'आयुष्मान भारत' भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे 2018 में सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शुरू किया गया था। इसमें स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने की नीति को अपनाया गया है और इसके दो परस्पर संबंधित घटक हैं—पहला, एक लाख पचास हजार (1,50,000) स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना के उद्देश्य से स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करना और दूसरा, प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा। हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में यह लक्ष्य रखा गया है कि विकास से जुड़ी नीतियों में निवारक और स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के पहलू को शामिल किया जाएगा।

यह सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के लक्ष्य संख्या 3 और सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधा के हमारे लक्ष्य के अनुरूप भी है। आयुष्मान भारत भी आयुष मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है, जिसके अंतर्गत आयुष मंत्रालय आयुष प्रणालियों के सिद्धांतों के अनुसार 12,500 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का संचालन करेगा।

आयुर्वेद इस बात को मानता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर और शरीर, मन तथा आत्मा के बीच संतुलन के माध्यम से सेहत और दीर्घायु प्राप्त की जा सकती है। आयुर्वेद की आठ शाखाओं में से एक रसायन तंत्र में कायाकल्प करने, नवजीवन प्रदान करने और बढ़ती आयु में भी स्वस्थ शरीर की बात कही गई है। आयुर्वेद के जरिए लंबी आयु, बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक शक्ति एवं रोगों से मुक्ति मिलती है।

लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, जिन पर हमें और ध्यान देने की जरूरत है। एक बात तो यह कि आयुर्वेद की दवाइयों की उपलब्धता को और अधिक बढ़ाया जाए। एलोपैथिक दवाइयों की तरह ही आयुर्वेद की गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ भी आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि हमें और अधिक संख्या में आयुर्वेद के बेहतर प्रशिक्षित चिकित्सक तैयार करने होंगे।

तीसरी बात यह कि जिन औषधीय पौधों से आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाया जाता है, हमें उनका और अधिक-से-अधिक मात्रा में उत्पादन करना होगा।

कहने का मतलब यह है कि हमें आयुर्वेद की गुणवत्ता, एफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे।

मुझे इस बात की खुशी है कि आयुष मंत्रालय न केवल देश में बल्कि विदेशों में स्थित सभी भारतीय दूतावासों और राज्य सरकारों को सार्वजनिक व्याख्यानों, सेमिनारों, स्वास्थ्य शिविर आदि के माध्यम से आयुर्वेद दिवस को उपयुक्त रूप से मनाए जाने के लिए पत्र लिखकर आयुर्वेद को बढ़ावा देने और इसका प्रचार-प्रसार करने की दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहा है।

आयुर्वेद इस दर्शन पर आधारित है कि 'निवारण उपचार से बेहतर है' और इसमें मानव जीवन-शैली को स्वस्थ बनाने की क्षमता भी है, इसलिए मुझे पूरी आशा है कि इसका भविष्य उज्ज्वल है।

36

जन स्वास्थ्य जागरूकता : एक चुनौतीपूर्ण अभियान*

"चुनौतियों के बावजूद हमने बहुत प्रगति की है। मुझे विश्वास है कि एक साथ मिलकर प्रयास करने से एक स्वस्थ देश बनाने की दिशा में हमें आसानी होगी, जो हमारी प्रगति के पथ को प्रशस्त करेगी।"

अच्छे स्वास्थ्य का महत्त्व हम सभी जानते हैं। कहा भी जाता है 'हेल्थ इज वेल्थ', 'जान है तो जहान है'। भारतीय परंपरा में इसलिए स्वास्थ्य व चिकित्सा पर आरंभ से ही बल दिया गया है।

भारतीय चिकित्सा का लंबा इतिहास वैदिक काल से शुरू होता है। हम आयुर्वेद के चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों से परिचित हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति ने हमारे देश में केवल कुछ सदी पहले ही कदम रखा है, लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित डॉक्टर—जनसंख्या अनुपात संबंधी लक्ष्य को हासिल कर लिया है। यह वास्तव में हमारे जैसे विशाल आबादी वाले देश के लिए एक सराहनीय उपलब्धि है।

हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि हमारे देश के चिकित्सकों का स्तर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। लेकिन हमें जमीनी स्तर पर हमारी स्थिति भी देखनी होगी। अपने देश के लोगों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित कराने के लिए हमें अभी एक लंबा रास्ता तय करना है।

हमारे मेडिकल कॉलेजों ने समय की माँग के अनुसार इस जरूरत को पूरा करने में अपना योगदान दिया है और 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार भारतीय राज्य

---

* स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में कार्यरत उत्कृष्ट पेशेवरों को सम्मानित करने के लिए आयोजित 'अटल स्वास्थ्य भूषण सम्मान, 2019' समारोह, नई दिल्ली; 21 दिसंबर, 2019

आयुर्विज्ञान परिषद के रजिस्टर में लगभग साढ़े ग्यारह लाख से अधिक एलोपैथिक डॉक्टर पंजीकृत हैं।

हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग ऐसी स्थितियों में रहते हैं, जहाँ वे आसानी से संचारी रोगों के साथ-साथ बैक्टीरिया और वायरस के संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं।

भारत सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को लागू कर रही है। इससे संपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल पर परिवार द्वारा अपने पास से व्यय को कम करने, संचारी, गैर-संचारी रोगों का उपचार करने में मदद मिलेगी। साथ ही उभरती हुई बीमारियों और चोटों से होने वाली मृत्यु दर और रुग्णता को कम करने में, एनीमिया की रोकथाम और इसके निवारण इत्यादि में भी मदद मिलेगी।

अटल स्वास्थ्य भूषण सम्मान 2019 के अवसर पर चिकित्सकों और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े अन्य व्यक्तियों को संबोधित करते हुए

हालाँकि लोगों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूकता की कमी के कारण यह समस्या जटिल है। लोग प्रारंभिक चरणों में बीमारी की उपेक्षा करते हैं और जब तक उन्हें चिकित्सा की आवश्यकता का एहसास होता है, तब तक बीमारी बढ़ चुकी होती है।

इसलिए गरीबों में बुनियादी स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करना आवश्यक है। आप जैसे प्रतिबद्ध लोगों के सामूहिक योगदान से ही ऐसा संभव हो पाएगा।

रोकथाम इलाज से बेहतर होता है। आप जैसे पेशेवरों से आशा की जाती है कि जनता में स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से आप रोगों के रोकथाम के लिए भी अपना संपूर्ण योगदान देंगे।

स्वच्छता के प्रति जागरूकता विकसित करना समय की माँग है, जैसे कि शौच के बाद हाथ धोना, जूते/चप्पल का उपयोग करना, घर और आस-पास साफ-सफाई रखना, ऐसी छोटी-छोटी सावधानियों से हम बड़ी-बड़ी बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं।

भारत खुले में शौच से मुक्त (ओ.डी.एफ.) राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस मुद्दे पर प्रारंभ से ही विशेष बल दिया है। पूरे देश में शौचालय का निर्माण एक मिशन के रूप में किया जा रहा है। हमारे देश में अब स्वच्छता की संस्कृति का विकास तेजी से हो रहा है।

भारत में बड़ी आबादी गाँवों में बसती है। वहाँ समुचित स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं हैं। हमारे ग्रामीण लोगों को इलाज के लिए पास के कस्बे या शहरों तक जाना पड़ता है, इसलिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच चिकित्सा सुविधाओं के इस अंतर को पाटना जरूरी है, ताकि लोगों को इलाज के लिए शहरों में जाना न पड़े।

भारतवर्ष इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक और संगठित प्रयास करने की जरूरत है। जैसाकि मैंने पहले कहा है कि निजी स्वच्छता और अपने आस-पास के क्षेत्र में सफाई रखने के संबंध में जागरूकता पैदा करना सबसे महत्त्वपूर्ण है।

हमें यह समझना होगा कि एक स्वस्थ देश बनाने के लिए फिटनेस को बढ़ावा देना बहुत महत्त्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार का व्यायाम करने से आपको फिट रहने में मदद मिलती है।

आज लोग जीवन-शैली से जुड़ी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम अपनी परंपरागत खान-पान की आदतों को भूल गए हैं। आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में शारीरिक व्यायाम के लिए समय नहीं मिल पाता है।

हम तकनीक के इतने आदी हो गए हैं कि यदि हमारे पास थोड़ा सा भी खाली समय हो तो हम उसमें शारीरिक व्यायाम करने की अपेक्षा गैजेट्स के साथ समय गुजारना पसंद करते हैं।

आज शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने की आवश्यकता है और उसी विचार के साथ हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने 'फिट इंडिया मूवमेंट' की शुरुआत की है। हाल ही में शारीरिक फिटनेस की आवश्यकता के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए हमने संसद परिसर में 'फिटनेस डे' का आयोजन किया था। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन और मस्तिष्क का वास होता है और हमें इसी की आवश्यकता है।

यह सही है कि प्रगति करने के लिए हमें प्रौद्योगिकी की जरूरत है, लेकिन उसके लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। एक विकासशील देश के रूप में, विश्व में सम्मान पाने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना होगा।

स्वाभाविक रूप से दुनिया के साथ चलने में हमें समय लगेगा। लेकिन चुनौतियों के बावजूद हमने बहुत प्रगति की है। मुझे विश्वास है कि एक साथ मिलकर प्रयास करने से एक स्वस्थ देश बनाने की दिशा में हमें आसानी होगी, जो हमारी प्रगति के पथ को प्रशस्त करेगी।

मैंने यहाँ पुरस्कृत होने वाले डॉक्टरों की सूची देखी है और पाया है कि वे चिकित्सा के विविध क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनको पुरस्कृत करके हम उन क्षेत्रों के अन्य चिकित्सकों का भी उत्साहवर्धन कर रहे हैं कि वे भी जनसेवा का एक माध्यम समझकर अपने मरीजों को बेहतर सेवाएँ उपलब्ध कराएँगे।

मुझे विश्वास है कि आप आगे भी इसी भाव एवं प्रतिबद्धता से मानव सेवा के पुनीत कार्य में लगे रहेंगे। आप कई और लोगों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे और निश्चय ही हम 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः' के लक्ष्य पर पहुँचेंगे।

37

प्राकृतिक चिकित्सा और योग का महत्त्व*

"प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है, जो एक बीमार शरीर को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ बनाने में लाभ पहुँचाती है। प्राकृतिक चिकित्सा हमारे शरीर में मौजूद पंचतत्वों का प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाती है और पर्यावरण में विद्यमान रोगाणुओं के विरुद्ध प्रतिरक्षण प्रणाली को मजबूत बनाकर शरीर को स्फूर्ति और ऊर्जा प्रदान करती है।"

आप सभी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि वर्तमान समय में तनाव और चिंता से भरे जीवन में लोगों को जीवन-शैली से जुड़ी बहुत सी बीमारियाँ हो रही हैं। पर योग हमारे देश की एक ऐसी प्राचीन विधा है, जिसका अभ्यास करने से इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। योग मन और शरीर को संतुलित करता है तथा यह हमारे आंतरिक बल को बढ़ाता है।

भारत समृद्ध संस्कृति, परंपरा और रहस्यवाद वाला देश है। भारत ने ही दुनिया को योग जैसा उत्कृष्ट उपहार दिया है। 'योग' शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 'युज' शब्द से हुई है, जिसका अर्थ 'जोड़ना और 'समाधि' अथवा 'ध्यान' है। यह एक ऐसी प्राचीन विधि और दर्शन है, जो हमें हमारे देश के योगियों, मुनियों और पतंजलि जैसे विख्यात दार्शनिकों और प्रचारकों से प्राप्त हुआ है।

पतंजलि का योग सूत्र योग शिक्षकों, पेशेवरों और योग से जुड़े सामान्य जनों के लिए भी मूलभूत सूत्र के रूप में प्रख्यात है। योग एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन है और यह विभिन्न आसनों तथा श्वास क्रियाओं के माध्यम से धरती माँ की सकारात्मक ऊर्जा

---

* बालाजी निरोगधाम अस्पताल, नई दिल्ली का स्थापना दिवस और प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग संबंधी विचार-गोष्ठी, नई दिल्ली; 22 दिसंबर, 2019

को ग्रहण करने, अर्थात् मन, शरीर एवं आत्मा की 'साधना' है। इसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान और स्व-चेतना के माध्यम से आत्म-नियंत्रण की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करना है।

योग व्यक्तिगत चेतना को सर्वोच्च चेतना से जोड़ने पर बल देता है और यही इसका उद्देश्य भी है। योग से सभी आयु वर्गों और धर्मों के लोगों के शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और अंततः उनके आध्यात्मिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त होता है, जिससे समाज और देश का भी भला होता है।

बालाजी निरोगधाम योग और प्राकृतिक चिकित्सा को लोगों की जीवन-शैली से जोड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हममें से ज्यादातर लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दशकों में योग की लोकप्रियता बहुत बढ़ी है। योग विज्ञान और इससे प्राप्त होने वाले लाभों के संबंध में बहुत से वैज्ञानिक परीक्षण किए गए हैं। आधुनिक समय में सूचना और संचार तकनीक के उपयोग से भी लोगों में योग के प्रति सामाजिक स्तर पर जागरूकता बढ़ी है।

बालाजी निरोगधाम अस्पताल, नई दिल्ली के स्थापना दिवस और प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग संबंधी विचार-गोष्ठी के अवसर पर विचार व्यक्त करते हुए

योग से मिलने वाले दीर्घावधि स्वास्थ्य लाभों को देखते हुए, 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' घोषित किया और 2015 में पहली बार 192 देशों द्वारा इसका आयोजन किया गया था। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि गत वर्षों से योग को एक विश्व उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है।

हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में कहा था कि योग का संबंध केवल स्वस्थ रहने और व्यायाम से ही नहीं है, बल्कि इसका अर्थ अपनी जीवन-शैली बदलने से है और उन्होंने इस प्राचीन पद्धति को अपनाने पर जोर दिया, जिससे स्वामी विवेकानंद ने पश्चिमी जगत को परिचित कराया था।

उन्होंने एक संपूर्ण और आनंदमय जीवन हेतु योग, ध्यान और वेदों के महत्त्व पर बल दिया। उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज मानवता की समृद्धि के लिए 'योग की ओर लौटना' समय की आवश्यकता है। दिसंबर, 2016 में अदिस अबाबा, इथियोपिया में अमूर्त संस्कृति का संरक्षण करने के लिए आयोजित अंतर-सरकारी समिति के 11वें सत्र के दौरान यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में योग को अंकित किया गया था। भारत से सूचीबद्ध योग का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में 13वाँ स्थान है।

हमारे देश में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत 30 मार्च, 1978 को एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी। इस संयुक्त परिषद की स्थापना के बाद आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी प्रत्येक के लिए एक स्वतंत्र अनुसंधान परिषद की स्थापना का मार्ग खुला। इनमें से प्रत्येक परिषद, भारत सरकार के अंतर्गत नवगठित आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य कर रही है।

"भारत समृद्ध संस्कृति, परंपरा और रहस्यवाद वाला देश है।
भारत ने ही दुनिया को योग जैसा उत्कृष्ट उपहार दिया है।"

पिछले कुछ वर्षों में, प्राकृतिक चिकित्सा और योग वैकल्पिक चिकित्सा अथवा उपचार विज्ञान के रूप में उभरकर सामने आए हैं। रोगों के उपचार में सदियों से इस चिकित्सा पद्धति के लाभों को देखते हुए हमारे देश में शोधकर्ताओं, सरकार और समाज ने एक साथ मिलकर प्रयास किए हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में योग की भूमिका का पता लगाने के लिए भारत में अनेक अनुसंधान किए जा रहे हैं।

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के अलग-अलग क्षेत्रों में अनुसंधान में सहायता कर रहा है। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) ने योग अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए योग और ध्यान विज्ञान और प्रौद्योगिकी (सत्यम) नामक एक योजना भी आरंभ की है।

प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है, जो एक बीमार शरीर को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ बनाने में लाभ पहुँचाती है। प्राकृतिक चिकित्सा हमारे शरीर में

मौजूद पंचतत्वों का प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाती है और पर्यावरण में विद्यमान रोगाणुओं के विरुद्ध प्रतिरक्षण प्रणाली को मजबूत बनाकर शरीर को स्फूर्ति और ऊर्जा प्रदान करती है।

यह एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है, जिसमें दवाइयों का इस्तेमाल नहीं किया जाता और जो शरीर तथा पर्यावरण के बीच सामंजस्य बनाकर हमारे शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालती हैं।

गांधी जी का प्राकृतिक चिकित्सा में अगाध विश्वास था। वह स्वयं पर भी और अपने परिवार के सदस्यों तथा अपने आश्रम के सदस्यों पर इस पद्धति को आजमाते थे। वह 1934 से 1944 के दौरान पूना के नेचर केयर क्लीनिक जाते रहते थे। उनकी याद में भारत सरकार ने पुणे में 1986 में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना की।

आपको यह जानकर खुशी होगी कि भारत सरकार विभिन्न तरीकों से लोगों के बीच योग और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने पर ध्यान दे रही है। योग 'फिट इंडिया अभियान' का एक भाग है। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत, योग वेलनेस केंद्रों और प्राकृतिक चिकित्सा वेलनेस केंद्रों की स्थापना करने के लिए राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आम आदमी को योग का अभ्यास करने के लिए आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने हेतु योग को 1.5 लाख प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों का अभिन्न अंग बना दिया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आयुष मंत्रालय के निर्देश पर सभी शैक्षणिक संस्थानों को पी-एच.डी. कार्यक्रम में अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु अपने संस्थानों में आयुष के विषयों को शामिल करने का परामर्श दिया है। सरकार ने लोगों के बीच योग को लोकप्रिय बनाने के लिए 'सेलेब्रेटिंग योगा' नामक एक मोबाइल एप की शुरुआत की है। इसके अतिरिक्त 'पर्यटन वीजा' और 'ई-पर्यटन वीजा' में भी अल्पावधि योग कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं।

प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के बारे में आप सभी यह जानना चाहेंगे कि देश में 18 नवंबर, 2018 को प्रथम प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया था। देश में प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के अतिरिक्त सरकार राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे के अंतर्गत शैक्षणिक कार्यकलापों, कौशल विकास कार्यक्रमों और छात्रवृत्ति कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रही है।

अंत में मैं संस्कृत के इस प्रसिद्ध और प्राय: उल्लेख किए जाने वाले श्लोक की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ—

"सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्।"

38

विद्यार्थियों का मानसिक तनाव और उसका प्रबंधन*

"बच्चे तो बगिया के फूलों की तरह होते हैं। बाग का माली जितने प्यार से पौधों को सींचेगा, फूल उतने ही विकसित होंगे, सुगंधित होंगे। तात्पर्य यह है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी हम माता-पिता, अभिभावकों एवं शिक्षकों की है।"

मैं एक आम नागरिक या आप लोगों जैसा ही एक आम अभिभावक हूँ। इस विषय पर मेरी अपनी राय है, वह मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहूँगा।

हमारे शहर कोटा के लिए यह गर्व का विषय है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की पहली पसंद इस शहर में अनेक कोचिंग संस्थान हैं। इस शहर ने बाहर से पढ़ाई करने आने वाले सभी विद्यार्थियों का खुले दिल से स्वागत किया है। शहर को उनके अनुकूल बनाया है।

अपनी आँखों में सुनहरे भविष्य के सपने लिये अनेक युवा यहाँ आते हैं। पढ़ाई एवं कॅरियर का बोझ उन पर कुछ अधिक ही हो जाता है। सारे बच्चे ऐसी स्थितियों से एक समान ढंग से नहीं निपट पाते हैं। बच्चों को एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। उनके पास ऐसा कोई होना चाहिए, जिनसे वे अपनी भावनाओं को साझा कर सकें, अपने तनावों से राहत पा सकें।

माता-पिता की आशाएँ एवं अपेक्षाएँ सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा एवं प्रतियोगिता का दबाव—इन सबका सामना करने के लिए हमें अपने बच्चों को मानसिक रूप से तैयार करना होगा। उनमें आने वाले छोटे-से-छोटे परिवर्तन को बारीकी से देखने की आवश्यकता है।

---

* 'मेंटल हेल्थ प्रमोशन ऐंड स्ट्रैस फ्री लिविंग' विषय पर आयोजित नेशनल वर्कशॉप, कोटा, राजस्थान; 29 फरवरी, 2020

निरंतर बढ़ रही प्रतिस्पर्धा के इस युग में आज सभी अभिभावक यही चाहते हैं कि उनका बच्चा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे, सर्वाधिक अंक प्राप्त करे और सर्वोच्च लक्ष्य हासिल करे। समय के साथ उनकी आशाएँ और अपेक्षाएँ बढ़ती जाती हैं। जितनी आशाएँ बढ़ती जाती हैं, विद्यार्थियों पर उतना ही बोझ बढ़ता जाता है।

मेरा मानना है कि विद्यार्थियों पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का दबाव नहीं डालना चाहिए, उन्हें स्वेच्छा से अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि आप दबाव डालते हैं तो इससे उनकी क्षमता और दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे में वे उतनी उपलब्धि भी हासिल नहीं कर पाते, जितनी वे सामान्य स्थिति में कर सकते थे। बल्कि बच्चे तो बगिया के फूलों की तरह होते हैं। बाग का माली जितने प्यार से पौधों को सींचेगा, फूल उतने ही विकसित होंगे, सुगंधित होंगे। तात्पर्य यह है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी हम माता-पिता, अभिभावकों एवं शिक्षकों की है।

बच्चे अलग तरह के होते हैं—ठीक उसी प्रकार, जैसे क्यारियों में नाना प्रकार के रंग-बिरंगे फूल। उन्हें बस हमारी देखभाल की आवश्यकता है। खिलना तो उन्हें स्वयं ही है। हम उन्हें जितना सहारा देंगे, वे उससे भी अधिक रंग बिखेरेंगे, और सुगंध फैलाएंगे। जैसाकि मैंने कहा कि हर फूल अलग होता है, उसी प्रकार हर बच्चे की मन:स्थिति अलग होती है। हमें नहीं पता कि वह किस बात पर कैसी प्रतिक्रिया देगा।

एक तो जटिल होते पाठ्यक्रम, दूसरे अभिभावकों की बढ़ी हुई आशाएँ, साथ में सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा का दबाव, सब मिल-जुलकर उस विद्यार्थी विशेष के मन-मस्तिष्क पर अनावश्यक दबाव डालते हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में विद्यार्थीगण तनाव और अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं और अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। यानी हर 40 सेकेंड में एक व्यक्ति अपनी जान ले लेता है। आत्महत्या पर जारी ग्लोबल डाटा के मुताबिक आत्महत्या करने वालों में 15 से 29 साल के युवाओं की तादाद सबसे ज्यादा है।

आज का वर्कशॉप उन्हीं विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर आयोजित किया गया है कि हम कैसे इस मसले की गंभीरता को समझें। हम समझें कि कैसे वे अपने-आपको इस परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। जब कोई दु:ख, तनाव, नाउम्मीदी या हताशा से गुजर रहा होता है तो मन में बार-बार खुदकुशी के खयाल आते हैं।

हमें युवाओं को इस प्रकार से विकसित करना होगा, जिससे कि वे मानसिक रूप से मजबूत बनें और उनमें सकारात्मक गुणों का विकास हो। युवाओं को अपने कॅरियर की

चिंता से परे हटकर स्वयं को भी थोड़ा समय देना चाहिए। डिप्रेशन से शिकार व्यक्ति को ऐसे व्यक्तियों से बात करनी चाहिए, जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता हो।

नियमित व्यायाम अवसाद को दूर भगाने में सहायक होते हैं। अवसाद को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका एक्सरसाइज है। पौष्टिक और संतुलित भोजन भी उतना ही आवश्यक है। इसके अलावा अच्छी पुस्तकें भी उनके जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन ला सकती हैं। आप विवेकानंद को पढ़ें, महात्मा गांधी को पढ़ें, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को पढ़ें। इससे आपको प्रेरणा मिलेगी और आपके जीवन की राह बदल जाएगी।

"हमें युवाओं को इस प्रकार से विकसित करना होगा, जिससे कि वे मानसिक रूप से मजबूत बनें और उनमें सकारात्मक गुणों का विकास हो।"

तनाव से मुक्ति का एक और खूबसूरत माध्यम संगीत है। मधुर संगीत हमारे मन पर जादुई असर डालता है। संगीत दरअसल एक वाहन है, जो हमें अवसाद और चिंता से दूर आनंद की यात्रा पर ले जाता है।

एक और तरीका है। अपने मन के भाव यदि आप किसी से साझा नहीं कर सकते तो पेन और पेपर लेकर उन्हें लिख डालें। इससे भी मन हलका हो जाता है। डिप्रेशन से ग्रसित लोगों को अच्छे दोस्तों के बीच रहना चाहिए और ऐसे समय में एक सावधानी बरतें कि नकारात्मक लोगों से दूर रहें। पुरानी बातों को सोचने के बजाय आज पर फोकस करें। यही जीने का रास्ता है।

मैं कोचिंग करने वाले सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप कभी निराश मत होइए। आप अपने पथ को अग्निपथ मानें और ऐसा मानिए कि आप इस सफर में निश्चय ही विजयी होंगे।

महान दार्शनिक एवं हमारे पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अकसर कहा करते थे; मैं उसे उद्धृत करना चाहता हूँ—

"क्या हार में, क्या जीत में,
किंचित् नहीं भयभीत मैं,
संघर्ष पथ पर जो मिला,
यह भी सही, वह भी सही।"

आपके जीवन में दो ही चीजें आ सकती हैं। पहली सफलता और दूसरी असफलता। असफलता से घबराने की आवश्यकता नहीं। आप पुनः प्रयास कीजिए, सफलता आपके

कदम चूमेगी। मेरा मत है कि आपके सफल होने से अधिक जरूरी है, आपका आशान्वित और सकारात्मक बने रहना।

एक बात बहुत जरूरी है कि हमें किसी की किसी से तुलना नहीं करनी। हर व्यक्ति अपने-आप में विशिष्ट है। सबकी अपनी-अपनी क्षमताएँ हैं। हमें उनको अपनी राह चुनने का सुअवसर प्रदान करना चाहिए।

एक अभिभावक के रूप में हमें भी हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े होना है, उन्हें सत्य-असत्य, न्याय-अन्याय, अच्छे-बुरे की परख करने योग्य बनाना है, तभी हमारी अगली पीढ़ी अपने जीवन के अग्निपथ को पार कर मंजिल प्राप्त कर सकेगी।

यह विषय इतना विशद है, जिस पर बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। पर मैं बहुत बातें नहीं कहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि—

"मंजिल उन्हें मिलती है,
जिनके सपनों में जान होती है,
पंख से कुछ नहीं होता,
हौसले से उड़ान होती है।"

39

बधिरता का निवारण एवं क्षमताओं का विकास*

"अगर किसी को कोई शारीरिक अक्षमता है तो परिवार, समाज और सत्ता सबका ये दायित्व है कि उसकी अवहेलना न करते हुए, उसके गुणों को ऐसे विकास का मौका मिले कि उनकी क्षमता का पूर्ण उपयोग हो, उनके कार्यों की सराहना हो और वह समाज में एक सकारात्मक योगदान दे सके।"

किसी भी मनुष्य का, चाहे वे महिलाएँ हों, बच्चे हों, ट्रांसजेंडर, दिव्यांगजन अथवा समाज के किसी भी अन्य वर्ग से हों, यह बुनियादी मानवाधिकार है कि उन्हें अपनी पूरी क्षमताओं के विकास के समान अवसर प्राप्त हों।

इसी अधिकार को मान्यता देने के लिए पूरे विश्व में एक ओर नि:शक्त व्यक्तियों के अधिकारों और दूसरी ओर बधिरता, हियरिंग लॉस के निवारण और हियरिंग केयर के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए 'विश्व श्रवण दिवस' जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

नि:शक्तता कई प्रकार की होती है, जिसमें से सुनने की शक्ति में कमी सबसे आम है। सुनने की शक्ति हमारी सबसे महत्त्वपूर्ण इंद्रियों में से एक है, जो हमें दुनिया से जुड़ने के काबिल बनाती है। जैसा मैंने पहले कहा, सुनने की शक्ति हमें दूसरे लोगों से जोड़ती है और बाकी सारी इंद्रियों की तुलना में संवाद में यह अनूठी भूमिका निभाती है।

विख्यात शिक्षाविद् और कार्यकर्ता हेलेन केलर ने कहा था, 'दृष्टिहीनता हमें वस्तुओं से अलग करती है, परंतु बधिरता हमें व्यक्तियों से अलग कर देती है।'

भारत में सुनने की शक्ति की नि:शक्तता के मामले काफी अधिक हैं और 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2.68 करोड़ लोग इस समस्या से पीड़ित हैं। चिकित्सा विज्ञान

---

* 'विश्व श्रवण दिवस' के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम, आनंदम ई.एन.टी. अस्पताल, कोटा, राजस्थान; 1 मार्च, 2020

के क्षेत्र में की गई खोज से सुनने की शक्ति की नि:शक्तता के उपचार में मदद मिल सकती है। यह जागरूकता उत्पन्न करना कि बीमारी का शीघ्र पता लगाना और शीघ्र उपचार आवश्यक है, इस संबंध में सबसे महत्त्वपूर्ण कदम है।

इस समस्या की पहचान अगर शुरुआत में हो जाए तो इलाज आसान हो जाता है। इसके लिए यूनिवर्सल न्यूबोर्न हियरिंग इंजीनियरिंग स्क्रीनिंग (यू.एन.एस.एस.) से नवजात शिशुओं में श्रवण शक्ति की पहचान आसानी से की जा सकती है। बस इसके लिए माता-पिता को जागरूक करने की जरूरत है।

'विश्व श्रवण दिवस' के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाषण देते हुए

बहुत से ऐसे लोग हुए हैं, जिन्होंने बधिर होते हुए भी समाज में अपने हुनर से अमिट छाप छोड़ी, बीथीवेन का मधुर संगीत हम सब ने सुना है, वो पाश्चात्य संगीत के सम्राट कहलाते हैं, 26 वर्ष में उनको सुनना बिल्कुल खत्म हो गया था, तब कोई चिकित्सा भी उपलब्ध नहीं थी। उनमें पियानो बजाने की विलक्षण प्रतिभा थी। उसमें पारंगत हो गए और अमर हो गए। ऐसे ही थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने विश्व को बल्ब की सौगात दी, वह सुन नहीं पाते थे।

आप सब ने ग्रेनविल रिचर्ड सेमूर रेडमंड का नाम सुना होगा, उनका जन्म अमेरिका में फिलाडेल्फिया, पेन्सिलवेनिया के एक जाने-माने परिवार में हुआ था। ढाई वर्ष की आयु में ज्वर से पीड़ित हुए, जिसके इलाज के बाद उन्होंने अपनी सुनने की क्षमता खो दी। उन्होंने बड़े होकर कला, चित्रकारी सीखी। उनकी चित्रकारी मशहूर थी। 1905 तक एक लैंडस्केप चित्रकार के रूप में लोग जानने लगे थे।

हेलेन केलर को कौन नहीं जानता, वह देख भी नहीं पाती थीं और सुन भी नहीं पाती थीं। इतनी विषमताओं में उन्होंने मनोबल ऊँचा रखा और ब्रेल लिपि के उपयोग को प्रचलित किया।

मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि अगर किसी को कोई शारीरिक अक्षमता है तो परिवार, समाज और सत्ता, सबका यह दायित्व है कि उसकी अवहेलना न करते हुए, उसके गुणों को ऐसे विकास का मौका मिले कि उनकी क्षमता का पूर्ण उपयोग हो, उनके कार्यों की सराहना हो और वह समाज में एक सकारात्मक योगदान दे सके।

इस दृष्टि से मैं आनंदम ई.एन.टी. अस्पताल के बेहतरीन प्रयासों की सराहना करता हूँ। यह संस्था 1997 से लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही है। मेरे क्षेत्र में ऐसे समाजसेवी विचार की संस्था होना मेरे लिए गौरव की बात है। यहाँ ई.एन.टी. संबंधित रोगों का इलाज आधुनिक मशीनों और प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा किया जाता है।

इस चिकित्सालय ने अपनी स्थापना से आज तक बहुत तरक्की की है। मुझे बताया गया है कि यह भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अली यावर जंग नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच थेरेपी से मान्यता प्राप्त है।

अडिप स्कीम के तहत यहाँ बधिर बच्चों को कोक्लेअर इंप्लाट आदि की सुविधा दी जाती है और अभी तकरीबन सौ बच्चे इससे लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ रक्तदान शिविर, ऑपरेशन शिविर आदि समय-समय पर लगाए जाते हैं। यहाँ की डॉक्टर्स की टीम ने सिर्फ भारत ही नहीं, अपितु समय-समय पर जाम्बिया, इथोपिया और श्रीलंका में जाकर भी अपनी सेवाएँ दी हैं, जो बहुत ही प्रशंसनीय हैं।

कोक्लेअर इंप्लाट आज की आधुनिकतम तकनीक है, एक कोक्लेयर इंप्लाट कान के क्षतिग्रस्त हिस्सों को बाईपास करने में मदद करता है और सीधे श्रवण तंत्रिका को उत्तेजित करता है। मशीन द्वारा उत्पन्न सिग्नल श्रवण तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क को भेजे जाते हैं और मस्तिष्क बदले में उन संकेतों को ध्वनियों के रूप में पहचानता है।

इस डिवाइस की सहायता से सुनना सामान्य सुनवाई से काफी अलग है और इसके लिए उपयोग करने के लिए समय की आवश्यकता है। इससे बधिर व्यक्तियों को एक स्वस्थ जीवन, स्वाभिमान, गरिमा को बल मिलता है।

इस दिशा में सरकार भी गंभीर प्रयास कर रही है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मूक-बधिर के लिए विशेष पाठ्यक्रम और कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, जिसमें स्नातक स्तर पर स्पीच और हियरिंग में बी.एससी., पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हैं। ऑडियोलॉजी एवं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी आदि आधुनिक पाठ्यक्रम हैं, जिनसे समग्र विकास होता है और बधिर होना कहीं भी कॅरियर में बाधा नहीं बनता है।

आज सोशल मीडिया के जमाने में जानकारी का आदान-प्रदान कर हम हर विषय में जन-चेतना बढ़ा सकते हैं, ज्यादा-से-ज्यादा लोगों को इसके प्रति सचेत कर सकते हैं, ताकि ज्यादा-से-ज्यादा लोग हर तरह की सुविधा का लाभ ले सकें।

बधिरों के ज्ञान को बढ़ावा देते हुए कई वर्कशॉप या सभा का आयोजन कर सकते हैं, जिसमें कि इनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को साधारण जनता को भी बताया जा सके। बधिरों को तकनीक से अवगत करा सकते हैं, जिससे उनका जीवन पहले से ज्यादा सुगम व सरल हो सके।

इनके लिए हम इस प्रकार के आयोजन अलग-अलग क्षेत्रों में भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की सूचनाएँ, जो इनसे संबंधित हों, उसे सोशल मीडिया के द्वारा बता सकते हैं। कई लुभावने पोस्टर्स बना सकते हैं या कई अन्य कार्य भी किए जा सकते हैं।

अंत में मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों डॉ. विक्रम एवं उनकी टीम को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि वे ऐसे ही सामाजिक कार्य करते रहेंगे। आप सभी बच्चों और उनके अभिभावकों को भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। आप बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

भाग-छह

विविध

40

जनसेवा-राष्ट्रसेवा*

"मेरे राजनीतिक जीवन का उद्देश्य समाज के उन लोगों की सेवा करना है, जो गरीब, उपेक्षित और हाशिए पर खड़े हैं। सबसे पहले देश है और सबसे अंत में मैं हूँ।"

कोटा के सभी निवासियों का अपार प्यार और सम्मान देखकर मैं अभिभूत हूँ। सर्वप्रथम मैं इस पुण्यभूमि को नमन करता हूँ, जहाँ मैं जनमा, पला-बढ़ा एवं जिसके आँचल में मैंने अपनी जीवन-यात्रा प्रारंभ की, आपके साथ शनैः-शनैः चलते-चलते आज इस मुकाम पर पहुँचा।

हमारी इस जीत के लिए मैं अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उनके समर्पित कार्यकर्ताओं एवं समस्त अधिकारियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अथक परिश्रम कर मुझे सफलता दिलाई है।

राजस्थान वीरों की धरती है और यहाँ के सभी निवासी बहुत ही उत्साही, कर्मठ, संघर्षशील, परिश्रमी एवं देशभक्त होते हैं। ऐसी विशाल एवं समृद्ध विरासत पर हमें गर्व है।

जबसे मैंने होश संभाला है, मेरे दिल में अपने देश के निवासियों के प्रति अगाध स्नेह रहा है। इसी स्नेह से प्रेरित होकर मैंने समाज की सेवा करने का प्रण लिया है और आजीवन करता रहूँगा। हमारी सोच, समाज के सबसे कमजोर वर्गों के विकास के दृष्टिकोण से प्रेरित होनी चाहिए, क्योंकि इनके विकास में ही समाज का विकास निहित है।

भाइयो और बहनो! इस कार्य में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। मेरे राजनीतिक जीवन का उद्देश्य केवल और केवल समाज के उन लोगों की सेवा करना है, जो गरीब, उपेक्षित और हाशिए पर खड़े हैं। इस कार्य में कोटा के मेरे सभी साथियों का सहयोग अपेक्षित है, तभी तो हम सब मिलकर उनकी सेवा कर सकेंगे, जिनके लिए हमारा जीवन समर्पित है।

---

* नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम, कोटा, राजस्थान; 6 जुलाई, 2019

कोटा में नागरिक अभिनंदन के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए

आप सबकी कृपा और आशीर्वाद से ही मुझे तीन बार राजस्थान विधान सभा में कोटा का विधायक बनने का अवसर मिला। आपके शुभाशीष, प्यार, स्नेह और सहयोग से मुझे पहली बार देश की सबसे बड़ी पंचायत लोक सभा का सदस्य बनने का सुअवसर मिला।

आपने पुन: मुझे वर्ष 2019 में भारी मतों से विजयी बनाकर, आशीर्वाद देकर लोक सभा में भेजा है, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ।

कौटिल्य अर्थशास्त्र में चाणक्य ने लिखा है—

"प्रजासुखे सुखं राज्ञ: प्रजानां तु हिते हितम्।
नात्मप्रियं हितं राज्ञ: प्रजानां तु प्रियं हितम्॥"

इसका अर्थ है कि राजा का हित प्रजा के हित में समाहित होता है। जो आपका हित वही हमारा हित है। आपके हितों की रक्षा करना ही हमारा दायित्व है। आपने मुझे चुनकर भेजा है। आपकी आकांक्षाएँ और आशाएँ हैं, जिनको पूर्ण करना हमारा धर्म है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा।

चुनाव में विजयश्री के पश्चात् भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मुझे लोक सभा अध्यक्ष के उस सर्वाधिक सम्मानित एवं पावन पद के लिए चुना है, जिसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ।

मुझे इस बात की खुशी है कि लोक सभा के नवनिर्वाचित सभी सदस्यों ने आम सहमति से मुझे लोक सभा के अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित किया है। मुझे मिली इस बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है।

लोक सभा अध्यक्ष का पद निष्पक्ष होता है और उसे दल, क्षेत्र, प्रदेश इत्यादि भावनाओं से ऊपर उठकर कार्य करना होता है। मुझे विश्वास है कि हमें चाकसू, बूँदी सहित कोटा के सभी निवासियों का भरपूर सहयोग एवं सम्मान मिलेगा। राष्ट्रहित में मुझे दी गई जिम्मेदारी का निर्वहन करने में यदि भूलवश मुझसे कोई चूक हो जाए तो कोटा निवासी उस चूक को सहर्ष क्षमा कर देंगे, इसका मुझे यकीन है।

जिस पद पर आपने मुझे पहुँचाया है, उसके सम्मान की रक्षा ही हमारा धर्म है। लेकिन हमारा ध्यान सदैव अपने संसदीय क्षेत्र के निवासियों पर रहेगा। आपके और हमारे बीच कभी कोई दूरी नहीं होगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।

मेरे सामने नई जिम्मेदारियाँ हैं, जिसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी 17वीं लोक सभा का कुशलतापूर्वक संचालन एवं देश के हित में लाए जाने वाले कानून को बनाने में सहयोगी की भूमिका निभाना है। पक्ष और प्रतिपक्ष, दोनों ही हमारे लिए उतने ही प्रिय हैं। दोनों के संवाद, विचार-मंथन एवं सकारात्मक चर्चा से ही देश का उत्थान एवं विकास सहयोग, संभव है।

किसी भी लोक सभा में कई सदस्य पहली बार चुनाव जीतकर आते हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस लोक सभा में 264 सदस्य पहली बार निर्वाचित होकर आए हैं, जोकि लोक सभा की कुल सदस्य संख्या का लगभग आधा हिस्सा है। नौजवानों की यह ऊर्जा जहाँ एक ओर हम सबमें जोश एवं उत्साह का संचार करती है, वहीं देश के लिए कुछ नया करने का जज्बा लिये इन युवा सांसदों को हमारे देश की तकदीर बदलनी है।

वे करोड़ों भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणापुंज बन सकते हैं और भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए कठोर परिश्रम करने के लिए प्रेरित करेंगे। ऐसा मेरा विश्वास है।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश को जिस युवाशक्ति से जोड़ा है, वह अद्‌भुत है। मैं मानता हूँ कि इस शक्ति एवं उमंग से आप सभी उत्साहित होंगे और अपने-अपने कार्यों में सर्वश्रेष्ठ देने के लिए कार्य करेंगे।

एक सांसद का यह दायित्व है कि वह सरकार को आम जनता की माँगों और आकांक्षाओं के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित करे। वह लोगों के समक्ष आ रही समस्याओं को सभा में उठाने और उनकी शिकायतों के सकारात्मक समाधान के लिए हर अवसर का उपयोग करता है। संसद में बनाए गए विधानों का उद्‌देश्य भी तात्कालिक मुद्‌दों

का समाधान करना और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए दीर्घकालीन आधारभूत ढाँचा तैयार करना होता है।

लोक सभा अध्यक्ष का पद संभालते ही मैंने सबसे पहले सभी संसद सदस्यों को उनके क्षेत्र की समस्याओं को लोक सभा में उठाने का अवसर प्रदान करने का प्रयास किया है।

मुझे विश्वास है कि आप अपने इस भाई को प्रतिष्ठित पद की गरिमा एवं मर्यादा को अक्षुण्ण रखते हुए एवं उस संविधान के सम्मान में और श्रीवृद्धि करते पाएँगे, जो हमारे पुरखों ने बहुत ही श्रम, मेहनत एवं सोच-विचार से तैयार किया है।

संसदीय लोकतंत्र एवं उनके आदर्शों के प्रति हमारे देश के लोगों में बहुत ही जागरूकता है। लोकतंत्र की यह परंपरा भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मन-प्राण रही है। युगों से हमारा देश उन मूल्यों में विश्वास करता आया है, जिसके कारण हमारा अस्तित्व है।

एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में मैं आपके सुख-दु:ख को जानता-समझता हूँ। आप सभी ने जितने प्रेम, स्नेह और उत्साह से मुझे सम्मानित किया है, मुझे अपना समझा है, इसके लिए मैं आजीवन आपका ऋणी रहूँगा।

एक बार पुन: मैं आप सभी का अभिनंदन करते हुए कहता हूँ कि सबसे पहले देश है और सबसे अंत में मैं हूँ। देश की रक्षा हम सबका परम धर्म होना चाहिए। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आप सभी की सेवा करने का अवसर मिला है और मुझे हमेशा आप लोगों की सेवा करने का मौका मिलता रहे, प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ।

41

श्री चंद्रशेखर : एक उत्कृष्ट राजनेता*

"किसी महान व्यक्ति पर आधारित पुस्तक पढ़ने के पश्चात् हम सकारात्मक, एकाग्र, ऊर्जावान और रचनात्मक बन जाते हैं। हम ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्थापित आदर्शों और उनकी जीवनशैली तथा समाज के कल्याण के लिए किए गए कार्यों से प्रेरित होते हैं। मैं अपनी युवा पीढ़ी से अनुरोध करता हूँ कि वह अपने दिन-प्रति-दिन के कार्यों से थोड़ा समय निकालकर महान व्यक्तियों के जीवन पर आधारित पुस्तकें पढ़कर प्रेरित हों और जीवन में आगे बढ़ें।"

सबसे पहले मैं इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर आज यहाँ आमंत्रित करने के लिए राज्य सभा के माननीय उप-सभापति श्री हरिवंश जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

इस पहल के लिए मैं पुस्तक के लेखक श्री हरिवंश जी और श्री रविदत्त बाजपेयी जी को हार्दिक बधाई देता हूँ और उनकी सराहना करता हूँ। श्री हरिवंश जी ने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भारत के पूर्व प्रधान मंत्री श्री चंद्रशेखर—हमारे समय के एक महान समाजवादी और गांधीवादी विचारधारा के एक सच्चे नेता के जीवन पर इस प्रामाणिक पुस्तक की रचना और उसका प्रकाशन किया। माननीय चंद्रशेखर जी के एक निकट सहयोगी की यह वास्तव में एक प्रशंसनीय पहल है।

इस अवसर पर मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने तथा राष्ट्र-निर्माण में उनके योगदान को देखते हुए लोक सभा सचिवालय ने

---

* राज्य सभा के माननीय उप सभापति श्री हरिवंश और श्री रविदत्त बाजपेयी द्वारा लिखित पुस्तक 'चंद्रशेखर : द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स' का विमोचन,संसदीय ज्ञानपीठ, 24 जुलाई, 2019

वर्ष 2016 में इस सम्माननीय नेता के जीवन पर अंग्रेजी और हिंदी, दोनों भाषाओं में एक स्मृति खंड प्रकाशित किया था। उससे पहले 4 मई, 2010 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में श्री चंद्रशेखर जी के एक चित्र का अनावरण भी किया गया था।

उत्कृष्ट राजनेता श्री चंद्रशेखर एक दृढ़ निश्चयी पर सीधे-सादे और स्पष्टवादी व्यक्ति थे। 1962 में पहली बार उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के लिए चुने जाने के बाद उनका संसदीय जीवन आरंभ हुआ। चार दशक के अपने उतार-चढ़ाव से भरे हुए और उत्कृष्ट संसदीय जीवन के दौरान वह आठ बार लोक सभा के लिए और तीन बार राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए। यह उनके नेतृत्व में जनता के दृढ़ विश्वास को दर्शाता है।

बालयोगी सभागार, संसदीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली में 24 जुलाई, 2019 को श्री हरिवंश और श्री रविदत्त वाजपेयी द्वारा लिखित 'चंद्रशेखर—द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स' पुस्तक के विमोचन के अवसर पर

एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले श्री चंद्रशेखर नवंबर 1990 में विश्व के सबसे बड़े कार्यशील लोकतंत्र के प्रधान मंत्री बने। प्रधान मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा, उतार-चढ़ाव से भरी इस अवधि के दौरान वह एक कुशल प्रशासक के रूप में उभरकर सामने आए।

यद्यपि उन्होंने एक नई विचारधारा की शुरुआत की थी, तथापि वैचारिक प्रतिबद्धता की दृष्टि से आचार्य नरेंद्र देव के एक सच्चे शिष्य होने के नाते वह समाजवाद के प्रति पूर्णत: समर्पित रहे। इस संदर्भ में मैं यह कह सकता हूँ कि इस पुस्तक का शीर्षक 'चंद्रशेखर : द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स' बहुत सटीक और उचित है।

अपनी दूरदर्शिता और सुधारवादी दृष्टिकोण के साथ चंद्रशेखर एक उत्कृष्ट सांसद थे। सभा में विचार-विमर्श के दौरान वह बहुत प्रभावशाली, धाराप्रवाह वक्तव्य देकर अपनी वाक्पटुता का परिचय देते थे। उनका वाक्-चातुर्य इतना सम्मोहक होता था कि संसद की दोनों सभाओं में उनकी बातों को सदैव बहुत ध्यानपूर्वक सुना जाता था।

अपने भाषणों और वक्तव्यों से वह निर्धनता, समानता, उत्पीड़न, किसानों की दुर्दशा आदि जैसी आम समस्याओं और मुद्दों पर राष्ट्र का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करते थे। संसद की पद्धतियों और प्रक्रियाओं के नियमों में प्रवीण होने के साथ-साथ वह लोकतांत्रिक संस्थाओं की मर्यादा और गरिमा का बहुत सम्मान करते थे, उन्होंने उनका आजीवन पालन किया। उद्देश्य के प्रति उनकी ईमानदारी और उनके सौम्य स्वभाव ने उन्हें अन्य राजनैतिक दलों के नेताओं में भी लोकप्रिय बना दिया। उनके योगदान को देखते हुए उन्हें 1995 में उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

श्री चंद्रशेखर एक महान जननेता थे, जिन्होंने आम लोगों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य किया। उन्होंने 1983 में कन्याकुमारी से दिल्ली के राजघाट तक 4260 किलोमीटर की पदयात्रा की। उनकी पदयात्रा उनके राजनैतिक जीवन की ऐतिहासिक घटना थी, जिसने लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने में सहायता की।

पदयात्रा के दौरान वे आम जनता के साथ संपर्क स्थापित करने और जमीन से जुड़ी समस्याओं को समझने में सफल हुए। अपनी पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाओं, प्रत्येक गांव के लिए शिक्षा, आदिवासियों की समस्याओं और सांप्रदायिक सद्भाव के मुद्दों पर बल दिया।

एक असाधारण राजनैतिक व्यक्तित्व होने के साथ-साथ श्री चंद्रशेखर जी मानवतावादी भी थे। उनकी भावनाओं की गहराई उनके लेखों और भाषणों में प्रतिबिंबित होती है। उनकी पुस्तकें 'मेरी जेल डायरी' और 'डायनेमिक्स ऑफ सोशल चेंज' उनके साहित्यिक कौशल और मौलिक विचारों को बखूबी दर्शाती हैं।

राजा कैसा होना चाहिए, इसके बारे में चंद्रशेखर ने पुराणों की एक कथा को उद्धृत किया था। देवताओं के राजा इंद्र सूर्यदेव को कहते हैं कि समंदर के पानी को सोख लो, फिर वायुदेव को कहते हैं कि इन बादलों को रेगिस्तान में ले जाओ और वरुण देव को कहते हैं कि यहाँ बारिश कर दो। अत: राजा का यह कर्तव्य है कि जिनके पास अपनी जरूरत से

ज्यादा है, उनसे लेकर वे गरीबों में वितरित करने का प्रयास करें। इस संबंध में एक बार उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कहा था—

गुलिस्तां में कलियाँ तरसती रही,
समंदर में बरसात होती रही।

इस बात को हरिवंश जी ने इस किताब में बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया है।

अपने निडर और क्रांतिकारी विचारों के लिए 'युवा तुर्क' कहे जाने वाले श्री चंद्रशेखर 'यंग इंडियन' पत्रिका के संस्थापक थे। पुस्तकें हमारे जीवन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और अनेक लोगों के लिए पुस्तकें पढ़ना उनकी दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा होता है। पुस्तकें हमारे जीवन में एक शिक्षक, मार्गदर्शक और मित्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विशेषकर किसी महान व्यक्ति पर आधारित पुस्तक पढ़ने के पश्चात् हम सकारात्मक, एकाग्र, ऊर्जावान और रचनात्मक बन जाते हैं। हम ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्थापित आदर्शों और उनकी जीवनशैली तथा समाज के कल्याण के लिए किए गए कार्यों से प्रेरित होते हैं। मैं अपनी युवा पीढ़ी से अनुरोध करता हूँ कि वह अपने दिन-प्रति-दिन के कार्यों से थोड़ा समय निकालकर महान व्यक्तियों के जीवन पर आधारित पुस्तकें पढ़कर प्रेरित हों और जीवन में आगे बढ़ें।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं भारतीय राजनीति के सर्वोत्कृष्ट व्यक्तियों में से एक श्री चंद्रशेखर जी के जीवन और कार्यों पर आधारित पुस्तक का प्रकाशन करने हेतु किए गए अथक प्रयासों के लिए माननीय उप-सभापति श्री हरिवंश जी की सराहना करता हूँ और उन्हें एक बार पुन: बधाई देता हूँ। मैंने यह नोट किया कि यह पुस्तक अंग्रेजी भाषा में है। मुझे विश्वास है कि इसका हिंदी संस्करण भी शीघ्र ही प्रकाशित किया जाएगा, ताकि बड़ी संख्या में लोग इस पुस्तक को पढ़ सकें।

यह पुस्तक नि:संदेह चंद्रशेखर जी के जीवन का प्रामाणिक चित्रण प्रस्तुत करके उनकी रिक्तता को भरती है और जन-कल्याण के लिए उनके महत्त्वपूर्ण योगदान को प्रदर्शित करती है। मुझे आशा है कि यह पुस्तक सांसदों, शिक्षाविदों, विद्यार्थियों और चंद्रशेखर जी के समर्थकों के लिए अत्यंत उपयोगी और ज्ञानवर्धक साबित होंगी।

42

श्री अरुण जेटली : एक बहुमुखी प्रतिभा*

"श्री अरुण जेटली दलीय प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर सभी राजनीतिक दलों के स्वीकार्य नेता रहे। संसदीय वाद-विवाद में उन्होंने अपने ज्ञान, विवेक एवं वक्तृत्व कला का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया है। उनके योगदान से हमारी संसद की सभाएँ धन्य हुई हैं। उनका यह आदर्श वाक्य था कि 'यह खत्म नहीं हुआ है, यह तो अभी शुरुआत है'।"

आज प्रख्यात राजनीतिज्ञ, अधिवक्ता, खेल प्रशासक, अर्थशास्त्री, संसदविद्, राजनेता एवं प्रखर वक्ता आदरणीय अरुण जेटली के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर लिखी गई पुस्तक 'The Renaissance Man : The Many Faces of Arun Jaitley' के विमोचन के अवसर पर आयोजित विमोचन समारोह में सम्मिलित होकर मैं उनको स्मरण कर भाव-विभोर हूँ।

आदरणीय अरुण जेटली जी अपने जीवन के अंतिम क्षण तक देश सेवा में समर्पित रहे। अपने जीवन के आखिरी क्षण तक वे लिखते रहे और देश तथा समाज को मार्गदर्शन देते रहे।

मुप्पावरापु फाउंडेशन द्वारा इस संस्मरण संग्रह का शीर्षक बहुत सटीक 'The Renaissance Man : The Many Faces of Arun Jaitley' रखा गया है। वे वाकई बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे।

श्री अरुण जेटली दलीय प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर सभी राजनीतिक दलों के स्वीकार्य नेता रहे। हृदय की विशालता और उनके विराट व्यक्तित्व के कारण राजनीति में उनकी अलग पहचान थी। आज मैं लोक सभा स्पीकर के रूप में संसद में उनकी रिक्तता को बहुत महसूस करता हूँ।

---

* श्रद्धेय अरुण जेटली पर लिखी गई पुस्तक 'The Renaissance Man : The Many Faces of Arun Jaitley' का विमोचन, नई दिल्ली, 28 दिसंबर, 2019

उनके विराट व्यक्तित्व और सभी राजनीतिक दलों में उनकी स्वीकार्यता, संसद के प्रति उनकी अटूट निष्ठा के कारण आज हमें उनकी कमी खलती है।

विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपने के वे कुशल रणनीतिकार थे।

स्वर्गीय श्री अरुण जेटली के जीवन पर आधारित पुस्तक के विमोचन के अवसर पर विशिष्ट जनों के साथ

केंद्रीय मंत्री के रूप में विश्व व्यापार संधि के विभिन्न चरणों में उन्होंने विदेश में भारतीय हितों की रक्षा करने का काम किया। उन्होंने 'न्यू इंडिया', 'आशाओं की पॉलिटिक्स' जैसे नए शब्द देकर देश की राजनीति को नया रूप देने का काम किया।

श्री अरुण जेटली जी एक कुशल विधिवेत्ता थे, वहीं सांसद और मंत्री, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में तर्क-वितर्क के आधार पर और तथ्यों के आधार पर सदन में अपनी बात रखकर सभी पक्षों को निरुत्तर कर देते थे। वे व्यक्तिगत जीवन में मित्रों के मित्र रहे तथा सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों को निभाने में भी हमेशा ईमानदार रहे। वे एक ऐसे नेता थे, जिनकी राजनीति, विधि, संविधान के साथ-साथ आर्थिक मामलों और देश के लगभग हर क्षेत्र में, हर विषय पर उनकी राजनीतिक समझ व्यापक थी। उन्होंने जिस क्षेत्र में भी कार्य किया, अपनी अमिट छाप छोड़ी।

जब वे छात्र जीवन में छात्रनेता थे तो उन्होंने छात्रों को नेतृत्व प्रदान किया, उन्हें दिशा दी। जब पार्टी प्रवक्ता बने तो उन्होंने प्रवक्ता के रूप में सभी प्रवक्ताओं का मार्गदर्शन किया।

जब उन्होंने संगठन में काम किया तो पूरी निष्ठा से काम करते हुए कई राज्यों में पार्टी को सत्ता में लाने का काम किया। जो भी उनको कार्य दिया जाता था, उस कार्य को वे बड़ी जिम्मेदारी एवं कुशलता से निभाते हुए अपनी छाप छोड़ते थे।

संसदीय वाद-विवाद में उन्होंने अपने ज्ञान, विवेक एवं वक्तृत्व कला का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया है। उनके योगदान से हमारी संसद की सभाएँ धन्य हुई हैं। उनका यह आदर्श वाक्य था कि 'यह खत्म नहीं हुआ है, यह तो अभी शुरुआत है'। उनके विचार और दर्शन हम सबके दिलों में अब भी जीवित हैं। वे जब बीमार थे, तब भी हमेशा सामाजिक विषयों पर लेख लिखते रहते थे। जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक उन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र की सेवा में समर्पित रखा। ऐसे थे हमारे जेटली जी।

एक केंद्रीय मंत्री एवं सांसद के रूप में सदन में उनकी छाप सदैव अमिट रहेगी। विशेष रूप से संसद में गतिरोध समाप्त करने में समन्वयक के रूप में उनकी हमेशा महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। अपने विनयपूर्ण व्यवहार से जेटली जी ने हर व्यवसाय, क्षेत्र और वर्ग में अपने मित्र बनाए। वे बहुत ही ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और साफ हृदय के व्यक्ति थे।

संसदीय चर्चा में उनके सुविचारित मत, तर्कपूर्ण संवाद एवं सारगर्भित भाषण किसी युवा नेता के लिए प्रेरणास्रोत सिद्ध हो सकते हैं। वे सदैव हमारे दिलों में हैं, थे और रहेंगे एवं हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे।

आज जब उनके स्मरण में एक पुस्तक का विमोचन हो रहा है, मैं भाव-विभोर हूँ। उनके सौम्य एवं आकर्षक चेहरे की झलक अनायास हमारे मन में आने लगी है। सर्वप्रिय एवं हंसमुख अरुण जेटली जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

43

शहीदों की वीरता को नमन*

"हमारे सैनिक, सरहदों पर, बर्फीले पहाड़ों पर, चिलचिलाती धूप में, सागर और आसमान में, पूरी बहादुरी और चौकसी के साथ देश की सुरक्षा में समर्पित रहते हैं। वे बाहरी खतरों से सुरक्षा करके हमारी स्वाधीनता सुनिश्चित करते हैं।"

यह अत्यंत गर्व और प्रसन्नता का विषय है कि मुझे ऐसे वीर शहीदों के परिवारों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिनकी एक नहीं बल्कि कई पीढ़ियों ने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं और धरती माता का नित वंदन किया है।

पंजाब की इस मिट्टी ने अनगिनत महान शहीदों को जन्म दिया है। इसका कण-कण देशभक्ति की भावना में समर्पित है। इस मिट्टी पर अपने कदम रखना ही मेरे लिए सौभाग्य है। मैं इस पुण्य धरा को शत-शत नमन करता हूँ।

हमारा गौरवशाली अतीत और सशक्त वर्तमान एवं उज्ज्वल भविष्य पंजाब की माताओं के हाथों में सुरक्षित है। उनकी दयालुता, उनकी करुणा, उनकी वीरता और उनके त्याग का मैं जितना वर्णन करूँ, कम है।

पंजाब की धरती में देशभक्ति की ऐसी लहर है, जिसने सदा ही देश की हर प्रकार से सेवा की है। मुझे यकीन है कि अतीत से वर्तमान तक और वर्तमान से भविष्य तक के सफर में यहाँ की माताओं, बहनों, युवाओं, जवानों एवं अनुभवी बहादुरों का योगदान सदैव याद किया जाता रहेगा।

मैं ऐसी माताओं, बहनों और भाइयों से मिलकर गौरवान्वित हूँ, जिनके बेटों और भाइयों ने सैनिक के रूप में अपनी वीरता, बहादुरी और शौर्य के कारनामे पूरे देश को दिखाए हैं।

---

* शहीदों के परिवारों से मुलाकात के दौरान उद्गार, होशियारपुर, पंजाब, 7 मार्च, 2020

मुझे यह जानकर और भी गर्व हुआ है कि उन शहीदों की विधवाओं ने अपने बेटों-बेटियों को भी फौज में भेजने की बात कही है। यह परम देशभक्ति है।

ऐसा इसलिए है कि यहाँ का इतिहास साहस, बलिदान और स्वतंत्रता के लिए समर्पण के कृत्यों से भरा हुआ है। वे देश के लिए की गई कुर्बानियों का महत्त्व समझते हैं।

लाला लाजपत राय, शहीद भगत सिंह, शहीद ऊधम सिंह जैसे महावीरों की इस धरती ने पूरे भारत को एकजुट रखने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये सब हमारे सर्वमान्य क्रांतिवीर थे और रहेंगे।

राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले शहीदों को याद करते हुए एवं उनके परिवारजनों से मिलकर मेरे मन में अत्यंत गर्व और संतोष के भाव हैं। राष्ट्र के लिए जीने और मरने को तैयार ये जांबाज परिवार हमें यकीन दिलाते हैं कि 'उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान हैं आँखें।'

मैं शहीद परिवारों की महिला सदस्यों का विशेष अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने माता, बहन एवं पत्नी के रूप में सैनिक के कर्तव्यों के निर्वहन में अपनी विशेष भूमिका निभाई है। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है।

इस अवसर का उल्लेख करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि महिलाओं की हमारे समाज में एक विशेष भूमिका है। हमारी देशभक्त महिला शक्ति ने पूरे देश को ऐसे रत्न दिए हैं, जिसके लिए उनका धन्यवाद करना हम सबका फर्ज है।

शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जब हम चर्चा करते हैं तो दुर्गा भाभी की भी चर्चा करनी होगी, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई।

हमारे सैनिक, सरहदों पर बर्फीले पहाड़ों पर चिलचिलाती धूप में, सागर और आसमान में, पूरी बहादुरी और चौकसी के साथ देश की सुरक्षा में समर्पित रहते हैं। वे बाहरी खतरों से सुरक्षा करके हमारी स्वाधीनता सुनिश्चित करते हैं।

जब हम उनके लिए बेहतर हथियार उपलब्ध कराते हैं, स्वदेश में ही रक्षा उपकरणों के लिए सप्लाई चेन विकसित करते हैं और सैनिकों को कल्याणकारी सुविधाएँ प्रदान करते हैं, तब हम अपने स्वाधीनता सेनानियों के सपनों का भारत बनाते हैं।

हमारी पुलिस और अर्धसैनिक बल अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं। आतंकवाद का मुकाबला करते हैं, अपराधों की रोकथाम और कानून-व्यवस्था की रक्षा करते हैं। साथ-ही-साथ प्राकृतिक आपदाओं के समय वे हम सबको सहारा देते हैं। जब हम उनके काम-काज और व्यक्तिगत जीवन में सुधार लाते हैं, तब हम अपने स्वाधीनता सेनानियों के सपनों का भारत बनाते हैं।

मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से अत्यंत गर्व का दिन है, जब मुझे होशियारपुर की धरती पर ऐसे प्रेरक परिवारों से आमने-सामने मिलने का अवसर मिल रहा है।

इनकी देशभक्ति से प्रेरणा लेकर अन्य राज्यों से भी ऐसे परिवार सामने आ रहे हैं, जो कई पीढ़ियों से सेना का हिस्सा रहे हैं। आज हम देश के भीतर इसलिए सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि कोई सीमा पर हमारे लिए तैनात है। हम कुछ भी करके ऐसे परिवारों का ऋण नहीं चुका सकते।

अंत में मैं एक बार फिर आप सबका अभिनंदन करता हूँ। अपनी तरफ से कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से आप सभी को कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।

□□□